

Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 26 /2026-27

July 06, 2026

To,

BSE Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,

Reg: Annual Report of the Bank for FY 2025-26

Pursuant to Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the FY 2025-26.

The Annual Report of the Bank is also available on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/content/archive-annual>

Request you to take note of the above.

Yours faithfully

Saket Mehrotra
Company Secretary



GROWING WITH VIKSIT BHARAT
BUILDING FOR THE FUTURE

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT
2025-26



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਗਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੁੱਲਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha
एमडी एवं सीईओ / MD & CEO



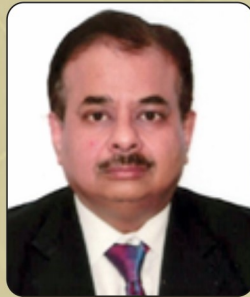
श्री रवि मेहरा / Sh. Ravi Mehra
कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री राजीवा / Sh. Rajeeva
कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री जितेन्द्र असाती
Sh. Jitendra Asati
भारत सरकार नामित निदेशक
GOI Nominee Director



श्री विवेक श्रीवास्तव
Sh. Vivek Srivastava
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री शंकर लाल अग्रवाल
Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director
(10.04.2026 तक) / (upto 10.04.2026)



श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
Sh. Rajendra Prasad Gupta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री हेमंत वर्मा
Sh. Hemant Verma

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Managers



श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar

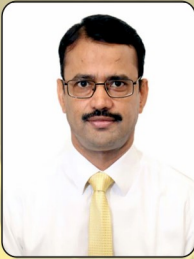


श्री राजेश सी पांडे
Sh. Rajesh C Pandey



श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar
(01.04.2026 से) (w.e.f 01.04.2026)

महाप्रबंधक / General Managers



श्री पंकज द्विवेदी /
Sh. Pankaj Dwivedi



श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan



श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur



श्री चमन लाल शीहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar



श्रीमती रश्मिता क्वात्रा
Smt. Rashmita Kwatra



श्री मनोज कुमार
Sh. Manoj Kumar



श्री नीलेंद्र के प्रभात
Sh. Nilendra K Prabhat



श्री विनोद कुमार पाण्डेय
Sh. Vinod Kumar Pandey

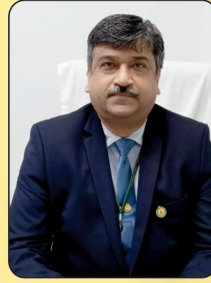
महाप्रबंधक / General Managers



श्री रतेश चन्द्र
Sh. Ratnesh Chandra



श्री संतोष कुमार नीरज
Sh. Santosh Kumar Neeraj



श्री संजय प्रकाश श्रीवास्तव
Sh. Sanjay Prakash Srivastava



श्री सतबीर सिंह
Sh. Satbir Singh



श्री अशनी कुमार
Sh. Ashni Kumar



श्रीमती महिमा अग्रवाल
Smt. Mahima Agarwal



श्री राजीव कुमार बंसल
Sh. Rajiv Kumar Bansal
(01.04.2026 से)
(w.e.f 01.04.2026)

सीएक्सओ / CXOs



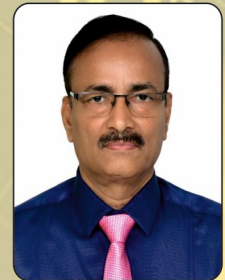
श्री अर्नब गोस्वामी
Sh. Arnab Goswamy
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer



श्री धीरज कुमार गौड़
Sh. Dheeraj Kumar Gaur
मुख्य जोखिम अधिकारी
Chief Risk Officer



श्री रवि गुप्ता
Sh. Ravi Gupta
मुख्य अनुपालन अधिकारी
Chief Compliance Officer



श्री प्रेम चंद
Sh. Prem Chand
मुख्य तकनीकी अधिकारी
Chief Technical Officer

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. उल्लेखनीय तथ्य	2
2. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य	3
3. नोटिस	13
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट	26
5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	51
6. कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	55
7. वित्तीय विवरणियां:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	107
तुलन-पत्र	120
लाभ-हानि खाता	122
अनुसूचियाँ	124
नकदी प्रवाह विवरण	205

बेसल III प्रकटीकरण और व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/> पर देखी जा सकती है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले शेयरधारक बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

Contents

	Page No.
1. Highlights	2
2. MD & CEOs Statement	8
3. Notice	207
4. Director's Report	221
5. Secretarial Audit Report	241
6. Corporate Governance Report	245
7. Financial Statements:	
Independent Auditors' Report	294
Balance Sheet	308
Profit & Loss Account	310
Schedules	312
Cash Flow Statement	409

Basel III disclosures and Business Responsibility and Sustainability Report can be viewed on the Bank's Website <https://punjabandsind.bank.in/>. Shareholders(s) interested in obtaining a physical copy of the Business Responsibility and Sustainability Report may write to the Company Secretary of the Bank.

In this Annual Report, in case of any discrepancy found in the Hindi version, the English version will Prevail



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

राशि करोड़ में / Rupees in crore

		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024
1	शाखाओं की संख्या / Number of Branches	1,654	1,610	1,564
2	एटीएम की संख्या / Number of ATMs	1,161	1,047	1,033
3	चुकता पूंजी / Paid-up Capital	7,095.59	7,095.59	6,777.79
4	आरक्षित निधियां / Reserves	7,036.83	6,259.17	8,755.64
5	कुल व्यवसाय / Total Business	2,63,652.33	2,29,379.01	2,05,374.03
6	जमाएं / Deposits	1,45,829.01	1,29,774.02	1,19,409.55
7	सकल अग्रिम / Gross Advances	1,17,823.32	99,605.00	85,964.47
8	सकल निवेश / Gross Investments	50,127.02	47,693.89	50,667.61
9	कुल आय / Total Income	13,759.30	13,048.94	10,915.45
10	कुल व्यय / Total Expenditure	11,577.56	10,974.02	9,784.51
11	परिचालन लाभ / Operating Profit	2,181.74	2,074.92	1,130.94
12	निवल लाभ / (निवल हानि) / Net Profit / (Net Loss)	1,321.93	1,015.83	595.42
13	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश / Dividend per Equity Share	0.39	0.07	0.20
14	आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.79%	0.67%	0.41%
15	सकल एनपीए अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	2.40%	3.38%	5.43%
16	निवल एनपीए अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	0.79%	0.96%	1.63%
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	17.42%	17.41%	17.16%
18	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी / CET 1 Capital (%)	15.92%	15.59%	14.74%
19	प्रावधान कवरेज अनुपात / PCR (%)	90.91%	91.38%	88.69%
20	निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin (%)	2.55%	2.85%	2.45%
21	ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio (%)	80.80%	76.75%	71.99%
22	लागत आय अनुपात / Cost to Income Ratio (%)	60.97%	61.23%	72.16%
23	निवल मालियत / Net Worth	11,944.88	10,945.42	7,835.78
24	प्रति शेयर बही मूल्य / Book Value Per Share (in Rs.)	16.83	15.43	11.56

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य



श्री स्वरूप कुमार साहा
एमडी एवं सीईओ

प्रिय हितधारक,

वित्त वर्ष 2025-26 भारत की आर्थिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय रहा। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, उभरते व्यापारिक परिदृश्यों, तकनीकी व्यवधानों एवं ग्राहक अपेक्षाओं में बदलाव के कारण अत्यंत जटिल वैश्विक परिवेश के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों, मजबूत वित्तीय प्रणाली, निरंतर सार्वजनिक निवेश और विस्तारित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से समर्थित, भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया।

बैंकिंग क्षेत्र इस प्रगति का एक प्रमुख प्रवर्तक रहा है। हाल के वर्षों में, भारतीय बैंकों ने तुलन पत्र को प्रबल करके, आस्ति गुणवत्ता में सुधार द्वारा, प्रौद्योगिकी को अपनाकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाकर और द्रुतता से ग्राहक-केंद्रित वित्तीय समाधान प्रदान करके गहन परिवर्तन अवलोकित किया है। इन संरचनात्मक सुधारों ने वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ किया है, इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र को भारत के सतत और समावेशी विकास के आगामी चरण का समर्थन करने के लिए तैयार किया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक इस राष्ट्रीय यात्रा का एक अभिन्न अंग रहा है। एक शताब्दी से अधिक पुरानी विरासत के साथ, हम ईमानदारी से ग्राहकों की सेवा करने, उद्यमों का समर्थन करने, वित्तीय समावेशन को अग्रेषित करने तथा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। जहां हमारी विरासत हमें ताकत और स्थिरता प्रदान करती है, वहीं हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से भविष्य केंद्रित है। हम मानते हैं कि आज के बैंकिंग परिदृश्य में निरंतर सफलता निरंतर नवाचार, अनुशासित निष्पादन और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने की एक अटूट प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

इस पृष्ठभूमि में, वित्त वर्ष 2025-26 पंजाब एण्ड सिंध बैंक के लिए मजबूत और संतुलित कार्य प्रदर्शन का एक अन्य वर्ष था। बैंक ने प्रमुख वित्तीय और परिचालन मानकों पर उचित विकास दर्ज किया, जो हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं के सफल निष्पादन और हमारे व्यवसाय मॉडल की दृढ़ता को दर्शाता है। हमारा ध्यान पूंजी को मजबूत करने, अनुशासित जोखिम प्रबंधन बनाए रखने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और स्थायी दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण करते हुए लाभदायक विकास हासिल करने पर केंद्रित रहा।

बैंक का कुल व्यवसाय **₹2,63,652** करोड़ हो गया, जिसमें **14.94%** की एक स्वस्थ वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यह मील का पत्थर हमारे ग्राहकों और हितधारकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है और तेजी से प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश में स्थायी रूप से बढ़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

हमारा जमा आधार बढ़कर **₹1,45,829** करोड़ हो गया, जो विगत वर्ष की तुलना में **12.37%** की वृद्धि को दर्शाता है। हमारी जमा फ्रेंचाइज़ी का निरंतर विस्तार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जताए गए भरोसे को प्रतिबिंबित करता है तथा खुदरा, संस्थागत और सरकारी व्यावसायिक क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने के हमारे निरंतर प्रयासों की पुष्टि करता है। कासा जमा भी **10.02%** से बढ़कर **₹44,876** करोड़ हो गई, जो भविष्य के ऋण विस्तार को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थिर और लागत प्रभावी निधियन आधार प्रदान करती है।



आस्ति पक्ष के अंतर्गत, **सकल अग्रिम 18.29% बढ़कर ₹1,17,823 करोड़** हो गया, जो समग्र व्यवसाय वृद्धि से काफी अधिक है। यह प्रदर्शन खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) **खंडों** पर हमारे रणनीतिक प्रतिबद्धता से प्रेरित था, जो अब विगत वर्ष के **55.15%** की तुलना में कुल अग्रिमों का **58.80%** हैं।

बैंक ने एक अन्य वर्ष भी मजबूत लाभप्रदता प्रदान की। **परिचालन लाभ ₹2,182 करोड़** रहा, जबकि **शुद्ध लाभ 30.12% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ ₹1,322 करोड़** हो गया। यह कार्य-प्रदर्शन स्वस्थ व्यवसाय वृद्धि, बेहतर परिचालन दक्षता, विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण, अनुशासित लागत प्रबंधन और आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान आकृष्ट करने से समर्थित था।

आस्ति गुणवत्ता :

वर्ष के सबसे उत्साहजनक परिणामों में से आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ। **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 3.38% से घटकर 2.40%** हो गया, जबकि **शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 0.96% से सुधरकर 0.79%** हो गया। ये सुधार मजबूत बीमा लेखन (अंडरराइटिंग) मानकों, सक्रिय पोर्टफोलियो निगरानी, प्रभावी वसूली तंत्र और पूरे संगठन में क्रेडिट अनुशासन की प्रगाढ़ अंतर्निहित संस्कृति को दर्शाते हैं।

बैंक ने **90.91% का प्रावधान कवरेज अनुपात** बनाए रखते हुए अपने तुलन-पत्र को और मजबूत किया, जो हमारे विवेकपूर्ण प्रावधान संबंधी दर्शन और जोखिम प्रबंधन के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। हमारा बेसल III **पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.42% पर मजबूत रहा**, जो नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है, जो वित्तीय लचीलेपन को बनाए रखते हुए भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है।

ये उपलब्धियां केवल एक मजबूत वित्तीय कार्य-प्रदर्शन से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे गुणवत्तापूर्ण विकास, सुदृढ़ अभिशासन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग पर केंद्रित रणनीति के सफल निष्पादन को दर्शाती हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है—वित्तीय अनुशासन के साथ सतत विकास को आगे बढ़ाना, पूंजी का विवेकपूर्ण आवंटन करना, जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना और अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए लगातार दीर्घकालिक मूल्य बनाना।

हमारी रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ खुदरा, **कृषि और एमएसएमई (रैम) खंडों** पर हमारा मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहा है, जो हमारे व्यावसायिक विकास की आधारशिला बने हुए हैं। ये क्षेत्र न केवल महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करते हैं, बल्कि रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे किसी परिवार को उसका पहला घर खरीदने में सक्षम बनाना हो, आधुनिक कृषि वित्तपोषण के माध्यम से किसानों का समर्थन करना हो, किसी युवा उद्यमी को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना हो या छोटे उद्यमों को समय पर ऋण प्रदान करना हो, हम प्रत्येक वित्तपोषण निर्णय को भारत की विकास गाथा में सार्थक योगदान देने के एक अवसर के रूप में देखते हैं।

ऋण देने की प्रक्रियाओं के बढ़ते **डिजिटलीकरण**, सरलीकृत **ग्राहक यात्राओं** और **प्रौद्योगिकी-सक्षम ऋण मूल्यांकन** ने हमें पोर्टफोलियो की गुणवत्ता से समझौता किए बिना पहुंच में सुधार करने, **ऋण वितरण में तेजी लाने** और **ग्राहक अनुभव को बढ़ाने** में सक्षम बनाया है।

एक समान रूप से महत्वपूर्ण प्राथमिकता बैंक की दायित्व फ्रैंचाइज़ी को मजबूत करना रहा है। एक बढ़ती प्रतिस्पर्धी बैंकिंग माहौल में, एक स्थिर और विविध जमा आधार दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। वर्ष के दौरान, हमारे प्रयास केवल जमा संग्रहण (deposit mobilisation) तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उत्कृष्ट सेवा, जरूरत आधारित प्रस्तावों और खुदरा, संस्थागत तथा सरकारी खंडों में अधिक जुड़ाव के माध्यम से **ग्राहकों के साथ संबंधों को गहरा करने** तक विस्तृत हुए।

ग्राहकों की अपेक्षाओं में आए बदलाव को पहचानते हुए, बैंक ने प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया नवाचार और डिजिटल क्षमताओं में निरंतर निवेश के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपने डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को गति दी है। हमारी पहल डिजिटल चैनलों के विस्तार से आगे बढ़कर एंड-टू-एंड ग्राहक यात्राओं को फिर से तैयार करने, ऋण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, भुगतान पारिस्थितिकी प्रणालियों को मजबूत करने और मुख्य प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने तक विस्तृत रही। खुदरा और एमएसएमई ऋणों के बढ़ते डिजिटलीकरण, उन्नत डिजिटल भुगतान क्षमताओं और आधुनिक तकनीकी प्लेटफार्मों ने सामूहिक रूप से परिचालन दक्षता में सुधार किया है और साथ ही तेज, सरल और अधिक सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं सक्षम की हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वित्तीय सेवा उद्योग में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है, और पंजाब एण्ड सिंध बैंक इन अवसरों को जिम्मेदारी से अपना रहा है। वर्ष के दौरान, **म्यूल हंटर एआई** के कार्यान्वयन ने म्यूल खातों से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें रोकने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, जबकि **फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर** ढांचे की तैनाती ने सक्रिय लेनदेन निगरानी के माध्यम से उभरते धोखाधड़ी के तौर-तरीकों की पहचान करने की हमारी क्षमता को मजबूत किया। **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण और **मोबाइल नंबर निरसन सूची (एमएनआरएल)** ढांचे के कार्यान्वयन ने हमारे डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और अखंडता को और मजबूत किया है।

जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता को स्वीकार करते हुए, बैंक ने **जेनेरेटिव एआई गवर्नेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम (जीपीटी), एंटरप्राइज चेंज गवर्नेंस (ईसीजी)** ढांचे और डाटा गुणवत्ता अनुसूची (**डीक्यूआई**) के माध्यम से संरचित शासन तंत्र भी स्थापित किया है। साथ मिलकर, ये पहल सुदृढ़ शासन, डाटा अखंडता, नियामक अनुपालन और प्रभावी जोखिम निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं।

यह चिह्नित करते हुए कि परिचालन लचीलापन केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंक ने सभी परिस्थितियों में निर्बाध बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने **व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम)** और **आपदा वसूली (डीआर)** क्षमताओं को और मजबूत किया है। नियमित **साइबर सुरक्षा अभ्यास, संवेदनशीलता आकलन**, प्रौद्योगिकी उन्नयन और **लचीलेपन का परीक्षण** ने उभरते साइबर जोखिमों के विरुद्ध हमारी तैयारियों को बढ़ाया है और साथ ही पूरे संगठन में व्यावसायिक निरंतरता को मजबूत किया है।

हमारे इस बदलाव के लिए एक मजबूत अभिशासन ढांचा भी उतना ही मौलिक है। वर्ष के दौरान, हमने संवर्धित निरीक्षण तंत्र, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी और मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से अपने शासन ढांचे को मजबूत करना जारी रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यावसायिक विकास, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और नियामक अपेक्षाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित रहे।



हमारी **आंतरिक लेखापरीक्षा** कार्यप्रणाली प्रौद्योगिकी, डाटा एनालिटिक्स और **जोखिम-आधारित ऑडिट पद्धतियों** को व्यापक रूप से अपनाने के माध्यम से लगातार विकसित होती रही। इन सुधारों ने उभरते जोखिमों की समय पर पहचान करने में सक्षम बनाया है, नियंत्रण प्रभावशीलता को मजबूत किया है और पूरे संगठन में जवाबदेही की संस्कृति को और अधिक गूढ़ रूप से स्थापित किया है। उद्यम स्तर पर, हमने अपने **एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे** को भी मजबूत किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक, परिचालन, वित्तीय और अनुपालन जोखिमों का प्रबंधन सक्रिय और निरंतर रूप से किया जाए।

लोगों की प्रतिबद्धता और क्षमता के बिना कोई भी बदलाव अधूरा है। वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां पूरे बैंक में हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, **व्यावसायिकता** और **अनुकूलनशीलता** को दर्शाती हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं।

जैसे-जैसे बैंकिंग उद्योग तेजी से ज्ञान-संचालित और प्रौद्योगिकी-सक्षम होता जा रहा है, हम नेतृत्व विकास, क्षमता संवर्धन और कार्मिक संबंधों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। **नवज्योति, मेंटर-मेंटी कार्यक्रम**, विशेष शिक्षण हस्तक्षेपों और निरंतर कौशल विकास जैसी पहलों ने नवाचार, सहयोग और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ संगठनात्मक क्षमता को मजबूत किया है।

व्यावसायिक विकास के साथ-साथ, हम कर्मचारी कल्याण, विविधता और नेतृत्व विकास पर महत्वपूर्ण जोर देना जारी रखे हुए हैं। एक समावेशी, **उच्च-प्रदर्शन वाले कार्यस्थल** का पोषण करके और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करके, हम एक ऐसे कार्यबल का निर्माण कर रहे हैं जो चुस्त, भविष्य के लिए तैयार और बैंक के विकास के अगले चरण का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

एक उत्तरदायी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, हमारा उद्देश्य वित्तीय प्रदर्शन से कहीं आगे तक विस्तृत है। हम **वित्तीय समावेशन** को आगे बढ़ाने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समर्थन करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और भारत के सतत विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वर्ष के दौरान, हमने **वित्तीय साक्षरता पहलों**, एक मजबूत बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट नेटवर्क और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार किया है। हमने जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं और सतत वित्तपोषण को बढ़ावा देना भी जारी रखा, यह मानते हुए कि दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता पर्यावरणीय प्रबंधन, **सामाजिक जिम्मेदारी और सुदृढ़ शासन** के अनुरूप होनी चाहिए।

भविष्य का मार्ग:

मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, निरंतर सार्वजनिक निवेश, स्वस्थ घरेलू मांग और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के सहयोग से भारत का दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण उत्साहजनक बना हुआ है। हालांकि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, बदलते व्यापार परिदृश्यों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताएं बनी रहने की संभावना है, फिर भी भारत का विकास पथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना जारी रखेगा।

इस पृष्ठभूमि में, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिक मजबूत वित्तीय बुनियादी सिद्धांतों, बढ़ी हुई सुदृढ़ता (लचीलेपन) और बेहतर रणनीतिक स्पष्टता के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में प्रवेश कर रहा है। एक विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को

मजबूत करना जारी रखते हुए, हमारी प्राथमिकताएं दृढ़ता से टिकाऊ, लाभदायक और जिम्मेदार विकास प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

हम प्रौद्योगिकी, डाटा गवर्नेंस और आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर निवेश के माध्यम से अपने शासन ढांचे (गवर्नेंस फ्रेमवर्क), उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, साइबर सुरक्षा क्षमताओं और परिचालन सुदृढ़ता को सुदृढ़ करना जारी रखेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखना हमारे द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय का अभिन्न अंग बना रहेगा।

अभिस्वीकृति

वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां हमारे सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों और अटूट समर्थन का परिणाम हैं, जिनका विश्वास हमारी यात्रा को निरंतर प्रेरित करता है।

मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनके स्थायी विश्वास और निरंतर संरक्षण के लिए अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हम सुश्री एम.जी. जयश्री, भारत सरकार नामित निदेशक, के प्रति उनके कार्यकाल के दौरान बैंक के विकास में उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो इस वित्त वर्ष के दौरान समाप्त हुआ। मैं बोर्ड के सदस्यों को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ, जिसने बैंक की पहलों को महत्वपूर्ण रूप से बल दिया है।

मैं भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सभी नियामक और पर्यवेक्षी अधिकारियों को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उनके नीतिगत नेतृत्व और निरीक्षण से भारत की बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता (लचीलापन), स्थिरता और विश्वसनीयता मजबूत बनी हुई है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति मेरी हार्दिक सराहना है। हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, व्यावसायिकता और लचीलापन हमारी उपलब्धियों का आधार स्तंभ बना हुआ है। हमारे ग्राहकों और बैंक के मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमारे भविष्य में विश्वास जगाती रहती है।

अंत में, मैं अपने शेयरधारकों, निवेशकों, व्यावसायिक भागीदारों और अन्य सभी हितधारकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक में उनके द्वारा जताए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका विश्वास हमें लगातार सुधार करने, नवाचार करने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम एक मजबूत, अधिक लचीला और भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

सादर,

(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक



MD & CEO's Statement



Dear Shareholders,

The Financial Year 2025–26 marked another defining chapter in India's economic journey. Despite an increasingly complex global environment shaped by geopolitical uncertainties, evolving trade dynamics, technological disruption and changing customer expectations, the Indian economy continued to demonstrate remarkable resilience. Supported by prudent macroeconomic policies, a robust financial system, sustained public investment and an expanding digital ecosystem, India reinforced its position as one of the world's fastest-growing major economies.

The banking sector has been a key enabler of this progress. In recent years, Indian banks have undergone a profound transformation by strengthening balance sheets, improving asset quality, embracing technology, enhancing governance and delivering increasingly customer-centric financial solutions. These structural improvements have reinforced the resilience of the financial system while positioning the banking sector to support India's next phase of sustainable and inclusive growth.

Punjab & Sind Bank has remained an integral part of this national journey. With a legacy spanning more than a century, we continue to uphold our commitment to serving customers with integrity, supporting enterprise, advancing financial inclusion and contributing meaningfully to nation building. While our heritage provides strength and stability, our vision is firmly focused on the future. We recognise that sustained success in today's banking landscape depends upon continuous innovation, disciplined execution and an unwavering commitment to create long-term value for all stakeholders.

Against this backdrop, FY 2025–26 was another year of strong and balanced performance for Punjab & Sind Bank. The Bank delivered healthy growth across key financial and operational parameters, reflecting the successful execution of our strategic priorities and the resilience of our business model. Our focus remained on achieving profitable growth while strengthening capital, maintaining disciplined risk management, enhancing operational efficiency and building sustainable long-term value.

The Bank's **Total Business crossed ₹2,63,652 crore**, registering a healthy year-on-year growth of **14.94%**. This milestone reflects the continued confidence of our customers and stakeholders and demonstrates our ability to grow sustainably in an increasingly competitive banking environment.

Our **Deposit base** increased to **₹1,45,829 crore**, representing a growth of **12.37%** over the previous year. The sustained expansion of our deposit franchise reflects the trust reposed in Punjab & Sind Bank and validates our continued efforts to deepen relationships across retail, institutional and government business segments. **CASA** deposits also grew by **10.02%** to **₹44,876 crore**, providing a stable and cost-effective funding base to support future credit expansion.

On the asset side, **Gross Advances** grew by **18.29%** to **₹1,17,823 crore**, significantly outpacing overall business growth. This performance was driven by our strategic emphasis on the Retail, Agriculture and MSME (**RAM**) segments, which now account for **58.80%** of total advances compared with **55.15%** in the previous year.

The Bank also delivered another year of strong profitability. **Operating Profit** stood at **₹2,182 crore**, while **Net Profit** increased by an impressive **30.12%** to **₹1,322 crore**. This performance was supported by healthy business growth, improved operating efficiency, prudent pricing, disciplined cost management and sustained focus on asset quality.

Asset Quality:

One of the most encouraging outcomes of the year was the continued improvement in asset quality. The **Gross Non-Performing Asset (GNPA)** ratio declined from 3.38% to **2.40%**, while the Net Non-Performing Asset (NNPA) ratio improved from 0.96% to **0.79%**. These improvements reflect strengthened underwriting standards, proactive portfolio monitoring, effective recovery mechanisms and a deeply embedded culture of credit discipline across the organisation.

The Bank further strengthened its balance sheet by maintaining a **Provision Coverage Ratio of 90.91%**, underscoring our prudent provisioning philosophy and conservative approach to risk management. Our Basel III **Capital Adequacy Ratio remained robust at 17.42%**, comfortably above the regulatory requirement, providing adequate capacity to support future growth while preserving financial resilience.

These achievements represent far more than a strong financial performance. They reflect the successful execution of a strategy centred on quality growth, sound governance, prudent risk management and customer-centric banking.

As we move forward, our objective remains clear—to pursue sustainable growth with financial discipline, allocate capital prudently, manage risks proactively and consistently create long-term value for our customers, shareholders and all other stakeholders.

A key pillar of our strategy has been our unwavering focus on the Retail, Agriculture and MSME (RAM) segments, which continue to form the cornerstone of our business growth. These sectors not only present significant business opportunities but also play a vital role in generating employment, fostering entrepreneurship and promoting inclusive economic development. Whether enabling a family to own its first home, supporting farmers through modern agricultural financing, helping a young entrepreneur establish a business or extending timely credit to small enterprises, we view every financing decision as an opportunity to contribute meaningfully to India's growth story.

The increasing **digitisation of lending processes**, simplified **customer journeys** and **technology-enabled credit assessment** have enabled us to improve accessibility, **accelerate credit delivery and enhance customer experience** without compromising portfolio quality.

An equally important priority has been strengthening the Bank's liability franchise. In an increasingly competitive banking environment, a stable and diversified deposit base remains fundamental to long-



term growth. During the year, our efforts extended beyond deposit mobilisation to **deepening customer relationships** through superior service, customised offerings and greater engagement across retail, institutional and government segments.

Recognising the shift in customer expectations, Bank has accelerated its digital transformation agenda during FY 2025–26 through sustained investments in technology, process innovation and digital capabilities. Our initiatives extended beyond expanding digital channels to re-engineering end-to-end customer journeys, modernising lending processes, strengthening payment ecosystems and upgrading core technology infrastructure. The growing digitisation of retail and MSME lending, enhanced digital payment capabilities and modern technology platforms have collectively improved operational efficiency while enabling faster, simpler and more secure banking services.

Artificial Intelligence is emerging as a transformative force across the financial services industry, and Punjab & Sind Bank is embracing these opportunities responsibly. During the year, the implementation of **MuleHunter.AI** significantly enhanced our ability to detect and prevent mule account-related frauds, while the deployment of the **Fraud Risk Indicator (FRI)** framework strengthened our capability to identify emerging fraud patterns through proactive transaction monitoring. Integration with the **Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)** ecosystem and implementation of the **Mobile Number Revocation List (MNRL)** framework have further reinforced the security and integrity of our digital banking ecosystem.

Recognising the transformative potential of Generative Artificial Intelligence, the Bank has also established structured governance mechanisms through the Generative AI **Governance and Transformation Programme (GPT)**, **Enterprise Change Governance (ECG)** framework and the **Data Quality Index (DQI)**. Together, these initiatives provide a robust framework for the responsible adoption of emerging technologies while ensuring strong governance, data integrity, regulatory compliance and effective risk oversight.

Recognising that operational resilience extends beyond technology alone, the Bank further strengthened its **Business Continuity Management (BCM)** and Disaster Recovery (DR) capabilities to ensure uninterrupted banking operations under all circumstances. Regular **cyber security drills, vulnerability assessments**, technology upgrades and **resilience testing** have enhanced our preparedness against evolving cyber risks while reinforcing business continuity across the organisation.

Equally fundamental to our transformation is a strong governance framework. During the year, we continued to strengthen our governance architecture through enhanced oversight mechanisms, technology-enabled monitoring and robust internal control systems, ensuring that business growth remains firmly aligned with prudent risk management and regulatory expectations.

Our **Internal Audit** function continued to evolve through the wider adoption of technology, data analytics and **risk-based audit methodologies**. These enhancements have enabled more timely identification of emerging risks, strengthened control effectiveness and further embedded a culture of accountability across the organisation. At the enterprise level, we also reinforced our **integrated risk management framework** to ensure that strategic, operational, financial and compliance risks are managed proactively and consistently.

No transformation is complete without the commitment and capability of its people. The achievements of FY 2025–26 reflect the dedication, **professionalism** and **adaptability** demonstrated by our employees across the Bank, who continue to be our greatest strength.

As the banking industry becomes increasingly knowledge-driven and technology-enabled, we remain committed to investing in leadership development, capability enhancement and employee engagement. Initiatives such as **Navjyoti**, the **Mentor–Mentee Programme**, specialised learning interventions and continuous skill development have strengthened organisational capability while fostering a culture of innovation, collaboration and accountability.

Alongside professional development, we continue to place significant emphasis on employee well-being, diversity and leadership development. By nurturing an inclusive, **high-performance workplace** and encouraging continuous learning, we are building a workforce that is agile, future-ready and well equipped to support the Bank's next phase of growth.

As a responsible public sector bank, our purpose extends well beyond financial performance. We remain committed to advancing **financial inclusion**, supporting priority sectors, promoting entrepreneurship and contributing meaningfully to India's sustainable development.

During the year, we expanded our outreach through **financial literacy initiatives**, a strengthened Business Correspondent network and active participation in various Government-sponsored programmes. We also continued to promote environmentally responsible banking practices and sustainable financing, recognising that long-term business success must be aligned with environmental stewardship, **social responsibility** and **sound governance**.

Looking Ahead:

India's long-term economic outlook remains encouraging, supported by strong macroeconomic fundamentals, sustained public investment, healthy domestic demand and an increasingly digital economy. Although global uncertainties arising from geopolitical developments, evolving trade dynamics and financial market volatility are likely to persist, India's growth trajectory continues to offer significant opportunities for the banking sector.

Against this backdrop, Punjab & Sind Bank enters FY 2026–27 with stronger financial fundamentals, enhanced resilience and greater strategic clarity. Our priorities remain firmly centred on delivering sustainable, profitable and responsible growth while continuing to strengthen our position as a trusted financial institution.

We shall continue to reinforce our governance framework, enterprise-wide risk management practices, cyber security capabilities and operational resilience through ongoing investments in technology, data governance and internal controls. Maintaining the highest standards of transparency, accountability and regulatory compliance will remain integral to every decision we take.



Acknowledgements

The achievements of FY 2025–26 are the outcome of the collective efforts and unwavering support of all our stakeholders, whose confidence continues to inspire our journey.

I express my sincere gratitude to our valued customers for their enduring trust and continued patronage. We extend our gratitude to Ms. M.G. Jaysree, GoI Nominee Director for her invaluable contributions towards Bank's growth during the tenure, which concluded during the financial year. I sincerely thank the Board members for their invaluable support, guidance, and insights, which have significantly bolstered the Bank's initiatives

I convey my sincere thanks to the Government of India, the Department of Financial Services, the Reserve Bank of India and all other regulatory and supervisory authorities for their continued guidance and support. Their policy leadership and oversight continue to strengthen the resilience, stability and credibility of India's banking system.

My heartfelt appreciation goes to every member of the Punjab & Sind Bank family. The dedication, professionalism and resilience demonstrated by our employees remain the cornerstone of our achievements. Their unwavering commitment to our customers and to the values of the Bank continues to inspire confidence in our future.

Finally, I thank our shareholders, investors, business partners and all other stakeholders for the trust they have reposed in Punjab & Sind Bank. Your confidence motivates us to continually improve, innovate and pursue excellence as we work together to build a stronger, more resilient and future-ready institution.

**Warm Regards,
(Managing Director & CEO)
Punjab & Sind Bank**



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008
कॉरपोरेट कार्यालय : एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
<https://punjabandsindbank.bank.in/>

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन **मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को प्रातः 11:00 बजे** किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 1 : यथा 31 मार्च 2026 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.07.2026

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या-ए63265



टिप्पणियां

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 16वीं एजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2. परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति, बैठक की तिथि से 04 दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को सांय 05:00 बजे** तक या इससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.bank.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. एजीएम आयोजित करने की सूचना बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.bank.in/> पर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी सूचना का अवलोकन किया जा सकता है। एजीएम की सूचना, सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा और एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

5. लाभांश का भुगतान :

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** होगी।

16वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.39 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में समाविष्ट है :

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या

- b) **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को शेयरधारकों के रजिस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात एमयूएफजी इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पत्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 16वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

- i) यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा अपेक्षित हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
- ii) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :
 - a. शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
 - b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - c. निरस्त चेक लीफ।

6. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाण-पत्र):

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और उनके तद्विषयक फ़ोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 से इस प्रकार के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात बैंक खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। लाभांश भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

भौतिक रूप (शेयर प्रमाण-पत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज अर्थात उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, को लाभांश भुगतान तिथि पर लाभांश का भुगतान किया गया माना जाएगा, हालांकि शेयरधारक (ओं) द्वारा उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध कराए जाने तक लाभांश राशि, बैंक के लाभांश खाते में रखी जाएगी। बैंक/ बैंक आरटीए में उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्राप्त होने पर लाभांश, संबंधित शेयरधारक (ओं) के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाण-पत्र) रखने वाले शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे बैंक/ बैंक आरटीए को अविलंब उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें जिससे लाभांश भुगतान तिथि पर ही उन्हें अपने बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त हो सके।

7. लाभांश भुगतान पर कर

- (i) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दर हेतु आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित कराएं।

- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 121(पूर्व में 15-जी/ 15-एच) में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जैसे कोई स्थाई अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 41(पूर्व में 10-एफ), कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्र को <https://web.in.mpsms.mufig.com/formsreg/submission-of-form-121-41.html> पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.bank.in/> पर उपलब्ध है।
- (iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को सांय 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात <https://web.in.mpsms.mufig.com/formsreg/submission-of-form-121-41.html> पर उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करें ताकि बैंक, उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण और कर कटौती कर सके।

8. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पात्र है।

9. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यावसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** है।
- II. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
- III. **दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- i **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 10.00** बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को अपराह्न 05.00** बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 21 जुलाई 2026** को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयरधारित है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- ii शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए **समस्त डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल** द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- iv **सूचीबद्ध** कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा पर **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, **डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए** ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित	- जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें। - सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए

करने वाले शेयरधारक	ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं को सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध है ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीधे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का मुख्य पृष्ठ आरंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

V. **भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।**

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - ii. एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - iii. भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
4. दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

- VI. इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- VII. सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- VIII. शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।
- IX. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- X. मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- XI. यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- XII. जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, " SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, " CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- XIII. संकल्प पर एक बार मतदान की "CONFIRM" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- XIV. मतदान पृष्ठ के "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- XV. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- XVI. यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।
- XVII. **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए**
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगिन में संबद्ध खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
 - यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
 - वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि ,संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.bank.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया complianceofficer@psb.bank.in/ delhi@in.mpms.mufg.com को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. डीमेट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **21 जुलाई, 2026 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.bank.in पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **21 जुलाई, 2026 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.bank.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1-800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।



इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

10. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

11. अदत्त/अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

12. अन्य सूचना

- सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।
- बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@in.mpms.mufig.com) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम व शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।
- समरूप नाम या संयुक्त नाम के समान क्रम में अनेक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि एकल फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण-पत्र, आरटीए को प्रेषित करें।

13. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी प्रकरण अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभांश से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप हमसे/आरटीए से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार/संचार में अपना फोलियो नंबर/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर/ ई-मेल पता उद्धृत करें) :

एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दूरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591 ईमेल: delhi@in.mpms.mufg.com	कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉरपोरेट कार्यालय - एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023 दूरभाष : 011-40175169 ई-मेल : complianceofficer@psb.bank.in
---	---

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/सीआईआर/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आरटीए (मेसर्स एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल '**SWAYAM**' आरंभ किया है।

'**SWAYAM**' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनुभव लें।

इस एप्लिकेशन को <https://swayam.in.mpms.mufg.com/> पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान - SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं – उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयूआई।
- लाभांश/ ब्याज/ संदाय/ स्पलिट जैसी कॉरपोरेट कार्रवाई निगरानी करें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अदत्त राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल – अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों और भौतिक प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी - संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

14. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक आरटीए को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में मूर्त रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण तथा नामांकन विवरण इत्यादि नीचे दिए गए प्रपत्रों में अविलंब बैंक/आरटीए को प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत्र	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए।
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑप्टिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्र।
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म।
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)।

उपरोक्त समस्त फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनज़र हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि मेसर्स एमयूएफजी इंडाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17.11.2023 के माध्यम निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है :

- जिन फोलियो में अनिवार्य विवरण यथा पैन्, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनको अवरुद्ध/कीलन करना।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ देना।

15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण – विशेष अनुरोध :

- a) सेबी ने अपने प्रेस-विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापन के प्रकरण को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से निक्षेपागार के पास गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में न रखा जाए। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक धारिता को अविलंब डीमैट कराएं।
- b) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- c) इसके अतिरिक्त, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध कंपनियां भविष्य में अनुलिपि शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रेषण, प्रतिस्थापन इत्यादि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनज़र बैंक के समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना शेयर अमूर्तीकृत कराएं। शेयरों को गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में धारित करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :

- i भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षतिग्रस्त होने अथवा गुम होने की संभावना क्षीण हो जाती है;
- ii शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या जालसाजी या विकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii अमूर्तीकरण से शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुगमता और सुविधा मिलती है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुल जाने पर शेयरधारक सहजतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर क्रय अथवा विक्रय कर सकता है।

16. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया

विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(A) शेयरधारक जिनके पास डीमैट खाता नहीं है :

शेयरधारकों को अपने निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में धारित शेयर के अनुरूप नाम व शैली में डीमैट खाता खुलवाना होगा।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।



(B) शेयरधारक जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या उनका विद्यमान डीमैट खाता, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार उसी नाम और शैली में है। यदि हाँ, तो शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, निक्षेपागार सहभागी के पास जमा करना होगा जो इसे बैंक आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि विद्यमान डीमैट खाता, नाम के समान क्रम में नहीं है तो शेयरधारक को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई बदलाव है तो हमारे आरटीए अर्थात एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त उल्लिखित पते पर बैंक से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 06.07.2026

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव
सदस्य संख्या-ए63265



निदेशक रिपोर्ट 2025-26

हितधारकों के लिए,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित सहर्षपूर्ण निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 गतिशील परिचालन परिदृश्य के रूप में चिह्नित किया गया, जिसमें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ, भू-राजनीतिक विकास, त्वरित तकनीकी प्रगति तथा परिवर्तनशील ग्राहक अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। इस विकास के मध्य, भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सुदृढ़ घरेलू मांग, सतत सार्वजनिक निवेश, मजबूत वित्तीय क्षेत्र तथा ठोस वृहद् आर्थिकी अवसररचना समर्थित तन्त्र्यकतापूर्ण कार्यप्रदर्शन किया जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने एक और वर्ष सुदृढ़ एवं संतुलित कार्य प्रदर्शन किया है, जो इसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं की प्रभावशीलता और देश भर में इसके कार्मिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक द्वारा कारोबार के विस्तार में स्वस्थ वृद्धि, लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार, आस्ति गुणवत्ता में निरंतर मजबूती तथा डिजिटल रूपांतरण, परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक-केंद्रित नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है।

बैंक खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई (आरएम) क्षेत्रों में अंशांकित विस्तार, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन, उन्नत वसूली प्रयासों और अनुशासित पूंजी आवंटन के माध्यम से सतत विकास पर केंद्रित रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहक अनुभव में सुधार, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम तथा अनुपालन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-आधारित पहल के माध्यम से अपने डिजिटल रूपांतरण अनुभवों को गतिशील किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने वित्तीय समावेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सतत बैंकिंग एवं हितधारक मूल्य निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक गूढ़ किया। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी बाजारों में पहुंच का विस्तार करने, वित्तीय साक्षरता पहलों को सुदृढ़ करने, अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का समर्थन करने तथा राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों में सार्थक योगदान प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

बोर्ड सहर्ष सूचित करता है कि बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण मील के पथर के समान प्रमुख व्यावसायिक एवं वित्तीय मापदंड हासिल किए हैं, जो इसकी फ्रेंचाइजी की बढ़ती ताकत और लचीलेपन को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बैंक के कार्य प्रदर्शन एवं रणनीतिक पहल की झलक इस रिपोर्ट के अगले खंडों में प्रस्तुत की गई है

बैंक के प्रदर्शन की झलक	
🏆 प्रतिष्ठित पुरस्कार	
1	केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एमएसएमई में सर्वश्रेष्ठ उभरते बैंक तथा सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक (उपविजेता) के रूप में सम्मानित किया गया।
2	एनसीजीटीसी से गारंटी में सबसे तेज वृद्धि का पुरस्कार जीता।
3	राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा द्वितीय पुरस्कार(क क्षेत्र) प्रदान किया गया।
📈 कारोबार सफलता तथा आस्ति गुणवत्ता	
1	जमा (▲ 12.37% से ₹ 1,45,829 करोड़) और सकल अग्रिम (▲ 18.29% से ₹ 1,17,823 करोड़) में मजबूत वृद्धि के कारण कुल कारोबार ₹ 2.63 लाख करोड़ (▲ 14.94%), को पार कर गया।
2	आस्तियों पर प्रतिलाभ में (आरओए) 0.79% वृद्धि से शुद्ध लाभ 30.12% बढ़कर ₹ 1,322 करोड़ हो गया।
3	2.40% (3.38% से निम्न) से सकल एनपीए तथा 0.79% से निवल एनपीए में भारी गिरावट दर्ज की गयी। प्रावधान कवरेज अनुपात 90.91% से मजबूत रहा।
4	बासेल।।। के तहत 17.42% का सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखा।
🔄 परिवर्तनकारी आईटी पहल	
1	तत्काल धोखाधड़ी निवारण: म्युलहंटर एआई को परिनियोजित करने हेतु आरबीआईएच के साथ साझेदारी की गई, जिससे धोखाधड़ी ज्ञात करने में लगभग वास्तविक समय, प्रति घंटा प्रसंस्करण मॉडल में सुधार किया जा सके।
2	वास्तविक समय में डिजिटल लेनदेन जोखिम स्तरों तथा डिस्कनेक्ट मोबाइल लिंक को ट्रैक करने के लिए एफआरआई और एमएनआरएल प्रणाली को लागू किया गया।
3	तकनीकी आधुनिकीकरण: उन्नत निजी क्लाउड अवसंरचना एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के लिए स्थापित तत्परता।
🌐 गिफ्ट सिटी विस्तार	
वैश्विक पदचिह्न: वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्राप्ति थी। इससे बैंक को गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई का आरंभ करने की दिशा में अग्रेषित होने में समर्थन प्राप्त होगा, जिससे वैश्विक व्यापार वित्त संचालन को केंद्रीकृत किया जाएगा।	
👥 ग्राहक सुविधा और सामाजिक समावेशन	
1.	रैम पोर्टफोलियो में वृद्धि: कुल अग्रिमों में खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंड का 58.80% अंश है, जिसमें एमएसएमई में 29.70% की वृद्धि और खुदरा में 24.59% की वृद्धि तथा कृषि में 23.44% की वृद्धि हुई।
2	ज़मीनी स्तर पर प्रभाव: अपने मुद्रा लक्ष्य का 102% (₹3,062 करोड़ का संवितरण) प्राप्त किया तथा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी प्रमुख सामाजिक योजनाओं के लिए वार्षिक मापदंड को पार कर लिया।

1. आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

a. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, व्यापार की परिवर्तित गतिशीलता, कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के दबाव और केंद्रीय बैंकों द्वारा विकसित मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं द्वारा चिह्नित जटिल परिवेश का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के बावजूद, तकनीकी नवाचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण द्वारा समर्थित, कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रही।

वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में परिचालन तन्त्रकता, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थिरता और जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तेजी से बदलते परिवेश में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों ने प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण निवेश जारी रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जनवरी 2026 के विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में, 2026 हेतु वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंक से बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जबकि 2027 के पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा। यद्यपि, ओईसीडी ने अपने मार्च 2026 के आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए 2.9 प्रतिशत तथा 2027 के लिए 3.0 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाते हुए एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखा। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें तथा भू-राजनीतिक घटनाक्रम वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं।

b. भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारत ने विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाए रखा है। मजबूत घरेलू खपत, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर नियमित व्यय, विनिर्माण गतिविधि में विस्तार, निजी क्षेत्र के बढ़ते निवेश तथा मजबूत सेवा क्षेत्र से विकास को समर्थन मिला।

देश के वृहद आर्थिक आधारभूत तत्वों में प्रबंधनीय मुद्रास्फीति, स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत कर संग्रह और निरंतर नीतिगत सुधारों द्वारा समर्थित है। सरकार की पहल द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल रूपांतरण तथा व्यापार की सुगमता के उद्देश्य से आर्थिक विकास के पथ का सुदृढीकरण हुआ है।

वर्ष-दर-वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 में 3.48 प्रतिशत (अनंतिम) रही। वर्तमान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के कथनानुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि प्रथम तिमाही में 4.0 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में 4.4 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में 5.2 प्रतिशत और चतुर्थ तिमाही में 4.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने हालिया एमपीसी वक्तव्य में 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 6.9 प्रतिशत पर बनाए रखा है, जिसमें तिमाही अनुमान 6.8 प्रतिशत प्रथम तिमाही, 6.7 प्रतिशत द्वितीय

तिमाही, 7.0 प्रतिशत तृतीय तिमाही तथा 7.2 प्रतिशत चतुर्थ तिमाही है। हालांकि, ऊर्जा की उच्च कीमतें, आपूर्ति व्यवधान और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, विकास और निर्यात के लिए निकट अवधि चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं।

c. बैंकिंग क्षेत्र अवलोकन

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बेहतर तुलन-पत्र, स्वस्थ पूंजी स्थिति, मजबूत लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार के समर्थन द्वारा सशक्त एवं सुदृढ़ बना रहा।

खुदरा, कृषि, एमएसएमई और आधारभूत ढांचा क्षेत्रों में ऋण वृद्धि व्यापक आधार पर बनी रही, जबकि बैंकों ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मध्य जमा संग्रहण के प्रयासों को गतिशील किया है। सुविधाजनक, सुरक्षित और प्रौद्योगिकी-सक्षम वित्तीय सेवाओं के लिए ग्राहकों की बढ़ती प्राथमिकता के कारण डिजिटल बैंकिंग अपनाने में तेजी जारी रही।

अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, परिचालन मजबूती, साइबर सुरक्षा तथा ग्राहक सुरक्षा पर नियामक केंद्रण द्वारा बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिरता और स्थायित्व को मजबूत किया गया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक उत्तरदायी तथा समावेशी बैंकिंग के माध्यम से राष्ट्र के विकास एजेंडे का समर्थन करते रखते हुए, उभरते अवसरों से लाभान्वित होने हेतु पूर्णतः तत्पर है।

2. वित्तीय कार्य-प्रदर्शन

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया, जो कारोबार के परिमाण में स्वस्थ वृद्धि, परिचालन दक्षता में सुधार, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में सुधार तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्रित प्रयासों से प्रेरित है।

a. कारोबार वृद्धि

कुल कारोबार में 14.94%(वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है तथा 31 मार्च 2026 को कुल कारोबार ₹2,63,652 करोड़ हो गया।

b. जमाराशि वृद्धि

बैंक जमाराशि 12.37%(वर्ष दर वर्ष) बढ़कर विगत वर्ष के ₹1,29,774 करोड़ की तुलना में ₹1,45,829 करोड़ हो गयी। खुदरा जमा एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र बना रहा तथा वर्ष के दौरान इसमें स्वस्थ कर्षण अवलोकित किया गया। खुदरा सावधि जमा 19.58% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹ 65,047 करोड़ हो गई, जो बैंक की फ्रेंचाइजी एवं उत्पाद प्रस्तुतियों में ग्राहकों के मजबूत विश्वास को प्रदर्शित करता है।



कासा जमा में 10.02% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि से ₹ 44,876 करोड़ हो गया, जिससे बैंक की विकास पहलों के लिए एक स्थिर और लागत प्रभावी वित्तपोषण आधार प्रदान हुआ।

c. **अग्रिम वृद्धि**

सकल अग्रिम में 18.29% (वर्ष-दर-वर्ष) की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई तथा यह विगत वर्ष के ₹ 99,605 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,17,823 करोड़ हो गयी।

बैंक ने खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर निरंतर जोर देते हुए संतुलित क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाए रखा, साथ ही अपने कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो का चयनित रूप से विस्तार किया। 31.03.2025 को रैम अग्रिम का अंश सकल अग्रिमों का 55.15% था जो, बढ़कर 58.80% हो गया, यह समावेशी और विविध विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

d. **आस्ति गुणवत्ता**

एक उच्च गुणवत्ता वाला आस्ति पोर्टफोलियो हमारी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ने मजबूत क्रेडिट अनुशासन एवं सशक्त जोखिम प्रबंधन व्यवहार को बनाए रखा है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख आस्ति गुणवत्ता मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित करता है।

31 मार्च, 2026 को ₹ 2,830.77 करोड़ (2.40%) के साथ बैंक के सकल एनपीए में काफी गिरावट दर्ज की गई, जबकि 31 मार्च, 2025 को यह ₹ 3,370.06 करोड़ (3.38%) था।

बैंक के निवल एनपीए में भी सकारात्मक कमी अवलोकित की गई, जो विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 937.07 करोड़ (0.96%) की तुलना में 31 मार्च, 2026 को घटकर ₹ 919.19 करोड़ (0.79%) हो गया।

बैंक की मजबूत तन्यक बफरिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, 31 मार्च, 2026 को प्रावधान कवरेज अनुपात 90.91% रहा, जबकि 31 मार्च, 2025 को यह 91.38% था।

उन्नत क्रेडिट निगरानी तथा सक्रिय वसूली तंत्र नए स्लिपेज को नियंत्रित करने में सहायक हुआ है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के स्लिपेज अनुपात में 0.70% तक वृद्धि हुई है जबकि यह 31 मार्च, 2025 को 0.99% से कम था।

e. **लाभप्रदता**

वर्ष के दौरान बैंक की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ, जो निरंतर व्यापार वृद्धि, बेहतर परिचालन दक्षता और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।

परिचालन लाभ ₹ 2,182 करोड़ रहा। शुद्ध लाभ में 30.12% की वृद्धि हुई और यह विगत वर्ष के ₹1,016 करोड़ की तुलना में ₹ 1,322 करोड़ तक हो गया।

आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ और यह 0.79% हो गया, जो बेहतर आय गुणवत्ता तथा आस्तियों के कुशलतम उपयोग को दर्शाता है।

ब्याज आय, ट्रेजरी संचालन, शुल्क-आधारित आय और दवाबग्रस्त आस्तियों से वसूली के संतुलित संयोजन के माध्यम से बैंक की आय प्रोफाइल सुदृढ़ रही।

f. पूंजी पर्याप्तता

बैंक ने संपूर्ण वर्ष में पूंजी की मजबूत स्थिति बनाए रखी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं से अत्यधिक है।

31 मार्च, 2026 को बेसल-3 के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.42% था, जबकि सीईटी-1 अनुपात 15.92% बना रहा।

मजबूत पूंजी आधार संभावित आर्थिक अनिश्चितताओं की तुलना में प्रतिस्थितित्व बनाए रखते हुए भविष्य के व्यापार विकास को समर्थन देने की पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है।

3. कारोबार वृद्धि तथा रणनीतिक पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की विकास रणनीति कोर बैंकिंग फ्रेंचाइजी के सुदृढ़ीकरण, ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं को यथाशीघ्र ग्रहण करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा उच्च व्यावसायिक विकास खंडों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर आधारित रही।

बैंक ने विवेकपूर्ण बीमा लेखन मानकों और मजबूत जोखिम अभिशासन निर्मित करते हुए खुदरा, कृषि, एमएसएमई तथा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के सतत विस्तार पर केंद्रित एक संतुलित विकास मॉडल का अनुसरण किया। खुदरा जमा बढ़ाने, ग्राहकों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाने, क्रॉस-सेलिंग अवसरों में सुधार एवं समग्र ग्राहक अनुभव को विस्तारित करने पर रणनीतिक बल दिया गया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों के अनुभवों को सरलीकृत करके, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं को शुरू करके विकास के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जारी रखा। इन पहलों ने द्रुततापूर्ण सेवा संवितरण को सक्षम किया, परिचालन दक्षता में सुधार किया और तेजी से डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त किया है।



बैंक की रणनीतिक पहलें पांच प्रमुख प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित थीं:

• खुदरा बैंकिंग फ्रेंचाइजी का सुदृढ़ीकरण करना

बैंक ने तदनुकूल उत्पादों, बेहतर डिजिटल माध्यमों तथा उत्कृष्ट सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने खुदरा ग्राहक आधार का निरंतर विस्तार किया है। आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण तथा अन्य खुदरा ऋण उत्पादों पर लक्ष्य केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न जनसांख्यिकी के ग्राहकों की विकसित होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहा।

• एमएसएमई और कृषि वित्तपोषण का विस्तार

आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन संचालन में एमएसएमई और कृषि के महत्व को चिह्नित करने हुए, बैंक ने उद्यमियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमों को समयानुरूप एवं सुलभ ऋण प्रदान करने के अपने प्रयासों को गतिशील किया। डिजिटल क्रेडिट आकलन प्रणाली और सरलीकृत ऋण उत्पत्ति प्रक्रियाओं का उपयोग सुगम्यता और परिवर्तन समय में सुधार के लिए किया गया था।

• डिजिटल-फर्स्ट ग्राहक अनुभव

बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई-आधारित सेवाओं और डिजिटल ऋण क्षमताओं को मजबूत करके अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में तेजी लाई। निर्बाध और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए ग्राहक ऑन-बोर्डिंग, लेनदेन प्रसंस्करण, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और स्व-सेवा चैनलों में महत्वपूर्ण निवेश किया गया था।

• देयता फ्रेंचाइजी को मजबूत करना

वर्ष के दौरान जमा संसाधित करना एक प्रमुख रणनीतिक केंद्र रहा। बैंक ने कासा जमा वृद्धिकरण, खुदरा जमा निवेश बढ़ाने तथा अनुकूलित प्रस्तावों और बेहतर सेवा गुणवत्ता के माध्यम से वर्तमान ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए लक्षित रणनीतियों को अपनाया।

• परिचालन दक्षता में वृद्धि करना

बैंक ने प्रक्रिया सरलीकरण, संचालन के केंद्रीकरण, स्वचालन और प्रौद्योगिकी-सक्षम नियंत्रण की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। उक्त पहलों के माध्यम से उत्कृष्ट दक्षता, उच्च जोखिम प्रबंधन तथा विस्तारित ग्राहक संतुष्टि में योगदान प्राप्त हुआ है। इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से, बैंक ने लाभप्रदता, ग्राहक विश्वास और दीर्घकालिक स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बाजार स्थिति को मजबूत किया।

4. खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई (रैम) कारोबार

खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) बैंकिंग बैंक की विकास रणनीति की आधारशिला बनी रही, जोकि 31 मार्च, 2026 तक सकल अग्रिम का 58.80% थी।

बैंक ने क्रेडिट उपलब्धता में सुधार तथा ग्राहक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन उत्पादों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों की प्रस्तुति के माध्यम से रैम ऋण प्रदान करने हेतु ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया।

a. खुदरा बैंकिंग

आवास, व्यक्तिगत और वाहन ऋण क्षेत्रों में उच्च मांग के कारण खुदरा बैंकिंग ने वर्ष के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी। खुदरा अग्रिम में 24.59% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई तथा यह 31 मार्च, 2026 को ₹ 27,498 करोड़ तक दर्ज की गयी। बैंक ने शाखा-आधारित अधिग्रहण, डिजिटल सोर्सिंग माध्यमों रणनीतिक साझेदारी के संयोजन द्वारा अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रण किया। टर्नअराउंड समय में सुधार, दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के सरलीकरण तथा ग्राहक अनुभव को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

बैंक की खुदरा प्रेंचाइजी को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गईं, जिनमें डिजिटल ऋण उत्पत्ति क्षमता, स्वचालित क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया तथा एण्ड-टू-एण्ड डिजिटल ग्राहक अनुभव सम्मिलित हैं।

बैंक विवेकपूर्ण बीमा लेखन मानकों और पोर्टफोलियो गुणवत्ता को निर्मित करते हुए खुदरा ऋण क्षेत्र में सुगम्यता के विस्तार हेतु प्रतिबद्ध है।

बैंक द्वारा टर्नअराउंड समय एवं ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए खुदरा खंडों में ऋण के डिजिटलीकरण में तीव्रता अपनाई है। निम्नलिखित योजनाओं को डिजिटलीकृत किया गया है:

- डिजिटल शिक्षा ऋण **₹7.5 लाख** तक उच्च शिक्षा वित्तपोषण तक त्वरित, कागज़ रहित अभिगम्यता सुनिश्चित करता है।
- **₹5 लाख तक** के डिजिटल व्यक्तिगत ऋण पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल, बाधारहित ऋण प्रदान करते हैं
- **₹50 लाख** तक के डिजिटल पूर्व-स्वामित्व वाले कार ऋण ग्राहकों की सुविधा एवं उपयोग किए गए वाहन खरीद में विश्वास को बढ़ावा देते हुए निर्बाध वित्तपोषण प्रस्तुत करते हैं
- **₹2 लाख** तक के डिजिटल रूफटॉप सोलर ऋण स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा अंगीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

b. कृषि बैंकिंग

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है जो बैंक के लिए एक प्रमुख केंद्रीयकृत क्षेत्र है।

कृषि अग्रिम में 23.44% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई तथा यह 31 मार्च, 2026 को ₹ 16,610 करोड़ बनी रही।

बैंक ने ऋण उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से किसानों, कृषि-व्यवसायों, डेयरी उद्यमों, बागवानी गतिविधियों और संबद्ध कृषि क्षेत्रों का समर्थन बनाए रखा।

कृषि मशीनीकरण, सिंचाई परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों और आय-उत्पादक कृषि गतिविधियों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया गया। बैंक ने ग्रामीण विकास तथा कृषि समृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का भी सक्रिय रूप से समर्थन किया।

बैंक वित्तीय समावेशन को अग्रेषित करने तथा उत्तरदायी एवं सतत वित्तपोषण के माध्यम से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

c. एमएसएमई बैंकिंग

एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन, उद्यमिता और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है।

एमएसएमई अग्रिम में (वर्ष-दर-वर्ष) 29.70% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹25,169 करोड़ तक पहुंच गया।

बैंक ने अनुकूलित वित्तपोषण समाधानों, डिजिटल ऋण मूल्यांकन उपकरणों और सरलीकृत ऋण प्रसंस्करण तंत्र के माध्यम से अपने एमएसएमई विशेष विक्रय अधिकार को मजबूत करना जारी रखा। प्रौद्योगिकी-सक्षम ऋण प्लेटफार्म और संबंध-आधारित बैंकिंग के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्ट-अप और उभरते व्यवसायों को सहायत प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैंक ने एमएसएमई पारिस्थितिक को मजबूत करने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों का समर्थन करना जारी रखा।

बैंक का ट्रेड्स (TReDS) संविभाग भी वित्त वर्ष 2025 में ₹1787 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹3100 करोड़ हो गया है।

बैंक ने इस कार्य को पूरा करने का समय और ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए एमएसएमई क्षेत्र में ऋण के डिजिटलीकरण में तेजी लाई है। निम्नलिखित योजनाओं को डिजिटल किया गया है:

- कारोबार की बदलती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹100 लाख तक के लिए डिजिटल एमएसएमई ऋण प्रारंभ किया गया है।
- ऋण स्वयं सहायता समूहों को त्वरित और सुविधाजनक ऋण प्रदान करके डिजिटल एसएचजी वित्तीय समावेशन को मजबूत कर रहा है।
- डिजिटल विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि ऋण कारीगरों, शिल्पकारों और स्ट्रीट वेंडर को निर्बाध वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- ₹50 लाख तक के वाणिज्यिक वाहनों के लिए डिजिटल वाणिज्यिक वाहन ऋण पूरी तरह से ऑनलाइन वित्तपोषण समाधान प्रदान कर रहा है।

5. मुद्रा

उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से सहभागिता सुनिश्चित की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपने वार्षिक मुद्रा ऋण लक्ष्य का 102% प्राप्त किया और इसके अंतर्गत ₹ 3,062 करोड़ के ऋण वितरित किए।

इन पहलों से जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6. डिजिटल रूपांतरण और तकनीक समर्थित बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के लिए डिजिटल रूपांतरण एक रणनीतिक प्राथमिकता बनी रही। बैंक ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने, सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्योन्मुख बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से कई पहल की है।

बैंक की डिजिटल रणनीति प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि अभिशासन और ग्राहक सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाता है।

• डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी को मजबूत करना

वर्ष के दौरान, बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान प्लेटफार्मों के उन्नयन के माध्यम से अपनी डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को अधिक विस्तृत किया है।

खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग माध्यमों में कई ग्राहक-केंद्रित कार्यक्षमताओं को पेश किया गया, जिससे ग्राहकों को स्वयं-सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाया गया।

इन संवर्द्धनों में खाता सेवा, जमा प्रबंधन, भुगतान प्रसंस्करण, ग्राहक ऑन-बोर्डिंग, लाभार्थी सत्यापन, कर भुगतान सुविधाएं और शिकायत प्रबंधन और लेनदेन सुरक्षा तंत्र में सुधार शामिल थे।

• डिजिटल ऋण रूपांतरण

बैंक ने कई व्यावसायिक खंडों में ऋण प्रदान की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में गतिशीलता अपनाई है।

एमएसएमई ऋण, स्व-सहायता समूह ऋण, पीएम विश्वकर्मा ऋण, पीएम स्वनिधि ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और आवास ऋण को कवर करने वाले डिजिटल ऋण समाधानों को वर्ष के दौरान और मजबूत किया गया।

डिजिटल ऋण ढांचे ने मजबूत ऋण प्रदान करने से पूर्व ग्राहक की ऋण चुकौती क्षमता की बहुत बारीकी और सख्ती से जांच कर प्रसंस्करण समय को काफी कम कर दिया है, जिसके कारण परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है और ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ी है।

• भुगतान प्रणाली और यूपीआई नवाचार

बैंक ने यूपीआई सेवाओं, मर्चेट ऑन-बोर्डिंग क्षमताओं, पॉजिटिव पे प्रणाली और धोखाधड़ी निवारण उपायों में वृद्धि के माध्यम से अपने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना किया है।

एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राहक सुरक्षा हेतु कई प्रावधान प्रभावी किए गए, जिसमें बेहतर ऑनबोर्डिंग नियंत्रण, लाभार्थी सत्यापन प्रणाली और लेनदेन जोखिम शमन तंत्र शामिल थे।

इन पहलों ने डिजिटल भुगतान माध्यमों को सुरक्षित रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राहकों के विश्वास को मजबूत किया है।

• प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण

बैंक ने मापनीयता, लचीलापन और भविष्य की तैयारी को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण पहल प्रारंभ की है।

इनके प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- निजी क्लाउड आधारभूत संरचना को मजबूत करना।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के लिए तत्परता।
- एकीकरण और नवाचार के लिए एपीआई-सक्षम आर्किटेक्चर।
- उन्नत डिजिटल ऑन-बोर्डिंग क्षमताएं।
- परिचालन प्रक्रियाओं का स्वचालन।
- उद्यम-व्यापी प्रौद्योगिकी शासन को मजबूत करना।

इन पहलों से बैंक की दीर्घकालिक डिजिटल बदलाव की यात्रा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने की संभावना है।

7. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संचालन ने वैश्विक व्यापार और सीमा पार व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित ग्राहकों का सहयोग करने के उद्देश्य से रणनीतिक भूमिका निभाई है। अपने बढ़ते व्यापार वित्त क्षमताओं, विदेशी मुद्रा सेवाओं और प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध के माध्यम से, बैंक अपने ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और ग्राहक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कई पहल की।

- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त संचालन का केंद्रीकरण**

अपने परिचालन परिवर्तन एजेंडा के भाग के रूप में, बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त संचालन के केंद्रीकरण को लागू करने के उन्नत चरण में है। आउटवर्ड रेमिटेंस मैनेजमेंट (ओआरएम) और इनवर्ड रेमिटेंस मैनेजमेंट (आईआरएम) से संबंधित प्रमुख मॉड्यूल बैंक के नेटवर्क में प्रारंभ किए गए थे, जिससे अधिक मानकीकरण, बेहतर नियामक अनुपालन और बेहतर प्रसंस्करण दक्षता को सक्षम किया गया।

- **गिफ्ट सिटी में विस्तार**

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर गांधीनगर के अंतर्गत गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान गिफ्ट सिटी शाखा की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी से अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

गिफ्ट सिटी में प्रस्तावित उपस्थिति बैंक को अपने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग पदचिह्न का विस्तार करने, नए व्यावसायिक अवसरों तक पहुंचने और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगी। यह पहल उपहार सिटी को विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

8. ग्राहक अनुभव और सेवा उत्कृष्टता

ग्राहक-केंद्रितता बैंक की व्यावसायिक विचारधारा के केंद्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और दीर्घकालिक संबंध बनाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया सुधार और सेवा वितरण तंत्र में निवेश करना जारी रखा है। बैंक की ग्राहक सेवा रणनीति पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए भौतिक और डिजिटल माध्यमों पर निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है।

- **ग्राहक सहभागिता**

बैंक ने अपने 24x7 संपर्क केन्द्र परितंत्र के आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने उपभोक्ता सहभागिता ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

अपग्रेड किया गया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं और सहायता तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने हेतु एक माध्यम प्रदान करता है, तथा यह डिजिटल और स्वयं-सेवा माध्यमों को एकीकृत करता है। उन्नत ग्राहक संबंध प्रबंधन क्षमताओं ने ग्राहक प्रश्नों, शिकायतों, प्रतिक्रिया और सेवा अनुरोधों को अधिक कुशलता से प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।

बहुभाषी समर्थन और स्वयं-सेवा कार्यक्षमताओं की शुरूआत ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा में और सुधार किया है।



- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एनालिटिक्स का लाभ उठाना**

बैंक ने ग्राहक अनुभव और परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), विश्लेषण और स्वचालन का लाभ उठाना जारी रखा।

ग्राहक संपर्क, सेवा गुणवत्ता निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहयोग करने के लिए एआई-सक्षम उपकरण, ज्ञान प्रबंधन प्लेटफॉर्म, आभासी सहायक और उन्नत विश्लेषण समाधान तैनात किए गए हैं।

इन पहलों ने ग्राहकों के प्रश्नों का त्वरित समाधान करने, सेवा में निरंतरता बढ़ाने और ग्राहकों की सहभागिता में सुधार करने में मदद की है।

- **ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करना**

ग्राहक सुरक्षा और विश्वास बैंक की सेवा दर्शन के केंद्र में बने हुए हैं।

लेन-देन सुरक्षा को मजबूत करने, धोखाधड़ी निवारण तंत्र में सुधार करने और डिजिटल बैंकिंग जोखिमों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गई।

बैंक, एक सुरक्षित, विश्वसनीय और ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

9. पर्यावरणीय, सामाजिक और स्थिरता पहल

बैंक का यह विश्वास है कि सतत विकास दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए अभिन्न है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी व्यावसायिक रणनीति, उधार प्रथाओं और परिचालन ढांचे में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को एकीकृत करना जारी रखा।

बैंक पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के स्थिरता उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **सतत वित्तपोषण**

बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित वित्तपोषण पहलों के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं को पोषित किया है।

पीएसबी सौर ऊर्जा पहल के तहत, रूफटॉप और ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान की गई थी। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने में योगदान करती हैं।

- **सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास**

बैंक ने अपने ऋण, पहुंच और सामाजिक पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के लिए सहयोग को प्राथमिकता दी है।

उत्तरदायी बैंकिंग के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता वित्तीय प्रदर्शन से परे है और सतत और समावेशी राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में इसकी व्यापक भूमिका को दर्शाती है।

10. ब्रांड निर्माण और कॉर्पोरेट संचार

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ब्रांड दृश्यता को मजबूत करने, हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और एक विश्वसनीय और प्रगतिशील सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई अतिरिक्त पहल की।

बैंक ने अपनी पहुंच और ग्राहक जुड़ाव में सुधार के लिए पारंपरिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों का लाभ उठाते हुए एक बहु-माध्यम संचार रणनीति अपनाई है।

ब्रांड दृश्यता पहलों में रणनीतिक विज्ञापन अभियान, पारगमन मीडिया, हवाई अड्डे के प्रदर्शन, मेट्रो स्टेशन ब्रांडिंग, रेलवे विज्ञापन और प्रमुख उद्योग कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भागीदारी शामिल थी।

इन पहलों ने ब्रांड पहचान बढ़ाने, ग्राहकों की जागरूकता में सुधार करने और बाजारों में व्यापार विकास प्रयासों का समर्थन करने में योगदान दिया है।

11. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और सतत विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से सार्थक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर पहल स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामुदायिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और समाज के कमजोर वर्गों के समर्थन पर केंद्रित थी।

बैंक ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को एम्बुलेंस, पानी के कूलर, व्हीलचेयर, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों के वितरण के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के लिए सहायता प्रदान की।

शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में, बैंक ने स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक हितधारकों के सहयोग से मॉडल आंगनवाड़ियों के विकास सहित विभिन्न पहलों का समर्थन किया।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों और वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अपने सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से, बैंक स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करना चाहता है और समावेशी और सतत विकास में सार्थक योगदान देना चाहता है।



12. वित्तीय समावेशन और सरकारी व्यवसाय

वित्तीय समावेशन बैंक के मिशन का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान का एक प्रमुख घटक है।

बैंक ने किरायेती बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय उत्पादों तक पहुंच का विस्तार करना जारी रखा, विशेष रूप से समाज के वंचित और गैर-बैंकिंग वर्गों के बीच।

• कारोबार प्रतिनिधि नेटवर्क को मजबूत करना

बैंक ने वर्ष के दौरान अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार किया।

पिछले वर्ष के 2,083 की तुलना में 31 मार्च, 2026 तक कारोबार प्रतिनिधि की संख्या बढ़कर 3,027 हो गई, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच में काफी सुधार हुआ।

विस्तारित नेटवर्क ने बैंक को वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों का सहयोग करते हुए ग्राहकों के करीब बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

• वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण

बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी), वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) पहलों और गांवों और ग्रामीण समुदायों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इन पहलों में बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बचत, बीमा, पेंशन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वर्ष के दौरान हजारों व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों से लाभ अर्जित किया, जिससे वित्तीय जागरूकता और समावेशन में वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने सक्रिय रूप से कुल 795 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया, जिसमें 12,457 व्यक्तियों की उत्साही भागीदारी अवलोकित की गई।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हमारे बैंक को वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना के चरण 1 और चरण 3 के कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोजक बैंक के रूप में नामित किया है। इस पहल के अंतर्गत पंजाब राज्य के 17 ब्लॉकों में 17 सीएफएल की स्थापना की गई, जो कुल 51 ब्लॉकों में प्रभावी रूप से सेवा प्रदान करते हैं। इस परियोजना के तहत, 9,469 शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें 229,106 व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन

बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई): बैंक ने 31 मई, 2026 को समाप्त होने वाले नीति वर्ष के लिए अपने लक्ष्य का 100.42% हासिल करके अपने लक्ष्यों को पार कर लिया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): बैंक ने 31 मई, 2026 को समाप्त हुए नीति वर्ष के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य का 100.24% हासिल किया।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): सक्रिय नामांकन के संदर्भ में, बैंक ने 101.90% लक्ष्य उपलब्धि हासिल करके वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने के लिए अपने वार्षिक लक्ष्यों को पार कर लिया।

• ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

बैंक के आरएसईटीआई ने कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और आजीविका सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कौशल वृद्धि और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया जा रहा है।

बैंक वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से समावेशी विकास का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ज़मीनी स्तर पर क्षमता निर्माण पर हमने अटूट ध्यान का प्रदर्शन करते हुए, बैंक के आरएसईटीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 80 कौशल-संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 2,502 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस पहल का सामाजिक असर भी रहा; इसके फायदा उठाने वालों में एससी/एसटी वर्ग के 1,754 लोग, बीपीएल परिवारों के 2,211 लोग और 1,915 महिलाएँ शामिल थीं। यह समान सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति हमारी कॉरपोरेट प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है।

13. मानव संसाधन और संगठनात्मक विकास

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि उसके कार्मिक उसकी सबसे मूल्यवान निधि हैं और उसकी सतत वृद्धि और सफलता का वह आधारशिला हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने नेतृत्व विकास, क्षमता निर्माण, कार्मिक जुड़ाव, उत्तराधिकार योजना और प्रौद्योगिकी-सक्षम मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से श्रम शक्ति को मजबूत करने में निवेश करना जारी रखा है।



बैंक की कार्मिकों से जुड़ी रणनीति उसके दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप है और भविष्य हेतु निर्मित कार्यबल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो तेजी से गतिशील और प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो।

• प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (नवज्योति)

वर्ष के दौरान, बैंक ने एक एकीकृत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली, पीएसबी नवज्योति की प्रारंभ की है जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता-आधारित विकास को बढ़ाने के लिए भूमिका स्पष्टता, प्रदर्शन मूल्यांकन, वास्तविक समय प्रदर्शन, डैशबोर्ड, स्कोरकार्ड, व्यवसायिक विकास और उत्तराधिकार की योजना बनाना शामिल है। बैंक ने व्यावसायिक आवश्यकताओं और भविष्य की क्षमताओं के साथ संरेखण में कार्यबल की तैनाती को अनुकूलित करने हेतु वैज्ञानिक जनशक्ति योजना भी प्रारंभ की है।

• प्रतिभा विकास और सीखना

वर्ष के दौरान सतत रूप से सीखने और व्यावसायिक विकास एक प्रमुख केंद्र-बिंदु क्षेत्र बना रहा। बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन, कोष डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, नेतृत्व, अनुपालन, ग्राहक सेवा और उभरती प्रौद्योगिकियों को समाहित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया।

संरचित नेतृत्व विकास कार्यक्रमों, मार्गदर्शन पहलों और विशेष शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य के नेतृत्वकर्ता(ओं) को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया था।

बैंक ने कार्मिकों के लिए सतत ज्ञान के स्रोत और व्यावसायिक विकास के लिए अवसरों तक लचीला और निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों का भी लाभ उठाया।

• कर्मचारी संबद्धता और कल्याण

बैंक ने सहयोग, समावेशिता और कर्मचारी कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखा।

वर्ष के दौरान कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने, कार्य-जीवन संतुलन (वर्क-लाइफ बैलेंस) को बढ़ावा देने और शारीरिक व मानसिक कल्याण का समर्थन करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल की गईं। सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी कल्याण उपायों, मान्यता कार्यक्रमों (रिकग्निशन प्रोग्राम) और संचार प्लेटफार्मों को और मजबूत किया गया।

• विविधता, समानता और समावेशन

बैंक एक ऐसा समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो विविधता और समान अवसर को महत्व देता है।

सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायसंगत कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हुए महिला कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास और नेतृत्व क्षमता के विकास का समर्थन करने के लिए केंद्रित पहल की गईं।

बैंक उन नीतियों और प्रथाओं को मजबूत करना जारी रख रहा है जो संगठन के सभी स्तरों पर विविधता, समावेशिता और योग्यता-आधारित (मेरिट-बेस्ड) विकास को बढ़ावा देती हैं।

• महिला केंद्रित पहल

हमारी महिला कार्मिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और व्यावसायिक निरंतरता का समर्थन करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षित मातृत्व कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। मुख्य आकर्षणों में कार्यस्थल पर पुनः वापसी करने वाली महिला कार्मिकों की सहायता के लिए 'प्रसवोत्तर परामर्श और सहायता' (पोस्ट-मैटर्निटी काउंसलिंग एण्ड सपोर्ट) पर विशेष वेबिनार का आयोजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 'प्रसव पूर्व जांच व्यय प्रतिपूर्ति योजना' शुरू की, जो सुरक्षित मातृत्व और समय पर स्वास्थ्य देखभाल पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रसव पूर्व चिकित्सा मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

14. शाखा नेटवर्क और वितरण विस्तार

बैंक ने भौतिक और डिजिटल चैनलों के संतुलित समन्वय के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने वितरण नेटवर्क और ग्राहकों तक अपनी पहुंच को मजबूत करना जारी रखा।

31 मार्च, 2026 तक, बैंक देश भर में शाखाओं, एटीएम, व्यावसायिक प्रतिनिधियों और डिजिटल सेवा चैनलों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित था, जिससे यह शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हुआ।

बैंक की वितरण रणनीति का मुख्य ध्यान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार करने, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और बाजार में पैठ को गहरा करने पर केंद्रित है।

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी पहुंच का विस्तार

वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक की उपस्थिति को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

वर्ष के दौरान व्यावसायिक प्रतिनिधि नेटवर्क के महत्वपूर्ण विस्तार ने बैंक को बैंकिंग सेवाओं को कम सेवा वाले और दूरदराज के स्थानों तक पहुँचाने में सक्षम बनाया है, जिससे पहुँच और ग्राहकों तक संपर्क में वृद्धि हुई है।

• डिजिटल वितरण चैनल

बैंक ने डिजिटल चैनलों में निवेश के माध्यम से अपने भौतिक नेटवर्क को पूरक बनाना जारी रखा, जिससे ग्राहक कभी भी और कहीं भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकें।



डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाने से ग्राहकों के जुड़ाव को मजबूती मिली है, साथ ही परिचालन दक्षता और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

बैंक एक एकीकृत ओमनी-चैनल बैंकिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो डिजिटल सेवाओं की सुविधा के साथ शाखा बैंकिंग के विश्वास को जोड़ता है।

- **क्षेत्रीय कार्यालय :** पहुंच बढ़ाने और बाजार में पैठ गहरी करने की बैंक की रणनीति का पालन करते हुए, बैंक ने रायपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और शिमला में 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले। क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने का उद्देश्य बेहतर नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना था।
- **आंचलिक कार्यालय :** बेहतर परिचालन दक्षता और नियंत्रण, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से नए व्यवसाय प्राप्त करने के अवसरों को तलाशने के लिए, बैंक में दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता में तीन नए आंचलिक कार्यालय स्थापित किए गए।
- **शाखा विस्तार :** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने शाखा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और 59 शाखाएं (TReDS सहित) खोलीं तथा 31.03.2026 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1654 थी।

15. जोखिम प्रबंधन ढांचा

प्रभावी जोखिम प्रबंधन बैंक की रणनीति और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मौलिक बना हुआ है।

बैंक ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है जिसे व्यावसायिक विकास और मूल्य सृजन का समर्थन करते हुए संचालन के सभी क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और उन्हें कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह ढांचा बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है और नियामक अपेक्षाओं, उद्योग के सर्वोत्तम तौर-तरीकों तथा बैंक की जोखिम क्षमता के अनुरूप है।

• क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

बैंक मजबूत अंडरराइटिंग मानकों, स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन तंत्र और निरंतर पोर्टफोलियो निगरानी के माध्यम से क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना जारी रखता है।

उभरते क्रेडिट जोखिमों की समय पर पहचान और प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणालियों और प्रारंभिक चेतावनी ढांचों को मजबूत किया गया है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता संकेतको में बैंक का निरंतर सुधार इसके जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और वसूली रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- **बाजार जोखिम प्रबंधन**

बैंक अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों, जोखिम सीमाओं और निगरानी तंत्रों के माध्यम से ब्याज दर की गतिविधियों, विदेशी मुद्रा जोखिमों और निवेश पोर्टफोलियो के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है।

कोष विभाग निरंतर बाजार के घटनाक्रमों की निगरानी करता है और रिटर्न को अनुकूलित करते हुए बैंक की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उचित रणनीति लागू करता है।

- **तरलता जोखिम प्रबंधन**

पर्याप्त तरलता बनाए रखना बैंक के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए बैंक मजबूत तरलता बफर बनाए रखता है और नियमित रूप से तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण आयोजित करता है।

तरलता कवरेज अनुपात और अन्य नियामक तरलता मानदंड पूरे वर्ष निर्धारित आवश्यकताओं से ऊपर रहे।

- **परिचालन जोखिम प्रबंधन**

बैंक प्रक्रिया में सुधारों, प्रौद्योगिकी-सक्षम नियंत्रणों, व्यावसायिक निरंतरता योजना और कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से परिचालन जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना जारी रखता है।

परिचालन लचीलेपन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण परिचालन व्यवधानों और नुकसान को कम करते हुए निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मदद करता है।

16. अनुपालन, अभिशासन और आंतरिक नियंत्रण ढांचा

बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कॉर्पोरेट अभिशासन), नियामक अनुपालन और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

मजबूत शासन प्रथाएं बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की नींव बनाती हैं और हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन में योगदान देती हैं।

- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस**

निदेशक मंडल रणनीतिक मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बैंक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार तरीके से कार्य करे।

बोर्ड को विभिन्न समितियों द्वारा समर्थन प्राप्त है जो जोखिम प्रबंधन, ऑडिट (लेखापरीक्षा), ग्राहक सेवा, अनुपालन और हितधारकों के हितों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करती हैं।

यह शासन ढांचा प्रभावी पर्यवेक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और नियामक अपेक्षाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।

- **अनुपालन संस्कृति**

बैंक नीतिगत ढांचों, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी प्रणालियों, कर्मचारी प्रशिक्षण और निरंतर निरीक्षण तंत्र के माध्यम से अपनी अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना जारी रखता है।

लागू कानूनों, विनियमों, पर्यवेक्षी अपेक्षाओं और आंतरिक नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन प्रबंधन को व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत किया गया है।

बैंक संगठन के सभी स्तरों पर ईमानदारी, जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **सामान्य उद्देश्य टिकट समाधान का विकास:** आईटीएसओएम प्लेटफॉर्म के भीतर एक सामान्य उद्देश्य से टिकटिंग (जीपीटी) सिस्टम विकसित किया गया है, जिसमें शाखा किसी विशिष्ट कार्य को करने की अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु इंसिडेंट टिकट बढ़ाती है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय जीपीटी समाधान के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेज़ के आधार पर अनुमति प्रदान करेगा। प्रारंभिक चरण में छह उप-श्रेणियों से 15 उपयोग के मामलों/मदों को शुरू किया गया है, भविष्य में अधिक डोमेन को शामिल करने के लिए इनका विस्तार किया जाएगा। जीपीटी सिस्टम बैंक को लेनदेन/अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने पर ऑडिट ट्रेल, प्रलेखन, शासन और निरीक्षण रखने में सक्षम बनाएगा।

- **अनुपालन और शासन को सशक्त बनाना (ईसीजी):** जनवरी 2025 में शुरू किए गए ईसीजी प्लेटफॉर्म को वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक वर्कफ़्लो-आधारित गैप असेसमेंट मॉड्यूल के साथ उन्नत किया गया था ताकि आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों के अनुपालन को स्वचालित और सुव्यवस्थित किया जा सके।

बैंक वर्तमान में अपने परिचालन अनुपालन परीक्षण मॉड्यूल का प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों, सेनमार्ग और शाखाओं में विस्तार कर रहा है, जबकि इसके साथ ही अपनी शासन संरचना को सुदृढ़ करने के लिए आईआरएआर /आरएमपी अनुपालन हेतु एक समस्या प्रबंधन मॉड्यूल लागू कर रहा है।

- **डाटा गुणवत्ता सूचकांक पोर्टल:** डाटा अखंडता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 में स्थापित, डीक्यूआई पोर्टल कोर ग्राहक, ऋण और खाता डाटा में अपवादों को स्कैन करने के लिए 25 तैनात नियमों का उपयोग करता है, जिनकी निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है और निर्धारित टर्नअराउंड समय के भीतर शाखाओं द्वारा सुधार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 पर नज़र डालते हुए, आरआरडीएम का रोलआउट अतिरिक्त नियमों को एकीकृत करेगा और डाटा शासन को और अधिक उन्नत करने के लिए शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय मॉडल-आधारित स्कोर पेश करेगा।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा और आश्वासन

आंतरिक लेखापरीक्षा बैंक के शासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है।

बैंक जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का पालन करता है जो व्यावसायिक संचालनों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करते हुए उच्च जोखिम और भौतिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग शासन प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है।

बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन और अनुपालन को इन-हाउस ऑडिट पोर्टल से विशेष एकीकृत ऑडिट और अनुपालन स्वचालन प्लेटफॉर्म eTHIC में स्थानांतरित कर दिया है।

लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता और कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑडिट टूल, डेटा एनालिटिक्स और विषयगत समीक्षाओं का तेजी से लाभ उठाया जा रहा है।

समय पर बंदी और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट टिप्पणियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की जाती है।

बोर्ड की ऑडिट समिति आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को रणनीतिक निरीक्षण प्रदान करना जारी रखती है और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों तथा उपचारात्मक उपायों की समीक्षा करती है।

18. साइबर सुरक्षा और परिचालन लचीलापन

जैसे-जैसे बैंकिंग उद्योग में डिजिटल अपनाने की गति तेज हो रही है, साइबर सुरक्षा और परिचालन लचीलापन बैंक के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं बन गए हैं।

बैंक प्रौद्योगिकी, शासन ढांचे, निगरानी क्षमताओं और ग्राहक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है।

• साइबर सुरक्षा ढांचा

बैंक ने एक बहु-स्तरीय साइबर सुरक्षा आर्किटेक्चर लागू किया है जिसे सूचना संपत्तियों, ग्राहक डेटा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को उभरते साइबर खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

निरंतर निगरानी, थ्रेट इंटेलिजेंस, भेद्यता मूल्यांकन, सुरक्षा परीक्षण और कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम बैंक की साइबर रक्षा रणनीति के अभिन्न अंग हैं।



- **धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन**

बैंक उन्नत निगरानी प्रणालियों, विश्लेषण-आधारित निगरानी और नियामक एकीकरण के माध्यम से अपनी धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखता है।

धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, मोबाइल नंबर निरसन सूची, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एकीकरण और एआई-आधारित म्यूल खाता पहचान तंत्र के कार्यान्वयन ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

ये पहल ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करते हुए धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की तेजी से पहचान, रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती हैं।

- **आरबीआईएच म्यूल हंटर**

सितंबर 2025 में, बैंक ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा डिज़ाइन किए गए एक नवोन्मेषी एआई /एमएल समाधान MuleHunter.AI को अपनाया, ताकि पारंपरिक नियम-आधारित प्रणालियों की तुलना में काफी उच्च सटीकता और गति के साथ संदिग्ध म्यूल खातों की पहचान की जा सके।

- **परिचालन लचीलापन**

बैंक ने महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन और आपदा रिकवरी ढांचे स्थापित किए हैं। तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समय-समय पर परीक्षण, सिमुलेशन अभ्यास और लचीलापन मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं।

बैंक हर परिस्थिति में लचीला परिचालन बनाए रखने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

19. राजभाषा

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 12-13 जून, 2025 को आयोजित राजभाषा संगोष्ठी-सह-समीक्षा बैठक में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बैंक को 'क' क्षेत्र के अंतर्गत 'द्वितीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (बैंक) से विभिन्न श्रेणियों में तीन पुरस्कार प्राप्त किए। विशेष रूप से, बैंक को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2024-25' में द्वितीय

पुरस्कार; अपनी त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के लिए प्रथम पुरस्कार; और अपनी ई-पत्रिका 'राजदीप' के लिए ई-पत्रिका श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

- प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और आंचलिक कार्यालयों से हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राजभाषा पोर्टल लॉन्च किया गया था।

20. अन्य पुरस्कार और प्रशंसा

- भारत के वाणिज्य एवं उद्योग केंद्रीय मंत्री द्वारा 2025 के लिए एमएसएमई में 'सर्वश्रेष्ठ उभरता बैंक' प्रदान किया गया।
- भारत के वाणिज्य एवं उद्योग केंद्रीय मंत्री द्वारा 'सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक - उपविजेता प्रदान किया गया।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा 'गारंटी में सबसे तेज़ वृद्धि' पुरस्कार प्रदान किया गया।

21. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों को तैयार करने में:

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है, तो उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- लेखांकन नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई थीं और उन्हें लगातार लागू किया गया था। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय वर्ष के मामलों की स्थिति और उसके लाभ-हानि का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाए गए थे।
- भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने, बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- वार्षिक खाते निरंतर प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं।
- बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।



22. दृष्टिकोण एवं भविष्य की संभावनाएं

भविष्य का अवलोकन करते हुए, बैंक भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और विकसित होते वित्तीय परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत अवसरों के प्रति आशावादी बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताएं निम्नलिखित पर केंद्रित होंगी:

- सतत व्यावसायिक विकास को गति देना।
- देयता फ्रैंचाइज़ी और कासा आधार को मजबूत करना।
- खुदरा, कृषि और एमएसएमई पैठ को गहरा करना।
- डिजिटल बैंकिंग और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाना।
- बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और वसूली प्रदर्शन को बनाए रखना।
- परिचालन लचीलेपन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
- वित्तीय समावेशन और सतत बैंकिंग पहलों को आगे बढ़ाना।
- ग्राहक अनुभव और सेवा उत्कृष्टता को बढ़ाना।
- भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा और नेतृत्व क्षमताओं का विकास करना।

एक मजबूत पूंजी स्थिति, बेहतर लाभप्रदता, सुदृढ़ शासन ढांचे और प्रतिबद्ध कार्यबल द्वारा समर्थित, बैंक सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्य बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

23. अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल सुश्री एम.जी. जयश्री, भारत सरकार नामित निदेशक, श्री एस.एल. अग्रवाल, गैर-आधिकारिक निदेशक, और बोर्ड के सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों के बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, समर्थन, मार्गदर्शन और सभी प्रयासों में प्रबंधन के प्रति उनके योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक व पर्यवेक्षी अधिकारियों से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी सराहना प्रकट करता है।

निदेशक बैंक के मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, निवेशकों, व्यावसायिक भागीदारों और अन्य हितधारकों के प्रति बैंक में उनके निरंतर विश्वास और भरोसे के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक सभी स्तरों पर कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, व्यावसायिकता एवं प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों ने वर्ष के दौरान बैंक की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निदेशकों को पूरा विश्वास है कि सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक राष्ट्र निर्माण और सतत मूल्य सृजन के लिए समर्पित एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रगतिशील बैंकिंग संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries

FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,

Shakarpur, Delhi- 110092

Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

Peer Review Certificate No.: 3028/2023

फॉर्म संख्या एमआर – 3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

{भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में}

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सदस्य

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

"बैंक हाउस", 21, राजेंद्र प्लेस

नई दिल्ली -110 008

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (इसमें एतदपश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा उचित कॉरपोरेट व्यवहार की सचिवीय लेखा-परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है और उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि
- (iii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :



- (a) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर)
 - (b) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018; **समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।**
 - (c) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (d) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 2018; **समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।**
 - (e) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्टेक इकिटी) विनियम, 2021; **समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।**
 - (f) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;
 - (g) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियम 2015;
- (v) निम्नलिखित यथा प्रयोज्य अधिनियम, योजना, विनियम तथा अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-
- (a) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980
 - (b) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980
 - (c) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008
 - (d) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
 - (e) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
 - (f) संदान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाना है –

1. सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने, लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने, बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. यथावश्यक हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. हमने, विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

हमने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों (एसएस-1 और एसएस-2) के प्रयोज्य वाक्यांशों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियमन 17 के अनुसार कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ विधिवत नहीं किया गया है, निदेशक मंडल और तत्संबंधी समितियों के संघटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:
 - a) बैंक बोर्ड में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (ई), 9 (3) (एफ), 9 (3) (जी) के अंतर्गत एक-एक निदेशक और धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत पाँच निदेशक के पद रिक्त थे।
 - b) सेबी (एलओडीआर) के अनुसार बैंक ने बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।
 - c) बैंक में अध्यक्ष का पद रिक्त है। तथापि, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के खंड 12 (6) के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एमडी एवं सीईओ द्वारा की जा रही है।
 - d) स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण 01 अप्रैल, 2025 से 20 अप्रैल, 2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 (1) (ए) और (बी) के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था। तथापि, बैंक ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर 21 अप्रैल, 2025 से समिति का पुनर्गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
 - e) समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 (1) (ए) व (बी) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
 - f) स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण 01 अप्रैल, 2025 से 20 अप्रैल, 2025 तक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, बैंक ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर 21 अप्रैल, 2025 से समिति का पुनर्गठन किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित हुआ।



बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी और बैंक ने समय-समय पर केंद्र सरकार को सूचित किया है तथा सेबी (एलओडीआर) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों/ महिला स्वतंत्र निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) के अनुसार अन्य निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए अंतिम संचार पत्र दिनांकित 12 मार्च, 2026 के माध्यम से किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए थे।

2. समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों को भेजे गए थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु प्रणाली विद्यमान है।
3. बहुमत से लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।
4. प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियमों, तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने तथा उसे सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने उस पर लागू विभिन्न अधिनियम, नियम और विनियम, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 23 अप्रैल, 2026

आर एस कथूरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217H000184704

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2025-26)

1) अभिशासन संहिता पर बैंक – दर्शन

बैंक, समस्त स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयरधारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका अनुपालन भी करेगा। बैंक, अपने गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक, सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक, अपने हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु कठिन उद्यम करेगा।

बैंक के इक्विटी शेयर, बंबई शेयर बाजार लिमिटेड (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक कोई कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक, यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी अभिशासन मानदंडों के प्रावधानों का बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों इत्यादि का उल्लंघन नहीं होने की सीमा तक अनुपालन करता है।

2) निदेशक-मंडल

2.1 बोर्ड का संघटन :

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980, यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों इत्यादि के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती है।

मार्च 31, 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम और श्रेणी	दिनांक 31.03.2026 को धारित बैंक के सामान्य शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	बैंक की उप समिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उप-समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य	9	A	- बोर्ड की प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) - धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (अध्यक्ष) - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष) - बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - बोर्ड की एचआर समिति (अध्यक्ष) - वसूली की निगरानी के लिए समिति (अध्यक्ष) - इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (अध्यक्ष) - बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा कार्यपालक निदेशक	397	8	B	- बोर्ड की प्रबंधन समिति - धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - बोर्ड की एचआर समिति - वसूली की निगरानी के लिए समिति - बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

3.	श्री राजीवा कार्यपालक निदेशक	शून्य	8	C	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 5. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति 6. बोर्ड की एचआर समिति 7. वसूली की निगरानी के लिए समिति 8. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
4.	श्री जितेन्द्र असाठी भारत सरकार नामित निदेशक	शून्य	9	D	1. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 2. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की एचआर समिति 4. वसूली की निगरानी के लिए समिति 5. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 6. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (अध्यक्ष) 7. हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष) 8. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 9. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार के लिए बोर्ड समिति (अध्यक्ष)
5.	श्री विवेक श्रीवास्तव निदेशक (आरबीआई की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नामित)	शून्य	3	E	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति



6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (गैर-सरकारी निदेशक) (शेयरधारक निदेशक)	225	7	F	1. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (अध्यक्ष) 2. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की एचआर समिति 4. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 6. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 7. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार के लिए बोर्ड समिति
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	8	G	1. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 2. हितधारक संबंध समिति 3. बोर्ड की एचआर समिति 4. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) 5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 6. वसूली की निगरानी के लिए समिति 7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 8. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार के लिए बोर्ड समिति

नोट : समितियों के नाम जिनमें निदेशक अध्यक्ष हैं, प्रयोज्यतानुसार विशेष रूप से इंगित किए गए हैं।

- A. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ 4/3/2024-बीओ.। दिनांकित 02.06.2025 के निबंधन अनुसार उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 28.07.2027 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है।
- B. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/1(v)/2023-बीओ.। दिनांकित 09 अक्टूबर, 2023 के निबंधन अनुसार 09 अक्टूबर, 2023 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 08 अक्टूबर, 2026) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- C. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/1(v)/2023-बीओ-I दिनांकित 09 अगस्त, 2024 के निबंधन अनुसार 09 अगस्त, 2024 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 08 अगस्त, 2027) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- D. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (b) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 6/2 (i)/2022-बीओ-I दिनांकित 09.09.2025 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- E. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (c) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 6/3/2011-बीओ-I दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- F. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत 01 जून, 2024 से 31 मई, 2027 तक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।
- G. राष्ट्रीयकृत बैंक के खंड (3) के उप खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (h) और उपधारा (3A) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 6/1 (viii)/2024 -बीओ-I दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के निबंधन अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए और आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक-मंडल में अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/ निवृत्ति :

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

[A] नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति :

- श्री शंकर लाल अग्रवाल को दिनांक 11.04.2025 से 10.04.2026 तक या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।
- श्री स्वरूप कुमार साहा को दिनांक 03.06.2025 से 28.02.2027 तक या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।
- श्री जितेन्द्र असाठी को दिनांक 09.09.2025 से आगामी आदेश तक वित्त मंत्रालय नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।



[B] निवृत्ति :

- सुश्री एम. जी. जयश्री, वित्त मंत्रालय नामित निदेशक, दिनांक 08.09.2025 तक बैंक बोर्ड में रहे।

2.3 अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की समिति/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक पद का नाम व श्रेणी	समिति की सदस्यता
1.	श्री जितेन्द्र असाठी	आई एफ सी आई लिमिटेड	i) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

2.4 वर्ष 2025-26 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

श्री शंकर लाल अग्रवाल (गैर-सरकारी निदेशक) :

श्री शंकर लाल अग्रवाल, बी कॉम, एलएलबी और अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। मैसर्स एस गर्ग एंड कंपनी के संस्थापक भागीदार होने के नाते, वह 1989 से फर्म के एक वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आगे, वह विभिन्न स्तरों में विविध समितियों यथा आईसीएआई के सीआईआरसी के क्षेत्रीय राज्यवार पीडीसी उप समिति राजस्थान में समन्वयक, आईसीएआई के सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा समिति के सदस्य, आईसीएआई की अकादमिक समिति के सदस्य, आईसीएआई की परियोजना समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार की राज्य लोक शिकायत और निवारण समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार के सरकारी उद्यमकर्ता में तकनीकी सलाहकार, राजस्थान सरकार के वेट सलाहकार एवं शिकायत समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार के वित्त एवं बजट सलाहकार समिति के सदस्य, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के कार्यपालक सदस्य रहे हैं। वह अप्रैल 2016 से अप्रैल 2019 तक सांभर साल्ट लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे। उन्हें 21 जनवरी, 2020 से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड तथा सांभर साल्ट लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने विभिन्न अध्ययन समूहों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), बाली (इंडोनेशिया), हांगकांग, मकाऊ, हंगरी (बुडापेस्ट), चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, गर्नमनी आदि का भी दौरा किया है।

इसके अलावा, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने पाञ्चजन्य साप्ताहिक को समाचार और लेख भेजे हैं। वह समाचार जगत दैनिक पत्र के लिए साप्ताहिक आर्थिक विश्लेषण लेखक भी थे। वे विभिन्न पुस्तकों यथा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 के राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव विश्लेषण पुस्तक, लोकसभा चुनाव विश्लेषण (1984-2009), राजस्थान मूल्य वर्धित कर 2006 और लोकसभा चुनाव विश्लेषण (1984-2014) के संपादक भी थे।

श्री स्वरूप कुमार साह (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी) :

श्री स्वरूप कुमार साह को 03 जून, 2025 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के एमडी एण्ड सीईओ से पूर्व आप 10 मार्च, 2021 से पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री साह, कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं। अपने कैरियर के आरंभ वर्ष 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में किया। ये इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीआईआईबी) के प्रमाणित संबद्ध सदस्य है। इन्हें आईटी सुरक्षा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रमाणन के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से ट्रेजरी (आईआईबीएफ), निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा तथा सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ से वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाण-पत्र भी प्राप्त है।

श्री साह, आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से 2019 में आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के फ्लेगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के प्रतिभागियों में शामिल थे। इन्होंने सीएफएआरएल/ स्टर्न बिज़नेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम तथा एनआईबीएम एण्ड केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

30 वर्ष से अधिक के कैरियर में उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग पदों पर कार्य किया है। उन्हें मानव संसाधन विकास, कोष, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्संरचना और बोर्ड मामलों का व्यापक अनुभव है। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोष और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन विकास प्रभाग और बोर्ड प्रभाग के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी है।

श्री जितेन्द्र असाटी (वित्त मंत्रालय नामित निदेशक) :

वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशक श्री जितेन्द्र असाटी को डीएफएस आदेश दिनांकित 05.01.026 के माध्यम से दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारतीय आर्थिक सेवा के अखिल भारतीय शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता श्री जितेन्द्र असाटी, जनवरी 2010 में एक अर्थशास्त्री नौकरशाह के रूप में सरकार में शामिल हुए। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान, उन्होंने भारत के वित्त मंत्रालय के साथ इंडिया मिशन वाशिंगटन डीसी में और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विभिन्न भूमिकाओं में विशिष्टता के साथ कार्य किया है। सरकार में शामिल होने से पहले, श्री असाटी ने भा.रि.बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के रूप में कार्य किया।

श्री असाटी ने वित्त मंत्रालय में सहायक निदेशक के रूप में अमिट छाप छोड़ी, जहां उन्होंने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, एक्सटर्नल मार्केट्स और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के डेस्क को संभाला। उन्होंने बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को आकार देने और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निवेश विनियमों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



वाशिंगटन डीसी में, श्री असाटी ने आर्थिक, व्यापार और निवेश संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में उन्होंने मूल्य निर्धारण सुधार, सब्सिडी युक्तिकरण और जीवन की सुगमता को बढ़ाने से संबंधित तेल और गैस क्षेत्र में कई अग्रणी सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

डीएफएस में, श्री असाटी को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता को मजबूत करने के लिए कृषि ऋण को बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है।

श्री असाटी को अपने अकादमिक अध्ययन के दौरान स्वर्ण पदक और उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एम.फिल और ऑल इंडिया जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त की है। उन्होंने आर्थिक सुधार और सुशासन, तेल की कीमतों में अस्थिरता, सतत ऊर्जा और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर प्रमुख पत्रिकाओं और प्रमुख आर्थिक दैनिकों में अनेक लेख लिखे हैं।

2.5 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 16 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं :

29.04.2025	09.06.2025	20.06.2025	19.07.2025	29.07.2025
19.08.2025	30.08.2025	19.09.2025	16.10.2025	04.11.2025
18.11.2025	17.12.2025	17.01.2026	10.02.2026	09.03.2026
24.03.2026	-	-	-	-

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 05.08.2025 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	01.04.2025 से 31.03.2026	16	15*	उपस्थित

2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	16	13*	अनुपस्थित
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	16	15*	उपस्थित
4	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	9	7	अप्रयोज्य
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	11.04.2025 से 31.03.2026	16	16	उपस्थित
6	श्री विवेक श्रीवास्तव आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16	उपस्थित
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता- शेयरधारक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16	अनुपस्थित
8	श्रीमती एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	7	7	अनुपस्थित

* दिनांक 30.08.2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में डब्ल्यूटीडी ने स्वयं को इससे अलग कर लिया तथा श्रीमती एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक, बैठक की अध्यक्ष थीं।

2.6 निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। निदेशकों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट पर उद्घाटित है तथा यूआरएल <https://punjabandsind.bank.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors> पर इसका अवलोकन किया जा सकता है।

2.8 निदेशक-मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, किसी निदेशक के पास एक या अधिक विषयों यथा कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग इत्यादि के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा।

निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	बी. एससी (ऑनर्स), कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन। 34 वर्षों से अधिक का अनुभव। पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक रहे हैं।	बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री रवि मेहरा- कार्यपालक निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी)। 30 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक	कला में स्नातकोत्तर, एमबीए (बैंकिंग और वित्त), भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी)। बैंकिंग में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
4	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	मास्टर ऑफ़ फिलॉसफी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय।	प्रशासन एवं प्रबंधन
5	श्री विवेक श्रीवास्तव- आरबीआई नामित निदेशक	इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक।	बैंकिंग एवं वित्त
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता- शेयरधारक निदेशक	स्नातकोत्तर (भौतिकी), भारतीय बीमा संस्थान के अध्येता। भारतीय जीवन बीमा निगम में विपणन एवं प्रशासन के क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव।	मानव संसाधन, बैंक-बीमा
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	बी. कॉम, एल.एल.बी तथा अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार। वर्ष 1989 से फर्म के वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्यरत।	बैंकिंग एवं वित्त

आगे, यह है :

- पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के अभिमत में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं तथा
- सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी भी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है।

3) निदेशकों की समिति:

कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने सामरिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रबंधन वर्ग ने बोर्ड/ समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान

मानव संसाधन/ आईआर के प्रचालन कार्य-निष्पादन व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, खंड/ उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और तत्संबंधी आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
3.	धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति
4.	सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)
5.	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
6.	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
7.	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति
8.	बोर्ड की एचआर समिति
9.	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति
10.	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति
11.	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12.	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
13.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
14.	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
15.	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
16.	पूंजी निर्गमन समिति

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के अनुच्छेद 14 के पश्चात निर्मांकित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया है।

“जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की अनुशंसा या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति नहीं हो सकती है तो बोर्ड, उक्त कार्रवाई अथवा गतिविधि को कर सकेगा।”

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाविष्ट कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।



3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मामलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों यथा उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/ बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक/कों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (c) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा धारा 9 (3) की उपधारा (d), (e), (f), (h) और (i) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2026 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री विवेक श्रीवास्तव - आरबीआई नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर बाईस (22) बैठकें हुई :

29.04.2025	19.05.2025	05.06.2025	19.06.2025	11.07.2025	29.07.2025
19.08.2025	03.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	16.10.2025	30.10.2025
17.11.2025	01.12.2025	17.12.2025	22.12.2025	30.12.2025	12.01.2026
10.02.2026	05.03.2026	18.03.2026	24.03.2026	-	-

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान, समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	22	22
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	22	22
3	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	22	22
4	श्री विवेक श्रीवास्तव आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	22	22

3.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों (आरबीआई/डीओआर/2025-26/149 डीओआर. एचजीजी.जीओवी. संख्या 68/29.67.001/2025-26) के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति, तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति, दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के परिचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक के भीतर निरीक्षण तथा बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/ निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति, तिमाही/इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।



31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक
2.	श्री विवेक श्रीवास्तव - आरबीआई नामित निदेशक
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की निम्न तिथियों पर तेरह (03) बैठकें आयोजित की गईं :

29.04.2025	19.06.2025	11.07.2025	19.07.2025	19.08.2025	30.09.2025
16.10.2025	17.11.2025	24.11.2025	17.01.2026	26.02.2026	26.03.2026
30.03.2026	-	-	-	-	-

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	13	13
2	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	13	13
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	13	13

श्री साकेत मेहरोत्रा (कंपनी सचिव), एसीबी के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

3.3 धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/डीओएस/2024-25/118 डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी.सं. 5/23.04.001/2024-25 दिनांकित 15 जुलाई, 2024 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं यथा धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने तथा धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करना इत्यादि में विलंब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो विशेष रूप से धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु समर्पित होगी।

समिति के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:-

- बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिनके कारण धोखाधड़ी को मूर्त रूप दिया गया हो, का पता लगाना तथा उनके निराकरण के लिए उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने/वर्गीकरण में विलंब के कारणों की पहचान करना।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना।
- धोखाधड़ी प्रकरणों में स्टाफ जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में विलंब के कारणों की पहचान करना।
- हमारे बैंक/अन्य बैंक द्वारा आरएफए के रूप में चिह्नित खातों की समीक्षा करना।
- आरएफए के रूप में चिह्नित खातों की समीक्षा करना और पर्यवेक्षता करना कि क्या धोखाधड़ी के पहलू की जांच के लिए निर्धारित 180 दिनों की समय-सीमा पार हो गई है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा करना।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक
6.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक

* दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक गणपूर्ति के अभाव के कारण धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की पाँच (05) बैठकें आयोजित हुईं :

22.05.2025	18.07.2025	18.09.2025	18.11.2025
27.02.2026	-	-	-



नोट :

- i) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं. 5/23.04. 001/2024-25 दिनांकित 15 जुलाई, 2024 के माध्यम से **वृहत मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति के संबंध में विगत दिशानिर्देशों को अधिक्रमित किया है तथा धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है।**

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक (अध्यक्ष)	15.09.2025 से 31.03.2026	3	3
2	श्री स्वरूप कुमार साहा- एमडी एवं सीईओ	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
3	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
4	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	5	5
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	5	5
7	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	2	2

सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति) :

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनज़र, सतर्कता अनुशासनात्मक प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में बैंक में बोर्ड की सतर्कता समिति गठित की गई है।

दिनांक 31.03.2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जितेन्द्र असाटी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

19.05.2025	19.09.2025	17.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
4	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4



5	श्री जितेन्द्र असाटी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	3	2
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	1	1

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने भारिबैं दिशा-निर्देश (आरबीआई/डीओआर/2025-26/149 डीओआर.एचजीजी.जीओवी. संख्या 68/29.67.001/2025-26) के अनुसरण में बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समन्वित विचार करती है तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

दिनांक 01.04.2025 से 20.04.2025 तक और दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निर्मांकित तिथियों पर समिति की आठ (08) बैठकें आयोजित हुई :

29.04.2025	18.06.2025	18.09.2025	16.10.2025
18.11.2025	17.12.2025	27.02.2026	18.03.2026

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	21.04.2025 से 31.03.2026	8	8
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	21.04.2025 से 31.03.2026	8	8

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	8	8
4	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	6	5
5	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	21.04.2025 से 08.09.2025	2	2

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक परिचालन में निरंतर स्थिरता व दक्षता सुनिश्चित करना तथा बैंक की सुरक्षा का ध्यान रखना है।

3.6 ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2026 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा प्रत्येक समय समस्त संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म सृजित करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना और ग्राहक-सेवा पर स्थाई समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।



- ii) अधिनिर्णय की तिथि से तीन माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कार्यान्वित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- iii) ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना तथा ग्राहकों के समस्त संवर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
5	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	3	3
6	सुश्री एम जी जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	1	1

3.7 हितधारक संबंध समिति :

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बॉण्डधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नानुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुई :

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

*दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक गणपूर्ति के अभाव के कारण हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं हो सका।

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक (अध्यक्ष)	15.09.2025 से 31.03.2026	3	3
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	4	4
5	सुश्री एम जी जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	1	1

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:



01.04.2025 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निराकृत	31.03.2026 को लंबित
0	2	2	0

31 मार्च, 2026 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

3.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति :

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनियन व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 (डीएफएस संचार एफ. सं. 9/18/2009-आईआर दिनांकित 21.10.2011 और डीएफएस पत्र एफ. सं. 9/18/2009-आईआर दिनांकित 21.03.2012 के अनुसार) के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की तेरह (13) बैठकें आयोजित की गईं :

18.06.2025	15.07.2025	23.07.2025	29.07.2025	18.09.2025	16.10.2025
04.11.2025	18.11.2025	17.12.2025	17.01.2026	09.02.2026	09.03.2026
18.03.2026	-	-	-	-	-

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	13	12*
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	13	9*
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	13	12*
4	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	9	7
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	13	13
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	13	13
7	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	4	4

* दिनांक 29.07.2025 को संपन्न बैठक में डब्ल्यूटीडी ने स्वयं को बैठक से अलग कर लिया तथा एमओएफ नामित निदेशक श्रीमती एम. जी. जयश्री, उस बैठक की अध्यक्ष थीं।

3.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति :

आईटी पहल में तीव्रता लाने और प्रौद्योगिकियों के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति में न्यूनतम 3 निदेशक समाविष्ट होंगे।

आईटीएससी का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन/मार्गदर्शन में पर्याप्त आईटी विशेषज्ञता होगी तथा सदस्य तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। (आरबीआई परिपत्र डीओएस.सीओ. सीएसआईटीईजी/ एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांकित 07.11.2023 के अनुसार)

समिति के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:-



- सुनिश्चित करना कि बैंक के पास एक प्रभावी आईटी कार्यनीति योजना प्रक्रिया है।
- बैंक के कारोबारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी समग्र रणनीति के साथ संरेखित आईटी रणनीति की तैयारी में मार्ग-दर्शन प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन प्रभावी और कुशल हो, उसके पास पर्याप्त कुशल संसाधन हों, संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए सुपरिभाषित उद्देश्य और स्पष्ट जिम्मेदारियां हों।
- सुनिश्चित करना कि बैंक के पास आईटी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने की प्रक्रिया स्थापित हो।
- सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य के लिए बजटीय आबंटन, बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल मार्ग, असुरक्षित वातावरण और उद्योग मानकों के अनुरूप है और इसका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है; तथा
- बैंक की कारोबार निरंतरता आयोजना और आपदोपरांत बहाली प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की न्यूनतम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

समिति को संकल्प संख्या 2025/04/02 दिनांकित 21.04.2025 के माध्यम से बोर्ड द्वारा समाहित किया गया।

3.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति :

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

समिति को संकल्प संख्या 2025/04/02 दिनांकित 21.04.2025 के माध्यम से बोर्ड द्वारा समाहित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.11 वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक तथा स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक को समाविष्ट करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक

3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं:

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	27.02.2026
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
2	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
3	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	4	4
5	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	3	3
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	1	1

3.12 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :



पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो गैर कार्यकारी/ स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक
4.	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

18.07.2025	14.08.2025	27.02.2026	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
2	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक	21.04.2025 से 31.03.2026	2	2
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
4	श्री जितेन्द्र असाठी – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	15.09.2025 से 31.03.2026	2	2
5	सुश्री एम. जी. जयश्री – पूर्व एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2025 से 08.09.2025	2	2

3.13 नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांकित 26.04.2021 तथा डीएफएस अधिसूचना एफ. सं.16/19/2019-बीओ.1 दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से 'नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' का गठन किया गया था।

'नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' का कार्य आरबीआई द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंडों के अनुसार नामांकन, जांच की आवश्यक प्रक्रिया के लिए समुचित सावधानी आयोजित करना है।

गणपूर्ति के अभाव में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका तथा संकल्प संख्या 2025/04/02 दिनांकित 21.04.2025 के माध्यम से समिति को बोर्ड द्वारा समाहित किया गया।

31 मार्च 2026 तक गणपूर्ति के अभाव में समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.14 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों के लिए) :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अभिलेखबद्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय, डीएफएस पत्रांक एफ. सं. 9/5/2009-एचआर दिनांकित 30.08.2019 के अनुसार कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ तथा कार्यपालकों के लिए) गठित की गई थी।

दिनांक 31.03.2026 तक गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के खंड 13 के अनुसरण में, दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है।



31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री संजय प्रकाश श्रीवास्तव - महाप्रबंधक (ऋण)
5.	श्री राजेन्द्र कुमार रैगर – महाप्रबंधक (पीएस एवं रैम)
6.	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी
7.	श्री अर्नब गोस्वामी – मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नांकित तिथियों पर इक्कीस (21) बैठकें आयोजित हुईं :

21.04.2025	21.05.2025	13.06.2025	18.06.2025	26.06.2025
30.06.2025	30.07.2025	11.08.2025	16.08.2025	03.09.2025
23.09.2025	26.09.2025	18.10.2025	24.10.2025	01.11.2025
21.11.2025	11.12.2025	18.12.2025	29.12.2025	12.03.2026
27.03.2026	-	-	-	-

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2025 से 31.03.2026	21	21
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	21	19

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	21	21
4.	श्री राजेश पाण्डेय – महाप्रबंधक (ऋण)	01.04.2025 से 21.04.2025	01	01
5.	श्री संजय प्रकाश श्रीवास्तव – महाप्रबंधक (ऋण)	22.04.2025 से 31.03.2026	20	20
6.	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026	21	21
7.	श्री अर्नब गोस्वामी – मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2025 से 31.03.2026	21	18
8.	श्री राजेन्द्र कुमार रैगर – महाप्रबंधक (पीएस एवं रैम)	01.04.2025 से 31.03.2026	21	19

3.16 शेयर अंतरण समिति :

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति, पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गई।

3.17 पूंजी निर्गमन समिति :

मूल्य निर्धारण, निर्गमन आरंभ करने, निर्गमन संवरण तथा अन्य निर्गमन संबंधी मामलों से संबंधित समस्त निर्णय लेने के लिए संकल्प दिनांकित 16.10.2025 के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन अनुसार समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)



2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.18 विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से तत्संबंधी परिवर्तन सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण :

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन में बैंक के समस्त मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार सहित), कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी समाविष्ट हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	परिवर्तन का विवरण (यदि कोई हो)
1	श्री प्रवीण कुमार	मुख्य महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
2	श्री राजेश सी पाण्डेय	मुख्य महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
3	श्री पंकज द्विवेदी	महाप्रबंधक	25 जून, 2025 को महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
4	श्री गोपाल कृष्ण	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
5	श्री राजेन्द्र कुमार रैगर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
6	श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
7	श्री चमन लाल शीहमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
8	श्रीमती रश्मिता क्रात्रा	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
9	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
10	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
11	श्री नीलेन्द्र के प्रभात	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
12	श्री रत्नेश चन्द्र	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
13	श्री संतोष कुमार नीरज	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
14	श्री संजय प्रकाश श्रीवास्तव	महाप्रबंधक	01 अप्रैल, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत
15	श्री सतबीर सिंह	महाप्रबंधक	01 अप्रैल, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत
16	श्री अशनी कुमार	महाप्रबंधक	01 जून, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत

क्र. सं.	नाम	पदनाम	परिवर्तन का विवरण (यदि कोई हो)
17	श्रीमती महिमा अग्रवाल	महाप्रबंधक	01 जून, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत
18	श्री धीरज कुमार गौड़	मुख्य जोखिम अधिकारी	अप्रयोज्य
19	श्री रवि गुप्ता	मुख्य अनुपालन अधिकारी	अप्रयोज्य
20	श्री अर्नब गोस्वामी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अप्रयोज्य
21	श्री साकेत मेहरोत्रा	कंपनी सचिव	अप्रयोज्य

4) निदेशकों का पारिश्रमिक:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर कार्यपालक निदेशकों को यात्रा और ठहराव व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (ओं) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

A) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदत्त बकाया सहित वेतन का विवरण :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	राशि (लाख में)
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	43.66
2	श्री रवि मेहरा	कार्यपालक निदेशक	45.38
3	श्री राजीवा	कार्यपालक निदेशक	46.71
कुल			135.75

B) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदत्त कार्य-निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का विवरण :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	राशि (लाख में)
----------	-----	-------	----------------



शून्य

- C) बैंक, गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। देय शुल्क निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बैठक	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क (₹)
1	बोर्ड	60,000
2	बोर्ड समिति	30,000
3	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	15,000 (उपरोक्त (1) के अतिरिक्त)
4	समिति की बैठक की अध्यक्षता हेतु	7,500 (उपरोक्त (2) के अतिरिक्त)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क निम्नानुसार है: (वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया) :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर-सरकारी निदेशक	21.30
2	श्री आर पी गुप्ता	शेयरधारक निदेशक	20.00
कुल			41.30

- D) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक कार्मिकों तथा बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया गया।

5) सामान्य निकाय की बैठकें:

- a) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 जुलाई 2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008	- दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना।

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
			(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा करना। - अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹250 करोड़ राशि तक की पूंजी जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक	गुरुवार, 24 जुलाई, 2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
15वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 05 अगस्त, 2025	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश की घोषणा करना। - साधारण संकल्प द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा की नियुक्ति को अनुमोदित करना। - साधारण संकल्प द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को अनुमोदित करना। - साधारण संकल्प द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करना। - साधारण संकल्प द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री



प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
				स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को अनुमोदित करना। - साधारण संकल्प द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आर एस कथूरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

b) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मई, 2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना (मतदान के बहुमत के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया)। - साधारण संकल्प के माध्यम से सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। - अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹2000 करोड़ राशि की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 21 जनवरी, 2026	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹2000 करोड़ राशि की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना। - साधारण संकल्प के माध्यम से सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के भारत सरकार नामित निदेशक

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
				के रूप में श्री जितेन्द्र असाटी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।

- c) **डाक मतपत्र** : बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार संचालित नहीं किया है और वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार प्रस्तावित नहीं है।

6) संचार के माध्यम:

बैंक के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रचार-प्रसार के लिए शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। परिणाम, संपूर्ण भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में तथा उस क्षेत्र की भाषा में जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अर्थात् दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित होते हैं। बैंक, अपने वित्तीय परिणामों और प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठकें, निवेशकों/ विश्लेषकों के साथ बैठकें आदि भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इयर-टू-डेड/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/> तथा शेयर बाजारों अर्थात् www.nseindia.com और www.bseindia.com की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। विद्यमान सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं तथा बैंक और शेयर बाजारों (स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट यथा www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित की गईं। सेबी दिशानिर्देशों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को प्रदान की गईं जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था।

7) सामान्य शेयरधारक जानकारी:

7.1 वित्तीय कैलेंडर (संभावित) :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक	
16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक, सोमवार, 08 जून 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बही संवरण तिथि	सोमवार, 01 जून, 2026 से रविवार, 07 जून, 2026



लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख	01 जून, 2026
लाभांश भुगतान तिथि	16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर

7.2 शेयर बाजारों में सूचीबद्धता :

बैंक के इक्विटी शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं-

- बीएसई लिमिटेड (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) - फिरोज जीजाभाय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
- नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) - एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

आज दिनांक तक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान एनएसई तथा बीएसई को किया जा चुका है।

7.3 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निराकरण:

- बैंक के शेयर, बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार योग्य हैं। यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले के अतिरिक्त प्रतिभूतियों को केवल अमूर्त रूप में ही अंतरित किया जा सकता है। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित कराएं।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख को अद्यतित कराने हेतु सीधे अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सूचित करें।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण, निक्षेपागार अर्थात नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है जिसमें बैंक की कोई सहभागिता नहीं होती है।
- शेयरधारकों, बॉण्डधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती है तथा समिति, निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर अंतरण एजेंट के रूप में एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को नियुक्त किया है तथा अपने कॉरपोरेट कार्यालय में शेयर कक्ष के रूप में निवेशक शिकायकत कक्ष की स्थापना की है जहां शेयरधारक अपने अनुरोध/ शिकायतों के निराकरण के लिए मेल कर सकते हैं। संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक) नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएमसी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 फोन: (011) 41410592 से 0594 फैक्स: (011) 41410591 ई-मेल: delhi@in.mpms.mufg.com	पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉरपोरेट कार्यालय एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 दूरभाष: (011) 40175169 ई-मेल: complianceofficer@psb.bank.in
--	---

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 6 (2) (d) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

7.4 शेयरधारिता (शेयर) का संवितरण - 31 मार्च, 2026 तक श्रेणीवार

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	कुल का %
1 – 500	1,89,663	83.6566	1,93,40,362	0.2726
501 – 1000	16,454	7.2575	1,31,87,742	0.1859
1001 – 2000	9,569	4.2207	1,44,57,171	0.2037
2001 – 3000	3,531	1.5575	89,83,622	0.1266
3001 – 4000	1,717	0.7573	61,45,476	0.0866
4001 – 5000	1,571	0.6929	73,49,835	0.1036



5001 – 10000	2,439	1.0758	1,77,52,618	0.2502
10001 और उससे अधिक	1,772	0.7816	7,00,83,68,394	98.7708
कुल	2,26,716	100.00	7,09,55,85,220	100.00

7.5 शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्य वार) संवितरण - 31 मार्च, 2026 तक

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	11,083	0.00
2	आंध्र प्रदेश	5,572	40,12,429	0.06
3	अरुणाचल प्रदेश	16	16,211	0.00
4	असम	2,001	6,97,020	0.01
5	बिहार	7,096	40,25,812	0.06
6	चंडीगढ़	1,154	9,21,155	0.01
7	छत्तीसगढ़	1,907	13,42,446	0.02
8	दादर नगर हवेली	44	28,655	0.00
9	दमन और दीव	23	13,473	0.00
10	दिल्ली	17,204	6,67,63,43,366	94.09
11	गोवा	452	1,51,204	0.00
12	गुजरात	24,698	1,32,10,285	0.19
13	हरियाणा	9,475	74,35,397	0.11
14	हिमाचल प्रदेश	1,302	6,92,135	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	954	6,48,227	0.01
16	झारखंड	3,119	13,20,272	0.02
17	कर्नाटक	10,413	53,75,857	0.08
18	केरल	5,046	28,83,634	0.04
19	लक्षद्वीप	1	70	0.00

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
				के रूप में श्री जितेन्द्र असाठी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।

- c) **डाक मतपत्र** : बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार संचालित नहीं किया है और वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार प्रस्तावित नहीं है।

6) संचार के माध्यम:

बैंक के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रचार-प्रसार के लिए शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। परिणाम, संपूर्ण भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में तथा उस क्षेत्र की भाषा में जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अर्थात् दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित होते हैं। बैंक, अपने वित्तीय परिणामों और प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठकें, निवेशकों/ विश्लेषकों के साथ बैठकें आदि भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इयर-टू-डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/> तथा शेयर बाजारों अर्थात् www.nseindia.com और www.bseindia.com की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। विद्यमान सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं तथा बैंक और शेयर बाजारों (स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट यथा www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित की गईं। सेबी दिशानिर्देशों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को प्रदान की गईं जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था।

7) सामान्य शेयरधारक जानकारी:

7.1 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक	
16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बही संवरण तिथि	बुधवार, 22 जुलाई, 2026 से मंगलवार, 28 जुलाई, 2026



लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख	21 जुलाई, 2026
लाभांश भुगतान तिथि	16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर

7.2 शेयर बाजारों में सूचीबद्धता :

बैंक के इक्विटी शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं-

- बीएसई लिमिटेड (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) - फिरोज जीजाभाय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
- नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) - एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

आज दिनांक तक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान एनएसई तथा बीएसई को किया जा चुका है।

7.3 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निराकरण:

- बैंक के शेयर, बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार योग्य हैं। यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले के अतिरिक्त प्रतिभूतियों को केवल अमूर्त रूप में ही अंतरित किया जा सकता है। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित कराएं।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख को अद्यतित कराने हेतु सीधे अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सूचित करें।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण, निक्षेपागार अर्थात नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है जिसमें बैंक की कोई सहभागिता नहीं होती है।
- शेयरधारकों, बॉण्डधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती हैं तथा समिति, निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

श्रेणी निर्धारण एजेंसी	टियर II बॉण्ड के लिए श्रेणी निर्धारण	दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड के लिए श्रेणी निर्धारण	जमा राशियों के प्रमाण-पत्र हेतु श्रेणी निर्धारण
आईसीआरए	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	आईसीआरए ए1+ (पुनः अभिपुष्ट किया गया) दिनांकित 20.03.2026
इनफोमेरिक	आईवीआर एए स्थिर (पुनः अभिपुष्ट किया गया) दिनांकित 27.02.2026		अप्रयोज्य
इंडिया रेटिंग्स	अप्रयोज्य	आईएनडी एए स्थिर 07.10.2025 (पुनः अभिपुष्ट किया गया)	अप्रयोज्य

8) अन्य प्रकटीकरण :

- कोई भी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेन-देन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक हितों के साथ मतभेद होने की संभावना हो सकती है।
- विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर शेयर बाज़ार (ओं) या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई भी शास्ति, आक्षेप नहीं लगाया गया है।
- बैंक की पर्दाफाश नीति है तथा किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के अभिगमन से वंचित नहीं किया गया है।
- विवेकाधीन एवं अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का विवरण नीचे बिंदु n तथा o में दिया गया है।
- महत्वपूर्ण सहायक निर्धारित करने की नीति और संबद्ध पक्षकार लेनदेन नीति, बैंक वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/content/policies> पर उपलब्ध है।
- लाभांश संवितरण नीति, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/content/policies> पर उपलब्ध है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान पण्य कीमत जोखिम तथा पण्य बचाव-व्यवस्था गतिविधियां प्रयोज्य नहीं हैं।
- बैंक द्वारा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से निर्गमित निधियों का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्य के लिए किया गया है।



- i) व्यवहारतः कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र लिया गया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से न तो वर्जित किया गया और न ही अयोग्य ठहराया गया है।
- j) यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं हुआ, जहां बोर्ड द्वारा बोर्ड की किसी भी समिति की किसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया हो जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनिवार्य रूप से आवश्यक था।
- k) वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड और उसकी उप-समितियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है।
- l) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण

प्रकृति	राशि (₹ में)
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	7,70,30,415
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	81,93,400

- m) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 01.04.2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	7
वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	8
दिनांक 31.03.2026 को लंबित शिकायतों की संख्या	1

- n) बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

o) विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II {विनियमन 27 (1)} के भाग-E के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड – गैर कार्यकारी अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-निर्वहन में वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	डॉ. चरन सिंह, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 06.11.2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक बैंक के बोर्ड में कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
2	शेयरधारकों का अधिकार - विगत छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा, शेयरधारकों को भेजी जाए।	तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयर बाजारों को प्रेषित किए जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है तथा शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट https://punjabandsind.bank.in/ पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – कंपनी, असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर सकती है।	लेखा परीक्षकों ने बैंक की वित्तीय विवरणी पर असंशोधित राय व्यक्त की है।
4	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद - सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है ताकि अध्यक्ष a) एक गैर-कार्यपालक निदेशक होगा; तथा b) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित शब्द "संबंधी" की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं होगा।	पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद हैं। तथापि, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह के दिनांक 06.11.2024 को कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है।
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

p) कंपनी अभिशासन अनिवार्यताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण :

पंजीकरण सं.	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
17 व 17 A	निदेशक-मंडल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारा बैंक तदनुरूप नया बैंक है। शेयरधारक निदेशक के अतिरिक्त बैंक के समस्त निदेशक, अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं।

		डॉ. चरन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त, बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक भी नहीं है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया जाता है। बोर्ड की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
18	लेखापरीक्षा समिति	अनुपालन किया गया।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें, आरबीआई निर्देशों/दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चयनित होने वाले व्यक्तियों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करती है। बैंक के पास समिति का गठन करने के लिए पर्याप्त संख्या में निदेशक नहीं हैं।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया।
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया।
22	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया।
23	संबद्ध पक्षकार लेनदेन	अनुपालन किया गया।
24	सूचीबद्ध इकाई की अनुषंगी के संबंध में कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अप्रयोज्य।
24 A	सचिवालय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया।
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
27	अन्य कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया।
46 (2) (b) से (i)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया।

9) अदावी लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार बैंक को संबंधित असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त/अदावाकृत हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है:

क्र.सं.	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2026 को शेष
1	लाभांश 2021-22	7,02,204.69
2	लाभांश 2022-23	7,86,997.52
3	लाभांश 2023-24	2,71,057.98
4	लाभांश 2024-25	96,840.52

10) बैंक द्वारा जारी बॉण्ड हेतु डिबेंचर ट्रस्टी निम्नलिखित है:

बॉण्डधारकों के लिए ट्रस्टी

 IDBI trustee IDBI Trusteeship Services Ltd आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड यूनीवर्सल इश्योरेंस बिल्डिंग, भू-तल, सर पी एम रोड, फोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र - 400 001 दूरभाष संख्या 022-40807000, ई-मेल: itsl@idbitrustee.com	 AXIS TRUSTEE एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग वर्ली, मुंबई - 400 025 दूरभाष: +91 22 62260054/ 6226 0050 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in	 VISTRA ITCL विस्तराआईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, छठा तल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 दूरभाष : +91 22 69300000 फैक्स : +91 22 28500029 ई-मेल : mumbai@vistra.com
--	--	--

11) निलंब खाते में आबंटितियों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2026):

क्र. सं.	विवरण	एनएसडीएल IN301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर मताधिकार, उक्त शेयरों के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अवरोधित रहेंगे।



12) 31 मार्च, 2026 तक शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1	6,65,90,51,093	93.85
2	समाशोधनकर्ता सदस्य	28	2,24,505	-
3	अन्य निगमित निकाय	334	93,30,920	0.13
4	हिंदू अविभक्त परिवार	4,988	54,65,118	0.08
5	म्यूच्युअल फंड	9	81,02,553	0.11
6	राष्ट्रीयकृत बैंक	10	11,23,59,952	1.58
7	गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	2	93,82,329	0.13
8	अनिवासी भारतीय	751	25,73,256	0.04
9	अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय)	966	9,71,103	0.02
10	जनता	2,19,580	12,99,21,144	1.83
11	न्यास	8	1,26,676	0.00
12	बीमा कंपनियां	9	14,07,82,271	1.99
13	निगमित निकाय-लिमिटेड देयता साझेदारी	19	1,78,863	0.00
14	अदावी शेयर्स	2	2,402	-
15	एफपीआई (कॉरपोरेट)- I	8	1,05,97,529	0.15
16	वैकल्पिक निवेश निधि - I	1	65,15,506	0.09
कुल		2,26,716	7,09,55,85,220	100.00

13) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा यह रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries

FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,

Shakarpur, Delhi- 110092

Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

Peer Review Certificate No.: 3028/2023

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 34 (3) तथा

अनुसूची V, अनुच्छेद सी, खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सदस्य

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस

नई दिल्ली - 110008

हमने, पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका कॉरपोरेट कार्यालय एनबीसीसी कार्यालय परिसर, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023 (यहाँ इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में है, के प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा निदेशकों से प्राप्त प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उप खंड (10) (i) के साथ पठित विनियमन 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित) एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	श्री रवि मेहरा	कार्यपालक निदेशक
3	श्री राजीवा	कार्यपालक निदेशक
4	श्री जितेन्द्र असाठी	गैर कार्यपालक - नामित निदेशक
5	श्री आर. पी. गुप्ता	गैर कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक
6	श्री विवेक श्रीवास्तव	गैर कार्यपालक - नामित निदेशक
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने/बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखने का उत्तरदायित्व, बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्र, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 अप्रैल, 2026

आर. एस. कथूरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217H000184803

**सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत
कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र**

सेवा में,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

हमारे द्वारा यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एतदपश्चात 'सूचीबद्धता विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (एतदपश्चात 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की गई है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कंपनी अभिशासन के प्रमाणन पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई थी और यह कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित के अतिरिक्त बैंक ने यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का खंडन नहीं किए जाने की सीमा तक सूचीबद्धता विनियम में अनुबद्ध अनुसार समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- सूचीबद्धता विनियम द्वारा अपेक्षित अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक तथा अध्यक्ष नहीं है।
- बैंक के बोर्ड में यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) के अंतर्गत एक-एक निदेशक तथा धारा 9 (3) (h) के अंतर्गत चार निदेशकों के पद रिक्त थे।
- दिनांक 01.04.2025 से 20.04.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, शेष वर्ष के दौरान इसका विधिवत गठन किया गया था।
- दिनांक 01.04.2025 से 20.04.2025 तक और दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, शेष वर्ष के दौरान इसका विधिवत गठन किया गया था।
- निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका तथा इसे निदेशक मंडल में ही समाहित कर लिया गया है।
- दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण धोखाधड़ी के प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, शेष वर्ष के दौरान इसका विधिवत गठन किया गया था।
- दिनांक 09.09.2025 से 14.09.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, शेष वर्ष के दौरान इसका विधिवत गठन किया गया था।



यह प्रमाण-पत्र, बैंक के सदस्यों को संबोधित है तथा उन्हें केवल कंपनी अभिशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियम की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है तथा इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे यह प्रमाण-पत्र दिखाया गया है या जिनके पास हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना यह प्रमाण-पत्र हो सकता है, के लिए कोई दायित्व या विधिक कर्तव्य स्वीकार अथवा या ग्रहण नहीं करते हैं। प्रमाण-पत्र के जारी होने के पश्चात होने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के लिए इस प्रमाण-पत्र को अद्यतित करने की हमारी कोई जवाबदेही नहीं है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता से संबंधित है।

एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N (सनदी लेखाकार प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम सं. 566023 यूडीआईएन:	गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466N (सनदी लेखाकार गुरनीत सिंह भान) साझेदार एम सं. 532675 यूडीआईएन:
ओ. पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000734C (सनदी लेखाकार अभिजीत गुप्ता) साझेदार एम सं. 454850 यूडीआईएन :	एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 110100W (सनदी लेखाकार शरथ के शेट्टे) साझेदार एम. सं. 132775 यूडीआईएन :

दिनांक : 27 अप्रैल, 2026

स्थान : नई दिल्ली



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषणा।

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के समस्त बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीयन करार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसरण में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। उक्त आचार संहिता को बैंक वेबसाइट <https://punjabandsind.bank.in/> पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.04.2026

(स्वरूप कुमार साहा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय: वर्ष 2025-26 के लिए सीएफओ/ सीईओ प्रमाणीकरण।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के अनुपालन प्रमाण-पत्र की अनुसूची-II कंपनी अभिशासन भाग-बी के अनुसरण में हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

- (A) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- 1) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या इनमें किसी महत्वपूर्ण/ तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या इनमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट नहीं हैं जो भ्रामक हों।
 - 2) ये अभिकथन/विवरण कुल मिलाकर बैंक के कार्यकलापों का सही एवं निष्पक्ष/स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा-मानकों, प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- (B) हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या जिनसे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो।
- (C) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की व उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व प्रचालन संबंधी कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में हैं, के संबंध में और इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकटीकरण कर दिया है।
- (D) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्न के विषय में अवगत कराया है :
- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा
 - 3) हमारे संज्ञान में आए कपट के महत्वपूर्ण दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.04.2026

(अर्नब गोस्वामी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्वरूप कुमार साहा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



मेसर्स एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 31-एफ, कनॉट प्लेस, रेडियल रोड नंबर-7 नई दिल्ली-110001	मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 142, सेक्टर-3, त्रिकुटा नगर, जम्मू-180012
मेसर्स ओ. पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 302, अलंकार प्वाइंट, गीता भवन स्केयर इंदौर-452001 (मध्यप्रदेश)	मेसर्स एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 14/2, वेस्टर्न इंडिया हाउस, सर पी.एम. रोड फोर्ट, मुंबई-400001

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

अभिमत

- हमने, **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** ('बैंक') की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2026 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और कोष विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 441 शाखाएं और 47 कार्यालय/ प्रसंस्करण केंद्र के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणियों में उन 1193 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से अग्रिम का 20.19 प्रतिशत, जमाराशियों का 41.17 प्रतिशत, ब्याज आय का 14.36 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 33.85 प्रतिशत भाग संबंधित है।
- हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, यथा संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ('अधिनियम') द्वारा आवश्यकतानुसार बैंक के अनुरूप जानकारी देती हैं और यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
 - टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2026 को बैंक के क्रियाकलापों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है;
 - टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक संतुलन प्रदर्शित करता है ; और
 - नकदी प्रवाह विवरणी, उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह प्रस्तुत करती है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों ("एसए") के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जवाबदेही में आगे वर्णित किया गया है। हम, आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र व दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी समस्त नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

- वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है-

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में हमारे मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई
<u>अग्रिम – वर्गीकरण और प्रावधान</u> (लेखांकन नीति संख्या 3 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित/ जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य प्रासंगिक निर्देशों/ दिशानिर्देशों (विवेकपूर्ण मानदंड) के अनुसार किया जाता है। वर्गीकरण और प्रावधान, बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए	<u>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया :</u> हमने आस्तियों के वर्गीकरण एवं इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और भारिबैं के दिशा-निर्देशों, बैंक के आंतरिक निदेशों व प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित नियामक या अन्य प्राधिकरण/ निकायों की जानकारी प्राप्त की है तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अंगीकृत की है : - अग्रिम निगरानी, पहचान/वर्गीकरण, प्रासंगिक डाटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण न्यूनता का मूल्यांकन और सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट/ विद्यमान वास्तविक डाटा की समीक्षा के संबंध में सिस्टम

के प्रावधान का विस्तार मुख्य रूप से इसके काल-प्रभावन और रेखांकित प्रतिभूति की प्रतिलब्धता पर आधारित है। प्रतिभूति के मूल्यांकन में उच्च परिमाण के प्राक्कलन और निर्णय अंतर्भूत होने के कारण विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित अनुप्रयोग या प्रतिभूति के त्रुटिपूर्ण मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का वहन मूल्य, व्यक्तिशः या समग्रतः तात्त्विक रूप में गलत हो सकता है और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि अर्थात् कुल आस्ति का 64.66% के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अग्रिमों के वर्गीकरण और उस पर प्रावधान को हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	नियंत्रण और अन्य प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण। - किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए वृहत एवं दबावग्रस्त अग्रिमों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/ निष्पादनों का सत्यापन/ समीक्षा और अग्रिम खातों की निगरानी, ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/ कार्यक्षेत्र के संबंध में, भाड़िबैं के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमें उनकी रिपोर्टों पर विश्वास है। - किसी प्रतिकूल संकेत/ टिप्पणी वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, विनियामक लेखापरीक्षा और किसी भी अन्य लेखापरीक्षा/ निरीक्षण तंत्र की रिपोर्टों की समीक्षा और इस प्रकार के अग्रिमों का उचित वर्गीकरण और उनका प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए बैंक के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा। लेखापरीक्षा के दौरान यथोचित आवश्यक परिवर्तन/ सुधार का परामर्श दिया गया और यथा आवश्यक, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के वित्तीय विवरणों में इसके प्रभाव को विधिवत शामिल किया गया।
<u>निवेश – मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान तथा अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान</u> (लेखांकन नीति संख्या 2 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, ऋण पत्र, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिन्हें परिपक्वता तक धारित (HTM), बिक्री हेतु उपलब्ध (AFS) तथा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें लाभ और हानि के माध्यम से उचित	<u>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया :</u> भाड़िबैं परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से – - हमने, मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व

मूल्य (FVTPL) की उप-श्रेणी के रूप में व्यापार हेतु धारित (HFT) शामिल है। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुसूची अस्वीकरण और उन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। उपरोक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन, भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों यथा एफबीआईएल दर, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, प्रतिभूति पावती के प्रकरण में एनएवी इत्यादि से डाटा/ सूचना का संग्रहण सम्मिलित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, कतिपय निवेश ऐसे होते हैं जिनका मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर किया जाता है तथापि कतिपय निवेश, मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित पूर्वानुमान वाले सांख्यिकीय प्रतिमान, वित्तीय विवरणों के आधार पर मूल्यांकन के लिए मूल्य का प्राक्कलन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए ज्ञात मूल्य, वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं वरन् वर्तमान तिथि में निवेश का उचित मूल्यांकन मात्र हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि अर्थात् कुल आस्तियों का 27.55% के महत्व के मद्देनज़र, इसे हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा उसे समझा है। - हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और उनका मूल्यांकन किया है। - निवेश के चयनित नमूने (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की समस्त श्रेणियों को शामिल करते हुए) के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/ निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्निष्पादन मूल्यांकन करके भारिबैं मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। - हमने, एनपीआई के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया तथा आय के तदनुसूची व्युत्क्रमण और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है। - हमने, सृजित किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कार्यान्वित की हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यथास्थान आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए वित्तीय वक्तव्यों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।
<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण</u> बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियां, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और सीबीएस से संबद्ध या स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर हैं।	<u>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया</u> - प्रणाली से निष्कर्षित रिपोर्ट/डेटा के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना।

हमारा केंद्रित क्षेत्र, प्रणाली में प्रदाय किए जाने वाले तर्क, डाटा की शुचिता और विश्वसनीयता, अभिगम प्रबंधन और कर्तव्यों के पृथक्करण से संबंधित हैं। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डाटा में परिवर्तन उपयुक्त, प्राधिकृत, परिमार्जित एवं परिवीक्षित हैं जिससे प्रणाली, सटीक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/ विवरणी और अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जानकारी जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है, प्रदान करे। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं, दैनिक आधार पर व्यापक परिमाण में कार्य करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन को संसाधित करती हैं जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। एक जोखिम यह है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं एवं संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को यथार्थतः परिकल्पित नहीं किया गया हो और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हों, तथा हो सकता है कि डाटा को सही ढंग से प्रविष्ट, संसाधित और उत्पन्न/निष्कर्षित नहीं किया गया हो। उपरोक्त को मद्देनज़र इसे हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	- वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण (ओं) जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण सम्मिलित है, की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना। - प्रणाली में डाटा प्रविष्टि को समझना तथा बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने की प्रक्रिया की जांच करना। - बैंक के विनियम/ नीति में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकताओं की जांच करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी में उसके कॉन्फिगरेशन/प्रभाव की जांच करना। हमने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली व सीबीएस पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग (IFCoFR) लेखापरीक्षा/ समीक्षा / परीक्षण पर आईएस, सिस्टम लॉजिक और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर भी विश्वास किया है।
---	--

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट सम्मिलित है जिसे हमने इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी करने के समय प्राप्त की थी। अन्य जानकारी में अपेक्षित अनुलग्नकों (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना प्रत्याशित है, सहित निदेशकों की रिपोर्ट भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारीयों तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करता है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त चिह्नित की गई अन्य जानकारीयों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में संज्ञान में आई हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत त्रुटि है तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य जानकारी के अध्ययन में यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो हमें इस मामले को अभिशासन प्रभारी को सूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसरण में उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करें, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हों या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा।

गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आंकलन करते हैं और पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में षड़यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करना।

परिमाण (मेटेरिएलिटी), वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की संभावना रखता है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकारी प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य की व्यापकता की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में तथा (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों के साथ लेखापरीक्षा की नियोजित स्वरूप एवं समय-सीमा तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिह्नित किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को इस विवरण से भी सूचित करते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए समस्त संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई विधि या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से अधिक ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. हमने, बैंक के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 441 शाखाओं तथा 47 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/ जानकारी, दिनांक 31.03.2026 को ₹28,744.33 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹3,124.17 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि इन वित्तीय विवरणियों में सुविचारित है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा इन शाखाओं के संबंध में समाविष्ट राशि और प्रकटीकरण से संबंधित हमारा अभिमत पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

उक्त मामले के संबंध में हमारे अभिमत को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार किए गए हैं;
10. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 8 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अधीन भी तथा यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - a) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया गया है;
 - b) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं ; और
 - c) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं।

11. भारिबैं द्वारा जारी उत्तरवर्ती संचार दिनांकित 19 मार्च, 2022 के साथ पठित "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (SCAs) की नियुक्ति - एससीए के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं" पर पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. नंबर 6270/08.91.001/2019-20 की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमारे अभिमत में उपरोक्त वित्तीय विवरण, भारिबैं द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होने की सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव डालते हों।
- चूंकि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की निरर्हता, बैंक के लिए अप्रयोज्य है।
- खातों के प्रबंधन और तत्संबंधी अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक - ए में दी गई है जो 31 मार्च, 2026 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं;
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं;
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों की लेखा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन्हें उचित रूप से व्यवहृत किया गया है; और
- हमारे अभिमत में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नगदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, भारिबैं द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 000346N

(सीए. प्रतीक गुप्ता)

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001466N

(सीए गुरनीत सिंह भान)



साझेदार एम. नं. 566023 यूडीआईएन: 26566023WYNGEH9733	साझेदार एम. नं. 532675 यूडीआईएन: 26532675YNDAWF6678
कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 000734C (सीए अभिजीत गुप्ता) साझेदार एम. नं. 454850 यूडीआईएन: 26454850VQLEWE3778	कृते एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 110100W (सीए शरत के शेठे) साझेदार एम. नं. 132775 यूडीआईएन: 26132775QKDBTN9395

दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(पंजाब एण्ड सिंध बैंक की सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 13 (e) के अंतर्गत "अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

हमने, संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("बैंक") की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा से संयोजन में 31 मार्च, 2026 को बैंक की वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जिसमें चयनित बैंक शाखाओं की वित्तीय विवरणियों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा जो "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाए हुए था। इस उत्तरदायित्व में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों द्वारा यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की यथासमय उपक्रम भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणी के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एसए), प्रयोज्य सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त निर्देशन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणी के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे सभी नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से परिचालित है।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणी के संबंध में

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई महत्वपूर्ण दोष विद्यमान है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय विवरणी के संबंध में किसी बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी तैयार करने के प्रयोजन से अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय विवरणी के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो (1) उन अभिलेख के रखरखाव से संबंधित हैं जो पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों के संव्यवहार और निपटान को यथार्थतः व निष्पक्ष रूप में दर्शाते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय, बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) बैंक आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपभोग या निपटान की रोकथाम या यथासमय पता लगाने के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे जिनका वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर हावी होने सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिमों के अधीन है कि वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर न्यून हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आलोक के आधार पर बैंक ने वित्तीय विवरणी के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण पक्षों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, “भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मापदंड” के आधार पर 31 मार्च, 2026 को प्रभावी रूप से कार्यरत है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक 441 शाखाओं और 47 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N (सीए. प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम. नं. 566023 यूडीआईएन: 26566023WYNGEH9733	कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466N (सीए गुरनीत सिंह भान) साझेदार एम. नं. 532675 यूडीआईएन: 26532675YNDAWF6678
कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 000734C (सीए अभिजीत गुप्ता) साझेदार एम. नं. 454850 यूडीआईएन: 26454850VQLEWE3778	कृते एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 110100W (सीए शरत के शेठे) साझेदार एम. नं. 132775 यूडीआईएन: 26132775QKDBTN9395

दिनांक : 27 अप्रैल, 2026

स्थान : नई दिल्ली



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2026 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		₹	₹
पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची संख्या	31.03.26 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]
पूंजी	1	7,09,55,852	7,09,55,852
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	7,03,68,290	6,25,91,713
जमा राशियां	3	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
उधार	4	16,35,23,262	14,22,95,201
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	2,95,65,591	4,45,68,695
कुल		1,79,27,03,109	161,81,51,680
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	6	6,22,95,437	8,79,38,011
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	6,97,120	2,62,630
निवेश	8	49,38,84,725	46,91,23,086
अग्रिम	9	1,15,91,17,436	97,29,99,019
अचल आस्तियां	10	1,86,20,078	1,79,82,518
अन्य आस्तियां	11	5,80,88,313	6,98,46,416
कुल		1,79,27,03,109	1,61,81,51,680
आकस्मिक देयताएं	12	8,62,81,110	5,33,50,334
वसूली के लिए बिल		1,29,60,170	86,48,798
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18 के प्रपत्र, तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं			



अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
निदेशक

जितेन्द्र असाठी
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

विवेक श्रीवास्तव
निदेशक

राजीवा
कार्यपालक निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001466N

(सीए प्रतीक गुप्ता)
साझेदार
एम. सं. 566023
यूडीआईएन: 26566023WYNGEH9733

(सीए गुरनीत सिंह भान)
साझेदार
एम. सं. 532675
यूडीआईएन: 26532675YNDAWF6678

कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 000734C

कृते एनबीएस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 110100W

(सीए अभिजीत गुप्ता)
साझेदार
एम.सं. 454850
यूडीआईएन: 26454850VQLEWE3778

(सीए शरत के शेठे)
साझेदार
एम.सं. 132775
यूडीआईएन: 26132775QKDBTN9395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अप्रैल, 2026



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

			₹	₹
			31.03.26 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	11,98,15,018	11,48,13,003
	अन्य आय	14	1,77,77,968	1,56,76,508
	कुल		13,75,92,986	13,04,89,511
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15	8,17,00,876	7,69,76,410
	परिचालन व्यय	16	3,40,74,699	3,27,63,879
	आकस्मिक व्यय एवं प्रावधान		85,98,069	1,05,90,913
	कुल		12,43,73,643	12,03,31,202
III.	लाभ/हानि			
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (-)		1,32,19,342	1,01,58,309
	पिछला अग्रानीत लाभ/हानि (-)		1,90,77,844	1,39,45,575
	कुल		3,22,97,186	2,41,03,884
	प्रति शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (ईपीएस)		1.86	1.50
IV.	विनियोजन			
	अंतरण :			
	सांविधिक आरक्षित निधि		33,10,000	25,40,000
	पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		2,24,277	3,60,626
	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		0	0
	कर्मचारी कल्याण न्यास		50,000	25,000
	निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियां		1,59,637	7,24,487
	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		38,417	20,370
	लाभांश		4,96,691	13,55,557
	शेष को तुलन पत्र में ले जाया गया		2,80,18,164	1,90,77,844
	कुल		3,22,97,186	2,41,03,884
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	खातों पर टिप्पणियां	18		
	ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां, लाभ और हानि खाते का अभिन्न भाग हैं।			



अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
निदेशक

जितेन्द्र असाठी
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

विवेक श्रीवास्तव
निदेशक

राजीवा
कार्यपालक निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001466N

(सीए प्रतीक गुप्ता)
साझेदार
एम. सं. 566023
यूडीआईएन: 26566023WYNGEH9733

(सीए गुरनीत सिंह भान)
साझेदार
एम. सं. 532675
यूडीआईएन: 26532675YNDAWF6678

कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 000734C

कृते एनबीएस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 110100W

(सीए अभिजीत गुप्ता)
साझेदार
एम. सं. 454850
यूडीआईएन: 26454850VQLEWE3778

(सीए शरत के शेट्टे)
साझेदार
एम. सं. 132775
यूडीआईएन: 26132775QKDBTN9395

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अप्रैल, 2026



(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 1-पूंजी	31.03.26 तक	31.03.25 तक
		[लेखा परीक्षित]	[लेखा परीक्षित]
	प्राधिकृत पूंजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10 के 1000,00,00,000 शेयर (विगत वर्ष 1000,00,00,000)	10,00,00,000	10,00,00,000
		10,00,00,000	10,00,00,000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी:		
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10/- के 7,09,55,85,220 शेयर (विगत वर्ष 7,09,55,85,220) [केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹10/- के 6,65,90,51,093 (विगत वर्ष 6,65,90,51,093) शेयर सहित]	7,09,55,852	7,09,55,852
	कुल	7,09,55,852	7,09,55,852
	अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
I.	सांविधिक आरक्षित निधियां		
	अधिशेष	1,97,66,906	1,72,26,906
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	33,10,000	25,40,000
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग I	2,30,76,906	1,97,66,906
II.	पूंजी आरक्षित निधियां:		
	a. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (अचल आस्तियां):		
	अधिशेष	1,06,34,585	1,06,63,859
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	(29,274)	(29,274)
	उप-योग II.a	1,06,05,311	1,06,34,585
	b. पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		
	अधिशेष	81,12,086	77,51,460
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,24,277	3,60,626
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग II.b	83,36,363	81,12,086
III.	शेयर प्रीमियम :		
	अधिशेष	4,01,86,316	3,13,19,785
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,313	90,15,952
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	(1,49,421)
	उप-योग III	4,01,92,629	4,01,86,316
IV.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि		
	a). सामान्य आरक्षित निधि		

	अथशेष	(4,19,32,575)	10,89,003
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	3,33,218
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	(10,58,044)	(4,33,54,796)
	उप-योग IV.a	(4,29,90,619)	(4,19,32,575)
	b). राजस्व आरक्षित निधि:		
	अथशेष	4,89,777	4,60,503
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	29,274	29,274
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	(84,515)	0
	उप-योग IV.b	4,34,536	4,89,777
	c). धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि:		
	अथशेष	21,08,118	21,08,118
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV.c	21,08,118	21,08,118
	d). निवेश आरक्षित निधि		
	अथशेष	0	3,33,218
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	(3,33,218)
	उप-योग IV.d	0	0
	e). निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
	अथशेष	33,82,467	26,57,980
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,59,637	7,24,487
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV.e	35,42,104	33,82,467
	f). बिक्री के लिए उपलब्ध आरक्षित निधि		
	अथशेष	7,66,189	0
	योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	7,66,189
	कम : वर्ष के दौरान कटौती	(37,21,411)	0
	उप-योग IV.f	(29,55,222)	7,66,189
V.	लाभ एवं हानि खाते में शेष	2,80,18,164	1,90,77,844
	कुल [I से V]	7,03,68,290	6,25,91,713
	अनुसूची 3 – जमाराशियां		
A	I. मांग जमाराशियां		
	i. बैंकों से	12,19,911	16,19,593
	ii. अन्य से	6,45,51,042	5,30,97,327
	II. बचत बैंक जमाराशियां	38,29,89,296	35,31,82,469



	III. आवधिक जमाराशियां		
	i. बैंकों से	1,67,40,720	1,12,22,449
	ii. अन्य से	99,27,89,145	87,86,18,381
	कुल [I + II + III]	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
B	i. भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
	ii. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	0	0
	कुल	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
	अनुसूची 4 - उधार		
	I. भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	2,40,00,000	2,35,00,000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	9,71,50,262	7,64,22,201
	iv) गौण ऋण	1,23,73,000	1,23,73,000
	v) दीर्घकालिक बुनियादी संरचना बांड	3,00,00,000	3,00,00,000
	II. भारत के बाहर से उधार राशियां	0	0
	कुल [I व II]	16,35,23,262	14,22,95,201
	उपरोक्त I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	12,11,50,262	9,99,22,201
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
	I. देय बिल	34,93,494	27,57,975
	II. अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	0	1,44,01,296
	III. प्रोदभूत ब्याज	1,09,39,778	1,16,68,698
	V. अन्य (प्रावधान सहित)**	1,51,32,319	1,57,40,726
	कुल	2,95,65,591	4,45,68,695
** इसमें ₹912.00 करोड़ के मानक अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधान शामिल है [विगत वर्ष : ₹686.16 करोड़]			
	अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		
	I. हाथ में नगदी [विदेशी मुद्रा नोट सहित]	27,19,881	22,65,552
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष		
	i) चालू खातों में	4,45,75,556	5,22,72,459
	ii) अन्य खातों में	1,50,00,000	3,34,00,000
	कुल [I व II]	6,22,95,437	8,79,38,011
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि		
	I. भारत में		
	i) बैंकों के पास शेष राशि		
	a) चालू खातों में	74,901	13,644

	b) अन्य जमा खातों में	0	0
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि		
	a) बैंकों के पास	0	0
	b) अन्य संस्थाओं के पास	0	0
	उप-योग [I]	74,901	13,644
	II. भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	6,22,219	2,48,985
	ii) अन्य जमा खातों में	0	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	0	0
	उप-योग [II]	6,22,219	2,48,985
	कुल [I व II]	6,97,120	2,62,630
	अनुसूची 8 - निवेश		
	I. भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां **	34,91,52,747	33,10,69,473
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
	iii) शेयर	45,95,018	38,79,606
	iv) डिबेंचर तथा बॉण्ड	13,20,13,446	12,41,45,091
	v) सहायक इकाइयां, तथा/या संयुक्त उद्यम	0	0
	vi) अन्य :		
	a) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें	77,05,779	86,65,078
	b) यूटीआई की इकाई, अन्य म्यूचुअल फंड/ वीसी	4,17,735	13,63,838
	उप-योग [I]	49,38,84,725	46,91,23,086
	II. भारत के बाहर निवेश	0	0
	कुल [I + II]	49,38,84,725	46,91,23,086
	भारत में निवेश		
	सकल मूल्य	50,12,70,166	47,69,38,881
	मूल्य हास का प्रावधान	(73,85,441)	(78,15,796)
	शुद्ध निवेश	49,38,84,725	46,91,23,086
** इनमें दिनांक 31.06.2026 को ₹6,480.41 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं [अंकित मूल्य ₹6,419.15 करोड़], विगत वित्तीय वर्ष यह ₹4989.86 करोड़ [अंकित मूल्य ₹5026.75 करोड़] था।			
	अनुसूची 9 - अग्रिम		
A	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	3,43,73,768	2,20,21,405
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	33,03,78,353	35,46,87,764
	iii) मीयादी ऋण	79,43,65,315	59,62,89,850



	कुल	1,15,91,17,436	97,29,99,019
B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिमों सहित)	90,32,21,158	74,40,81,509
	ii) बैंक/ सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	12,75,01,470	13,57,65,798
	iii) अप्रतिभूत	12,83,94,808	9,31,51,712
	कुल	1,15,91,17,436	97,29,99,019
C	I. भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	43,90,16,040	35,23,84,095
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	21,94,43,673	21,07,97,872
	iii) बैंक	1,01,22,818	99,99,972
	iv) अन्य	49,05,34,905	39,98,17,080
	कुल	1,15,91,17,436	97,29,99,019
C	II. भारत के बाहर अग्रिम	0	0
	कुल (C I व II)	1,15,91,17,436	97,29,99,019
	अनुसूची 10 – अचल आस्तियां		
	I. परिसर		
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	48,81,892	42,15,080
	पुनर्मूल्यन के कारण लागत-वृद्धि	1,08,48,051	1,08,48,051
	उप-योग	1,57,29,943	1,50,63,131
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत	94,128	6,66,812
	पुनर्मूल्यन लागत	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां		
	वास्तविक लागत	0	0
	पुनर्मूल्यन लागत	0	0
	इस तिथि तक घटाए गए मूल्यहास		
	वास्तविक लागत	(7,76,350)	(6,43,868)
	पुनर्मूल्यन लागत	(2,42,739)	(2,13,466)
	कुल-I	1,48,04,982	1,48,72,609
	II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)		
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	1,24,65,148	1,15,18,350
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,91,905	10,36,357

वर्ष के दौरान कटौतियां	(97,278)	(89,558)
इस तिथि को मूल्यहास	(1,10,88,108)	(95,49,125)
कुल II	35,71,667	29,16,024
III. निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)	2,43,429	1,93,885
कुल I, II व III	1,86,20,078	1,79,82,518
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां		
I. अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	65,038	0
II. प्रोदभूत ब्याज	90,45,910	79,58,520
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	51,17,121	48,92,985
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	43,823	47,755
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां	0	0
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	1,12,70,045	1,29,85,172
VII. अन्य*	3,25,46,376	4,39,61,984
कुल	5,80,88,313	6,98,46,416
*इसमें आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड में रखी गई ₹1,389.58 करोड़ की जमा राशि शामिल है। [पिछले वर्ष ₹1,368.64 करोड़]		
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
I. बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	3,982	7,179
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	2,09,731	3,01,961
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	1,44,76,130	1,27,55,101
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
a) भारत में	4,17,99,629	2,50,26,759
b) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1,07,32,900	27,38,100
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	1,90,58,738	1,25,21,234
कुल	8,62,81,110	5,33,50,334

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.03.26 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. ब्याज/ अग्रिम राशि पर छूट/ बिल	8,58,05,951	8,15,77,381
II. निवेशों पर आय	3,30,85,970	3,22,49,100
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1,60,268	1,70,256
IV. अन्य	7,62,829	8,16,266



कुल	11,98,15,018	11,48,13,003
अनुसूची 14 - अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	16,11,911	13,53,917
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ [₹10,29,343 हजार की निवल हानि, विगत वर्ष: ₹92,723 हजार]	40,60,432	31,71,891
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) [₹13,86,051 हजार की निवल हानि, विगत वर्ष: ₹2,71,993 हजार]	(11,48,615)	5,74,250
IV. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) [₹3,004 हजार की निवल हानि, विगत वर्ष: ₹4,571 हजार]	(1,577)	(1,975)
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ [₹768 हजार की निवल हानि, विगत वर्ष: ₹460 हजार]	2,10,508	2,02,216
V. विविध आय	1,30,45,309	1,03,76,209
कुल	1,77,77,968	1,56,76,508
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	7,29,03,458	7,07,79,439
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	19,23,650	25,60,396
III. अन्य	68,73,768	36,36,575
कुल	8,17,00,876	7,69,76,410
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कार्मिकों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	2,06,93,485	2,08,84,841
II. किराया, कर और बिजली	15,81,175	14,69,047
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,29,551	1,26,359
IV. विज्ञापन और प्रचार	1,97,367	1,14,628
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	17,69,926	14,50,846
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	6,144	6,555
VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	1,24,559	1,25,385
VIII. विधिक प्रभार	1,89,138	1,75,294
IX. डाक, तार, दूरभाष इत्यादि	5,91,965	5,44,212
X. मरम्मत एवं रखरखाव	6,25,373	3,69,368
XI. बीमा	18,57,591	18,81,249
XII. अन्य व्यय	63,08,425	56,16,096
कुल	3,40,74,699	3,27,63,879

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

A. पृष्ठभूमि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (पीएसबी या बैंक), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े निगमों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का कार्य कर रहा है। यह बैंक, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है।

B. उपक्रम का आधार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("बैंक") के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत व्यवसाय के अंतर्गत, लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, चालू चिंता के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूर्त पहलुओं में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, **वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।** वे भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी), वैधानिक प्रावधान, निर्धारित नियामक मानदंड और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक भारत में बैंकिंग उद्योग में बैंक और प्रचलित मान्यताओं के लिए प्रासंगिक और लागू होने के अनुरूप हैं।

C. प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आकलन करने और धारणाओं को सृजित करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणियों की तिथि अनुसार आस्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की प्रतिवेदित राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु प्रतिवेदित आय और व्यय को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। आकलनों में किसी भी संशोधन या वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात/ मूर्त होते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

D. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

राजस्व निर्धारण

- 1.1. जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय (पैराग्राफ 1.2 में उल्लिखित मद के अलावा) और व्यय को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 1.2. शुल्क के रूप में आय, सभी कमीशन (सरकारी व्यवसाय और म्यूचुअल फंड सहित अन्य पक्ष के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी और साख पत्रों पर कमीशन, लॉकर किराया, विभिन्न जमा उत्पादों पर सेवा शुल्क, धन अंतरण सेवाएं, शेयरों पर लाभांश, खरीदे गए और भुनाए गए अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, म्यूचुअल फंड उत्पादों की इकाइयों से आय और कार्ड के लिए एएमसी प्रभार सहित एटीएम परिचालन के आय की प्राप्ति की गणना की जाती है।
- 1.3. आयकर प्रतिदान पर ब्याज उस वर्ष में लगाया जाता है जिस वर्ष में बैंक को आदेश प्राप्त होता है।
- 1.4. एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन-
 - 1.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल हैं, वसूली के आधार पर निर्धारित है।
 - 1.4.2 गैर निष्पादित आस्तियों (अनुच्छेद 1.4.3 में वर्णित के अतिरिक्त) में आंशिक वसूली निम्नानुसार होगा
 - a. वसूली के लिए बैंक द्वारा किए गए व्यय/ जेब से किए गए खर्च /प्रभार
 - b. उसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपार्जित ब्याज
 - c. खाते में बकाया मूल अनियमितताएं यानी एनपीए
 - 1.4.3 एनसीएलटी के माध्यम से समझौता, समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी/ जीईसीएल/ सीजीएमएफ्यू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।
 - 1.4.4 वाद दायर किए जाने/निर्णय आने की स्थिति में, वसूली निम्नानुसार की जाएगी:

- a. संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार।
- b. इस संबंध में न्यायालय से विशेष निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर पैरा 1.4.3 में उल्लेख किया गया है, प्रभावी होगा।
- 1.5 A. मानक खातों में वसूली का विनियोजन: मानक खातों में वसूली का विनियोजन निर्धारित की गई मांग की तिथि के अनुसार किया जाता है और सबसे प्रारंभिक मांग निम्नलिखित क्रम में पूरी की जाती है-
 - a. बैंक द्वारा लागतों/प्रभारों/व्ययों हेतु भुगतान या वहन की गई।
 - b. तत्पश्चात बैंक को देय ब्याज/अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो।
 - c. मूल राशि के भुगतान के लिए।
- B. कार्मिक अग्रिम (आवास और वाहन) के मामले में, मानक खातों में वसूली का विनियोजन मांगों के उत्पन्न होने की तिथि के अनुसार किया जाता है और सबसे पहले मांग का समाधान निम्नलिखित क्रम में किया जाता है-
 - a. बैंक द्वारा भुगतान किए गए लागत/प्रभार/व्यय
 - b. मूलधन राशि के भुगतान
 - c. इसके उपरान्त बैंक को ब्याज/अतिरिक्त ब्याज यदि कोई देय हो
- 1.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक खातों पर प्रायोजित ब्याज की दर पर की जाती है।
- 1.7 टीयर -II पूंजी जुटाने हेतु बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को पाँच वर्ष की अवधि हेतु बट्टे खाते में रखे जाने वाले स्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।
- 1.8 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।
- 1.9 कॉम्प्रोमाइज़्ड खातों पर छूट का लेखा-जोखा खाते के पूर्ण और अंतिम समायोजन के समय किया जाता है।
- 1.10 बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को वसूल किए गए वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाता है।
- 1.11 पीएसएलसी की खरीद/बिक्री पर अर्जित प्रीमियम का भुगतान/अर्जित किया जाता है।
- 1.12 कॉरपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश उपार्जन के आधार पर दर्ज किया जाता है, बशर्ते कि कारपोरेट निकायों द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरों पर लाभांश घोषित किया गया हो और लाभांश प्राप्त करने के लिए स्वामित्व का अधिकार।

2. निवेश

आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश संविभागों का संचालन, वर्गीकरण और मूल्यांकन का लेखांकन किया जाता है।

2.1 वर्गीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में, निवेश संविभाग को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) अर्थात् -

2.1.1 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारण करने का इरादा रखता है, अर्थात्, वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है और प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') किया जाता है।

2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) : प्रतिभूतियाँ जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने या दोनों उद्देश्य से प्राप्त की जाती हैं और प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं। बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता के अनुसार, बैंक इक्विटी उपकरण को जिसे व्यापार के उद्देश्य से नहीं रखा गया है, के वर्गीकृत हेतु अपरिवर्तनीय चुनाव किया जाता रहा है। एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का उद्देश्य उसे परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है, उसके बावजूद उनके एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण होने के पात्र नहीं होंगे:

- i) अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले उपकरण।
- ii) बेसल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत टीयर -I और टीयर -II के लिए अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने वाले जैसे कि संविदात्मक हानि, अवशोषण विशेषताओं वाले उपकरण।
- iii) ऐसे उपकरण जिनके कूपन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभागों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 के खंड 4(a) (xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के अनुसार नहीं हैं।
- iv) अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर।

2.1.3 लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर निवेश हेतु अलग उप श्रेणी के रूप में शामिल किया है -

वे प्रतिभूतियां एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- इक्विटी शेयर, (a) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (b) इक्विटी शेयरों को छोड़कर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता के अनुसार, एएफएस में वर्गीकृत करने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।
- म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधि, रियल एस्टेट निवेश न्यास, आधारभूत संरचना निवेश न्यास आदि में निवेश।
- प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन में इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन हेतु वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेशों के किशतों की समीक्षा की आवश्यकता होगी।
- बॉण्ड डिबेंचर आदि, जहाँ ब्याज दर भुगतान बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है।

2.1.3.1 एचएफटी (ट्रेडिंग के लिए धारित): एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नाम से एक अलग उप-श्रेणी बनाई गई है। निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली प्रतिभूतियों को एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

a) बैंक द्वारा निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए रखे गए किसी भी उपकरण को, जब वह पहली बार अपनी खाता-बहियों में मान्यता प्राप्त करता है, एचएफटी उपकरण के रूप में नामित किया जाएगा।

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय।
- अल्पावधि कीमत हलचल से लाभ कमाना।
- आर्बिट्रिज लाभ को लॉक करना; या
- उपरोक्त (i), (ii) या (iii) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से प्रतिरक्षा।

b) निम्नलिखित उपकरण एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे -

- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश।
- प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण।
- रियल एस्टेट की प्रत्यक्ष स्वामित्व और रियल एस्टेट की प्रत्यक्ष स्वामित्व पर व्युत्पन्नी।
- किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा न करें :
 - बैंक अलग-अलग घटकों के फंड को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे किसी स्वतंत्र अन्य पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है।
 - बैंक निधि के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास निधि के अधिदेश में या ऐसे निवेश निधिओं को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच होती है।
- व्युत्पन्न उपकरण और निधि जिनके उपकरण अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (i) से (iv) तक निर्दिष्ट हैं; या
- ऊपर (i) से (v) तक निर्दिष्ट उपकरणों में किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम को किसी प्रकार से बचाव-व्यवस्था करने के उद्देश्य से रखे गए उपकरण।

2.1.4 श्रेणियों के बीच स्थानांतरण: किसी निवेश को उसकी खरीद के समय उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी।

यदि पुनर्वर्गीकरण किया जाता है (उपर्युक्त बिंदु से अनुमोदन के अनुसार) तो इसे पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू किया जाएगा।

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के संदर्भ में, लेखांकन पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 में निहित निर्देशों के अनुसार होगा।

2.1.5 तुलन पत्र में प्रकटीकरण हेतु, उपरोक्त वर्गीकरण के अंतर्गत निवेश को भारत में तथा भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर
- डिबेंचर और बॉण्ड

- v. अनुषांगिक इकाईयां/संयुक्त उपक्रम तथा
 - vi. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)
- भारत से बाहर निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-
- i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)
 - ii. अनुषांगिक इकाईयां/संयुक्त उपक्रम तथा
 - iii. अन्य निवेश

2.2 निवेशों का लेखा-जोखा:

2.2.1 सभी प्रतिभूतियों के लेनदेन निपटान तिथि के दिन दर्ज किए जाते हैं, अर्थात् किसी आस्तियों की पहचान उस दिन से की जाती है जिस दिन वह इकाई द्वारा प्राप्त की जाती है तथा किसी आस्तियों की मान्यता रद्द करना और निपटान पर किसी लाभ या हानि की पहचान, उस दिन की जाती है जिस दिन वह इकाई द्वारा वितरित की जाती है।

2.2.2 अधिग्रहण की लागत: लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है। सदस्यता हेतु प्राप्त ब्रोकरेज/ कमीशन को लागत से घटा दिया जाता है। निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को पूर्व में ही व्यय किया जाता है और इसे लागत के अतिरिक्त रखा जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज, अर्थात् ऋण उपकरणों पर खंडित अवधि ब्याज को अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है तथा उसे ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है।

2.3 मूल्यांकन:

2.3.1 प्रारंभिक मान्यता : प्रारंभिक मान्यता के अनुसार सभी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसी स्थितियाँ जहाँ प्रकल्पना का परीक्षण किया जाना है, उनमें शामिल हैं:

- (a) लेनदेन संबंधित पक्षों के बीच है।
- (b) लेनदेन दबाव में हो रहा है, जहाँ एक पक्ष को लेनदेन में कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- (c) उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए लेनदेन मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।
- (d) अन्य स्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की आवश्यकता होती हैं।
 - 1) आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), अंतरण परिचालन और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।
 - 2) जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की गई हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि वृद्धि वक्र, ऋण प्रसार आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन के लाभ/हानि को अनुसूची 14 के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी: 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' उपशीर्षक के अंतर्गत 'अन्य आय', जैसा भी मामला हो।
 - 3) लेवल 3 निवेशों के माध्यम से किसी भी दिन होने वाले 1 हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।
 - 4) लेवल 3 निवेशों के माध्यम से किसी भी दिन होने वाले 1 लाभ को स्थगित कर दिया जाएगा।

ऋण साधनों के मामले में, 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

2.3.2 अनुवर्ती माप

2.3.2.1 एचटीएम

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा (एमटीएम)। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम उपकरण के शेष जीवन के अनुसार परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में: अनुसूची 8 में 'अर्जित ब्याज' प्रतिपक्षी के साथ: 'निवेश दर्शाई जाएगी।

2.3.2.2 एएफएस

- यदि अधिक बार नहीं हो सके तो भी एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट प्रीमियम उपकरण के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। वित्तीय विवरणों में परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत: 'निवेश' अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में अनुबंध के साथ दर्शाई जाएगी।
- एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी प्रदर्शनकारी निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर आदि) को एकत्रित किया जाएगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास 11 को लाभ और हानि खाते के माध्यम से हस्तांतरित किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व नामक रिजर्व खाते में जमा या नामे किया जाएगा।
- एएफएस-रिजर्व में हस्तांतरित अप्राप्त लाभ किसी भी वितरण जैसे कि अतिरिक्त टीयर -I पर लाभांश और कूपन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- एएफएस श्रेणी में किसी ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/ हानि को एएफएस रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।
- प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी साधनों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.3.2.3 एफवीटीपीअल

- एफवीटीपीअल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाएगा। एफवीटीपीअल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीअल में अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा, यदि अधिक बार-बार नहीं किया जाता है।
- एफवीटीपीअल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी: निवेश' पर 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 के प्रतिपक्षी।

2.3.3 एचटीएम में निवेश की बिक्री

- एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि अनुसूची 14 के मद II 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करें और सांविधिक आरक्षित में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर शुद्ध की जाएगी।

2.3.4 निवेशों का उचित मूल्य

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और एफवीटीपीअल (एचएफटी सहित) और एचटीएम श्रेणियों में शामिल निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से 'बाजार मूल्य/उचित मूल्य' स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड/कोट्स, आरबीआई की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से घोषित कीमतों से उपलब्ध स्क्रिप का बाजार मूल्य है।

गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, 'बाजार मूल्य/उचित मूल्य' निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाता है :

a.	सरकारी प्रतिभूतियां: i. केंद्र सरकार प्रतिभूतियां ii. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) तथा फाइनेंशियल बैचमार्क इंडिया प्रा.वि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित के अनुसार बाजार मूल्य/वाईटीएम पर है। एफआईएमएमडीए/पीडीएआई/एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दरों पर हैं।
b.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड (अग्रिम की प्रकृति के नहीं) द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर।

c.	इक्विटी शेयर i. सूचीबद्ध ii. गैर सूचीबद्ध	i. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन एनएसई और बीएसई की निम्नतम दरों के आधार पर किया जाता है। ii. नवीनतम तुलन पत्र के आधार पर विश्लेषित (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व पर विचार रहित) जो मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां शेयरों का मूल्य ₹1 प्रति कंपनी है।
d.	अधिमानी शेयर	a) जब किसी अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन के भीतर एक्सचेंज में कारोबार किया गया हो, तो उसका मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था। b) गैर उद्धृत अधिमानी शेयर का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए एफबीआईअल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की वाईटीएम दरों पर उचित मूल्यवृद्धि होगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न किया जाए। रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयर को दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यवृद्धि को वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा: (i) भारत सरकार के प्रतिभूति के लिए मूल्यवृद्धि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी। (ii) बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु प्रयुक्त दर समतुल्य परिपक्वता के रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी तथा बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी। (iii) जहां अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के भाग के रूप में किया जाता है, वहां मूल्यवृद्धि 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होगा। c) जहां अधिमानी लाभांश/ कूपन बकाया हैं, वहां उपार्जित लाभांश/ कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए तथा वाईटीएम आधार पर उपर्युक्त रूप से निर्धारित मूल्य पर कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों इत्यादि के लिए है, (अर्थात् 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। मूल्यांकन जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए सर्वोपरि सिद्धांत यह होना चाहिए कि उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे उपकरणों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में जहां लाभांश बकाया है, प्राप्त मूल्यहास/ प्रावधान आवश्यकता, को वरीयता शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध मुआवजा के रूप में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
e.	बॉण्ड तथा डिबेंचर (अग्रिम की प्रकृति का नहीं)	आरबीआई/ एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता उचित वृद्धि के आधार पर।
f.	म्यूचुअल फंड इकाई, उद्यमों हेतु पूंजी निधि तथा प्रतिभूति जमा।	पुनः क्रय-लागत या निवल आस्ति मूल्य पर।

g.	राजकोष, नगद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनर्पूजीकरण बॉण्ड, सहायक, संयुक्त उद्यम तथा प्रायोजित संस्थान	रखाव पर लागत
h.	अन्य निवेश	मूल्य में कम घटाव रखाव पर लागत

2.4 गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

एनपीआई वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, उचित निवेश प्रावधान/ आय के गैर स्वीकरण के अधीन हैं। गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा, बैंक की बहियों में गैर निष्पादित आस्ति है तो उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी गैर निष्पादित निवेश और इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। यद्यपि, अधिमानी शेर के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, संबंधित क्रेडिट सुविधा को गैर निष्पादित आस्ति नहीं माना जाता।

2.5 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित

जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) संविभाग का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए, आईएफआर में से निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके बैंक तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर) बनाएगा:

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
- वर्ष के दौरान अनिवार्य विनियोजन को घटाकर शुद्ध लाभ।

3 ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान

3.1 ऋण और अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर "निष्पादित" और "गैर-निष्पादित" आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे अग्रिमों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं।

3.2 सभी अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।

3.3 आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं जो नीचे उल्लेखित आरबीआई निर्देशानुसार न्यूनतम प्रावधानों के अनुरूप हैं।

आस्तियों का वर्गीकरण	प्रावधान मानदंड
अवमानक	- कुल बकाया पर सामान्य प्रावधान का 15% - ऐसे एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारंभ में अप्रतिभूत हैं (यथा जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभिक रूप से 10% से अधिक नहीं है) - बुनियादी ढांचे के अग्रिमों के संबंध में अप्रतिभूत जोखिम जहां एस्क्रो खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं-20%
संशयात्मक आस्तियां	
सुरक्षित अंश	- एक वर्ष तक : 25% - एक से तीन वर्ष : 40% - तीन वर्षों से अधिक : 100%
असुरक्षित अंश	100%
हानि आस्तियां	100%

3.4 गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त और समायोजन के लिए लंबित दावों, जो विविध खाते में रखे गए आंशिक पुनर्भुगतान, विविध खाते में एनपीए खातों के संबंध में शेष राशि (ब्याज पूंजीकरण - खाते पुनर्गठित) और अस्थायी प्रावधान को घटाने के बाद की शुद्ध राशि हैं।

3.5 गैर निष्पादित आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान "अन्य देनदारियां और प्रावधान" के अंतर्गत शामिल हैं और निवल गैर निष्पादित आस्तियों की गणना हेतु इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.6 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारित अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.7 गैर निष्पादित आस्तियों की बिक्री की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न रूप से की जाती है:

- i जब बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय करता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
- ii यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (यथा बही मूल्य में कम प्रावधान किया गया है) से कम है तो इस कमी को बिक्री के वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किया जाता है।
- iii यदि बिक्री का मूल्य, कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

4 अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों का सृजन करने और उसका उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है।

5 अचल आस्तियां

- 5.1 अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत (पुनर्मूल्यांकित परिसर को छोड़कर जो पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताए गए हैं) घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन के रूप में वर्णित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है और समान राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि से राजस्व और अन्य निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

अचल आस्तियों की लागत में खरीद की लागत और उसके उपयोग में आने तक उस पर किया गया प्रासंगिक व्यय शामिल होता है। आस्तियों पर किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसी आस्तियां या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है।

- 5.2 जहां भूमि और अधिसंरचना के बीच लागत का पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, वहां अधिसंरचना पर लागू दर पर समग्र लागत का मूल्यहास किया जाता है।

- 5.3 स्थायी पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है तथा इनका मूल्यहास नहीं किया जाता।

- 5.4 बैंक प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत एक बार अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यांकन उसके उपरांत प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाता है।

6 अचल आस्तियों पर मूल्यहास

- 6.1 अचल आस्तियों में मूल्यहास आस्तियों के उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर, मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारित किया गया है। उपयोगी अवधि तथा मूल्यहास दर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	उपयोगी जीवनावधि	मूल्यहास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर और जुड़नार	10	9.50%
3	संयंत्र तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

- 6.2 कंप्यूटरों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) का आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% पूर्ण मूल्यहास होता है।

- 6.3 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन का मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, चाहे इसके परिवर्धन की तिथि कुछ भी हो।

- 6.4 ऐसे परिसर की शेष उपयोगी अवधि पर पुनर्मूल्यांकित परिसर का मूल्यहास किया जाता है।

- 6.5 वर्ष के दौरान विक्रय की गई/ निस्तारित आस्तियों का कोई मूल्यहास नहीं किया गया।

- 6.6 पट्टाधारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

7 रोज़गार लाभ

7.1.1 दीर्घकालिक कार्मिक लाभ:

भविष्य निधि और नई पेंशन योजना (उन कार्मिकों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं) परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। उक्त योगदान लाभ और हानि खाते से किया जाता है।

7.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

आईसीएआई द्वारा जारी एस 15 "कार्मिक लाभ" के अनुसार उपदान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण देनदारियां लाभ दायित्व के रूप में परिभाषित हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं को बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और अलग-अलग न्यासों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संबंधित न्यास द्वारा धारित निधि की तुलना में देनदारी की कमी/ अधिकता का वित्तीय वर्ष के अंत में देनदारी/ संपत्ति के रूप में लेखांकन किया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कार्मिक लाभ जैसे सिल्वर जुबली बोनस और सेवानिवृत्ति उपहार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

7.2 अल्पकालिक कार्मिक लाभ

अल्पकालिक कार्मिक लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8 विदेशी विनिमय अंतरण

विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार मौद्रिक आस्तियां एवं देनदारियां, गारंटी, स्वीकृत हुंडिया, अभिलेखन और अन्य दायित्व तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के समान भारतीय मुद्रा में उलथा किए जाते हैं।

8.1 अचल आस्तियों के अतिरिक्त अन्य गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती हैं, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर उलथा की जाती हैं।

8.2 वायदा विनिमय अनुबंधों और बिलों का, प्रचलित विनिमय दरों की तिथि पर परिवर्तन किया जाता है। बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंधों और बिलों का परिवर्तन एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित दरों पर तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/ हानि को राजस्व में लिया जाता है।

8.3 आय और व्यय मदों का अंतरण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर अभिलिखित किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं की उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर सृजित विनिमय अंतर, जिस पर वे आरंभ में लेखांकित किए गये थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें वे सृजित होते हैं।

मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में बदलाव के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है तथा ऐसे लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते के रूप में माना जाता है।

8.4 विदेशी मुद्राओं में गारंटियों और क्रेडिट पत्र सहित स्वीकृत हुंडियों, अनुमोदनों और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देनदारियों को अनुमानित दरों के समय लेखांकन प्रस्तुत करने वाले संग्रहण हेतु बिलों के अतिरिक्त एफईडीएआई अंतिम हाजिर दरों का उपयोग करके तुलन पत्र की तिथि में रिपोर्ट किया जाता है।

9 आयकर

आयकर व्यय न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित, जहां प्रयोज्य हो तथा स्थगित कर सम्मिलित वर्तमान कर की कुल राशि है। आयकर अधिनियम 1961 और आईसीएआई द्वारा जारी आयकर के लिए एस 22 लेखांकन के मानकों के अनुसार जहां भी लागू हो वर्तमान कर और स्थगित कर का निर्धारण किया जाता है।

वर्तमान कर का निर्धारण वर्ष के लिए देय कर की राशि के रूप में किया जाता है और तदनुसार कर का प्रावधान किया जाता है।

समयांतर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थगित कर आस्तियां और देनदारियां जो आगामी अवधि में निरसन करने में सक्षम हैं, उन्हें कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। स्थगित कर आस्तियों को तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो।

एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में केवल तब तथा उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है यदि इसके ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

10 आस्तियों की क्षति

यदि आस्तियों का किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे आईसीएआई द्वारा जारी आस्तियों की हानि पर एस 28 के अनुसार मान्यता दी जाती है और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है। आस्तियों को वहन करने की लागत की प्रत्येक तुलन पत्र में समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर क्षति का कोई संकेत प्राप्त होता है तो क्षति को तब स्वीकार किया जाता है यदि किसी आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि आस्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक है। प्रचलित मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

क्षति के पश्चात, आस्ति की संशोधित वहन लागत पर उसकी शेष प्रयोगशील अवधि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, यदि कोई हो। परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त क्षति की हानि बढ़ या व्युत्क्रमित हो जाती है। यद्यपि व्युत्क्रमण के पश्चात वहन लागत को उस वहन लागत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जो कि किसी प्रकार की क्षति न होने पर सामान्य मूल्यहास प्रभारित कर प्रचलित होता है।

11 खंड अभिलेखन

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी गई है। चूंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा/परिचालन नहीं है इसलिए कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

12 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को तभी स्वीकृति प्रदान करता है यदि किसी विगत प्रसंग के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, यह संभव है कि एक बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों की आवश्यकता होगी और उस समय दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता को तब तक उद्घाटित किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूर-दूर तक न हो।

इसके अतिरिक्त, हालांकि जो मामले बैंक के विरुद्ध दायर किए गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में बैंक पर कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया जाएगा।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। चूंकि इसके परिणामस्वरूप आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी प्राप्य नहीं हो सकती।

13 पट्टा

परिचालन पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान को भौतिकता की अवधारणा पर विचार करते हुए पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

14 प्रति शेयर आय

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत एवं तनुकृत आय की रिपोर्ट करता है। अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की गई है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना की गई है।

अनुसूची 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

A) बहियों का शेष मिलान एवं समाधान

- i. कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान/समाधान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- ii. अंतर शाखा खातों (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट एवं क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान, सीबीएस प्रणाली से पूर्व का है। दिनांक 31.03.2026 तक समायोजन (पुरानी बकाया प्रविष्टियां सहित) कर लिया गया है तथा समाधान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- iii. देय ड्राफ्टों, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस/ एनएफटी (उचंत) का समाधान कार्य प्रक्रियाधीन है। आरबीआई नियमानुसार प्रावधान किए गए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक नोस्ट्रो खातों का समाधान कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, उपरोक्त अनुच्छेद (i) से (iii) का, लाभ एवं हानि खातों और तुलन-पत्र पर प्रभाव, यदि कोई हो, यद्यपि मात्रात्मक नहीं है, भौतिक नहीं होगा।

- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार दिनांक 30.09.2025 तक की अवधि तथा दिनांक 31.03.2026 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है, अतः प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- v. दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावाकृत जमा खाता (नया अवरुद्ध खाता) में बकाया ₹36132(₹1889 की पुनर्मूल्यांकन राशि सम्मिलित है) की क्रेडिट प्रविष्टियां 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डीईएफ खाते में अंतरित कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग, तिमाही आधार पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी असमाधानित प्रविष्टियों को डीईएफ खाते में अंतरित करता है।

दिनांक 31.03.2026 तक अवरुद्ध अदावाकृत जमा खाते(नए अवरुद्ध खाते) में कोई बकाया प्रविष्टियां नहीं है।

- B) दिनांक 31.03.2026 तक बैंक की 3 संपत्तियों, जिनका मूल मूल्य 332.43 करोड़ और पुनर्मूल्यांकित मूल्य (सकल) ₹354 करोड़ तथा मूल मूल्य का संचित मूल्यहास ₹52.25 करोड़ है तथा उसपर पुनर्मूल्यांकित लागत ₹2.87 करोड़ है, उनके संबंध में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूर्ण की जानी शेष है। (विगत वर्ष बैंक की 2 संपत्तियां जिनकी मूल लागत ₹2.87 करोड़ और पुनर्मूल्यांकन राशि ₹74.23 करोड़ थी)।



1. नियामक पूंजी

a) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)*	13002.02	11789.78
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	0.00	0.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	13002.02	11789.78
iv)	टियर 2 पूंजी	1220.31	1368.81
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	14222.33	13158.59
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	81653.80	75602.31
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)*	15.92	15.59
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	15.92	15.59
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	1.49	1.81
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.42	17.41
xi)	लीवरेज अनुपात	6.96	7.03
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	93.85	93.85
xiii)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	1219.39
xiv)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि	0.00	0.00

*पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार करने के पश्चात ज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव को 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजी निधि का निर्धारण करने में शामिल किया गया है।

- बैंक ने 27 मार्च, 2025 को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹1219.39 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई है। बैंक ने ₹28.37 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 प्रति शेयर के 31,77,98,773 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटित किए हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 तक बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता घटकर 93.85% रह गई है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में कोई बॉण्ड नहीं जुटाए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जुटाए गए बॉण्ड का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रृंखला	प्रकार	आईएसआईएन	जारी करने की तिथि	अवधि	राशि (करोड़ में)	कूपन दर (%)	परिपक्वता-पूर्व मोचन की तारीख
1	दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्ड	INE608A08058	20.12.2024	10 वर्ष	3000	7.74	लागू नहीं

- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बॉण्ड नहीं भुनाया है।

b) आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि से दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये की राशि (वित्त वर्ष 31.03.2025 तक शून्य रुपये) आहरित की गई है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

a) दिनांक 31.03.2026 तक आस्ति एवं देयता की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ में)

परिपक्वता प्रकार (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	आस्तियां
1 दिन	1690.40	1136.01	0.00	0.00	360.99	14.97
2 - 7 दिन	857.92	1319.39	97.50	4624.69	16.88	0.82
8 - 14 दिन	479.17	683.69	784.94	0.00	21.74	3.70
15 - 30 दिन	839.05	4088.08	164.46	1000.00	39.44	8.41
31 दिन से 02 माह	4423.81	2184.78	453.55	0.00	112.59	26.84
2 माह से अधिक और 3 माह तक	10409.76	3819.05	264.88	0.00	94.02	12.44
3 माह से अधिक और 6 माह तक	20286.39	8406.83	1030.00	1200.00	114.82	27.54
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	48802.87	11233.40	1087.80	2915.34	0.00	80.82
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	18149.08	46393.17	6293.21	2782.94	0.00	64.04
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2568.90	13505.74	8102.24	770.96	0.00	15.19
5 वर्ष से अधिक	37321.65	23141.60	31109.89	3058.39	2.83	0.00
कुल	145829.01	115911.74	49388.47	16352.32	763.32	254.77

दिनांक 31.03.2025 तक आस्ति एवं देयता की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप:

(राशि करोड़ में)

परिपक्वता प्रकार (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
1 दिन	686.51	694.94	0.00	15.00	58.78	12.77
2-7 दिन	2782.44	1589.24	155.83	4212.39	20.44	2.88
8-14 दिन	700.29	721.62	0.00	32.75	25.43	4.40
15-30 दिन	2097.39	3994.23	293.76	0.00	88.32	16.30
31 दिन से 02 माह	5260.32	2423.25	270.09	37.37	108.17	11.99
2 माह से अधिक और 3 माह तक	5573.62	2129.54	582.45	94.98	87.98	4.56
3 माह से अधिक और 6 माह तक	16347.12	7163.03	865.50	1216.55	74.95	32.31
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	28231.59	8205.97	2169.82	1709.84	1.03	67.97
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	34201.64	38643.44	5624.31	3121.36	0.00	67.34
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5684.89	10626.15	6431.05	784.29	0.00	11.06
5 वर्ष से अधिक	28208.21	21108.49	30519.50	3004.99	0.00	0.00
कुल	129774.02	97299.90	46912.31	14229.52	465.10	231.57

बचत बैंक और चालू जमा का यह वर्गीकरण बोर्ड/एएलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहार स्वरूप पर आधारित है।

a) ਚਲਨਿਧਿ ਕਰਕੇ ਅਨੁਪਾਤ		(ਲਾਭਿ ਕਰੋੜ ਮੈਂ)					
		30.06.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		ਕੁਲ ਅਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)	ਕੁਲ ਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)	ਕੁਲ ਅਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)	ਕੁਲ ਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)	ਕੁਲ ਅਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)	ਕੁਲ ਭਾਰਿਤ ਮੂਲ੍ਯ (ਔਸਤ)
ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲ਼ ਆਸ਼ਿਯਾਂ							
1	ਕੁਲ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲ਼ ਆਸ਼ਿਯਾਂ (ਏਕਸ਼੍ਯੂਲਏ)	30125.74		30905.66		29890.66	30376.67
ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ							
2	ਖੁਦਰਾ ਜਮਾ ਏਵ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਪਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਸੇ ਜਮਾ, ਜਿਨਮੇਂ ਸੇ	87807.56	8730.32	89807.18	8929.69	91794.89	93870.69
(i)	ਸ਼ਿਰ ਜਮਾਰਾਸ਼ਿਯਾਂ	1008.72	50.44	1020.65	51.03	1016.75	1031.88
(ii)	ਕਮ ਸ਼ਿਰ ਜਮਾਰਾਸ਼ਿਯਾਂ	86798.84	8679.88	88786.53	8878.65	90778.14	92838.81
3	ਅਰਥਿਤ ਥੋਕ ਨਿਧਿਯਾਂ, ਜਿਸਮੇਂ ਸੇ	20949.38	11793.03	20586.54	11589.11	19762.43	21477.34
(i)	ਪਰਿਚਾਲਨਾਤ ਜਮਾਰਾਸ਼ਿਯਾਂ (ਸਮੀ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	-	-	-	-	-	-
(ii)	ਗੈਰ-ਪਰਿਚਾਲਨਾਤ ਜਮਾਰਾਸ਼ਿਯਾਂ (ਸਮੀ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	20949.38	11793.03	20586.54	11589.11	19762.43	21477.34
(iii)	ਅਪ੍ਰਲਾਮਤ ਫ਼ਰਾਨ	-	-	-	-	-	-
4	ਪ੍ਰਲਾਮਤ ਥੋਕ ਨਿਧਿਯਨ		0		0		0
5	ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏ, ਜਿਸਮੇਂ ਸੇ	6242.14	1545.42	8089.69	1345.48	9200.39	9146.34
(i)	ਵ੍ਯਾਜ਼ ਜੋਲਿਮੇਂ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ	64.42	64.42	91.15	91.15	97.03	81.70
(ii)	ਬਹਿਰਵਾਹ ਔਰ ਅਨ੍ਯ ਸੰਪਾਥਿਕ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏ						
(iii)	ਫ਼ਰਾਨ ਉਤਪਾਦੋਂ ਪਰ ਨਿਧਿਯਨ ਹਾਨਿ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹਿਰਵਾਹ						
6	ਫ਼ਰਾਨ ਤਥਾ ਚਲਨਿਧਿ ਸੁਵਿਧਾਏ	6177.72	1481.01	7998.54	1254.33	9103.36	9064.64
7	ਅਨ੍ਯ ਸੰਵਿਦਾਗਤ ਨਿਧਿਯਨ ਧਾਮਿਲ	523.27	523.27	536.45	536.45	725.08	512.18
8	ਕੁਲ ਨਕਦੀ ਬਹਿਰਵਾਹ	12793.35	559.42	14076.57	617.94	15943.65	17634.25
ਨਕਦੀ ਅੰਤਰਵਾਹ			23151.46		23018.68		24662.33
9	ਪ੍ਰਲਾਮਤ ਉਧਾਰ (ਧਾ ਰਿਕਸੇ ਰੇਯੋ)	4.92	-	-	-	-	-
10	ਪੂਰਨਤਾ ਕਾਰ੍ਯ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਏਕਸ਼੍ਯੋਜਰ ਸੇ ਅੰਤਰਵਾਹ	2098.99	1095.20	1574.19	925.75	1880.20	19022.22
11	ਅਨ੍ਯ ਨਕਦੀ ਅੰਤਰਵਾਹ	303.34	261.81	377.97	315.86	383.56	452.45
12	ਕੁਲ ਨਕਦੀ ਅੰਤਰਵਾਹ	2407.25	1357.01	1952.16	1241.61	2263.76	2354.66
			ਕੁਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਮੂਲ੍ਯ		ਕੁਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਮੂਲ੍ਯ		ਕੁਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਮੂਲ੍ਯ
13	ਕੁਲ ਏਕਸ਼੍ਯੂਲਏ		30125.74		30905.66		30376.67
14	ਕੁਲ ਨਿਵਲ ਨਕਦੀ ਬਹਿਰਵਾਹ		21794.45		21777.07		23306.10
15	ਚਲਨਿਧਿ ਕ੍ਰਾਧਿ ਅਨੁਪਾਤ (%)		138.23%		141.92%		130.34%

b) चलनिधि कवरेज अनुपात									
		30.06.2024		30.09.2024		31.12.2024		31.03.2025	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एक्यूएलए)		27833.75		27516.08		29069.07		28636.25
नकदी प्रवाह									
2	खुदरा जमा एवं छोटे व्यापारी ग्राहकों से जमा, जिसमें से	80158.31	7974.48	82284.47	8185.39	84664.59	8423.81	85734.90	8527.08
(i)	स्थिर जमा राशियां	826.94	41.35	861.19	43.06	853.05	42.65	928.13	46.41
(ii)	कम स्थिर जमा राशियां	79331.37	7933.14	81423.28	8142.33	83811.54	8381.15	84806.77	8480.68
3	अर्द्धित धोक निधियां, जिसमें से	21441.59	12490.77	20485.29	11798.34	21075.97	11868.40	20996.02	11799.45
(i)	परिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	21441.59	12490.77	20485.29	11798.34	21075.97	11868.40	20996.02	11799.45
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत धोक निधियन		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	1247.83	558.36	1248.23	576.19	5955.32	1350.89	6024.99	1434.40
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबंधित बहिर्वाह और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	151.00	151.00	162.86	162.86	122.39	122.39	103.75	103.75
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	1096.82	407.35	1085.37	413.32	5832.93	1228.50	5921.24	1330.64
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	695.25	695.25	572.65	572.65	504.65	504.65	503.06	503.06
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	13311.51	590.48	12965.82	569.84	12733.35	558.40	12201.37	536.27
8	कुल नकदी बहिर्वाह		22309.33		21702.40		22706.15		22800.26
नकदी अंतर्वाह									
9	प्रत्याभूत उधार (यथा रिवर्स रेफी)	19.14	0	27.29	0	50.22	0	7.25	0
10	पूर्णतया कार्य निष्पादन एक्सपोजर से अंतर्वाह	2074.07	1141.46	2039.93	1054.81	1339.09	799.56	2628.54	1352.95
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	242.22	236.00	308.65	252.33	218.95	211.92	391.37	337.54
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2335.44	1377.46	2375.86	1307.14	1608.26	1011.48	3027.15	1690.49
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एक्यूएलए		27833.75		27516.08		29069.07		28636.25
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह		20931.87		20395.26		21694.67		21109.76
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)		132.97%		134.91%		133.99%		135.65%



डाटा विगत तिमाही के दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना विगत तिमाहियों के दैनिक अवलोकनों के आधार पर की जाती है। अंतर्वाह एवं बहिर्वाह के अभाजित मूल्य की गणना विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की देनदारियों, तुलन पत्र से बाहर की वस्तुओं या संविदात्मक प्राप्तियों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भाजित मूल्य की गणना हेयरकट लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए भाजित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दरों के लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए तथा कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह को समायोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहाँ एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में बताए गए अनुसार लेवल 2B और लेवल 2 परिसंपत्तियों पर दोनों हेयरकट और किसी भी लागू कैप के आवेदन के बाद कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। शुद्ध नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्वाह पर कैप लागू होने के बाद की जाती है, यदि लागू हो।

बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात: एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभाजित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखे, जिन्हें बिना किसी मूल्य हानि के नकदी में आसानी से परिवर्तित किया जा सके, ताकि चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए बैंक की चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक हैं:

- अंश-गणक के रूप में उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- कुल निवल नकदी बहिर्वाह: दबाव की स्थिति में, आगामी 30 कैलेंडर दिनों हेतु कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह में से कुल अपेक्षित अंतर्वाह को विभाजक के रूप में घटाया जाता है।

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा (एलसीआर):

उच्च-गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) $\geq 100\%$ (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी)
आगामी 30 कैलेंडर दिनों पर कुल निवल नकदी बहिर्वाह

मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 100% की नियामक मांग के विपरीत 135.65% था (दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान दैनिक अवलोकन के सामान्य औसत पर आधारित)

बैंक की एलसीआर के मुख्य संचालक उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं जो सदैव बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से आधारभूत वित्तपोषण प्राप्त करती हैं।

- एलसीआर के मुख्य संचालक:

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने समेकित आधार पर ₹30376.67 करोड़ का औसत एचक्यूएलए (हेयरकट के पश्चात) बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों, अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों,



एमएसएफ के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा द्वारा संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के पास संरक्षित नकदी, अतिरिक्त सीआरआर लेवल 1 एचक्यूएलए के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से वाणिज्यिक पत्रों सहित कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां शामिल थीं।

ii) समय के साथ-साथ अवधि के भीतर होने वाले परिवर्तन:

जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026 को समाप्त होने वाले महीनों के लिए एलसीआर क्रमशः 126.61%, 122.87% और 137.15% थी, जबकि नियामक आवश्यकता 100% है।

iii) **उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां(एचक्यूएलए)**

एचक्यूएलए के अंतर्गत लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लेवल2 आस्तियों में उनकी बाजारक्षमता तथा कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, लेवल 2A एवं लेवल 2B में विभाजित किया गया है। मार्च 2026 तिमाही की समाप्ति हेतु एचक्यूएलए का कुल भारित मूल्य(औसत) ₹30376.67 करोड़ है।

एचक्यूएलए में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:

(राशि करोड़ में)

	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
कुल लेवल 1 आस्तियां	30201.59	30201.59
कुल लेवल 2 आस्तियां	189.54	161.11
कुल लेवल 2बी आस्तियां	27.94	13.97
कुल	30419.07	30376.67

निवल नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों (जमा, अप्रत्याभूत एवं प्रत्याभूत थोक उधार) के साथ-साथ अप्रयुक्त प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न-संबंधित जोखिमों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को लागू करके की जाती है जिसे 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा शुद्ध किया जाता है। 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 130.34% है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

iv) निधियन स्रोतों का संकेंद्रण:

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एकल प्रतिपक्ष या संयुक्त या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए सकल रूप से उत्तरदायी होते हैं। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता (जमा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त) हमारी कुल जमा राशियों का 8.92% हिस्से का निर्माण करते हैं जो एएलएम नीति के अनुसार 25% की सीमा के अंतर्गत है।

v) व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक मांग:



व्युत्पन्न एक्सपोज़र को 30 दिनों के भीतर निवल व्युत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। व्युत्पन्न एक्सपोज़र से अंतर्वाह अग्रिम परिपक्वता के कारण उत्पन्न हुआ।

vi) एससीआर में मुद्रा का बेमेल होना

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जबकि एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है, संभावित मुद्रा बेमेल को उच्च स्तरीय रूप से अधिकृत करने हेतु प्रत्येक मुद्रा के अंतर्गत एलसीआर की निगरानी की जानी चाहिए। तदनुसार बैंक, दैनिक आधार पर भारतीय मुद्रा (आईएनआर) में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखता है तथा इसकी तुलना विनियामक आवश्यकता से की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक का किसी अन्य विशेष मुद्रा में जोखिम नहीं है*, अतः एलसीआर को भारतीय मुद्रा हेतु निर्मित किया जाता है।

(*उक्त एक विशेष मुद्रा है जिसमें मुद्रा में नामित कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5% या उससे अधिक होती हैं)

vii) समूह की इकाइयों के मध्य चलनिधि प्रबंधन तथा पारस्परिक विमर्श के केंद्रीकरण के स्तर का विवरण: शून्य

उद्यम-व्यापी आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है। निदेशक मंडल द्वारा अपने दायित्वों को बोर्ड की एक समिति को सुपुर्द किया गया है जिसे "बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति" कहा जाता है। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों और चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच अंतर-संबंधों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

बैंक के समक्ष एएलएम नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके तहत समूह के अंतर्गत सभी संस्थाएं चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ के रूप में परिचालन करती हैं।

एलसीआर की गणना एवं निगरानी बैंक द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है तथा इसे चलनिधि प्रबंधन के लिए कोष/मध्य कार्यालय के साथ साझा किया जाता है तथा निवेश समिति में इस पर चर्चा की जाती है।

इसके अतिरिक्त विगत माह की तुलना के साथ नवीनतम माह के लिए एलसीआर मासिक आधार पर एएलसीओ के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य चलनिधि मापदंडों के साथ एलसीआर स्थिति भी आरएमसी के समक्ष रखी जाती है।

viii) वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2026 के लिए आकस्मिक देनदारियों से उत्पन्न औसत बहिर्वाह (राशि करोड़ में) का विवरण निम्नानुसार है::

विवरण	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
वर्तमान में अप्रयुक्त प्रतिबद्ध ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं	9064.64	1391.28
खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहक	3231.76	161.59
गैर-वित्तीय कारपोरेट, संप्रभु एवं केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - ऋण सुविधाएं	4299.88	429.99
गैर-वित्तीय कारपोरेट, संप्रभु एवं केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - चलनिधि सुविधाएं	560.80	168.24
बैंक	20.68	8.27
अन्य वित्तीय संस्थान (सुरक्षा कंपनिया, बीमा कंपनियों सहित) – ऋण सुविधाएं	547.22	218.89

अन्य वित्तीय संस्थान (सुरक्षा कंपनियां, बीमा कंपनियों सहित) – चलनिधि सुविधाएं	197.35	197.35
अन्य विधिक इकाई ग्राहक	206.95	206.95
अन्य आकस्मिक निधियन देनदारियां	17634.25	761.58
गारंटी, ऋण पत्र तथा व्यापार वित्त	6006.45	180.19
प्रतिसंहरणीय ऋण एवं निधियन सुविधाएं	11627.80	581.39
अन्य	0.00	0.00

उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए के अंतर्गत लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लेवल 2 आस्तियों में उनकी बाजार क्षमता तथा कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, लेवल 2A एवं लेवल 2B में विभाजित किया गया है। मार्च 2026 तिमाही की समाप्ति हेतु एचक्यूएलए का कुल भारित मूल्य (औसत) ₹30376.67 करोड़ है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन का ब्यौरा औसत एचक्यूएलए नीचे दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)	एचक्यूएल में औसत % आयु योगदान
लेवल 1 आस्तियां	
रोकड़ शेष	1.14%
सीआरआर शेष अधिकता	0.09%
न्यूनतम एसएलआर मांग से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	16.33%
एमएसएफ के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	9.10%
बेसल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 0% जोखिम भारित विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां	0.00
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा-एफएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16 प्रतिशत की सीमा तक)	72.76%
कुल लेवल 1 आस्तियां	99.42%
कुल लेवल 2A आस्तियां	0.53%
कुल लेवल 2B आस्तियां	0.05%
एचक्यूएलए का कुल स्टॉक	100.00%

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन का ब्यौरा औसत एचक्यूएलए नीचे दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)	एचक्यूएल में औसत % आयु योगदान
लेवल 1 आस्तियां	
रोकड़ शेष	1.21%
सीआरआर शेष अधिकता	0.27%



न्यूनतम एसएलआर मांग से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	17.80%
एमएसएफ के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	8.90%
बेसल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 0% जोखिम भारित विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां	0.00%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा-एफएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16 प्रतिशत की सीमा तक)	71.20%
कुल लेवल 1 आस्तियां	99.38%
कुल लेवल 2A आस्तियां	0.56%
कुल लेवल 2B आस्तियां	0.06%
एचक्यूएलए का कुल स्टॉक	100.00%

c) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएमएफआर)

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2025	30-06-2025	30-09-2025	31-12-2025	31-03-2026
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	114080.83	116073.10	116393.28	117833.11	127807.50
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	88723.64	87475.85	92214.16	95728.06	100487.60
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	128.58%	132.69%	126.22%	123.09%	127.19%

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2024	30-06-2024	30-09-2024	31-12-2024	31-03-2025
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	104223.37	101222.12	104528.83	110592.59	114080.83
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	86928.39	81379.49	83687.86	86242.79	88723.64
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	119.90%	122.90%	123.30 %	128.23%	128.58%

दिनांक 31.03.2026 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
विवरण		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष	
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी : (2+3)	14231.56	0.00	500.00	737.30	15468.86
2	नियामक पूंजी	14231.56	0.00	500.00	737.30	15468.86
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6)	38754.87	58004.78	291.90	229.89	87627.16
5	स्थिर जमाराशियां	858.39	159.22	0.00	0.00	966.72
6	कम स्थिर जमाराशियां	37896.49	57845.56	291.90	229.89	86660.44
7	थोक निधियन : (8+9)	6212.42	30475.84	12943.93	1215.40	19682.27
8	प्रचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	6212.42	30475.84	12943.93	1215.40	19682.27
10	अन्य देयताएं : (11+12)	0.00	6474.61	2135.91	3568.59	5029.21
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0	0	0	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	0.00	6474.61	2135.91	3568.59	5029.21
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					127807.50
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)					1515.91
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	0.00	27192.86	18119.95	66041.90	72359.74
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अनारक्षित निष्पादित	0.00	1000.02	12.29	0.25	156.39
19	गैर-वित्तीय कोरपोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रिक, केन्द्रिय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	26081.84	18072.22	58579.07	67055.18
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	4844.87	2728.55	24070.30	19432.40
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	110.99	35.43	7462.59	5148.16
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	106.60	32.90	6341.27	4191.58
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग)	6998.64	1180.93	1652.25	18024.21	25257.66
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



26	व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी (यों) की चूक निधियों में योगदान	589.60	0.00	0.00	0.00	501.16
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	175.74	0.00	0.00	175.74
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई	6409.04	1005.19	1652.25	18024.21	24580.76
30	तुलनपत्रेतर मर्दे	29659.70	0.00	0.00	0.00	1354.29
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	36658.34	28373.79	19772.20	84066.11	100487.61
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					127.19

दिनांक 31.03.2025 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
विवरण		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष	
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी : (2+3)	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
2	नियामक पूंजी	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6)	36154.83	52089.99	122.42	295.48	79875.58
5	स्थिर जमाराशियां	777.75	214.04	0.00	0.01	942.21
6	कम स्थिर जमाराशियां	35377.08	51875.94	122.42	295.48	78933.37
7	थोक निधियन : (8+9)	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
8	प्रचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
10	अन्य देयताएं : (11+12)	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					114080.83
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)					1463.65
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	0.00	24484.10	12912.63	55158.78	61542.93

17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अनारक्षित निष्पादित ऋण	0.00	500.02	501.26	0.29	325.92
19	गैर-वित्तीय कोरपोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रीय, केन्द्रीय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	23895.61	12368.43	48193.73	56477.45
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	3271.92	397.26	13096.20	10347.12
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	88.46	42.94	6964.76	4739.56
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	83.46	42.12	6230.92	4112.88
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग)	6436.93	1183.31	679.46	19140.50	24865.18
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी (यों) की चूक निधियों में योगदान	556.60	0.00	0.00	0.00	473.11
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	252.79	0.00	0.00	252.79
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गयी	5880.33	930.52	679.46	19140.50	24139.28
30	तुलनपत्रेतर मदें	18495.55	0.00	0.00	0.00	851.87
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	24932.48	25667.41	13592.09	74299.28	88723.64
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					128.58

निवल स्थिर निधियन अनुपात का गुणात्मक प्रकटीकरण

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एनएसएफआर के लिए विचारित समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है जो एक वर्ष तक विस्तारित होता है। किसी विशिष्ट संस्था के लिए अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण की मात्रा ("अपेक्षित स्थिर निधियन") (आरएसएफ), उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की निधियन विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ उसके तुलनपत्रेतर (ओबीएस) जोखिमों पर निर्भर करती है।



एनएसएफआर की न्यूनतम अपेक्षा निरंतर आधार पर कम से कम 100% के समान होनी चाहिए।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन [एएलएफ]}}{\text{अपेक्षित स्थिर निधियन [आरएसएफ]}} \geq 100\%$$

1 अक्टूबर, 2021 से एकल बैंक तथा समूहों के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर अपेक्षा 100% है।

31 मार्च, 2026 को, पीएसबी ने ₹100487.61 करोड़ के भारित अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की अपेक्षा ₹127807.50 करोड़ का भारित उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर, 127.19% था।

31 मार्च, 2025 को, पीएसबी ने ₹88723.64 करोड़ के भारित अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की अपेक्षा ₹114080.83 करोड़ का भारित उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर, 128.58% था।

बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त विवरण

उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) में मुख्य रूप से पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्तपोषण तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण शामिल होता है। उचित भार लागू करने के पश्चात, कुल अपेक्षित स्थिर निधियन (एएसएफ) का पूंजी आधार लगभग 12.10%, रहा, खुदरा जमा (छोटे कारोबारी ग्राहकों जमाराशियों सहित) 68.56%, रहा तथा थोक निधियन 15.39%, रहा है,

अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) में 30.14% हिस्सा "मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भाररहित निष्पादित ऋण और एक वर्ष या अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण के अतिरिक्त" क्रमिक मद के अंतर्गत है।

एनएसएफआर के प्रमुख संचालक:

31 मार्च 2026 तक बैंक ने ₹127807.50 करोड़ का एएसएफ बनाए रखा था। एएसएफ में खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई 67.57% कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमा तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा से है और खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई 0.75 % स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा और एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा शामिल है।

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 127.19% है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

एनएसएफआर 31.03.2025 को 128.58% से घटकर 31.03.2026 को 127.19% तक हो गया है, जिसका मुख्य कारण मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले भार रहित निष्पादन ऋणों में वृद्धि और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वताएं हैं।



3. निवेश
a) निवेश संविभाग की संरचना

	2025-26										2024-25			
	एचटीएम		एफएस		एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियाँ, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		एचटीएम		एफएस		एफवीटीपीएल	
	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य	एचएफटी	गैर-एचटीएफ	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य	गैर-एचटीएफ	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	23478.2 2	22778.61	8786.45	2650.60	-	-		21581.9 1	21762.90	7687.18	3837.85	-	-	-
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	-	-	-	97.50	461.73	-		-	-	-	55.89	521.60	-	-
(iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड	8683.90	8730.44	3946.50	-	1111.03	-		8418.06	8497.12	3920.56	-	667.95	-	-
(v) सहायक इकाइयाँ तथा/या संयुक्त उद्यम														
(vi) अन्य	-	-	371.10	-	539.98	-		-	-	466.59	-	536.30	-	-
कुल	32162.1 2	31509.05	13104.0 5	2748.1 0	2112.74	-		29999.9 7	30260.02	12074.3 3	3893.74	1725.85	-	-
घटा : मूल्यहास/एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	150.82	-	587.72	-		-	-	590.07	-	191.51	-	-
निवल	32162.1 2	31509.05	12953.2 3	2748.1 0	1525.02	-		29999.9 7	30260.02	11484.2 6	3893.74	1534.34	-	-
II. भारत के बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय निकायों सहित)														
(ii) सहायक इकाइयाँ तथा/या संयुक्त उद्यम														
(iii) अन्य निवेश														
कुल														

शून्य

घटा : मृत्युहास/एनपीआई के लिए प्रावधान													
निवल													
कुल निवेश (I+II)	32162.12	31509.05	12953.23	2748.10	1525.02	-	29999.97	30260.02	11484.26	3893.74	1534.34	-	-

b) निवेश संविभाग का उचित मूल्य परानुक्रम बैलेंस शीट पर उचित मूल्य पर मापा जाता है

(राशि करोड़ में)																												
2025-26												2024-25																
एफएस												एफवीटीपीएल						एफएस						एफवीटीपीएल				
लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल					
I. भारत में निवेश																												
(i) सरकारी प्रतिभूतियां																												
	8786.45	-	-	8786.45	2650.60	0.00	0.00	2650.60	7687.18	-	-	7687.18	3837.85	-	-	3837.85	-	-	-	-	-	-	-	3837.85				
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां																												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(iii) शेयर																												
	-	-	-	-	97.50	0.00	461.73	559.23	-	-	-	-	55.89	-	-	521.60	-	-	-	-	-	-	-	577.48				
(iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड																												
0	3795.69	150.82	3946.50	0.00	721.76	389.27	1111.03	1440.77	1889.71	590.07	3920.56	200.26	465.70	1.99	667.95													
(v) सहायक इकाइयां तथा/ या संयुक्त उद्यम																												
(vi) अन्य																												
371.10	-	-	371.10	-	-	539.98	539.98	466.59	-	-	466.59	-	-	-	536.30	-	-	-	-	-	-	-	-	536.30				
कुल																												
9157.55	3795.69	150.82	13104.05	2748.10	721.76	1390.98	4860.84	9594.54	1889.71	590.07	12074.33	4094.00	465.70	1059.89	5619.59													
II. भारत के बाहर निवेश																												
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय निकायों सहित)																												
(ii) सहायक इकाइयां तथा/ या संयुक्त उद्यम																												
(iii) अन्य निवेश																												
कुल																												
कुल निवेश (I+II)																												
9157.55	3795.69	150.82	13104.05	2748.10	721.76	1390.98	4860.84	9594.54	1889.71	590.07	12074.33	4094.00	465.70	1059.89	5619.59													

शून्य

c) एफएस आरक्षित तथा लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात वित्तीय लिखत लेवल 3 में शुद्ध लाभ / (हानि)।

(राशि करोड़ में)

	2025-26	2024-25
एएसएफ में अभिज्ञात आरक्षित	0.00	0.00
लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात	53.88	39.77

d) एचटीएम से किए गए विक्रय का विवरण

(राशि कोड़ में)

		2025-26	2024-25
A	एचटीएम में प्रतिभूतियों का आरंभिक मूल्य	21581.91	21408.12
B	वर्ष के दौरान विक्रय की गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	915.58	953.66
C	घटा: विनियामक सीमा से रियायत प्राप्त स्थितियों के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियों के मूल्यों को वहन करना	0.00	0.00
D	विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (D=B-C)	915.58	953.66
E	एचटीएम में प्रतिभूतियों के आरंभिक मूल्य के प्रतिशत के रूप में विक्रय की गई प्रतिभूतियां (E=D÷A)	4.24%	4.45%
F	लाभ में विक्रय की गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी आरक्षित में अंतरित राशि	22.43	36.06

e) निवेश की श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण

वित्त वर्ष के दौरान निवेश की श्रेणियों के मध्य कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया।

f) गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) एवं निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित के प्रावधानों में संचलन

(राशि करोड़ में)

	विवरण	2025-26	2024-25
i)	एनपीआई में धारित प्रावधानों का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	781.58	1068.46
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	98.72	20.74
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बढ़े में डालना/प्रतिलेखन	141.76	307.62#
	d) अंतिम शेष	738.54	781.58
ii)	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	338.25	265.80
	b) जमा : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	15.96	72.45
	c) घटा : आहरण द्वारा कमी	0.00	0.00
	d) अंतिम शेष	354.21	338.25
iii)	एफएस तथा एफवीटीपीएल(एचएफटी सहित)/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.06%	2.00%



उपरोक्त में आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के संशोधित समीक्षित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिवर्तन के दौरान सामान्य आरक्षित में अंतरित की गई ₹256.02 करोड़ की राशि शामिल है।

*निवल मूल्यहास घटाकर वहन मूल्य (निवल अधिमूल्यन की उपेक्षा करना) अर्थात तुलन-पत्र में परिलक्षित निवल राशि।

वर्ष 2025-26 के दौरान निवेश अस्थाई आरक्षित में अंतरित राशि ₹15.96 करोड़ है।

g) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
a)	आरंभिक शेष	781.58	830.16
b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	98.72	1.99
c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	141.76	50.57
d)	अंतिम शेष	738.54	781.58
e)	धारित कुल प्रावधान	738.54	781.58

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी तौर पर निवेश आबंटन		निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूति आबंटन		अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन		असूचीबद्ध प्रतिभूति का आबंटन	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
a)	सार्वजनिक उपक्रम	8861.17	8506.67	8655.90	8378.06	0.00	0.00	8656.02	8378.12	8620.34	8340.61
b)	वित्तीय संस्थाएं	2251.41	1848.38	189.49	167.29	0.00	0.00	191.26	169.82	239.21	167.29
c)	बैंक	997.97	1005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.99	171.99
d)	निजी कोर्पोरेट	2659.93	2788.93	1106.34	957.24	773.46	908.16	917.82	1046.25	1084.44	1314.44
e)	अनुषंगीया/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य	441.25	437.83	441.25	437.82	399.48	399.92	441.25	437.83	441.25	437.83
g)	एनपीआई हेतु किए गए प्रावधान	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)
	कुल	14473.19	13805.36	9654.44	9158.84	434.40	526.50	9467.81	9250.44	9794.69	9650.58

h) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2026 को बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के तहत विक्रय की गयी प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	96.67	101.00	2464.58	2483.35	683.84	687.84	2464.58	2483.35
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट : एफवी : अंकित मूल्य

एमवी : बाजार मूल्य

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2025 को बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के तहत विक्रय की गयी प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	78.22	77.25	2720.52	2700.47	1169.56	1146.68	2364.00	2363.93
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

नोट : एफवी : अंकित मूल्य

एमवी : बाजार मूल्य

i) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) अंतरण (बाजार मूल्य के अनुसार)



(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2026 को बकाया
जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य				
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियां					

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) अंतरण (बाजार मूल्य के अनुसार)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2025 को बकाया
जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य				
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियां					

4. आस्ति गुणवत्ता

a) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					680.67	
घटा : वर्ष के दौरान कमी					1219.96	
अंतिम शेष	114992.55	669.88	2034.74	126.15	2830.77	117823.32
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					173.07	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					414.55	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					555.71	
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते में डालना					76.63	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
जमा : वर्ष के दौरान किये गये नए प्रावधान					448.10	
घटाएं : उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण					946.15	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	912.00	174.61	1505.06	126.15	1805.82	2717.82
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					937.07	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					492.52	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					510.40	
अंतिम शेष					919.19	
अस्थायी प्रावधान						
आरंभिक शेष						
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गये खातों का आरंभिक शेष						7495.19
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						555.71



घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व में ही तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई वसूली		766.27
अंतिम शेष		7284.63

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					822.42	
घटा : वर्ष के दौरान कमी					2117.71	
अंतिम शेष	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					256.99	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					339.57	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					1103.24	
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते में डालना					417.91	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
जमा : वर्ष के दौरान किये गये नए प्रावधान					822.57	
घटाएं : उक्तमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण					1745.07	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					1350.46	



जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन		428.55	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन		841.94	
अंतिम शेष		937.07	
अस्थाई प्रावधान			
आरंभिक शेष			
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान			शून्य
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि			
अस्थाई प्रावधानों का अंतिम शेष			
तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा उस पर की गई वसूली			
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गये खातों का आरंभिक शेष			7275.88
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना			1103.24
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व में ही तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई वसूली			883.93
अंतिम शेष			7495.19

अनुपात (%)	2025-26 (%)	2024-25 (%)
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	2.40	3.38
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.79	0.96
प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ सहित)	90.91	91.38
प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ रहित)	67.53	72.19

b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2025-26			2024-25		
		बकाया कुल अग्रिम*	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	बकाया कुल अग्रिम*	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	16590.57	1230.25	7.42	13455.90	1263.72	9.39



b)	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र उद्यम क्षेत्रों को अग्रिम	7850.77	250.14	3.19	6294.63	404.00	6.42
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	कपड़ा	982.70	73.54	7.48	835.82	155.65	18.62
b.ii)	अभियांत्रिकी	958.31	13.22	1.38	572.29	24.71	4.32
b.iii)	धातु एवं धातु उत्पाद	1162.77	22.31	1.92	815.45	43.39	5.32
b.iv)	खाद्य प्रसंस्करण	912.11	17.46	1.91	1322.46	30.38	2.30
b.v)	अवसंरचना	1425.26	17.54	1.23	905.71	18.66	2.06
c)	सवाएँ	15986.91	559.09	3.50	13224.47	950.48	7.19
d)	व्यक्तिगत ऋण	4686.19	123.66	2.64	3826.97	122.08	3.19
	उप योग (i)	45114.44	2163.14	4.79	36801.97	2740.28	7.45
ii)	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	उद्योग	18478.77	279.74	1.51	19565.25	307.31	1.57
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	बिजली एवं ऊर्जा	6030.12	0.35	0.01	6144.30	41.26	0.67
b.ii)	धातु एवं धातु उत्पाद	3410.25	20.17	0.59	2535.92	2.26	0.09
b.iii)	जल स्वच्छता	2456.02	0.83	0.03	2791.55	0.00	0.00
b.iv)	सड़क एवं राजमार्ग	3224.05	0.11	0.00	2962.78	17.76	0.60
c)	सेवाएँ	31411.08	211.38	0.67	24995.12	51.95	0.21
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
c.i)	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	16402.93	4.56	0.03	14276.37	46.80	0.33
d)	व्यक्तिगत ऋण	22799.75	176.51	0.77	18242.66	270.52	1.48
	उप-योग (ii)	72708.88	667.63	0.92	62803.03	629.78	1.00
	कुल (I + ii)	117823.32	2830.77	2.40	99605.00	3370.06	3.38

*बकाया कुल अग्रिम, सकल अग्रिम को संदर्भित करता है।

c) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
कुल आस्ति	62.22	24.89
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.12	0.48



d) संकल्प योजना और पुनर्संरचना का विवरण

“भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) दिशानिर्देश, 2025” पर आरबीआई परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 की शर्तों के अनुसार, बैंक के पास 1 उधार खाते के संबंध में दिनांक 31.03.2026 तक ₹122.62 करोड़ राशि के अतिरिक्त मानक आस्तियों का प्रावधान धारित है (विगत वर्ष 31.03.2025 के लिए ₹23.57 करोड़)। विवरण इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

दिनांकित	भा. रि. बैं. परिपत्र द्वारा अंतर्घटित ऋण राशि (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली ऋण राशि (B)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B), ऋण राशि (C)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (D)	(D) में किए गए प्रावधान (E)
31 मार्च, 2026	601.06	-	-	122.62	122.62
31 मार्च, 2025	66.58	-	-	23.57	23.57

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26		2024-25	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि।	61	2.40	69	137.64
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि	6	0.59	17	97.98
पुनर्संरचना आदि के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की राशि	55	1.81	52	39.66
वर्ष के दौरान पुनर्संरचना पर इकिटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण	1	0.003	1	10.41

e) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, 2025 (वाणिज्यिक बैंक-वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के अनुसार आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीओआर. एसीसी. आरईसी. संख्या 86/21.04.018/2025-26 दिनांकित 28.11.2025 के अनुसार बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होने पर बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए :

(a) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है, तथा (b) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में विहित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बैंक में विचलन, प्रारंभिक सीमा के भीतर हैं। इसलिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।



f) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का हस्तांतरण तथा वितरण) दिशानिर्देश, 2025 के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.78/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसरण में, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित ऋण के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

i) दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए), हस्तांतरित और अधिग्रहित नहीं किए हैं।
(31 मार्च, 2025-शून्य)

ii) 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही/वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निर्मांकित गैर-निष्पादित आस्तियों का हस्तांतरण किया है:

2025-26 के दौरान हस्तांतरित एनपीआई का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का औसत बकाया मूलधन	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	-	-	-

2024-25 के दौरान हस्तांतरित एनपीआई का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का औसत बकाया मूलधन	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	-	-	-

2025-26 दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	8	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	204.55	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित कुल अवशिष्ट अवधि	लागू नहीं	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0.00	शून्य	शून्य
औसत प्रतिफल	180.31	शून्य	शून्य
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	0.99	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ऋणों का विवरण			
एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से			एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य

2024-25 के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	275.23	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित कुल अवशिष्ट अवधि	-	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0.00	शून्य	शून्य



औसत प्रतिफल	491.88	शून्य	शून्य
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	237.70	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ऋणों का विवरण			
एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से			एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य

iii) समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित 'चूक में नहीं' ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि (राशि करोड़ में)	2823.84	3754.67
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में)	51.98	192.64
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (माह में)	8.94	37.64
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण(%)	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	190.37	202.81

iv) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपार्जित मानक आस्तियों का विवरण (सह-उधार)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	95632	17117
कुल बकाया (राशि करोड़ में)	4431.75	3293.20
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	127.40	176.02
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	16.39	13.29
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	एमएसएमई- 20% आवास ऋण 25% कृषि- 20%	एमएसएमई - 20% आवास ऋण - 25%
मूर्त प्रतिभूति व्याप्ति की व्याप्ति (%)	196.70	192.55

v) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपार्जित मानक आस्तियों का विवरण (पुल बाय-आउट)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क्रय किए गए खातों की संख्या	104253	6994
कुल बकाया ऋण (राशि करोड़ में)	5822.81	3754.67
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	99.76	192.64
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	30.43	5.76
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति व्याप्ति की व्याप्ति (%)	209.87	202.81

गैर-कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए होने के कारण उपार्जित ऋणों का दर्जा निर्धारण नहीं किया जाता है।

vi) 31 मार्च, 2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित इस प्रकार के एसआर का संवितरण:

(राशि करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	31.03.2026 (बही मूल्य)	31.03.2025 (बही मूल्य)
आरआर 1+	शून्य	शून्य
आरआर 1	399.48	9.06
आरआर 2	शून्य	शून्य
आरआर 3	शून्य	शून्य
आरआर 4	शून्य	शून्य
आरआर 5	शून्य	शून्य
रेटिंग आहरण	शून्य	शून्य
अनिर्धारित	शून्य	390.86
कुल	399.48	399.92

बैंक ने मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2026 तथा 31.03.2025 तक उल्लिखित प्रतिभूति रसीदों के विरुद्ध शून्य प्रावधान किया है।

vii) प्रतिभूति रसीदों में निवेश (एसआर):



(राशि करोड़ में)

विवरण		विगत 5 वर्षों में जारी एसआर		5 वर्ष से अधिक समय से पूर्व लेकिन विगत 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर		8 वर्षों से अधिक जारी एसआर	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
a)	एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा विक्रय की गई गैर निष्पादित आस्तियां अंतर्निहित हैं।	399.48	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई गैर निष्पादित आस्तियां अंतर्निहित हैं।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (a) + (b)		399.48	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00

प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में विक्रय गैर निष्पादित आस्तियों द्वारा समर्थित	399.48	399.92
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में विक्रय गैर-निष्पादित आस्तियों द्वारा समर्थित	-	-
कुल	399.48	399.92

'सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों' पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों को मान्यता दी है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के विरुद्ध प्राप्त ₹399.92 करोड़ की सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य आय और ब्याज आय में क्रमशः ₹145.10 करोड़ और ₹254.82 करोड़ की वृद्धि हुई है।

ग) 31.03.2026 तक सह-ऋण प्रबंध (सीएलए) पर प्रकटीकरण :-

विवरण	कॉरपोरेट
सह-ऋण खातों की सं. (सीएलए)	95632
कुल मूलधन (राशि करोड़ में)	4431.75
भारित औसत ब्याज दर	8.44
शुल्क प्रभारित (राशि करोड़ में)	शून्य
प्रदत्त शुल्क (राशि करोड़ में) वित्त वर्ष 25-26	7.45
बोर्ड खंड	खुदरा तथा एमएसएमई

सीएलए के अंतर्गत ऋण का प्रदर्शन (राशि करोड़ में)	
a. मानक	4388.97
b. एनपीए	42.78
बकाया हानि गारंटी से संबंधित विवरण (राशि करोड़ में)	शून्य

h) धोखाधड़ी खाते:-

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या	38	248
धोखाधड़ी में शामिल राशि	1646.37	679.70
इस प्रकार के धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	245.46	388.18
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00
'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किया गया अपरिवर्तित प्रावधान (उन मामलों के संबंध में जो जांच के अधीन हैं)	8.45	0.00

i) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परियोजना वित्त के संबंध में प्रकटीकरण:-

क्र.सं.	मद विवरण	31.12.2025		31.03.2026	
		खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि करोड़ में)	खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि करोड़ में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं	44	2396.04	40	2306.65
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं	2	1.50	22	98.24
3	कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	6	90.89	8	728.86
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं (1+2-3)	40	2306.65	54	1676.03
5	'4' में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल है, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है	शून्य	शून्य	13	514.31
5.1	'5' में से - जिन खातों के संबंध में समाधान योजना लागू की गई है	शून्य	शून्य	13	514.31
5.2	'5' में से - जिन खातों के संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.3	'5' में से - जिन खातों के संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	मद विवरण	31.12.2025		31.03.2026	
		खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि करोड़ में)	खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि करोड़ में)
6	'5' में से, जिन खातों के संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में, जैसा भी मामला हो, मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि को वित्त पोषित किया गया था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.1	'7' में से, ऐसे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत तथा नियमित नवीनीकृत किया गया था।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.2	'7' में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ पूर्व-स्वीकृत या नियमित नवीनीकृत नहीं किया गया था।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	'4' में से – जिन खातों के संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, जैसा भी मामला हो, प्रस्ताव प्रक्रिया लागू की गई है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.1	'8' में से – जिन खातों के संबंध में संकल्प योजना लागू की गई है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.2	'8' में से – जिन खातों के संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.3	'8' में से – जिन खातों के संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

j) कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:-

- (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों का पुनर्गठन" पर आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर. सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

इस तिथि को	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में	धारित प्रावधान(राशि करोड़ में)
31.03.2026	977	67.58	30.44
31.03.2025	3288	172.08	75.49

- (ii) "समाधान रूपरेखा-2.0: व्यक्तियों एवं लघु व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान" पर दिनांक 05.05.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22" के अनुसार, आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 तथा "समाधान रूपरेखा 2.0 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान" पर दिनांक 04.06.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22, उन उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए तथा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम निम्नानुसार है :-

इस तिथि को	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में	धारित प्रावधान (राशि करोड़ में)
31.03.2026	4516	500.25	116.03
31.03.2025	5517	625.38	107.99

- (iii) आरबीआई परिपत्र दिनांकित 6 अगस्त, 2020 (आरएफ 1.0) तथा 05 मई, 2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है: -

31.03.2026 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही (30.09.2025) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (31.03.2026) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	577.23	12.11	0	35.97	524.08
कॉर्पोरेट व्यक्ति#	227.62	13.19	0	16.94	174.24
जिसमें से एमएसएमई	216.30	13.03	0	16.93	174.20
अन्य	18.43	0.06	0	6.99	11.27
कुल	823.28	25.36	0	59.90	709.59

जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।



31.03.2025 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही (30.09.2024) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (31.03.2025) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	680.81	13.81	0.00	44.94	631.29
कॉर्पोरेट व्यक्ति#	632.44	5.50	0.00	270.05	373.34
जिसमें से एमएसएमई	264.92	5.50	0.00	40.23	214.83
अन्य	26.07	1.88	0.00	3.00	21.19
कुल	1339.32	21.19	0.00	317.99	1025.82
# जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

30.09.2025 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र - विगत छमाही 31.03.2025 के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र - इस छमाही (30.09.2025) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	631.29	16.13	0	40.62	577.23
कॉर्पोरेट व्यक्ति#	373.34	6.18	0	25.17	227.62
जिसमें से एमएसएमई	214.83	6.18	0	14.66	216.30
अन्य	21.19	3.17	0	1.88	18.43
कुल	1025.82	29.59	0	67.67	823.28
# जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

30.09.2024 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही (31.03.2024) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (30.09.2024) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	748.90	38.58	0.00	53.87	680.81
कॉरपोरेट व्यक्ति#	712.26	34.03	0.00	94.35	632.44
जिसमें से एमएसएमई	320.76	33.76	0.00	29.09	264.92
अन्य	31.44	3.23	0.00	1.84	26.07
कुल	1492.60	75.84	0.00	150.06	1339.32
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।					

5. एक्सपोजर

a) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(राशि करोड़ में)

श्रेणी		2025-26	2024-25
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर			
(a)	आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति पर ऋण जो बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है जो उधारकर्ता द्वारा अरिक्त है या अरिक्त किया जाएगा या किराए पर दिया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण-सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	13968.54 7388.20	13553.54^ 6894.18^
(b)	वाणिज्यिक रियल स्टेट वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल-गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण-सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	3848.18	1365.21^
(c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश	-	-
a.	- आवासीय	-	-
b.	- वाणिज्यिक रियल स्टेट	-	-



ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	3359.95*	3663.78*
रियल स्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोज़र	21176.67	18582.53

* इसमें एनएचबी एवं आवास वित्त कंपनियों में निवेश के माध्यम से ₹1033.40 करोड़ (विगत वर्ष ₹937.98 करोड़) शामिल हैं।

^ ₹0.92 करोड़ के आवास ऋण को वाणिज्यिक अचल संपत्ति में स्थानांतरित किया गया है।

b) पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

		(राशि करोड़ में)	
विवरण		2025-26	2024-25
1	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	935.55	928.01
2	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों/ बॉण्ड्स/ डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम	351.44	0.03
3	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
4	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति, अग्रिमों को पूर्णतया कवर नहीं करती हैं।	-	-
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा बाज़ार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
6	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बाण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के जमानत के एवज में या बेजमानती आधार पर कॉरपोरेट(ओं) को स्वीकृत ऋण;	-	-
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
8	शेयर या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
9	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण	-	-
10	उद्यम पूंजी निधि हेतु समस्त एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	62.74	68.07
पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र		1349.73	996.11

c) जोखिम श्रेणी-वार देश में बैंक का एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

ईसीजीसी वर्गीकरण	जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2026 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2026 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2025 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2025 को धारित प्रावधान
A1	नगण्य	128.26	शून्य	84.41	शून्य
A2	न्यून	31.52	शून्य	24.40	शून्य
B1	सामान्य न्यून जोखिम	1.49	शून्य	5.44	शून्य
B2	सामान्य न्यून जोखिम	115.36	शून्य	74.79	शून्य
C1	सामान्य उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0.00	शून्य
C2	उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0.00	शून्य
D	अति उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0.00	शून्य
	Total	276.63	शून्य	189.04	शून्य

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंक का शुद्ध देश-वार वित्त पोषित एक्सपोज़र, बैंक के कुल आस्ति के 1% के अंतर्गत है। अतः, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

d) गैर-प्रतिभूत अग्रिम

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	13099.58	10248.31
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकार पर प्रभार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण इत्यादि ली गई हैं।	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00

e) आढ़त (फेक्टोरिंग) एक्सपोज़र: शून्य वित्त वर्ष 2025-26 (शून्य - विगत वर्ष 2024-25)

f) अंतर-समूह एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		स्वीकृत ऋण/सीमा	बकाया शेष	स्वीकृत ऋण/सीमा	बकाया शेष
(a)	अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के संबंध में अंतर-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	अंतर-समूह एक्सपोज़र सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



g) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

वृद्धिशील प्रावधान (कुल ऋण जोखिम पर 0 से 80 बीपीएस तक, मानक परिसंपत्ति प्रावधान के अतिरिक्त) और पूंजी की आवश्यकता संभावित हानि (विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, जिसका सामना उधारकर्ताओं को अपने खातों में असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम के कारण करना पड़ सकता है। बैंक ऐसे जोखिमों के लिए भिन्न प्रभार एवं प्रावधान की आवश्यकता रखता है जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकटीकरण किया है।

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
वृद्धिशील प्रावधान (देशीय)	1.29	0.52
वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी)	0.00	0.00
कुल वृद्धिशील प्रावधान	1.29	0.52
जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	-	-
आरडब्ल्यूए धारित वृद्धिशील पूंजी (@11.50%)	-	-

परिपत्र डीओआर.एमआरजी.आरईसी. 76/00-00-007/2022-23 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2022 के माध्यम भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव/अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र) निदेश, 2022 के अनुसार बैंक ने गैर-बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के प्रति देयता का अनुमान लगाया है तथा 31 मार्च, 2025 तक ₹1.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (31.03.2025 को ₹0.52 करोड़ था)

गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीडी) की राशि ज्ञात करने हेतु विधि:

गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीडी) की जानकारी तिमाही आधार पर ग्राहकों से प्राप्त की जाती है तथा ग्राहकों से दो भागों में जानकारी प्राप्त कर उसका मापन किया जाता है- i) जहाँ सभी बैंकों को सम्मिलित कर उधारकर्ता का एक्सपोज़र ₹50 करोड़ तक है और ii) जहाँ सभी बैंकों को सम्मिलित कर उधारकर्ता का एक्सपोज़र ₹50 करोड़ से अधिक है।

विदेशी मुद्रा में कुल गैर बचाव (अनहेज्ड) एक्सपोज़र को संबंधित तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर एफईडीआई हाजिर दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

बैंक संबंधित इकाई से यूएफसीडी के बारे में जानकारी प्राप्त करके एफसीडी वाली संस्थाओं के गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीडी) का आकलन करेंगे। बशर्ते कि यूएफसीडी के बारे में जानकारी संबंधित इकाई द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा स्व-घोषणा तिमाही आधार पर संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यूएफसीडी जानकारी को कम से कम वार्षिक आधार पर संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

संभावित हानि के प्रभाव का अनुमान ज्ञात करने की विधि:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी 116/21.06.200/2013-14 में गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीडी) वाली संस्थाओं के लिए पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है जिसमें यूएसडी/आईएनआर वार्षिक अस्थिरता के लिए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है तथा एफईडीआई को आरबीआई संदर्भ दर के आधार पर यूएसडी/आईएनआर वार्षिक अस्थिरता प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है जिसका उपयोग संभावित हानि की गणना के लिए किया जाना है।

एफईडीआई प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर 10 वर्ष (120 माह रोलिंग) एलएवी दरों की घोषणा करता है। इन दरों पर, बैंक संभावित नुकसान (एफईडीआई द्वारा दी गई दर) की गणना करता है, वर्तमान दर समस्त बैंकों सहित उद्यम के कुल गैर-बचाव (अनहेज्ड) एक्सपोज़र का 12.23% है।

h) स्वर्ण तथा चांदी संपार्श्विक विरुद्ध ऋण

i) स्वर्ण संपार्श्विक के विरुद्ध दिए गए ऋण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट आकार (₹करोड़ में)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
		₹करोड़ में	कुल ऋण का %			
1.	वित्त वर्ष 2025-26 आरंभिक शेष [(a) + (b)]	1932.81	1.94%	0.03	64%	0.74%
(a)	उभोग्य ऋण	1248.74	1.25%	0.03	62%	0.97%
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	845.24	0.85%	0.03	64%	0.95%
(b)	आय सृजन ऋण	684.07	0.69%	0.03	67%	0.31%
2.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नए ऋण [(c) + (d)]	6850.08	10.62%	0.03	58%	लागू नहीं
(c)	उभोग्य ऋण	4416.12	6.85%	0.13	54%	लागू नहीं
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	1339.16	2.08%	0.04	50%	लागू नहीं
(d)	आय सृजन ऋण	2433.96	3.77%	0.03	60%	लागू नहीं
3.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नवीकरण स्वीकृति तथा संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
4.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान टॉप-अप ऋण स्वीकृति तथा संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
5.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण पुनर्भुगतान [(e) + (f)]	1832.86	1.56%	0.03	लागू नहीं	लागू नहीं
(e)	उभोग्य ऋण	1183.88	1.00%	0.03	लागू नहीं	लागू नहीं
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	812.07	0.69%	0.03	लागू नहीं	लागू नहीं
(f)	आय सृजन ऋण	648.98	0.55%	0.03	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान गैर निष्पादित ऋण वसूली [(g) + (h)]	13.95	0.01%	0.05	लागू नहीं	लागू नहीं
(g)	उभोग्य ऋण	11.90	0.01%	0.05	लागू नहीं	लागू नहीं
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	7.84	0.01%	0.05	लागू नहीं	लागू नहीं
(h)	आय सृजन ऋण	2.06	0.002%	0.04	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण बट्टे खाते में डाले [(i) + (j)]	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
(j)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

8.	वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर अंतिम शेष [(k) + (l)]	6937.36	5.89%	0.06	57%	0.04%
(k)	उभोग्य ऋण	4462.80	3.79%	0.13	53%	0.04%
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	1363.64	1.16%	0.04	50%	0.09%
(l)	आय सृजन ऋण	2474.56	2.10%	0.03	60%	0.04%

औसत एलटीवी अनुपात की गणना स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी की राशि के कुल ऋणों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।

ii) चांदी संपार्श्विक के विरुद्ध दिए गए ऋण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट आकार (₹करोड़ में)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
		₹करोड़ में	₹करोड़ में			
1.	वित्त वर्ष 2025-26 आरंभिक शेष [(a) + (b)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(a)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नए ऋण [(c) + (d)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नवीकरण स्वीकृति तथा संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान टॉप-अप ऋण स्वीकृति तथा संवितरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण पुनर्भुगतान [(e) + (f)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(e)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(f)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान गैर निष्पादित ऋण वसूली [(g) + (h)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(g)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(h)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7.	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण बट्टे खाते में डाले [(i) + (j)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(j)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर अंतिम शेष [(k) + (l)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(k)	उभोग्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जिसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(l)	आय सृजन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

औसत एलटीवी अनुपात की गणना स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी की राशि के कुल ऋणों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।

iii) स्वर्ण संपार्श्विक तथा नीलामी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	
(a)	2025-26 की समाप्ति पर अदावी स्वर्ण का संपार्श्विक (ग्राम में)	184.66
(b)	ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी की गई थी।	5.00
(c)	(b) में वर्णित ऋण खाते में कुल बकाया (₹ करोड़ में)	0.29
(d)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋणों में चूक के कारण अर्जित स्वर्ण संपार्श्विक (ग्राम में)	644.91
(e)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नीलाम किए गए स्वर्ण संपार्श्विक (ग्राम में)	366.87
(f)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई नीलामी (e)	0.34
(g)	वसूली प्रतिशत:	
(h)	स्वर्ण की संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	56.04%
(i)	बकाया ऋण के % के रूप में	100.00%

iv) चांदी संपार्श्विक तथा नीलामी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	
(a)	2025-26 की समाप्ति पर अदावी चांदी का संपार्श्विक (ग्राम में)	शून्य
(b)	ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी की गई थी।	शून्य
(c)	(b) में वर्णित ऋण खाते में कुल बकाया (₹ करोड़ में)	शून्य
(d)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ऋणों में चूक के कारण अर्जित चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)	शून्य
(e)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नीलाम किए गए चांदी संपार्श्विक (ग्राम में)	शून्य
(f)	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई नीलामी (e)	शून्य
(g)	वसूली प्रतिशत:	शून्य
(h)	चांद की संपार्श्विक के मूल्य के % के रूप में	शून्य
(i)	बकाया ऋण के % के रूप में	शून्य



6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

a) जमाओं का संकेंद्रण

	(राशि करोड़ में)	
विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	13175.45	13413.98
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (%)	9.03	10.33

b) अग्रिमों का संकेंद्रण*

	(राशि करोड़ में)	
विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	26757.87	23528.41
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत (%)	17.75	18.72

*अग्रिमों की गणना ऋण आधारित होती है, अर्थात्, जहां व्युत्पन्न जोखिमों सहित वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सीमाएं लागू होती हैं। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की गई है। यद्यपि, पूर्णतः आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को पुनः आहरित करने का कोई अवसर नहीं है, बैंक ने बकाया की क्रेडिट जोखिम के रूप में गणना की है।

c) एक्सपोजर का संकेंद्रण *

	(राशि करोड़ में)	
विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	21783.96	21471.43
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत (%)	14.45	17.08

* केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गारंटी के लिए एक्सपोजर को सम्मिलित नहीं किया गया है।

d) एनपीए संकेंद्रण

	(राशि करोड़ में)	
विवरण	2025-26	2024-25
बीस शीर्ष एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	445.08	555.77
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत (%)	15.72	16.49

7. डेरिवेटिव

डेरिवेटिव के अंतर्गत बैंक, केवल व्यापारी वायदा संविदा में व्यापार करता है और बकाया वायदा संविदा का मूल्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹329.03 करोड़ है (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹335.51 करोड़)।

a) डेरिवेटिव पोर्टफोलियों का विवरण

(राशि करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
ब्याज-दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
लाभ/हानि खाते में चिह्नित शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
विनिमय दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
लाभ/हानि खाते में चिह्नित शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
ऋण जोखिम डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
लाभ/हानि खाते में चिह्नित शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
अन्य डेरिवेटिव (विशेष)	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
लाभ/हानि खाते में चिह्नित शुद्ध लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-

b) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वेप

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	स्वेप करारों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii)	स्वेप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वेप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वेप बुक का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

c) विनिमय व्यापार ब्याज-दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य



ii)	31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट वेल्यू बकाया जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

d) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्ष 2025-26 के दौरान वायदा दर करार/ ब्याज दर की अदला-बदली/ विनिमय ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में व्युत्पन्न लेनदेन में प्रविष्टी नहीं की है। तदनुसार, डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(राशि करोड़ में)			
क्र.सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
a)	व्युत्पन्नी (अनुमानिक मूलधन राशि)	-	-	-	-
	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था हेतु	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
b)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित	-	-	-	-
	i) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ii) देयता (-)	-	-	-	-
c)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV 01)	-	-	-	-
	i) व्युत्पन्नी वित्तीय हानि से बचावव्यवस्था पर-	-	-	-	-
	ii) व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	-	-	-	-
e)	वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01	-	-	-	-
	i) वित्तीय हानि से बचावव्यवस्था पर-	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग पर	-	-	-	-

e) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप में प्रविष्टी नहीं की है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/ राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जानी है)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षाओं (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल	शून्य	शून्य
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
	b) तुलन-पत्र का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
	ii) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
	b) तुलन-पत्र का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
	ii) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	• मूल हानि	शून्य	शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य



7.	प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट इत्यादि के लिए प्रदान की गई सुविधा का कार्य-निष्पादन। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। A) भुगतान की गई राशि B) प्राप्त पुनर्भुगतान (a) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में आलोकित किए गए निवेश सूची की औसत डिफॉल्ट दर। (प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। (प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)	शून्य	शून्य
10.	निवेशकर्ताओं की शिकायतें (a) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तथा ; (b) लंबित शिकायतें	2 शून्य	1 शून्य

9. तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित

(राशि करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
घरेलू		विदेशी	
31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में अंतरण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	डीईएफ निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	812.86	607.53
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	102.07	224.19
iii)	घटाएं : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	50.56*	18.86*
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष	864.37	812.86

* मूलधन राशि

डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत भी सम्मिलित है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

a) बैंक को ग्राहकों से तथा बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी



क्र. सं.	विवरण		2025-26	2024-25
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	113*	170*
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16848*	12005*
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	16882*	12062*
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	2899*	1219*
4		वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	79*	113*
	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5		बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षण योग्य शिकायतों की संख्या	534	466
	5.1.	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	203	175
	5.2	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	331	291
	5.3	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय में क्रियान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अतिरिक्त)	शून्य	शून्य

* उन शिकायतों के अतिरिक्त जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर कर दिया गया हो।

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार (अर्थात शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	विगत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम संख्या 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	2025-26				
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	24	5062*	47.45%	11	शून्य
एटीएम/ डेबिट कार्ड	16	3827*	14.75%	2	शून्य
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	10	1386*	66.59%	15	शून्य



खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	12	1163*	680.54%	6	शून्य
ऋण और अग्रिम	17	1097*	10.81%	15	1
अन्य	34	4313*	32.06%	30	1
कुल	113	16848*	40.34%	79	2
2024-25					
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	30	3433*	8.50%	24	शून्य
एटीएम/ डेबिट कार्ड	49	3335*	(16.77)%	16	शून्य
ऋण और अग्रिम	18	990*	41.43%	17	शून्य
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	13	832*	28.99%	10	शून्य
कार्मिक व्यवहार	12	178*	18.67%	2	शून्य
अन्य	48	3237*	17.54%	44	शून्य
कुल	170	12005*	5.12%	113	शून्य

* उन शिकायतों के अतिरिक्त जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर कर दिया गया हो।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरबीआई द्वारा कोई दंड(एटीएम तथा मुद्रा पेटिका के अतिरिक्त) नहीं लगाया गया (2 दृष्टांत – विगत वर्ष 2024-25)

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
A. आरबीआई के आदेश दिनांकित दिनांक 24.03.2025 के अनुसार ₹5 करोड़ और उससे अधिक के गैर-निधि आधारित जोखिम वाले सात उधारकर्ताओं की सीआरआईएलसी को रिपोर्ट न करने के कारण ₹36.40 लाख (छत्तीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का दण्ड आरोपित किया गया।	शून्य	0.36
B. भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेश दिनांक 24.03.2025 के अनुसार बैंक में पहले से बीएसबीडी खाता धारण करने वाले ग्राहकों के अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए ₹31.80 लाख (केवल इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये) का दण्ड आरोपित किया गया।	शून्य	0.32

13. अन्य प्रकटन

a) व्यापार अनुपात

विवरण	2025-26	2024-25
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.16	7.57
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.06	1.03

विवरण	2025-26	2024-25
iii) जमा लागत (%)	5.52	5.74
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.55	2.85
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.30	1.37
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.79	0.67
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (राशि करोड़ में)	24.74	25.71
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (राशि करोड़ में)	0.12	0.11

b) बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
A. जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	26.83	23.08
B. सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	5.15	4.04

c) विपणन और संवितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/ पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर कमीशन	0.00	0.00
एसबीबीए पर कमीशन	0.02	0.03
एसबीआईसीपीएसएल पर कमीशन	0.60	0.52
एपीवाई पर कमीशन	2.94	1.50
एफआईएसडीओएस पर कमीशन	0.02	0.01

d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

पीएसएलसी श्रेणी	पीएसएलसी क्रय						पीएसएलसी विक्रय					
	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	ईकाईयों की संख्या	राशि	भुगतान किया कमीशन	ईकाईयों की संख्या	राशि	भुगतान किया कमीशन	ईकाईयों की संख्या	राशि	अर्जित किया कमीशन	ईकाईयों की संख्या	राशि	अर्जित किया कमीशन
कृषि	10848	2712	28.64	10780	2695	19.23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लघु एवं सीमांत किसान	शून्य	शून्य	शून्य	3200	800	14.95	3970	992.50	21.54	शून्य	शून्य	शून्य
सूक्ष्म उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामान्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	10848	2712	28.64	13980	3495	34.18	3970	992.50	21.54	शून्य	शून्य	शून्य



e) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ में)		
लाभ और हानि खाते के नामे किया गया प्रावधान	2025-26	2024-25
एनपीआई के लिए प्रावधान	(43.04)	(29.83)
एनपीए के लिए प्रावधान	57.67	176.48
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	430.40	321.72
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	414.78	590.72

(राशि करोड़ में)		
लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण/आंकड़े	2025-26	2024-25
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.67	176.48
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	225.84	115.08
एफवी पुनर्संचित अग्रिमों में ह्रास के लिए प्रावधान	(0.41)	(0.50)
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	(43.04)	(29.83)
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	9.47	0.00
अग्रिमों पर छूट	76.63	417.91
अन्य प्रावधान	103.25	58.23
कर-निर्धारण के लिए प्रावधान:		
वर्तमान कर	258.89	0.00
आस्थगित कर	171.51	321.72
एमएटी क्रेडिट पात्रता – वर्तमान वर्ष	0.00	0.00
एमएटी क्रेडिट पात्रता –प्रतिलोमित	0.00	0.00
कुल	859.81	1059.09

f) भारतीय लेखांकन मानक (भारत- लेखांकन मानदंड) अभिसरण आईएफआरएस का कार्यान्वयन

बैंक, आईएनडी-एस के संबंध में सांविधिक प्राधिकरणों की रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का अनुपालन कर रहा है। आईएनडी-एस वित्तीय विवरणी प्रोफार्म छमाही आधार पर आरबीआई को प्रेषित किया जाता है। बैंक ने आईएनडी-एस के कार्यान्वयन के क्षेत्र में वृहत अनुभव रखने वाले परामर्शदाता को नियुक्त किया है। परामर्शदाता, आईएनडी-एस के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में रोडमैप तैयार करने में बैंक की सहायता कर रहे हैं।

g) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	187.67	172.23
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

h) बैंकों कार्मिकों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹236.84 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने परिपत्र भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 04 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से भारतीय बैंक संघ के समस्त सदस्यों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते प्रत्येक वर्ष, कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए। बैंक, उक्त देयता को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करेगा जो प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹47.37 करोड़ के अधीन है। 31 मार्च, 2025 तक शेष अपरिशोधित राशि ₹47.36 करोड़ थी। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹47.36 करोड़ की राशि प्रभारित की है। उक्त देयता 31 मार्च, 2026 को पूरी तरह से प्रभारित है।

i) बैंक द्वारा चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अन्य बैंकों से ली गई गैर-निधि सुविधा सहित ऋण सुविधा के विरुद्ध ₹17.35 करोड़ की राशि का चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, अन्य बैंकों से ली गई गैर-निधि सुविधा सहित ऋण सुविधा के विरुद्ध शून्य रुपये की राशि का चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया गया।

j) हरित जमाराशियों से एकत्रित धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की सूचना

(राशि करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	संचयी
कुल एकत्रित हरित जमा (A)	2.84	2.73	5.57
हरित वित्त जमा का उपयोग			
(1) नवीकरणीय उर्जा	1.60	0.00	1.60
(2) उर्जा दक्षता	0.00	0.00	0.00
(3) स्वच्छ परिवहन	1.24	2.73	3.97
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0.00	0.00
(5) सतत जल एवं अवशेष प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
(6) प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
(7) हरित इमारतें	0.00	0.00	0.00
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	0.00	0.00	0.00
कुल हरित जमा निधि आवंटन (B = 1 से 9 का योग)	2.84	2.73	5.57
हरित जमा निधि की आवंटित नहीं की गई राशि (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.86/21.04.018/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 का प्रकटीकरण:

- i) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्ष के तहत "विविध आय" उपशीर्ष के अंतर्गत मदें :
(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	कुल आय में से %	2024-25	कुल आय में से %
1	तकनीकी रूप से बट्टे में डाले गए खातों में वसूली	706.57	5.14	550.79	4.22
2	विविध आय	249.69	1.81	231.84	1.78
3	ऋण प्रसंस्करण आय	172.34	1.25	130.37	1.00

- ii) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के तहत उपशीर्ष "अन्य व्यय" के अंतर्गत मदें : शून्य
- iii) कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक वाले शीर्ष "अनुसूची 5 (IV)- अन्य देनदारियां और प्रावधान- "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत मदें: शून्य
- iv) कुल आस्तियों के 1% (एक प्रतिशत) से अधिक वाले "अनुसूची 11(VI)-अन्य आस्तियां-"अन्य" शीर्ष के अंतर्गत मदें शून्य

14. लेखांकन मानक (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण

a) लेखांकन मानक-3 नकदी प्रवाह विवरणी

बैंक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरणी निर्मित करता है।

b) लेखांकन मानक 5 : अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

नोट में अन्यत्र उद्धाटित को छोड़कर आरबीआई निर्देशों के साथ पठित एएस-5 के अनुसार लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किसी भी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

c) लेखांकन मानक 9 : राजस्व अभिज्ञान

आय की कतिपय मदों को अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मद संख्या D.1 - "राजस्व अभिज्ञान" में उद्धाटित अनुसार उगाही आधार पर अभिज्ञापित किया गया है। तथापि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

d) लेखांकन मानक 10 : संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर/अचल आस्ति/ परिसंपत्ति

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। दिनांक 31.03.2065 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का अंतिम शेष (राजस्व आरक्षित में हस्तांतरित राशि को घटाकर) ₹1060.53 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹1063.46 करोड़)

e) लेखांकन मानक 15 – कार्मिक हितलाभ

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा अन्य दीर्घकालीन लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में अभिज्ञात नियोजन पश्चात लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	(राशि करोड़ में)					
	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1 अप्रैल को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	5029.84	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80
ब्याज लागत	339.21	308.32	36.18	23.13	29.23	20.57
गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	187.06	186.98	30.04	31.22	71.74	74.74
प्रदत्त लाभ	(557.78)	(554.13)	(23.33)	(37.16)	(27.43)	(27.14)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	76.58	175.25	(0.17)	104.79	(47.74)	9.19
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	5074.94	5029.85	514.12	471.40	410.94	385.15

योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	(राशि करोड़ में)					
	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1 अप्रैल को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	346.59	372.69	34.37	27.20	28.54	24.90
अंशदान	366.85	372.62	92.76	103.04	71.48	76.17
प्रदत्त लाभ	(557.78)	(554.13)	(23.33)	(37.16)	(27.43)	(27.14)
बीमांकिक लाभ/(हानि)	18.52	(1.30)	9.83	3.66	4.05	0.51
31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	5028.48	4854.29	550.48	436.84	439.32	362.67
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	365.11	371.39	44.20	30.86	32.59	25.41



निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
दायित्व पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A)	76.58	175.25	(0.17)	104.79	(47.74)	9.19
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (B)	18.52	1.30	9.83	(3.66)	4.05	(0.51)
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	95.10	176.55	9.66	101.12	(43.69)	8.68
अवधि में अभिज्ञापित बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A+B)	95.10	176.55	9.66	101.12	(43.69)	8.68
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र में अभिज्ञापित राशि

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	5074.94	5029.85	514.12	471.40	410.94	385.15
घटाएं : 31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	5028.48	4854.29	550.48	436.84	439.32	362.67
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(46.46)	(175.56)	36.36	(34.56)	28.37	(22.48)
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(46.46)	(175.56)*	36.36	(34.56)	28.37	(22.48)

* ₹47.37 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

लाभ-हानि खाते में अभिज्ञापित व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	187.06	186.98	30.04	31.22	71.74	74.74
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	339.21	308.32	36.18	23.12	29.23	20.57
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	(346.59)	(372.67)	(34.37)	(27.20)	(28.54)	(24.90)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	58.06	176.54	(10.00)	101.12	(51.80)	8.68
आस्थगित पेंशन व्यय	-	-	-	-	-	-
निवल (लाभ)/व्यय	237.75	299.16	21.83	128.27	20.62	79.08

तुलन-पत्र में अभिज्ञापित देयताओं में उतार-चढ़ाव

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	175.56	249.02	34.56	9.34	22.48	19.57
जोड़ें : आस्थगित पेंशन व्यय	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : निवल लाभ व्यय	237.75	299.16	21.83	128.27	20.62	79.08
घटाएं : प्रदत्त अंशदान	366.85	372.62	92.76	103.04	71.48	76.17
समापन देयता/ (आस्ति)	46.46	175.56	(36.36)	34.56	(28.37)	22.48
जोड़ें : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संवरण देयताएं/ (आस्ति)	46.46	175.56*	(36.36)	34.56	(28.37)	22.48

* ₹47.37 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	3.60	4.21	-	-	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	6.96	7.83	12.64	15.74	-	-
उच्च सुरक्षा बॉन्ड/ टीडीआरएस	7.21	7.75	11.38	15.66	94.68	93.29
अन्य निवेश	82.23	80.21	75.98	68.60	5.32	6.71



तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमाकिक पूर्वानुमान

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
रियायती दर	7.14	6.65	7.87	6.99	7.87	6.99
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	7.87	7.99	7.97	8.00	8.47	8.64
वेतनवृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
हास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मार्टेलिटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

मानित बीमाकिक पूर्वानुमानों का आधार

विवरण	पूर्वानुमान का आधार
रियायती दर	रियायती दर का निर्धारण, देयता के अनुमानित अवधि की शर्तों के अनुरूप शासकीय बॉर्ड्स पर तुलन-पत्र की तिथि को बाजार प्रतिफल के संदर्भ में किया गया है।
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, अवधि के आरंभ में, योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेतनवृद्धि दर	बीमाकिक मूल्यांकन में वेतन में भविष्य में वृद्धि का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा कर्मचारी बाजार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
हास-दर	हास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त (लेकिन दिव्यांगता कारक शामिल है) समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है।
मार्टेलिटी तालिका	मार्टेलिटी तालिका, जिसे जीवन तालिका या बीमाकिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाली मृत्यु दर या जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की दर को दर्शाता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
देयता का वर्तमान मूल्य	8.27	8.00	2.84	1.47	2.53	1.25	2.56	1.32
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मान्य देयता	8.27	8.00	2.84	1.47	2.53	1.25	2.56	1.32

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण		रजत जयंती बोनस		सेवानिवृति उपहार	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
रियायती दर	7.87	6.99	7.87	6.99	7.87	6.99
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ह्रास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मार्टिलेटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

f) लेखांकन मानक- 17 – खंड रिपोर्टिंग:

भाग A: व्यापार खंड

(राशि करोड़ में)

कारोबार खंड	कोष		कोरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
विवरण	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	3599.78	3599.53	4171.06	4224.70	5952.11	5194.84	36.35	29.88	13759.30	13048.95
परिणाम	794.11	889.77	806.97	937.37	1151.55	1152.63	36.35	29.88	2788.98	3009.65
गैर-आर्बिट्रेट व्यय									607.24	934.73
परिचालनगत लाभ									2181.74	2074.92
प्रावधान व आकस्मिकताएं									429.41	737.37
आयकर									430.40	321.72



कारोबार खंड	कोष		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
विवरण	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ/हानि									1321.93	1015.83
अन्य जानकारी										
खंड आस्ति	50195.52	47653.22	52145.37	49987.58	74411.51	61466.49	0.00	0.00	176752.40	159107.29
गैर आर्बिट्रिट आस्तियां									2517.91	2707.88
कुल आस्तियां									179270.31	161815.17
देयताएं खंड	46897.13	44033.12	48718.87	46190.14	69521.89	56797.02	0.00	0.00	165137.89	147020.28
गैर आर्बिट्रिट देयताएं									0.00	1440.13
कुल देयताएं									165137.89	148460.41

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व खंड		परिणाम खंड		आस्ति खंड		देयताएं खंड	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1.	डिजिटल बैंकिंग	0.42	0.29	(1.81)	(1.49)	3.81	2.18	5.62	3.67
2.	अन्य खुदरा बैंकिंग	5951.69	5194.55	1153.36	1154.12	74407.70	61464.31	69516.27	56793.35
3.	खुदरा बैंकिंग	5952.11	5194.84	1151.55	1152.63	74411.51	61466.49	69521.89	56797.02

नोट : आईसीएआई के लेखांकन मानदंड -17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, बैंक के कारोबार को चार खंडों यथा [a] राजकोष परिचालन, [b] कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, [c] खुदरा बैंकिंग (आगे डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित) तथा [d] अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉरपोरेट/ थोक तथा खुदरा बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताओं को इन खंडों के एक्सपोजर के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग B भौगोलिक खंड:

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग अप्रयोज्य है।

g) लेखांकन मानक 18 – संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री रामजस यादव	दिनांक 30.04.2024 तक कार्यपालक निदेशक
श्री रवि मेहरा	दिनांक 09.10.2023 से कार्यपालक निदेशक
श्री राजीवा	दिनांक 09.08.2024 से कार्यपालक निदेशक

केएमपी से संबंधित पक्ष

डॉ. रामजस यादव	श्रीमती कृष्णा यादव	पत्नी
	श्री सौरभ यादव	पुत्र
श्री रवि मेहरा	श्रीमती बबिता मेहरा	पत्नी
	सुश्री नंदिनी मेहरा	पुत्री
	सुश्री परंजया मेहरा	पुत्री
श्री स्वरूप कुमार साहा	श्री सुमित साहा	पुत्र

(राशि लाख में)

मद/ संबंधित पक्ष	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी
शेष बकाया	31.03.2026	31.3.2025
जमाराशि	111.68	110.30
अग्रिम	4.32	48.00
वर्ष के दौरान किए गए संव्यवहार		
प्रदत्त ब्याज	6.48	5.44
प्राप्त ब्याज	0.79	1.72
प्रदत्त पारिश्रमिक (नीचे दिए गए विवरण का संदर्भ लें)	135.75	107.73
श्री स्वरूप कुमार साहा	43.66	40.37
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	शून्य	3.22
डॉ. रामजस यादव (30.04.2024)	46.71	22.22
श्री राजीवा	45.38	41.92

नोट: संबंधित पक्ष संबंध, बैंक द्वारा निर्धारित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा उस पर विश्वास किया गया है।

31.03.2026 के अनुसार बकाया:

(राशि करोड़ में)

मदें/ संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	रियायत	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार						
जमा				1.12	0.00	1.12



मर्दे/ संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	रियायत	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
जमाराशि का स्थानन						
अग्रिम				0.04	0.00	0.04
निवेश						
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएं						
पट्टा उधार/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया						
प्रदान की गई पट्टा उधार/एचपी व्यवस्था						
अचल संपत्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों का विक्रय						
भुगतान किया गया ब्याज				0.06	0.00	0.06
प्राप्त ब्याज				0.00	0.01	0.01
सेवाएं प्रदान करना						
सेवाएं प्राप्त करना						
प्रबंधन सविदा						

h) लेखांकन मानक 19 – पट्टा/ लीज़

परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कार्मिकों के आवास शामिल होते हैं जिन्हें सामान्यतः पट्टा अवधि के अंत में बैंक/पट्टादाता के विकल्प पर नवीकृत किया जा सकता है।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2026 तक रद्द न करने योग्य पट्टा : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में अनुसूची-16- "II- किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था" के अंतर्गत मान्य पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हुआ विगत वर्ष
123.68	112.25

i) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(राशि करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
इकिटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात निवल लाभ	1321.93	1015.83
इकिटी शेयर की भारित औसत संख्या	709.56	678.13
प्रति शेयर मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	1.86	1.50
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

j) लेखांकन मानक 21 – समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एस 21 अप्रयोज्य है।

k) लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

i) आईसीआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया है।

ii) आस्थगित कर आस्तियां /देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं: :

(राशि करोड़ में)

शीर्ष	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर परिसंपत्तियां	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	13.08	18.62
2 धारा) (1) 36vii के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां	0.00	0.00	73.67	73.67
3 निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	258.08	273.12	0.00	0.00
4 अग्रिमों के लिए प्रावधान	929.57	974.73	0.00	0.00
5 पुनर्संचित अग्रिमों के एफवी में हास के लिए प्रावधान	0.29	0.43	0.00	0.00
6 संचित हानि	0.00	142.53	0.00	0.00
7 बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार न करने का प्रावधान	22.11	0.00	0.00	0.00
8 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	0.45	0.00	0.00	0.00
9 नेट डेबिट प्रविष्टियों के लिए प्रावधान	3.90	0.00	0.00	0.00
10 आयकर रिफंड पर ब्याज (आईसीडीएस-IV के अनुसार रसीद के आधार पर कर योग्य)	0.00	0.00	3.32	0.00
11 लागू बैंक गारंटी के लिए प्रावधान	2.67	0.00	0.00	0.00
कुल	1217.07	1390.81	90.07	92.29

iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार समय के अंतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ के बैंक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर आस्थगित कर आस्तियां की समीक्षा की गई है और 31 मार्च 2026 तक ₹1127.00 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां को मान्यता दी गई है (31 मार्च 2025 तक ₹1298.52 करोड़) थी।

iv) अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹1041.50 करोड़ (विगत वर्ष ₹977.18 करोड़) की कुल आय की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

v) भारत सरकार ने करानुसंधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से धारा 115बीए सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर के अभिज्ञान को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है।



l) लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 23 लागू नहीं है।

m) लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और समय के साथ विकसित किया गया है। अतः, सॉफ्टवेयर की लागत अनिवार्य रूप से बैंक के परिचालन व्यय जैसे वेतन आदि का हिस्सा है और इस प्रकार लाभ और हानि खाते में व्यय के संबंधित प्रमुखों से शुल्क लिया जाता है।

n) लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास मौजूद स्थायी परिसंपत्तियों को 'कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां' माना जाता है, न कि 'नकद सृजन इकाइयां' जैसा कि एएस-28 द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रबंधन की राय में, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता के रूप में 31.03.2026/31.03.2025 तक की भौतिक राशि की 'स्थायी परिसंपत्तियों' का कोई क्षरण नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिम सहित अन्य परिसंपत्तियों का क्षरण प्रदान किया गया है।

o) लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां प्रावधान

i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है —

- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसके विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या
- विगत घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको अभिज्ञापित नहीं किया गया है क्योंकि :
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
 - देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं का केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, प्रावधान किया जाता है।

ii) आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कमी		अंतिम शेष	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	60.06	29.63	1.99	34.52	1.47	4.09	60.58	60.06

आह्वानकृत बैंक गारंटी	7.65	8.03	शून्य	शून्य	शून्य	0.38	7.65	7.65
अवक्रमित साख पत्र	शून्य							

p) खातों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स में अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का उचित स्थानों पर प्रकटन किया गया है।

15. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम के अनुसार वेंडर्स को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ था इसलिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

16. पत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांकित 23 जून, 2017 और डीबीआर सं. बीपी: 1907/ 21.04. 048/2017-18 दिनांकित 28 अगस्त 2017 के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया-प्रावधानीकरण मानदंड आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने उपरोक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट एनपीए उधार खातों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को ₹229.80 करोड़ (31 मार्च, 2025- ₹230.05 करोड़) की बकाया राशि के विरुद्ध ₹229.80 करोड़ (31 मार्च, 2025- ₹230.05 करोड़) का प्रावधान किया है।

17. एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया

वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने निम्न प्रकरणों में आरबाई द्वारा एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए निर्धारित एलईएफ सीमा का अधिक्रमण किया है :

उधारकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एलईएफ के अनुसार एक्सपोजर सीमा (%)	31.03.2026 को सीमा/ देयता	31.03.2025 को टीयर 1 पूंजी के संबंध में एक्सपोजर (%)
शून्य				

18. बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दो उधार खातों में ₹102.99 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दो उधार खातों में ₹99.98 करोड़) का निधिक एक्सपोजर किया है जो मुकदमेबाज़ी के अधीन हैं और संबंधित निर्णायक प्राधिकारियों ने डाउनग्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बैंक ने खातों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

19. आरबीआई परिपत्र दिनांकित 19 दिसंबर, 2023 के अनुसरण में, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के संबंध में, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान शून्य (वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए शून्य) का प्रावधान आवश्यक है और इसका प्रावधान किया गया है।

20. अनुसूची 13(II) - निवेश पर आय में पुनर्पूँजीकरण बांड पर ब्याज की वृद्धि के संबंध में संचय के आधार पर अभिज्ञापित आय शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मान्यता प्राप्त ऐसी ब्याज आय की कुल राशि 475.45 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 454.72 करोड़ रुपये) है।

21. आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.सं.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 "वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का स्थानांतरण और वितरण" के संदर्भ में; बैंक ने अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए जोखिम साझाकरण के आधार पर इंटर-बैंक-भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) में भाग लिया है; अतः बैंक के कुल अग्रिमों में दिनांक 31.03.2026 तक ₹2590.89 करोड़ (दिनांक 31.03.2025 तक ₹3063.99 करोड़) उसी सीमा तक की वृद्धि हुई।

22. बैंक के बोर्ड ने 27 अप्रैल, 2026 को हुई बैठक में शेयरधारकों की ज़रूरी मंजूरी मिलने की शर्त पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.90% यानी प्रति इक्विटी शेयर ₹0.39 (₹10 प्रति शेयर का अंकित मूल्य) का डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह 0.70% यानी प्रति इक्विटी शेयर ₹0.07 था)।



23. बैंक के पास 31 मार्च, 2026 को 7.79 करोड़ रुपये का प्रावधान है (31 मार्च 2025 को 8.51 करोड़ रुपये) जो एसबीआई, प्रमुख बैंक को आरबीआई पत्र संख्या डीबीआर (बीपी) संख्या 7201.21.04.132/2017-18 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार पंजाब राज्य सरकार द्वारा लिए गए बकाया खाद्य ऋण का 5% है।
24. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण उन्हीं लेखांकन नीतियों और मान्यताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त विगत वर्ष में अपनाई गई थीं
25. लेखांकन मानक 11 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि खाते में जमा किए गए विनिमय अंतर के कारण शुद्ध आय ₹17.48 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹11.95 करोड़) है।
26. विगत अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ in '000)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (विगत वर्ष)
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	1,32,19,342	1,01,58,309
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	85,98,069	1,05,90,913
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	17,69,926	14,50,846
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि/(लाभ)	11,48,615	(5,74,250)
आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	1,577	1,975
बॉण्ड पर ब्याज	33,77,535	17,07,323
कार्मिक कल्याण न्यास तथा सीएसआर निधि में योगदान	(88,417)	(45,370)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	2,80,26,647	2,32,89,745
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	16,05,49,894	10,36,44,676
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	2,12,28,061	1,45,86,640
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	(1,74,71,144)	1,36,33,731
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	(3,12,57,228)	(1,50,72,547)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(18,74,61,450)	(15,15,74,249)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	1,02,67,112	(1,80,62,439)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर)	(28,13,000)	66,19,400
परिचालन गतिविधियों में नकदी(बहिर्प्रवाह)(A)	(1,89,31,108)	(2,29,35,042)
B. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	(24,07,485)	(16,74,100)
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	(1,577)	(1,975)
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी(बहिर्प्रवाह)(B)	(24,09,062)	(16,76,075)
C. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकदी के लिए इक्विटी शेयर(अंकित मूल्य) का निर्गम	-	31,77,987
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	-	90,15,952
अधिमानी निर्गम व्यय	6,313	(1,49,421)
गौण बॉण्ड का निर्गम	-	3,00,00,000



बॉण्ड पर ब्याज	(33,77,535)	(17,07,323)
इक्विटी पर लाभांश	(4,96,691)	(13,55,557)
वित्तपोषण गतिविधियों से/में नकदी अंतर्प्रवाह(बहिर्प्रवाह) (C)	(38,67,913)	3,89,81,638
परिचालन गतिविधियों से नकदी(बहिर्प्रवाह) (A)	(1,89,31,108)	(2,29,35,042)
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी(बहिर्प्रवाह)(B)	(24,09,062)	(16,76,075)
वित्तपोषण गतिविधियों से/में नकदी अंतर्प्रवाह(बहिर्प्रवाह)(C)	(38,67,913)	3,89,81,638
नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि/ (कमी) (A+B+C)	(2,52,08,083)	1,43,70,521
नकदी और बैंक शेष (प्रारंभिक)(संदर्भ हेतु अनुसूची 6 तथा 7)	8,82,00,640	7,38,30,119
नकदी और बैंक शेष (अंतिम)(संदर्भ हेतु अनुसूची 6 तथा 7)	6,29,92,557	8,82,00,640

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

17

खातों की टिप्पणी

18

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

अर्नब गोस्वामी मुख्य वित्तीय अधिकारी		एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000346N		गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001466N	
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निदेशक	विवेक श्रीवास्तव निदेशक	(सनदी लेखाकार प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम.न. 566023 यूडीआईएन :26566023WYNGEH9733		(सनदी लेखाकार गुरनीत सिंह भान) साझेदार एम. न. 532675 यूडीआईएन: 26532675YNDAWF6678	
जितेंद्र असाती निदेशक	राजीवा कार्यपालक निदेशक	ओ पी तोतला एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 000734C		एनबीएस एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 110100W	
रवि मेहरा कार्यपालक निदेशक	स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	(सनदी लेखाकार अभिजीत गुप्ता) साझेदार एम. न. 454850 यूडीआईएन:26454850VQLEWE3778		(सनदी लेखाकार शार्थ के शेठ्टी) साझेदार एम. न. 132775 यूडीआईएन: 26132775QKDBTN9395	



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110 023
<https://punjabandsind.bank.in/>

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be on **Tuesday, the 28th July, 2026 at 11.00 a.m.** held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM)(the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2026, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To approve and declare dividend for the Financial Year 2025-26.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 06.07.2026

Saket Mehrotra
Company Secretary
Membership No: A63265



NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs, the 16th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 16th AGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.bank.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **Thursday, 23rd July 2026**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

5. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Record date for payment of Dividend will be **Tuesday, July 21, 2026**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.39 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2026, subject to the approval of shareholders at the 16th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders at the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:



- a. As beneficial owners as at the close of business hours on **Tuesday, July 21, 2026** as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- b. In the Register of Shareholders as on **Tuesday, July 21, 2026**, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Tuesday, July 21, 2026**.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., MUFG Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 16th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- i) With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - b. Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

6. Payment of Dividend to Shareholders holding Share in physical form (Share Certificate):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details including proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).



In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

7. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

- i. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 2025 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- ii. A Resident shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 121 (Erstwhile Form 15G/15H), to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 41 (Erstwhile Form 10F), any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html>. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/>.
- iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), **Tuesday, July 21, 2026** on the website of the RTA viz. <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html> in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

8. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.



9. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday, July 21, 2026**.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- i. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Friday, 24th July, 2026** and ends at **05:00 p.m. on Monday, 27th July, 2026**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Tuesday, July 21, 2026**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
- iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.



In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

- iv. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on Login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joinings virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33



Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
---	--

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- v. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form**.
 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 2. Click on “Shareholders” module.
 3. Now enter your User ID
 - i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vi. After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- ix. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- x. On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/ NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xi. Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xvii. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only**
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.bank.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.



PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.bank.in / delhi@in.mpms.mufg.com
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by **21st July 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries **21st July 2026** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.bank.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

10. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

11. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.

12. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2025-26 containing the Notice of the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "MUFG Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@in.mpms.muvg.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.
- c) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.

13. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).



MUFG Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@in.mpms.mufg.com	The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.bank.in
--	---

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s MUFG Intime India Private Limited) has launched '**SWAYAM**', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'**SWAYAM**' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at <https://swayam.in.mpms.mufg.com/>

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.
- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

14. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:



Sl No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) are available on our website at https://punjabandsind.bank.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at MUFG Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.



16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank. After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 06.07.2026

Saket Mehrotra

Company Secretary

Membership No: A63265



DIRECTORS' REPORT 2025-26

To the Shareholders,

The Board of Directors of Punjab & Sind Bank are pleased to present the Directors' Report together with the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended March 31, 2026.

The Financial Year 2025-26 was marked by a dynamic operating environment characterized by evolving global economic conditions, geopolitical developments, rapid technological advancements and changing customer expectations. Amid these developments, the Indian economy continued to demonstrate resilience, supported by strong domestic demand, sustained public investment, a robust financial sector and sound macroeconomic fundamentals.

Against this backdrop, Punjab & Sind Bank delivered another year of strong and balanced performance, reflecting the effectiveness of its strategic priorities and the commitment of its employees across the country. The Bank recorded healthy growth in business volumes, significant improvement in profitability, continued strengthening of asset quality and notable progress in digital transformation, operational excellence and customer-centric innovation.

The Bank remained focused on sustainable growth through calibrated expansion across Retail, Agriculture and MSME (RAM) segments, prudent risk management, enhanced recovery efforts and disciplined capital allocation. Simultaneously, the Bank accelerated its digital transformation journey through technology-led initiatives aimed at improving customer experience, enhancing operational efficiency and strengthening risk and compliance capabilities.

During the year under review, the Bank further deepened its commitment towards financial inclusion, social responsibility, sustainable banking and stakeholder value creation. Significant efforts were undertaken to expand outreach in rural and semi-urban markets, strengthen financial literacy initiatives, support priority sectors of the economy and contribute meaningfully to national development objectives.

The Board is pleased to report that the Bank achieved important milestones across key business and financial parameters during FY 2025-26, reflecting the growing strength and resilience of its franchise.

The glimpse of the Bank's performance and strategic initiatives during the year are presented in the subsequent sections of this Report.



GLIMPSE OF BANK'S PERFORMANCE

Prestigious Awards

1	Conferred Best Emerging Bank in MSME and Best Bank for Promoting Social Schemes (Runner-Up) by the Union Minister of Commerce and Industry.
2	Won the Fastest Growth in Guarantee award from NCGTC
3	Second Prize (Region A) from the Ministry of Finance for Official Language implementation.

Business Success & Asset Quality

1	Total business crossed ₹2.63 lakh crore (▲ 14.94%) , driven by robust growth in deposits (▲ 12.37% to ₹1,45,829 crore) and Gross Advances (▲ 18.29% to ₹1,17,823 crore).
2	Net Profit jumped by 30.12% to ₹1,322 crore , with Return on Assets (RoA) rising to 0.79% .
3	Gross NPAs dropped sharply to 2.40% (down from 3.38%) and Net NPAs fell to 0.79% . The Provision Coverage Ratio stood strong at 90.91%
4	Maintained a robust Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 17.42% under Basel III

Game-Changing IT Initiatives

1	Real-Time Fraud Prevention: Partnered with RBIH to deploy MuleHunter AI , upgrading fraud detection to a near real-time, hourly processing model.
2	Advanced Cyber Safeguards: Implemented the FRI & MNRL systems to track real-time digital transaction risk tiers and disconnected mobile links.
3	Tech Modernization: Advanced private cloud infrastructure and established readiness for the Central Bank Digital Currency (CBDC) .

GIFT City Expansion

Global Footprint: A significant milestone during the year was the receipt of No Objection Certificate (NOC) from the Reserve Bank of India for establishing an International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit at GIFT City, Gandhinagar. This will help the Bank in progressing towards opening an International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit at **GIFT City, Gandhinagar**, while centralizing global trade finance operations.

Customer Convenience & Social Inclusion

1	RAM Portfolio Surge: The Retail, Agriculture, and MSME (RAM) segment accounted for 58.80% of total advances, led by a 29.70% growth in MSME, and a 24.59% growth in Retail and 23.44% growth in Agriculture.
2	Grassroots Impact: Achieved 102% of its MUDRA target (disbursing ₹3,062 crore) and surpassed annual benchmarks for flagship social schemes like PMJJBY, PMSBY, and APY .

1. ECONOMIC AND BANKING ENVIRONMENT

a. Global Economic Landscape

The global economy during 2025-26 continued to navigate a complex environment marked by geopolitical uncertainties, changing trade dynamics, inflationary pressures in certain regions and evolving monetary policy responses by central banks. Despite these challenges, economic activity remained resilient across several major economies, supported by technological innovation, investment in digital infrastructure and gradual normalization of supply chains.

The global financial sector witnessed increasing focus on operational resilience, cybersecurity, artificial intelligence, sustainability and climate-related financial risks. Financial institutions across the world continued to invest significantly in technology modernization and customer-centric digital ecosystems to remain competitive in a rapidly changing environment.

The International Monetary Fund (IMF), in its January 2026 World Economic Outlook update, revised global growth forecast for 2026 upward by 20 basis points to 3.3 per cent, while retaining the 2027 forecast at 3.2 per cent. The OECD, however, maintained a cautious outlook, projecting global growth at 2.9 per cent for 2026 and 3.0 per cent for 2027 in its March 2026 Economic Outlook. Rising energy prices and geopolitical developments continue to pose risks to global growth, inflation, and financial stability.

b. Indian Economic Environment

India continued to maintain its position among the fastest-growing major economies globally. Growth was supported by strong domestic consumption, sustained public infrastructure spending, expansion in manufacturing activity, increasing private sector investments and a resilient services sector.

The country's macroeconomic fundamentals remained stable, supported by manageable inflation, healthy foreign exchange reserves, robust tax collections and continued policy reforms. Government initiatives aimed at infrastructure development, financial inclusion, digital transformation and ease of doing business further strengthened the economic growth trajectory.

The year-on-year Consumer Price Index (CPI)-based inflation stood at 3.48 per cent (provisional) in April 2026 as compared to April 2025. As per the recent Monetary Policy Committee (MPC) statement, CPI inflation for FY 2026–27 is projected at 4.6 per cent, with quarterly projections of 4.0 per cent in Q1, 4.4 per cent in Q2, 5.2 per cent in Q3 and 4.7 per cent in Q4.

The Reserve Bank of India (RBI) in its recent MPC Statement has maintained the real GDP growth projection for 2026–27 at 6.9 per cent, with quarterly estimates of 6.8 per cent in Q1, 6.7 per cent in Q2, 7.0 per cent in Q3, and 7.2 per cent in Q4. However, elevated energy prices, supply disruptions, and volatility in global financial markets may continue to pose near-term challenges to growth and exports.

c. Banking Sector Outlook

The Indian banking sector remained robust and resilient during FY 2025-26, supported by improved balance sheets, healthy capital positions, stronger profitability and continued improvement in asset quality.

Credit growth remained broad-based across retail, agriculture, MSME and infrastructure sectors, while



banks intensified efforts towards deposit mobilization amid increasing competition. Digital banking adoption continued to accelerate, driven by growing customer preference for convenient, secure and technology-enabled financial services.

The regulatory focus on governance, risk management, operational resilience, cyber security and customer protection continued to strengthen the overall stability and sustainability of the banking ecosystem.

Punjab & Sind Bank remains well-positioned to capitalize on emerging opportunities while continuing to support the nation's growth agenda through responsible and inclusive banking.

2. FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank delivered a strong financial performance during FY 2025-26, driven by healthy growth in business volumes, improved operational efficiency, robust risk management practices and focused efforts towards improving asset quality.

a. Business Growth

Total Business increased by 14.94% (YoY) and reached ₹2,63,652 crore as on March 31, 2026.

b. Deposit Growth

The Bank's deposit base increased by 12.37% (YoY) to ₹1,45,829 crore as against ₹1,29,774 crore in the previous year.

Retail deposits continued to remain a key focus area and witnessed healthy traction during the year. Retail term deposits increased by 19.58% (YoY) to ₹65,047 crore, reflecting strong customer confidence in the Bank's franchise and product offerings.

CASA deposits increased by 10.02% (YoY) and stood at ₹44,876 crore, providing a stable and cost-effective funding base for the Bank's growth initiatives.

c. Advance Growth

Gross Advances registered robust growth of 18.29% (YoY) and increased to ₹1,17,823 crore from ₹99,605 crore in the previous year.

The Bank maintained a balanced credit portfolio with continued emphasis on Retail, Agriculture and MSME segments while selectively expanding its corporate credit portfolio. The share of RAM advances stood at 58.80% of Gross Advances compared to 55.15% as on 31.03.2025, underscoring the Bank's commitment towards inclusive and diversified growth.

d. Asset Quality

A high quality asset portfolio serves as the cornerstone of our long-term financial stability. We are pleased to report that the Bank maintained strong credit discipline and robust risk management practices, reflecting a significant improvement across key asset quality parameters during the Financial Year 2025-26.

The Gross NPAs of the Bank registered a substantial decline, standing at ₹ 2,830.77 crore (2.40%) as on March 31, 2026, compared to ₹ 3,370.06 crore (3.38%) as on March 31, 2025.

The Net NPAs of the Bank also witnessed a positive reduction, coming down to ₹ 919.19 crore (0.79%) as on March 31, 2026, against ₹ 937.07 crore (0.96%) in the previous financial year.

Demonstrating the Bank's strong resilient buffering capability, the Provision Coverage Ratio stood at a healthy 90.91% as on March 31, 2026, compared to 91.38% as on March 31, 2025.

Enhanced credit monitoring and proactive recovery mechanisms helped control fresh slippages effectively. The Slippage Ratio of the Bank improved significantly to 0.70% for the year ended March 31, 2026, down from 0.99% as on March 31, 2025.

e. Profitability

The Bank's profitability improved significantly during the year, reflecting sustained business growth, enhanced operating efficiencies and improved asset quality.

Operating Profit stood at ₹2,182 crore. Net Profit increased by 30.12% and reached ₹1,322 crore as compared to ₹1,016 crore in the previous year.

Return on Assets improved to 0.79%, reflecting improved earnings quality and efficient utilization of assets.

The Bank's earnings profile continued to strengthen through a balanced combination of interest income, treasury operations, fee-based income and recovery from stressed assets.

f. Capital Adequacy

The Bank maintained a strong capital position throughout the year, significantly above the regulatory requirements prescribed by the Reserve Bank of India.

Capital Adequacy Ratio under Basel III stood at 17.42%, while CET-1 Ratio stood at 15.92% as on March 31, 2026.

The strong capital base provides adequate capacity to support future business growth while maintaining resilience against potential economic uncertainties.

3. BUSINESS GROWTH AND STRATEGIC INITIATIVES

The Bank's growth strategy during FY 2025-26 was anchored on strengthening its core banking franchise, enhancing customer engagement, accelerating digital adoption, improving operational efficiency and expanding its presence across high-growth business segments.

The Bank pursued a balanced growth model focused on sustainable expansion of the Retail, Agriculture, MSME and Corporate portfolios while maintaining prudent underwriting standards and strong risk governance. Strategic emphasis was placed on increasing granular deposits, deepening customer relationships, improving cross-selling opportunities and enhancing the overall customer experience.

During the year, the Bank continued to leverage technology as a key enabler of growth by simplifying customer journeys, digitizing processes and introducing innovative products and services across business segments. These initiatives enabled faster service delivery, improved operational efficiency and strengthened the Bank's competitiveness in an increasingly digital banking ecosystem.

The Bank's strategic initiatives were guided by five key priorities:

- **Strengthening the Retail Banking Franchise**

The Bank continued to expand its retail customer base through tailored products, improved digital channels and enhanced service delivery mechanisms. Focus remained on housing loans, vehicle



loans, personal loans and other retail lending products aimed at meeting the evolving needs of customers across demographics.

- **Expanding MSME and Agriculture Financing**

Recognizing the importance of MSMEs and agriculture in driving economic growth and employment generation, the Bank intensified its efforts to provide timely and accessible credit to entrepreneurs, farmers and rural enterprises. Digital credit assessment mechanisms and simplified loan origination processes were leveraged to improve accessibility and turnaround times.

- **Digital-First Customer Experience**

The Bank accelerated its digital transformation journey by strengthening internet banking, mobile banking, UPI-based services and digital lending capabilities. Significant investments were made in customer on-boarding, transaction processing, payment ecosystems and self-service channels to deliver seamless and secure banking experiences.

- **Strengthening Liability Franchise**

Deposit mobilization remained a key strategic focus area during the year. The Bank adopted targeted strategies to increase CASA deposits, deepen retail deposit penetration and strengthen relationships with existing customers through customized offerings and improved service quality.

- **Enhancing Operational Excellence**

The Bank continued its efforts towards process simplification, centralization of operations, automation and technology-enabled controls. These initiatives contributed to improved efficiency, better risk management and enhanced customer satisfaction.

Through these strategic initiatives, the Bank strengthened its market position while maintaining a strong focus on profitability, customer trust and long-term sustainability.

4. RETAIL, AGRICULTURE AND MSME (RAM) BUSINESS

Retail, Agriculture and MSME (RAM) Banking continued to remain the cornerstone of the Bank's growth strategy and constituted 58.80% of Gross Advances as on March 31, 2026.

The Bank maintained a customer-centric approach towards RAM lending by offering innovative products, simplified processes and technology-enabled solutions aimed at improving credit accessibility and enhancing customer convenience.

a. Retail Banking

Retail Banking registered robust growth during the year, driven by strong demand across housing, personal and vehicle loan segments.

Retail Advances increased by 24.59% (YoY) and reached ₹27,498 crore as on March 31, 2026.

The Bank continued to focus on expanding its retail lending portfolio through a combination of branch-led acquisition, digital sourcing channels and strategic partnerships. Special emphasis was placed on improving turnaround times, simplifying documentation requirements and enhancing customer experience.

Several initiatives were undertaken during the year to strengthen the Bank's retail franchise, including digital loan origination capabilities, automated credit assessment processes and end-to-end digital customer journeys.

The Bank remains committed to expanding access to retail credit while maintaining prudent underwriting standards and portfolio quality.

The Bank has accelerated digitization of lending across Retail segments to improve turnaround time and customer experience. Following schemes have been digitised:

- Digital Education Loans up to ₹7.5 lakh ensure quick, paperless access to higher education funding.
- Digital Personal Loans up to ₹5 lakh provide instant, hassle-free credit through a fully digital process.
- Digital Pre-Owned Car Loans up to ₹50 lakh offer seamless financing while boosting customer convenience and confidence in used vehicle purchases
- Digital Rooftop Solar Loans up to ₹2 lakh promote clean and sustainable energy adoption.

b. Agriculture Banking

Agriculture remains a critical pillar of the Indian economy and a key focus area for the Bank.

Agriculture Advances increased by 23.44% (YoY) and stood at ₹16,610 crore as on March 31, 2026.

The Bank continued to support farmers, agri-businesses, dairy enterprises, horticulture activities and allied agricultural sectors through a comprehensive range of credit products.

Special focus was placed on financing farm mechanization, irrigation projects, renewable energy solutions and income-generating agricultural activities. The Bank also actively supported various Government-sponsored schemes aimed at promoting rural development and agricultural prosperity.

The Bank remains committed to advancing financial inclusion and supporting the agricultural ecosystem through responsible and sustainable financing.

c. MSME Banking

The MSME sector continues to play a vital role in employment generation, entrepreneurship and economic development.

MSME Advances increased by 29.70% (YoY) and reached ₹25,169 crore during FY 2025-26.

The Bank continued to strengthen its MSME franchise through customized financing solutions, digital credit assessment tools and simplified loan processing mechanisms. Special emphasis was placed on supporting micro and small enterprises, women entrepreneurs, start-ups and emerging businesses through technology-enabled lending platforms and relationship-based banking.

The Bank also continued to support various Government initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem and promoting inclusive economic growth.

The TReDS portfolio of the Bank has also increased substantially from ₹ 1,787 Cr in FY 2025 to ₹ 3,100 Crore in FY 2026.

The Bank has accelerated digitization of lending across MSME segments to improve turnaround time



and customer experience. Following schemes have been digitised:

- Digital MSME Loans up to ₹100 lakh have been launched to meet evolving business finance needs.
- Digital SHG Loans strengthen financial inclusion by providing quick and convenient credit to Self-Help Groups.
- Digital Vishwakarma and PM SVANidhi Loans provide seamless financial support to artisans, craftsmen, and street vendors.
- Digital Commercial Vehicle Loans offer a fully online financing solution for commercial vehicles up to ₹50 lakh.

5. MUDRA

As part of its commitment to fostering entrepreneurship and self-employment opportunities, the Bank continued to actively participate in the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY).

During FY 2025-26, the Bank achieved 102% of its annual MUDRA lending target and disbursed loans amounting to ₹3,062 crore.

These initiatives have contributed significantly towards promoting financial inclusion, employment generation and economic empowerment at the grassroots level.

6. DIGITAL TRANSFORMATION AND TECHNOLOGY ENABLED BANKING

Digital transformation continued to be a strategic priority for the Bank during FY 2025-26. The Bank undertook several initiatives aimed at enhancing customer experience, improving operational efficiency, strengthening security and creating a future-ready banking ecosystem.

The Bank's digital strategy is centred around delivering seamless, secure and convenient banking services through technology-enabled platforms while maintaining the highest standards of governance and customer protection.

• Strengthening Digital Banking Ecosystem

During the year, the Bank significantly enhanced its digital banking capabilities through upgrades to internet banking, mobile banking and payment platforms.

Multiple customer-centric functionalities were introduced across retail and corporate banking channels, enabling customers to access a wider range of banking services through self-service digital platforms.

These enhancements included improvements in account servicing, deposit management, payment processing, customer on-boarding, beneficiary verification, tax payment facilities, and complaint management and transaction security mechanisms.

• Digital Lending Transformation

The Bank accelerated the digitization of lending processes across multiple business segments.

Digital lending solutions covering MSME loans, Self Help Group loans, PM Vishwakarma loans, PM SVANidhi loans, commercial vehicle loans, education loans, personal loans and housing loans were further strengthened during the year.

The digital lending framework has significantly reduced processing time, improved operational efficiency and enhanced customer convenience while maintaining robust credit underwriting standards.

- **Payment Systems and UPI Innovation**

The Bank continued to strengthen its digital payments ecosystem through enhancements in UPI services, merchant on-boarding capabilities, positive pay systems and fraud prevention measures.

Several customer protection measures were implemented in alignment with NPCI guidelines, including enhanced onboarding controls, beneficiary verification systems and transaction risk mitigation mechanisms.

These initiatives have strengthened customer trust while promoting secure adoption of digital payment channels.

- **Technology Modernization**

The Bank initiated significant technology modernization initiatives aimed at enhancing scalability, resilience and future readiness.

Key initiatives included:

- Strengthening private cloud infrastructure.
- Readiness for Central Bank Digital Currency (CBDC).
- API-enabled architecture for integration and innovation.
- Enhanced digital on-boarding capabilities.
- Automation of operational processes.
- Strengthening enterprise-wide technology governance.

These initiatives are expected to provide a robust foundation for the Bank's long-term digital transformation journey.

7. INTERNATIONAL BANKING

The Bank's International Banking operations continued to play a strategic role in supporting customers engaged in global trade and cross-border business activities. Through its growing trade finance capabilities, foreign exchange services and correspondent banking relationships, the Bank remains committed to facilitating international business opportunities for its customers.

During FY 2025-26, the Bank undertook several initiatives to strengthen its international banking framework, improve operational efficiency and enhance customer service delivery.

- **Centralization of International Trade Finance Operations**

As part of its operational transformation agenda, the Bank is in advanced stage of implementing the centralization of international trade finance operations. Key modules relating to Outward Remittance Management (ORM) and Inward Remittance Management (IRM) were operationalized across the Bank's network, enabling greater standardization, improved regulatory compliance and enhanced processing efficiency.



- **Expansion into GIFT City**

A significant milestone during the year was the receipt of No Objection Certificate (NOC) from the Reserve Bank of India for establishing an International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit at GIFT City, Gandhinagar. The Bank is in the process of obtaining other necessary approvals from the competent authority for establishment of the Gift City branch during the period FY 2026-27.

The proposed presence at GIFT City will enable the Bank to expand its international banking footprint, access new business opportunities and participate more actively in global financial markets. This initiative aligns with the Government of India's vision of developing GIFT City as a world-class international financial hub.

8. CUSTOMER EXPERIENCE AND SERVICE EXCELLENCE

Customer centricity remains at the core of the Bank's business philosophy. During FY 2025-26, the Bank continued to invest in technology, process improvements and service delivery mechanisms aimed at enhancing customer satisfaction and building long-term relationships.

The Bank's customer service strategy is focused on providing seamless, secure and convenient banking experiences across physical and digital channels while maintaining the highest standards of transparency and responsiveness.

- **Customer Engagement**

The Bank significantly enhanced its customer engagement framework through the modernization of its 24x7 Contact Centre ecosystem.

The upgraded platform integrates voice, digital and self-service channels to provide customers with seamless access to banking services and support. Advanced customer relationship management capabilities have enabled more efficient handling of customer queries, complaints, feedback and service requests.

The introduction of multilingual support and self-service functionalities has further improved accessibility and convenience for customers across diverse geographies.

- **Leveraging Artificial Intelligence and Analytics**

The Bank continued to leverage Artificial Intelligence (AI), analytics and automation to improve customer experience and operational effectiveness.

AI-enabled tools, knowledge management platforms, virtual assistants and advanced analytics solutions have been deployed to support customer interactions, service quality monitoring and decision-making processes.

These initiatives have enabled faster resolution of customer queries, enhanced service consistency and improved customer engagement.

- **Strengthening Customer Protection**

Customer protection and trust remain central to the Bank's service philosophy.

Several initiatives were undertaken during the year to strengthen transaction security, improve fraud prevention mechanisms and enhance customer awareness regarding digital banking risks.

The Bank remains committed to delivering a secure, reliable and customer-friendly banking environment.

9. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND SUSTAINABILITY INITIATIVES

The Bank recognizes that sustainable development is integral to long-term value creation and responsible banking. During FY 2025-26, the Bank continued to integrate environmental and social considerations into its business strategy, lending practices and operational framework.

The Bank remains committed to supporting India's sustainability objectives while promoting environmentally responsible and socially inclusive growth.

- **Sustainable Financing**

The Bank continued to support environmentally sustainable projects through dedicated financing initiatives aimed at promoting renewable energy and resource efficiency.

Under the PSB Sour Urja initiative, financing support was extended for installation of rooftop and ground-mounted solar energy systems. These initiatives contribute towards reducing carbon emissions, promoting clean energy adoption and supporting sustainable economic development.

- **Social Responsibility and Inclusive Growth**

The Bank continued to prioritize financial inclusion, rural development, women empowerment and support for underserved communities through its lending, outreach and social initiatives.

The Bank's commitment to responsible banking extends beyond financial performance and reflects its broader role in contributing to sustainable and inclusive national development.

10. BRAND BUILDING AND CORPORATE COMMUNICATION

During FY 2025-26, the Bank undertook several additional initiatives to strengthen brand visibility, enhance stakeholder engagement and reinforce its positioning as a trusted and progressive public sector bank.

The Bank adopted a multi-channel communication strategy leveraging both traditional and digital media platforms to improve outreach and customer engagement.

Brand visibility initiatives included strategic advertising campaigns, transit media, airport displays, metro station branding, railway advertising and participation in major industry events and conferences.

These initiatives have contributed towards enhancing brand recognition, improving customer awareness and supporting business development efforts across markets.

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank remains committed to fulfilling its responsibilities towards society through meaningful Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives aimed at improving the quality of life in communities and supporting sustainable development.

CSR initiatives during FY 2025-26 focused on healthcare, education, community development, environmental sustainability and support for vulnerable sections of society.

The Bank provided support for healthcare infrastructure through the distribution of ambulance, water coolers, wheelchairs, medical equipment and other essential resources to hospitals and healthcare institutions.



In the area of education and child development, the Bank supported various initiatives including the development of Model Anganwadis in collaboration with local administration and community stakeholders.

Financial assistance was also extended towards rural development projects, community welfare programs and initiatives promoting alternative energy solutions.

Through its CSR interventions, the Bank seeks to create lasting social impact and contribute meaningfully to inclusive and sustainable development.

12. FINANCIAL INCLUSION AND GOVERNMENT BUSINESS

Financial inclusion remains a core pillar of the Bank's mission and a key component of its contribution towards national development.

The Bank continued to expand access to affordable banking services and financial products, particularly among underserved and unbanked segments of society.

- **Strengthening Business Correspondent Network**

The Bank significantly expanded its Business Correspondent (BC) network during the year.

The number of Business Correspondents increased to 3,027 as on March 31, 2026 from 2,083 in the previous year, substantially improving outreach and accessibility in rural and remote areas.

The expanded network has enabled the Bank to deliver banking services closer to customers while supporting financial inclusion objectives.

- **Financial Literacy and Capacity Building**

The Bank continued to promote financial literacy through Financial Literacy Centres (FLCs), Centre for Financial Literacy (CFL) initiatives and awareness programs conducted across villages and rural communities.

These initiatives focused on enhancing awareness regarding banking services, digital payments, savings, insurance, pensions and responsible financial management.

Thousands of individuals benefited from these programmes during the year, contributing to greater financial awareness and inclusion.

During the financial year 2025-26, the Bank actively organized a total of 795 awareness camps, which witnessed the enthusiastic participation of 12,457 individuals.

Furthermore, the Reserve Bank of India (RBI) has designated our Bank as a sponsor Bank for the implementation of Phase 1 and Phase 3 of the scaled-up Centre for Financial Literacy (CFL) project. This initiative entails setting up 17 CFLs across 17 blocks in the State of Punjab, effectively serving a total of 51 blocks. Under this project, 9,469 camps were successfully organized, imparting financial literacy and training to 229,106 individuals.

- **Performance under Government Schemes:**

The Bank demonstrated exemplary performance in driving financial inclusion and executing various flagship Government Schemes:

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): The Bank surpassed its targets by achieving a

commendable 100.42% of its objective for the policy year ended May 31, 2026.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): The Bank achieved 100.24% of its assigned target for the policy year ended May 31, 2026.

Atal Pension Yojana (APY): In terms of Active Enrolments, the Bank exceeded its annual goals by securing a 101.90% target achievement for the financial year ended 2025-26.

- **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)**

The Bank's RSETIs continued to play an important role in skill development, entrepreneurship promotion and livelihood generation.

Training programmes conducted during the year focused on empowering youth, women and economically weaker sections through skill enhancement and self-employment opportunities.

The Bank remains committed to supporting inclusive growth through financial inclusion, entrepreneurship development and community empowerment initiatives.

Demonstrating our steadfast focus on grassroots capacity building, the Bank's RSETIs organized 80 skill-enhancement programs during FY 2025–26, training a total of 2,502 candidates. The initiative maintained a social impact, with beneficiaries including 1,754 individuals from the SC/ST communities, 2,211 from BPL families, and 1,915 women, reinforcing our corporate mandate toward equitable socio-economic development.

13. HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

The Bank firmly believes that its employees are its most valuable asset and the cornerstone of its sustained growth and success. During FY 2025-26, the Bank continued to invest in strengthening human capital through leadership development, capability building, employee engagement, succession planning and technology-enabled human resource management.

The Bank's people strategy is aligned with its long-term business objectives and focuses on developing a future-ready workforce capable of navigating an increasingly dynamic and technology-driven banking environment.

- **Performance Management System (Navjyoti)**

During the year, the Bank introduced an integrated Performance Management System, PSB Navjyoti, encompassing role clarity, performance appraisal, real-time performance dashboards, scorecards, career development and succession planning to enhance transparency, accountability, and merit-based growth. The Bank has also initiated scientific manpower planning to optimize workforce deployment in alignment with business needs and future capabilities.

- **Talent Development and Learning**

Continuous learning and professional development remained a key focus area during the year. The Bank conducted a wide range of training programmes covering credit, risk management, treasury, digital banking, cyber security, leadership, compliance, customer service and emerging technologies.

Special emphasis was placed on developing future leaders through structured leadership development programmes, mentoring initiatives and specialized learning interventions.



The Bank also leveraged digital learning platforms to provide employees with flexible and continuous access to knowledge resources and professional development opportunities.

- **Employee Engagement and Well-being**

The Bank continued to promote a culture of collaboration, inclusiveness and employee well-being.

Various initiatives aimed at enhancing employee engagement, promoting work-life balance and supporting physical and mental wellness were undertaken during the year. Employee welfare measures, recognition programmes and communication platforms were further strengthened to foster a positive and productive work environment.

- **Diversity, Equity and Inclusion**

The Bank remains committed to fostering an inclusive workplace that values diversity and equal opportunity.

Focused initiatives were undertaken to support the professional growth and leadership development of women employees while ensuring a safe, respectful and equitable work environment for all employees.

The Bank continues to strengthen policies and practices that promote diversity, inclusiveness and merit-based growth across all levels of the organization.

- **Women Centric Initiatives:**

To champion the health, well-being, and professional continuity of our female employees, the Bank introduced targeted maternal welfare programs during the financial year. Key highlights include the organization of specialized webinars on 'Post-Maternity Counseling and Support' to assist employees transitioning back to work. Additionally, the Bank launched the 'Reimbursement of Antenatal Check-up Expenses Scheme', providing vital financial assistance for routine prenatal medical evaluations to ensure safe motherhood and timely healthcare supervision.

14. BRANCH NETWORK AND DISTRIBUTION EXPANSION

The Bank continued to strengthen its distribution network and customer outreach during FY 2025-26 through a balanced combination of physical and digital channels.

As on March 31, 2026, the Bank operated through an extensive network of branches, ATMs, Business Correspondents and digital service channels across the country, enabling it to serve customers across urban, semi-urban and rural geographies.

The Bank's distribution strategy focuses on improving accessibility, enhancing customer convenience and deepening market penetration in strategically important regions.

- **Expanding Rural and Semi-Urban Reach**

Particular emphasis was placed on strengthening the Bank's presence in rural and semi-urban areas to support financial inclusion and economic development.

The significant expansion of the Business Correspondent network during the year has enabled the Bank to extend banking services to underserved and remote locations, thereby enhancing accessibility and customer outreach.



- **Digital Distribution Channels**

The Bank continued to complement its physical network through investments in digital channels, enabling customers to access banking services anytime and anywhere.

The growing adoption of digital banking platforms has strengthened customer engagement while enhancing operational efficiency and service delivery.

The Bank remains committed to developing an integrated omni-channel banking ecosystem that combines the trust of branch banking with the convenience of digital services.

- **Regional Offices:** Abiding by the Bank's strategy to enhance accessibility and deepen market penetration, the Bank opened 4 new Regional offices in Raipur, Bengaluru, Bhubaneswar and Shimla. The opening of Regional Offices aimed at having better control mechanism.
- **Zonal Offices:** For having better operational efficiency & control, effective utilization of resources and exploring opportunities for tapping fresh business from Regions under their jurisdiction three new Zonal Offices at Delhi, Lucknow and Kolkata were established in the Bank.
- **Branch Expansion:** During FY 2025-26, Bank continued to focus on branch expansion and opened 59 branches (including TReDS) and total branches of the Bank stood at 1654 as on 31.03.2026.

15. RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Effective risk management remains fundamental to the Bank's strategy and long-term sustainability.

The Bank has established a comprehensive risk management framework designed to identify, measure, monitor and mitigate risks across all areas of operations while supporting business growth and value creation.

The framework is guided by the Board-approved Risk Management Policy and is aligned with regulatory expectations, industry best practices and the Bank's risk appetite.

- **Credit Risk Management**

The Bank continues to maintain a prudent approach towards credit risk management through robust underwriting standards, independent risk assessment mechanisms and continuous portfolio monitoring.

Advanced monitoring systems and early warning frameworks have been strengthened to facilitate timely identification and management of emerging credit risks.

The Bank's continued improvement in asset quality indicators reflects the effectiveness of its risk management practices and recovery strategies.

- **Market Risk Management**

The Bank actively manages market risk arising from interest rate movements, foreign exchange exposures and investment portfolio fluctuations through well-defined policies, risk limits and monitoring mechanisms.

The Treasury function continuously monitors market developments and implements appropriate strategies to safeguard the Bank's financial position while optimizing returns.



- **Liquidity Risk Management**

Maintaining adequate liquidity remains a key priority for the Bank.

The Bank maintains strong liquidity buffers and regularly conducts stress testing and scenario analysis to ensure resilience under varying market conditions.

The Liquidity Coverage Ratio and other regulatory liquidity parameters remained above prescribed requirements throughout the year.

- **Operational Risk Management**

The Bank continues to strengthen operational risk management through process improvements, technology-enabled controls, business continuity planning and employee awareness programmes.

A proactive approach towards operational resilience helps ensure uninterrupted service delivery while minimizing operational disruptions and losses.

16. COMPLIANCE, GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

The Bank is committed to maintaining the highest standards of corporate governance, regulatory compliance and ethical conduct.

Strong governance practices form the foundation of the Bank's decision-making processes and contribute to sustainable value creation for stakeholders.

- **Corporate Governance**

The Board of Directors provides strategic guidance and oversight while ensuring that the Bank operates in a transparent, accountable and responsible manner.

The Board is supported by various committees that oversee critical areas including risk management, audit, customer service, compliance and stakeholder interests.

The governance framework ensures effective supervision, prudent decision-making and alignment with regulatory expectations.

- **Compliance Culture**

The Bank continues to strengthen its compliance culture through policy frameworks, technology-enabled monitoring systems, and employee training and continuous oversight mechanisms.

Compliance management is integrated into business processes to ensure adherence to applicable laws, regulations, supervisory expectations and internal policies.

The Bank remains committed to fostering a culture of integrity, accountability and ethical conduct across all levels of the organization.

- **Development of General- Purpose Ticket solution:** A General- Purpose Ticketing (GPT) System has been developed within ITSOM platform, wherein, branch raises incidence ticket to apply for an approval to conduct a specific task while Regional office shall accord the permission based on the document submitted through the GPT solution. At initial stage 15 use cases/ item have been rolled out from six sub- categories, going forward the same shall be increased to include more domains. GPT system shall enable the Bank to have the audit trail, documentation, governance and oversight on conducting transaction/ other administrative tasks.



- **Empowering Compliance & Governance (ECG):** Launched in January 2025, the ECG platform was enhanced in FY 2025-26 with a workflow-based Gap Assessment module to automate and streamline compliance with RBI Master Directions. The Bank is currently expanding its operational Compliance Testing module from the Head Office to Regional Offices, CenMARG, and Branches, while concurrently implementing an Issue Management module for IRAR/RMP compliance to fortify its governance structure.
- **Data Quality Index (DQI) Portal:** Established in December 2025 to bolster data integrity, the DQI Portal utilizes 25 deployed rules to scan core customer, loan, and account data for exceptions, which are monitored via dashboard and rectified by branches within prescribed TATs. Looking ahead to FY 2026-27, the rollout of RRDM will integrate additional rules and introduce branch/RO model-based scores to further elevate data governance

17. INTERNAL AUDIT AND ASSURANCE

Internal Audit serves as an important pillar of the Bank's governance and risk management framework. The Bank follows a risk-based internal audit approach that focuses on areas of higher risk and materiality while ensuring comprehensive coverage of business operations.

The Internal Audit function provides independent assurance regarding the adequacy and effectiveness of governance processes, risk management practices and internal controls.

The Bank has transitioned the conduct & compliance of internal audits from in-house audit portal to specialized integrated audit & compliance automation platform eTHIC.

Technology-enabled audit tools, data analytics and thematic reviews are increasingly being leveraged to enhance audit effectiveness and coverage.

Audit observations are regularly monitored and corrective actions are reviewed to ensure timely closure and continuous improvement.

The Audit Committee of the Board continues to provide strategic oversight to the Internal Audit function and reviews significant audit findings and remedial measures.

18. CYBER SECURITY AND OPERATIONAL RESILIENCE

As digital adoption accelerates across the banking industry, cyber security and operational resilience have become strategic priorities for the Bank.

The Bank continues to strengthen its cyber security posture through investments in technology, governance frameworks, monitoring capabilities and customer protection mechanisms.

- **Cyber Security Framework**

The Bank has implemented a multi-layered cyber security architecture designed to protect information assets, customer data and critical infrastructure from evolving cyber threats.

Continuous monitoring, threat intelligence, vulnerability assessments, security testing and employee awareness programmes form integral components of the Bank's cyber defence strategy.



- **Fraud Risk Management**

The Bank continues to strengthen its fraud prevention and detection capabilities through advanced monitoring systems, analytics-based surveillance and regulatory integrations.

The implementation of Fraud Risk indicator (FRI), Mobile Number Revocation List (MNRL), Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) integration and AI-based mule account detection mechanisms has significantly enhanced fraud risk management capabilities.

These initiatives enable faster identification, prevention and response to fraudulent activities while strengthening customer protection.

- **RBiH Mule Hunter**

In September 2025, the Bank adopted MuleHunter.AI, an innovative AI/ML solution designed by the Reserve Bank Innovation Hub (RBiH) to identify suspected mule accounts with significantly higher accuracy and speed than legacy rule-based setups.

- **Operational Resilience**

The Bank has established comprehensive Business Continuity Management and Disaster Recovery frameworks to ensure uninterrupted delivery of critical services.

Periodic testing, simulation exercises and resilience assessments are conducted to strengthen preparedness and response capabilities.

The Bank remains committed to maintaining resilient operations and safeguarding customer interests under all circumstances.

19. Official Language

- The Bank was awarded 'Second Prize' under 'Region A' by the Department of Financial Services, MOF at the Official Language Seminar-cum-Review Meeting on June 12–13, 2025 for excellent performance in implementing the Official Language Policy during the FY 2024–25
- Punjab & Sind Bank, received three awards across various categories from the Town Official Language Implementation Committee, Delhi (Bank). Specifically, the Bank was conferred the Second Prize in the 'Rajbhasha Shield Competition 2024-25' for the implementation of the Official Language; the First Prize for its quarterly Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur'; and the Third Prize in the E-magazine category for its e-magazine, 'Rajdeep'.
- The Official Language Portal was launched to receive quarterly reports on the progressive use of Hindi from the various departments of the Head Office and from the Zonal Offices.

20. Other Awards & Accolades

- Conferred Best Emerging Bank in MSME for 2025 by Union Minister of Commerce and Industry of India.
- Conferred Best Bank for Promoting Social Schemes- Runner- up by Union Minister of Commerce and Industry of India.
- Conferred Fastest Growth in Guarantee by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.

21. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies were framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India and were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of its profit and loss for the year ended March 31, 2026.
- Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- Annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- The Internal financial controls system, to be followed by the Bank was laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively.
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

22. OUTLOOK AND WAY FORWARD

Looking ahead, the Bank remains optimistic about the opportunities presented by India's strong economic fundamentals and evolving financial landscape. The Bank's strategic priorities for FY 2026-27 will focus on:

- Accelerating sustainable business growth
- Strengthening the liability franchise and CASA base.
- Deepening Retail, Agriculture and MSME penetration.
- Enhancing digital banking and technology capabilities.
- Maintaining superior asset quality and recovery performance.
- Strengthening operational resilience and cyber security.
- Advancing financial inclusion and sustainable banking initiatives.
- Enhancing customer experience and service excellence.
- Developing future-ready talent and leadership capabilities.
- Supported by a strong capital position, improving profitability, robust governance framework and committed workforce, the Bank is well-positioned to create sustainable long-term value for all stakeholders.



23. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors extend their gratitude to Ms. M.G. Jaysree, GoI Nominee Director, Sh. S.L. Agarwal, Non Official Director, and all the members of the Board, both past and present for their valuable insight, support, guidance, and contributions to the management in all endeavours.

The Board of Directors places on record its sincere appreciation for the continued guidance and support received from the Government of India, the Reserve Bank of India, the Department of Financial Services, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges and other regulatory and supervisory authorities.

The Board also expresses its gratitude to the Bank's valued customers, shareholders, investors, business partners and other stakeholders for their continued trust and confidence in the Bank.

The Directors acknowledge with appreciation the dedication, professionalism and commitment demonstrated by employees at all levels, whose efforts have contributed significantly to the Bank's achievements during the year.

The Directors remain confident that with the continued support of all stakeholders, Punjab & Sind Bank will further strengthen its position as a trusted, responsible and progressive banking institution dedicated to nation building and sustainable value creation.

For and on behalf of the Board of Directors
Punjab & Sind Bank



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries

FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,

Shakarpur, Delhi- 110092

Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

Peer Review Certificate No.: 3028/2023

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2026

The Members,
Punjab & Sind Bank
"Bank House", 21, Rajendra Place,
New Delhi 110 008

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2026, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2026 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-



- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR);
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **Not Applicable to the Bank during the financial year under review.**
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **Not Applicable to the Bank during the financial year under review.**
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **Not Applicable to the Bank during the financial year under review.**
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- (g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -
 - (a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
 - (b) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
 - (c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.
 - (d) The Banking Regulations Act, 1949
 - (e) The Reserve Bank of India Act, 1934
 - (f) Payment and Settlement Systems Act, 2007

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards (SS-1 and SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is not duly constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors & Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). **The following are the observations in respect of constitution of the Board of Directors and its committees thereof:**
 - a) The positions of one director each under Section 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) and five directors under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 were vacant on the Board of the Bank.
 - b) The Bank has not appointed adequate number of Independent Director including 1 woman independent director on the Board as per SEBI (LODR).
 - c) The position of chairperson is vacant in the Bank. However, in terms of Clause 12(6) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, in absence of the chairperson, the meetings of the Board are being chaired by the MD & CEO.
 - d) Pursuant to Regulation 18(1)(a) and (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Audit Committee was not properly constituted during the period from April 1, 2025 to April 20, 2025, as it did not have the requisite number of Independent Directors. However, the Bank reconstituted the committee w.e.f April, 21, 2025 on account of appointment of an Independent Director resulting in compliance with the prescribed requirements.
 - e) As required under Regulation 19(1)(a) and (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Nomination and Remuneration Committee of the Bank was not constituted during the period under review.



Further, no meeting of Nomination and Remuneration Committee was held during the financial year.

- f) **The Risk Management Committee could not be constituted from 1st April 2025 till 20th April 2025, as it did not have the requisite number of Independent Director. However, the Bank reconstituted the committee w.e.f April 21, 2025 on account of appointment of an Independent Director resulting in compliance with the prescribed requirements.**

As explained by the Bank, the appointment of Directors shall be made by Government of India and the Bank had communicated to the Central Government time to time and the last communication was made vide its letter dated 12th March, 2026, to appoint adequate number of Independent Directors/ Woman Independent Director as per SEBI (LODR) and other Directors as per Section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

For **R S Kathuria & Co.**
Company Secretaries

Place: Delhi

Date: 23rd April, 2026

R.S. Kathuria
Proprietor

FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217H000184704



Report on Corporate Governance (2025-26)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Equity Shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). However, the Bank is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, The Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.



The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2026 is as under:

Sr. No	Name and Category of Director	No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2026	No. of membership in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Sh. Swarup Kumar Saha Managing Director & Chief Executive Officer	Nil	9	A	1. Management Committee of the Board. (Chairperson) 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries (Chairperson) 4. Customer Service Committee of the Board. (Chairperson) 5. Risk Management Committee of the Board. 6. HR Committee of the Board. (Chairperson) 7. Committee for Monitoring of Recovery. (Chairperson) 8. Review Committee for Wilful Defaulter. (Chairperson) 9. Credit Approval Committee of the Board. (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra Executive Director	397	8	B	1. Management Committee of the Board. 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries 4. Customer Service Committee of the Board 5. Stakeholder Relationship Committee of the Board 6. HR Committee of the Board 7. Committee for Monitoring of Recovery 8. Credit Approval Committee of the Board

3.	Sh. Rajeeva Executive Director	Nil	8	C	1. Management Committee of the Board 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries 4. Customer Service Committee of the Board 5. Stakeholder Relationship Committee of the Board. 6. HR Committee of the Board . 7. Committee for Monitoring of Recovery. 8. Credit Approval Committee of the Board
4.	Sh. Jitendra Asati Government of India Nominee Director	Nil	9	D	1. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries. 2. Customer Service Committee of the Board. 3. HR Committee of the Board. 4. Committee for Monitoring of Recovery. 5. Review Committee for Wilful Defaulter. 6. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds. (Chairperson) 7. Stakeholder Relationship Committee. (Chairperson) 8. Risk Management Committee of the Board 9. Board Committee for dealing with the case of appeals and review. (Chairperson)



5.	Sh. Vivek Srivastava Director (nominated by the Central Government on the recommendation of RBI)	Nil	3	E	1. Management Committee of the Board 2. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries 3. Audit Committee of the Board
6.	Sh. Rajendra Prasad Gupta (Non-Official Director) (Shareholder Director)	225	7	F	1. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 2. Customer Service Committee of the Board 3. HR Committee of the Board 4. Review committee for Wilful defaulter 5. Risk Management Committee of the Board. (Chairperson) 6. Audit Committee of the Board 7. Board Committee for dealing with the case of appeals and review
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non – Official Director	Nil	8	G	1. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 2. Stakeholder Relationship Committee 3. HR Committee of the Board 4. Audit Committee of the Board (Chairperson) 5. Risk Management Committee of the Board 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Review committee for Wilful defaulter 8. Board Committee for dealing with the case of appeals and review

Note: The name of the committees in which the Director is a Chairperson has been specifically indicated wherever applicable.



- A. Re-appointed in terms of GOI MOF letter No eF. No. 4/3/2024-BO.I dated 02.06.2025 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) till the date of his superannuation i.e. 28.02.2027, or until further orders, whichever is earlier.
- B. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/1 (v)/2023-BO.I dated 09.10.2023 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 09 October 2023 for the period of three years from the date of assumption of office (i.e. 08.10.2026), or until further orders, whichever is earlier.
- C. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/1 (v)/2023-BO.I dated 09.08.2024 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 09 August 2024 for the period of three years from the date of assumption of office (i.e. 08.08.2027), or until further orders, whichever is earlier.
- D. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 09.09.2025 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- E. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 12.12.2024 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- F. Elected as shareholder director w.e.f. 01.06.2024 under clause (i) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3 (Three) years till 31st May 2027.
- G. Re-appointed in terms of GOI MOF letter No. eF. No. 6/I (viii)/2024-BO.I dated 11.04.2025 under clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) to be read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as Part time, Non-Official Director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank, for a period of one year, or until further order, whichever is earlier.



2.2. Appointment /Re-appointment/ Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2025-2026:

[A] Appointment /Re-appointment:

- Sh. Shankar Lal Agarwal re-appointed as Non-Official Director w.e.f. 11.04.2025 to 10.04.2026 or until further orders, whichever is earlier.
- Sh. Swarup Kumar Saha re-appointed as MD & CEO w.e.f 03.06.2025 to 28.02.2027, or until further orders, whichever is earlier.
- Sh. Jitendra Asati appointed as MoF Nominee Director w.e.f 09.09.2025, until further orders.

[B] Cessation:

- MS. M. G. Jayasree, MoF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 08.09.2025.

2.3. **Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities**

Sr No	Name of Director	Name and category directorship in other listed entity	Membership of committees
1.	Sh. Jitendra Asati	IFCI Limited	(i) Audit Committee of the Board

2.4. **Profile of Directors appointed during 2025-26:**

Sh. Shankar Lal Agarwal (Non – official Director)

Sh. Shankar Lal Agarwal is B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. Being a founding partner of M/s Garg & Company, he has been practicing as a senior partner of the firm since 1989.

Further, he has also been a member of various committees in different capacities such as Co-ordinator in Regional State-wise PDC Sub-Committee Rajasthan of CIRC of ICAI, member of committee on Public Finance and Government Accounting of ICAI, member of Academic Committee for ICAI, member of Project Committee for ICAI, member of State Public Grievance & Redressal Committee Government of Rajasthan, Technical Advisor Government Entrepreneurs Government of Rajasthan, member of VAT Advisory and Grievance Committee Government of Rajasthan, Executive member of Rajasthan Tax Consultants Association. He was appointed as Independent Director in Hindustan Salt Limited and Sambhar Salt limited from 21st January 2020.

He has also visited USA, Canada, UAE, Thailand, Malaysia, Singapore, Tashkent (Uzbekistan), Bali (Indonesia), Hongkong, Macau, Hungary (Budapest), Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, etc. in various study groups.

Further, as a writer and editor he has sent news and articles to Panchjanya Weekly. He was also the weekly economic analysis writer for Samachar Jagat Daily Paper. He was also the editor of various books such as Rajasthan State Assembly Election Analysis Book of Assembly Election 2003 & 2008, Lok Sabha Election Analysis (1984-2009, Rajasthan Value Added Tax 2006 and Lok Sabha Election Analysis (1984-2014).

Sh. Swarup Kumar Saha (MD & CEO)

Sh. Swarup Kumar Saha has been reappointed as MD & CEO of Punjab & Sind Bank on June 3rd 2025 and before taking up this assignment he was Executive Director of Punjab National Bank since March 10, 2021.

Sh. Saha, a graduate in Science from University of Calcutta, Kolkata, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London along with various certifications related to IT Security, Cyber Crimes and Fraud Management.

Sh. Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management Program conducted by CAFRAL/Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM & Kellogg School of Management, USA.

In a career spanning over 30 years, he has worked in different capacities and has worked across the country. He has wide exposure in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters. During his tenure at Head Office of erstwhile Oriental Bank of Commerce, he headed Treasury and International Banking, Human Resource Development Division and Board Division.

Sh. Jitendra Asati (MoF Nominee Director)

Sh. Jitendra Asati, Director, Department of Financial Services, has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank vide DFS order dated 09.09.2025.

Sh. Asati, the All India Topper of Indian Economic Service, joined the Government as an Economist Bureaucrat in January 2010. During these formative years, he has served with distinction in various roles with Ministry of Finance, India's Mission in Washington DC and Ministry of Petroleum & Natural Gas. Before joining Government, Sh. Asati served as Grade B Officer in RBI.

Sh. Asati left indelible imprints as the Assistant Director in Ministry of Finance, where he handled the desks of Financial Stability and Development Council, External Markets and Foreign Direct Investment.



He played a crucial role in shaping External Commercial Borrowings Policy and drafting investment regulations under Foreign Exchange Management Act.

At Washington DC, Sh. Asati was instrumental in strengthening cooperation between India and the US on critical arenas of Economic, Trade & Investment Relations. As Officer on Special Duty to the Union Petroleum Minister, he made significant contributions in driving multiple path-breaking reforms in the Oil and Gas Sector pertaining to Pricing reforms, Subsidy rationalization and enhancing the ease of living.

In DFS, Sh. Asati has been assigned with the task to foster financial inclusion, augmenting agriculture credit to boost the rural economy and strengthening the viability of Regional Rural Banks in the country.

Sh. Asati has received gold medals during academic studies and Certificate of Excellence. He holds M.Phil from Jawahar Lal Nehru University and the All India Junior Research Fellowship. He has written many articles in prominent Journals and leading economic dailies on a wide range of subjects, including economic reforms and good governance, oil price volatility, sustainable energy and bilateral economic cooperation.

2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2025-26, total 16 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

29.04.2025	09.06.2025	20.06.2025	19.07.2025	29.07.2025
19.08.2025	30.08.2025	19.09.2025	16.10.2025	04.11.2025
18.11.2025	17.12.2025	17.01.2026	10.02.2026	09.03.2026
24.03.2026	-	-	-	-

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S No.	Name and category of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance at AGM held on 05.08.2025
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2025 to 31.03.2026	16	15*	Attended
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	16	13*	Not Attended

3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	16	15*	Attended
4	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	9	7	NA
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	11.04.2025 to 31.03.2026	16	16	Attended
6	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16	Attended
7	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16	Not Attended
8	Smt. M.G. Jayasree – Ex – MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	7	7	Not Attended

*In the Board meeting held on 30.08.2025, WTDs recused themselves and Smt. M.G. Jayasree – MoF Nominee Director was the chairperson for the meeting.

2.6. The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between the directors inter-se.

2.7. The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website and can be viewed from the link <https://punjabandsind.bank.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors>

2.8. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

The Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors is given below:

S. No.	Name and Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services. More than 34 years of Experience. Previously, he was Executive Director of Punjab National Bank	Banking and Finance
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). More than 30 years of Banking Experience	Banking & Finance



3	Sh. Rajeeva – Executive Director	M.A, MBA (Banking & Finance), Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). More than 30 years of Banking experience.	Banking & Finance
4	Sh. Jitendra Asati– MoF Nominee Director	M Phil, JawaharLal Nehru University Director Department of Financial Services, Ministry of Finance	Economics
5	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	MA from University of Allahabad, Regional Director in Reserve Bank of India, Chandigarh.	Banking and Finance
6	Sh. R.P Gupta – Shareholder Director	M.Sc (Physics), Fellow of Insurance Institute of India. 36 Years of experience in LIC of India in the field of marketing and administration.	Human Resources, Bancassurance
7	Sh. Shankar Lal Agarwal - (Non- Official Director)	B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. practicing as a senior partner of the firm since 1989	Banking and Finance

Further, it is:

- Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and
- Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure

3. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectorial development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR/IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Audit Committee of Board
3.	Special Committee of the Board for monitoring and follow-up of cases of frauds
4.	Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries (Vigilance Committee of the Board)

5.	Risk Management Committee of the Board
6.	Customer Service Committee of the Board
7.	Stakeholders Relationship Committee of the Board
8.	HR Committee of the Board
9.	IT Strategy Committee of the Board
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Review Committee for Wilful Defaulter
13.	Nomination & Remuneration Committee
14.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)
15.	Credit Approval Committee of Board
16.	Capital Issue Committee

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I (Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

“Where a nationalized bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing”

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

3.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.



The composition of the Management Committee as on 31st March 2026 is as under:

S No	Name of the Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director

During the Financial Year 2025-26, the Management Committee of the Board met on Twenty-two (22) occasions on the following dates:

29.04.2025	19.05.2025	05.06.2025	19.06.2025	11.07.2025	29.07.2025
19.08.2025	03.09.2025	08.09.2025	19.09.2025	16.10.2025	30.10.2025
17.11.2025	01.12.2025	17.12.2025	22.12.2025	30.12.2025	12.01.2026
10.02.2026	05.03.2026	18.03.2026	24.03.2026	-	-

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	22	22
2	Sh Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	22	22
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	22	22
4	Sh. Vivek Srivastava RBI Nominee Director	01.04.2025 to 31.03.2026	22	22

3.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India (RBI/DOR/2025-26/149 DOR.HGG.GOV. No.68/29.67.001/2025-26), has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The Audit Committee of the Board could not be constituted due to want of quorum from 01.04.2025 to 20.04.2025.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
2.	Sh. Vivek Srivastava-RBI Nominee Director
3.	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director

During the Financial Year 2025-26, the Audit Committee of the Board (ACB) met on thirteen (13) occasions on:

29.04.2025	19.06.2025	11.07.2025	19.07.2025	19.08.2025	30.09.2025
16.10.2025	17.11.2025	24.11.2025	17.01.2026	26.02.2026	26.03.2026
30.03.2026	-	-	-	-	-



The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No	Name and category of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	13	13
2	Sh. Vivek Srivastava RBI Nominee Director	21.04.2025 to 31.03.2026	13	13
3	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	21.04.2025 to 31.03.2026	13	13

Sh. Saket Mehrotra, Company Secretary acts as the Secretary to ACB.

3.3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of frauds

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/DOS/2024-25/118 DOS.CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/ 2024-25 dated 15th July, 2024 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases.

The major functions of the Committee, are as under:-

- Oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank.
- identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- identify the reasons for delay in detection/classification of frauds
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Identify the reasons for delay in examination/conclusion of staff accountability of fraud cases.
- Review the accounts marked as RFA by our Bank/other Bank.
- Review the accounts marked as RFA and stipulated timeline of 180 days of examination of fraud angle has been surpassed
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal control.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Jitendra Asati- MoF Nominee Director (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. Rajeeva – Executive Director
5.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director
6.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director

*The Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up cases of frauds could not be constituted due to want of quorum from 09.09.2025 to 14.09.2025.

The Committee met five (05) times during the Financial Year 2025-26 as per the details below:

22.05.2025	18.07.2025	18.09.2025	18.11.2025
27.02.2026	-	-	-

Note:

- (i) Reserve Bank of India vide its letter No. RBI/DOS/2024-25/118 DOS. CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/2024-25 dated 15th July, 2024 **superseded the previous guidelines regarding the Committee for Monitoring of Large Value Fraud and directed to constitute Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of frauds.**

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director (Chairperson)	15.09.2025 to 31.03.2026	3	3
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5



3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
4.	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	5	5
6.	Sh. Rajendra Prasad Gupta Shareholder Director	01.04.2025 to 31.03.2026	5	5
7.	Smt. M.G Jayasree – Ex – MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	2	2

3.4. **Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquiries (Vigilance Committee of the Board)**

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Jitendra Asati– MoF Nominee Director
5.	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2025-26 as per the details below:

19.05.2025	19.09.2025	17.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
4	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
5	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	3	2
6	Smt. M. G. Jayasree – Ex – MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	1	1

3.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank as per RBI guideline (RBI/DOR/2025-26/149 DOR.HGG.GOV. No.68/29.67.001/2025-26).

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The Risk Management Committee of the Board could not be constituted due to want of quorum from 01.04.2025 to 20.04.2025 and 09.09.2025 to 14.09.2025.

The Committee met on eight (08) occasions during the Financial Year 2025-26 on:

29.04.2025	18.06.2025	18.09.2025	16.10.2025
18.11.2025	17.12.2025	27.02.2026	18.03.2026



The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director (Chairperson)	21.04.2025 to 31.03.2026	8	8
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	21.04.2025 to 31.03.2026	8	8
3	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	8	8
4	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	6	5
5	Smt. M G Jayasree – Ex – MoF Nominee Director	21.04.2025 to 08.09.2025	2	2

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

3.6. Customer Service Committee:

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as ‘Customer Service Committee of the Board’. The Committee has the following members as on 31st March, 2026:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director
5.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2025-26, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

SI No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
2	Sh Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
3	Sh.Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
4	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
5	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	3	3
6	Smt. M. G. Jayasree – Ex - MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	1	1



3.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

During the Financial Year 2025-26, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

*The Stakeholders Relationship Committee could not be constituted due to want of quorum from 09.09.2025 to 14.09.2025.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director (Chairperson)	15.09.2025 to 31.03.2026	3	3
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
4	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	4	4
5	M.G.Jayasree – Ex - MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	1	1

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2025	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2026
0	2	2	0

No complaint was pending as on 31.03.2026. Sh. Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3.8. Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 (As per DFS Communication F. No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 and DFS Letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.03.2012) for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non – Official Director
6.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The Committee met on thirteen (13) occasions during the Financial Year 2025-26 as per details given below:

18.06.2025	15.07.2025	23.07.2025	29.07.2025	18.09.2025	16.10.2025
04.11.2025	18.11.2025	17.12.2025	17.01.2026	09.02.2026	09.03.2026
18.03.2026	-	-	-	-	-



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	13	12*
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	13	9*
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	13	12*
4	Sh. Jitendra Asati MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	9	7
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	13	13
6	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	01.04.2025 to 31.03.2026	13	13
7	Smt. M. G. Jayasree – Ex - MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	4	4

*In one of the meetings on 29.07.2025 WTDs recused themselves and Smt. M.G. Jayasree – MoF Nominee Director was chairperson in the mentioned meeting.

3.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of minimum 3 directors.

The Chairperson of the ITSC shall be an independent director and have substantial IT expertise in managing/guiding IT initiatives and Members are technically competent. (As per RBI Circular DoS.CO.csitg/sec.7/31.01.015/2023-24 dated 07.11.2023.)

The major functions of the Committee, are as under:-

- To ensure that the Bank has an effective IT strategic planning process.

- b) To provide guidance in preparation of IT Strategy aligning with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives.
- c) To ensure that the IT Governance is effective and efficient, has adequate skilled resources, well defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organization.
- d) To ensure that the Bank has process for assessing and managing IT risks.
- e) To ensure that the budgetary allocations for IT function is commensurate with the Bank IT maturity, digital path, threat environment and industry standard and are utilized in a manner intended for meeting the stated objectives; and
- f) To review adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank at least on an annual basis.

The Committee was subsumed by the Board vide resolution no 2025/04/02 dated 21.04.2025.

3.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

The Committee was subsumed by the Board vide resolution no 2025/04/02 dated 21.04.2025.

No meeting was held during the Financial Year 2025-26.

3.11 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors, nominee Director of Ministry of Finance and Independent Shareholder Director has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director



The Committee met on four (4) occasions during the Financial Year 2025-26 as per details below:

18.06.2025	18.09.2025	18.12.2025	27.02.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
4	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	4	4
5	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	3	3
6	Smt. M. G. Jayasree – Ex - MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	1	1

3.12 Review Committee for Wilful Defaulter:

Review Committee for wilful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Wilful Defaulter, consisting of two non-executive/Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director
3.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director

The Committee met on four (04) occasions during the Financial Year 2025-26 as per details below:

18.07.2025	14.08.2025	27.02.2026	23.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
2	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	21.04.2025 to 31.03.2026	2	2
3	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
4	Sh. Jitendra Asati – MoF Nominee Director	15.09.2025 to 31.03.2026	2	2
5	Smt. M. G. Jayasree – Ex-MoF Nominee Director	01.04.2025 to 08.09.2025	2	2

3.13 Nomination & Remuneration Committee

The 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC. 8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019.

The function of the 'Nomination & Remuneration Committee' is to take the due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

Nomination & Remuneration Committee could not be constituted due to want of quorum and was subsumed by the Board vide resolution no 2025/04/02 dated 21.04.2025.

As on 31st March 2026 the Committee could not be constituted due to want of quorum

No meetings were held during the Financial Year 2025-26.



3.14 Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO and EDs) was constituted in terms of Ministry of Finance, DFS letter F.No.9/5/2009-HR dated 30.08.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Report (APARs) of Managing Director & CEO, Executive Directors and General Managers (in-charge of internal control functions) of Nationalized Banks.

As on 31.03.2026, Committee could not be constituted due to want of quorum.

Nomination & Remuneration Committee could not be constituted due to want of quorum from and was subsumed by the Board vide resolution no 2025/04/02 dated 21.04.2025.

3.15 Credit Approval Committee of Board (CACB)

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board has been constituted to consider various credit proposals up to the two hundred fifty crore rupees.

The composition of the Committee as on 31st March 2026 is as under:

S. No.	Name of Member
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Sanjay Prakash Srivastava – General Manager (Credit)
5.	Sh. Rajendra Kumar Raigar – General Manager (PS & RAM)
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer
7.	Sh. Arnab Goswamy – Chief Financial Officer

During the Financial Year 2025-26, the Credit Approval Committee of Board met on twenty one (21) occasions on following dates:

21.04.2025	21.05.2025	13.06.2025	18.06.2025	26.06.2025
30.06.2025	30.07.2025	11.08.2025	16.08.2025	03.09.2025
23.09.2025	26.09.2025	18.10.2025	24.10.2025	01.11.2025
21.11.2025	11.12.2025	18.12.2025	29.12.2025	12.03.2026
27.03.2026	-	-	-	-

The details of attendance at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Member	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2025 to 31.03.2026	21	21
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	21	19
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director	01.04.2025 to 31.03.2026	21	21
4.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)	01.04.2025 to 21.04.2025	01	01
5.	Sh. Sanjay Prakash Srivastava – General Manager (Credit)	22.04.2025 to 31.03.2026	20	20
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer	01.04.2025 to 31.03.2026	21	21
7.	Sh. Arnab Goswamy – Chief Financial Officer	01.04.2025 to 31.03.2026	21	18
8.	Sh. Rajendra Kumar Raigar – General Manager (PS & RAM)	01.04.2025 to 31.03.2026	21	19

3.16 Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2025-26.

3.17 Capital Issue Committee – The Committee has been constituted in terms of the approval of the Board vide resolution dated 16.10.2025 to take all decisions related to pricing, issue opening, issue closure and other issue related matters.



The composition of the Committee as on 31st March 2026 is as under:

S. No.	Name of Member
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director

During the Financial Year 2025-26, No meetings of the Committee were held.

3.18 Particulars of Senior Management including changes therein since the close of the previous financial year: In terms of the Bank's Board approved policy, Bank's Senior Management comprises of all Chief General Managers, General Managers, Deputy General Manager (with independent charge), Company Secretary and Chief Financial Officer of the Bank.

The details are as under:

S No	Name	Designation	Details of change, if any
1	Sh. Parveen Kumar	Chief General Manager	NA
2	Sh. Rajesh C Pandey	Chief General Manager	NA
3	Sh. Pankaj Dwivedi	General Manager	Joined as General Manager on 25.06.2025
4	Sh. Gopal Krishan	General Manager	NA
5	Sh. Rajendra Kumar Raigar	General Manager	NA
6	Sh. Gajraj Devi Singh Thakur	General Manager	NA
7	Sh. Chaman Lal Shienhmar	General Manager	NA
8	Smt. Rashmita Kwatra	General Manager	NA
9	Sh. Manoj Kumar	General Manager	NA
10	Sh. Vinod Kumar Pandey	General Manager	NA
11	Sh. Nilendra K Prabhat	General Manager	NA

12	Sh. Ratnesh Chandra	General Manager	NA
13	Sh. Santosh Kumar Neeraj	General Manager	NA
14	Sh Sanjay Prakash Srivastava	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f April 1, 2025
15	Sh. Satbir Singh	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f April 1, 2025
16	Sh. Ashni Kumar	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f June 1, 2025
17	Smt. Mahima Agarwal	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f June 1, 2025
18	Sh. Dheeraj Kumar Gaur	Chief Risk Officer	NA
19	Sh. Ravi Gupta	Chief Compliance Officer	NA
20	Sh. Arnab Goswamy	Chief Financial Officer	NA
21	Smt. Mahima Agarwal	Deputy General Manager	NA
22	Sh. Saket Mehrotra	Company Secretary	NA

4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended).

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director(s) is detailed below:



A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2025-26:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
1	Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO	43.66
2	Sh. Ravi Mehra	Executive Director	45.38
3	Sh. Rajeeva	Executive Director	46.71
	TOTAL		135.75

B. Details of Performance Linked Incentive paid during the Financial Year 2025-26

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
Nil			

C. The Bank does not pay remuneration to Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable are as under:

S No	Meeting	Sitting Fees payable per meeting (Rs.)
1	Board	60,000
2	Committee of Board	30,000
3	For Chairing Board Meeting	15,000 (in addition to (1) above)
4	For Chairing meeting of Committee	7,500 (in addition to (2) above)

The Sitting Fee paid to the Independent Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2025-26 is as under: (No sitting fee was paid to whole time directors, directors representing Reserve Bank of India and Government of India during the Financial Year 2025-26):

Sr. No	Name of the Director	Designation	Amount Paid (Rs. in Lacs)
1	Sh. Shankar Lal Agarwal	Non-Official Director	21.30
2	Sh. R P Gupta	Shareholder Director	20.00
	TOTAL		41.30

D. No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2025-26.

5. GENERAL BODY MEETINGS:

a. Details of the Annual General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
13 th Annual General Meeting	Tuesday, 11 th July 2023	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2023 - To declare dividend for the Financial Year 2022-23 - To seek approval to raise capital up to an amount of Rs.250 crore by way of Qualified Institutions Placement
14 th Annual General Meeting	Wednesday, 24 th July 2024	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2024 - To declare dividend for the Financial Year 2023-24



Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
15 th Annual General Meeting	Tuesday, 5 th August 2025	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2025 - To declare dividend for the Financial Year 2024-25 - To seek approval of appointment of Sh. Rajeeva as the Executive Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution. - To seek approval of appointment of Sh. Vivek Srivastava as RBI Nominee Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution. - To seek approval of re-appointment of Sh. Shankar Lal Agarwal as the Part-time Non-Official Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 by way of Special Resolution. - To seek approval for extension of tenure of Sh. Swarup Kumar Saha as the MD & CEO of the Bank in terms of provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution. - To seek approval for Appointment of M/s R S Kathuria & Co, Practicing Company Secretary as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30 by way of Ordinary Resolution.

b. Details of the Extraordinary General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
Extraordinary General Meeting	Friday, 31 st May 2024	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Based on majority of votes polled Sh Rajendra Prasad Gupta was elected as the shareholder director) - To seek approval of appointment of Sh. Ravi Mehra, as Executive Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution - To seek approval for raising equity capital up an amount of Rs.2000 crore through Qualified Institutions Placement.
Extraordinary General Meeting	Wednesday, 21 st January 2026	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To seek approval for raising equity capital up an amount of Rs.2000 crore through Qualified Institutions Placement. - To seek approval of appointment of Sh. Jitendra Asati as Gol Nominee Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution.

c. **Postal Ballot:** Bank has not conducted any business by way of postal ballot during the Financial Year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.



6. MEANS OF COMMUNICATION:

The Quarterly / Annual Financial Results of the Bank are submitted to the stock exchanges (BSE & NSE), where the securities of the Bank are listed, for dissemination. The results are also published in one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. The Bank also organizes analyst meets, meetings with investors / analysts etc on the Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to date / Annual Financial Results of the Bank, Press Release and the copy of the presentation made to the Analysts and other official announcements are posted on the Banks website <https://punjabandsind.bank.in/> and the website of the Stock Exchanges viz www.nseindia.com and www.bseindia.com. In terms of the prevailing SEBI guidelines, the electronic copies of the Annual Report were sent to the shareholders through e-mail and were also hosted on the website of the Bank and the Stock Exchanges viz www.nseindia.com and www.bseindia.com. In line with SEBI guidelines, physical copies of the Annual Report were provided to the shareholders who had requested for them.

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

7.1 Financial Calendar (Tentative):

Financial Year 1 st April, 2025 to 31 st March, 2026	
Date, Time and Venue of 16th Annual General Meeting	16 th AGM of the Bank will be held through VC at 11:00 a.m. on Tuesday, July 28, 2026 and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank.
Book Closure dates	Wednesday, July 22, 2026 to Tuesday, July 28, 2026
Cut-off date for dividend	21 st July 2026
Dividend payment date	Within 30 days from the date of the 16th Annual General Meeting

7.2 Listing on Stock Exchanges:

The Bank's equity shares are listed on the following Stock Exchanges:

1. BSE Limited (Formerly Bombay Stock Exchange) – Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001
2. National Stock Exchange of India Limited (NSE) - Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

The Listing fee has been paid to the NSE & BSE up to date.



7.3 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

1. The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in the case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical are requested to convert their holdings to dematerialized form.
2. Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.
3. Transfer of equity shares in electronic form is effected through the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) with no involvement of the Bank.
4. The Board has constituted a Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed MUFG Intime India Private Limited (previously known as Link Intime India Private Limited) as its Share Transfer Agent and has established an Investor Grievances Cell at its Corporate Office as Shares Cell wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution. The contact details are as under:

MUFG Intime India Private Limited (Unit: Punjab & Sind Bank) Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 Phone: (011) 41410592 to 0594 Fax: (011) 41410591 E-Mail: delhi@in.mpms.mufg.com	Punjab & Sind Bank Corporate Office, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 Telephone: (011) 40175169 E-mail: complianceofficer@psb.bank.in
--	--

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



7.4. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2026

Holding of Shares	No. of shareholders	% of shareholders	Total Shares	% of Total
1 – 500	1,89,663	83.6566	1,93,40,362	0.2726
501 – 1000	16,454	7.2575	1,31,87,742	0.1859
1001 – 2000	9,569	4.2207	1,44,57,171	0.2037
2001 – 3000	3,531	1.5575	89,83,622	0.1266
3001 – 4000	1,717	0.7573	61,45,476	0.0866
4001 – 5000	1,571	0.6929	73,49,835	0.1036
5001 – 10000	2,439	1.0758	1,77,52,618	0.2502
10001 & Above	1,772	0.7816	7,00,83,68,394	98.7708
TOTAL	2,26,716	100.00	7,09,55,85,220	100.00

7.5. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2026

Sr No	State	Number of Shareholders	Shares held	Percentage*
1	Andaman and Nicobar Islands	36	11,083	0.00
2	Andhra Pradesh	5,572	40,12,429	0.06
3	Arunachal Pradesh	16	16,211	0.00
4	Assam	2,001	6,97,020	0.01
5	Bihar	7,096	40,25,812	0.06
6	Chandigarh	1,154	9,21,155	0.01
7	Chhattisgarh	1,907	13,42,446	0.02
8	Dadar Nagar Haveli	44	28,655	0.00
9	Daman and Diu	23	13,473	0.00
10	Delhi	17,204	6,67,63,43,366	94.09
11	Goa	452	1,51,204	0.00
12	Gujarat	24,698	1,32,10,285	0.19
13	Haryana	9,475	74,35,397	0.11

Sr No	State	Number of Shareholders	Shares held	Percentage*
14	Himachal Pradesh	1,302	6,92,135	0.01
15	Jammu and Kashmir	954	6,48,227	0.01
16	Jharkhand	3,119	13,20,272	0.02
17	Karnataka	10,413	53,75,857	0.08
18	Kerala	5,046	28,83,634	0.04
19	Lakshadweep	1	70	0.00
20	Madhya Pradesh	8,162	40,76,486	0.06
21	Maharashtra	36,190	28,58,38,258	4.03
22	Manipur	142	70,724	0.00
23	Meghalaya	81	22,633	0.00
24	Mizoram	12	3,378	0.00
25	Nagaland	77	1,56,988	0.00
26	Orissa	3,295	15,62,420	0.02
27	OTHERS	1,690	35,48,543	0.05
28	Pondicherry	173	3,40,728	0.00
29	Punjab	11,293	84,67,219	0.12
30	Rajasthan	17,719	1,25,62,451	0.18
31	Sikkim	53	12,371	0.00
32	Tamil Nadu	11,988	2,56,28,620	0.36
33	Telangana	6,333	1,14,81,224	0.16
34	Tripura	227	1,28,467	0.00
35	Uttar Pradesh	22,912	1,36,04,421	0.19
36	Uttarakhand	2,074	10,44,086	0.01
37	West Bengal	13,782	79,07,472	0.11
Total		2,26,716	7,09,55,85,220	100.00

* 0.00% refers to values less than 0.01%

7.6. Dematerialization of Securities and liquidity:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.



As on March 31, 2026 the Bank has 7,09,55,85,220 Number of Equity Shares of which 7,09,55,04,090 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	81,130	0.00
Dematerialized		
NSDL	34,25,34,802	4.83
CDSL *	6,75,29,69,288	95.17
Grand Total	7,09,55,85,220	100.00

* includes 6,65,90,51,093 equity shares held by the Government of India.

7.7. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the Financial year 2025-26 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2026.

7.8. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.

7.9. Plant Location: NA

7.10. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Long Term Infrastructure Bonds	Rating for Certificate of Deposits
CARE	CARE AA Stable dated 22.08.2025 (reaffirmed)	NA	NA
CRISIL	CRISIL AA Stable 10.09.2025 (reaffirmed)	CRISIL AA Stable 10.09.2025 (reaffirmed)	NA
ICRA	NA	NA	ICRA A1+ (reaffirmed) dated 20.03.2026
Infomerics	IVR AA Stable (reaffirmed) dated 27.02.2026	NA	NA
India Ratings	NA	IND AA Stable 07.10.2025 (reaffirmed)	NA

8. OTHER DISCLOSURES:

- a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. No penalties, strictures have been imposed on the Bank by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years.
- c. Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access to audit committee.
- d. The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at point n & o below.
- e. The policy for determining Material Subsidiary and the Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/content/policies>
- f. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://punjabandsind.bank.in/content/policies>
- g. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.
- h. The Funds raised by the Bank by way of Qualified Institutions Placement have been utilized for the general business purpose of the Bank.
- i. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- j. It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which was mandatorily required during the financial year 2025-26.
- k. In line with DFS guidelines, Bank has conducted the Performance Evaluation of the Board and its sub-committees for the FY 2023-24 and FY 2024-25.
- l. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount (Rs)
Statutory Branch Auditors	7,70,30,415
Statutory Central Auditors	81,93,400

- m. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013



Number of complaints pending as on 01.04.2025	2
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	7
Number of complaints disposed off during the year	8
Number of complaints pending as on 31.03.2026	1

n. Bank does not have any subsidiaries.

o. Compliance of Discretionary Requirements:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	The Board – A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his / her duties.	Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman retired on 06.11.2024 on completion of tenure. There is no Non-executive Chairman on the Board of the Bank as on 31.03.2026
2	Shareholders Rights – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank's website https://punjabandsind.bank.in/ for information of the shareholders.
3.	Modified Opinion(s) in audit report – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Auditors have expressed an Unmodified opinion on the financial statements of the Bank.
4	Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer - The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	Punjab & Sind Bank has separate posts of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer. However, after the retirement of Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman on 06.11.2024 on completion of tenure, the post of Non-Executive Chairman is vacant.
5.	Reporting of internal auditor – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

p. Disclosure of compliance with Corporate Governance requirements

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	Our Bank is a Corresponding New Bank constituted under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. All Directors of the Bank, other than Shareholder Director, are appointed/ nominated by the Central Government in terms of Sec 9(3) of the Act. After retirement of Dr Charan Singh, the post of Non-Executive Chairman of the Bank is vacant. Further, Bank also does not have an Independent Women Director on the Board of the Bank. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	Complied with
19	Nomination and Remuneration Committee	The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed by RBI Directives / Guidelines. As per the Reserve Bank of India Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act. Bank does not have sufficient number of directors to constitute the Committee.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with



24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	Complied with
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied with

9. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

SI No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2026
1	Dividend 2021-22	7,02,204.69
2	Dividend 2022-23	7,86,997.52
3	Dividend 2023-24	2,71,057.98
4	Dividend 2024-25	96,840.52

10. The following are the Debenture Trustees for the Bonds issued by the Bank:

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS

 IDBI Trusteeship Services Ltd IDBI Trusteeship Services Limited Universal Insurance Building, Ground Floor Sir P.M Road, Fort Mumbai, Maharashtra – 400001 Tel No. 022-40807000 E-mail: itsl@idbitrustee.com	 Axis Trustee Services Limited Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050 Email: debenturetrustee@ axistrustee.in	 Vistra ITCL (India) Limited The IL&FS Financial Center Plot No. C-22, G Block, 6th Floor Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051 Tel: +91 22 69300000 Fax : +91 22 28500029 Email: mumbai@vistra.com
--	---	---

11. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2026):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.



12. Shareholding Pattern as on 31st March 2026

S. No.	Category	No of shareholders	No of Shares	% to Equity
1	President of India	1	6,65,90,51,093	93.85
2	Clearing Members	28	2,24,505	-
3	Other Bodies Corporate	334	93,30,920	0.13
4	Hindu Undivided Family	4,988	54,65,118	0.08
5	Mutual Funds	9	81,02,553	0.11
6	Nationalised Banks	10	11,23,59,952	1.58
7	Non Nationalised Banks	2	93,82,329	0.13
8	Non Resident Indians	751	25,73,256	0.04
9	Non Resident (Non-Repatriable)	966	9,71,103	0.02
10	Public	2,19,580	12,99,21,144	1.83
11	Trusts	8	1,26,676	0.00
12	Insurance Companies	9	14,07,82,271	1.99
13	Body Corporate - Ltd Liability Partnership	19	1,78,863	0.00
14	Unclaimed Shares	2	2,402	-
15	FPI (Corporate) - I	8	1,05,97,529	0.15
16	Alternate Invst Funds - I	1	65,15,506	0.09
Total		2,26,716	7,09,55,85,220	100.00

13. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is forming part of the report.


R S KATHURIA & Co.
Company Secretaries

FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,

Shakarpur, Delhi- 110092

Tel:- 98-10544091

 E-mail: rsk04069@rediffmail.com

Peer Review Certificate No.: 3028/2023

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)

(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015)

The Members of

Punjab & Sind Bank

Bank House, 21, Rajendra Place

New Delhi- 110 008

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having corporate office at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

S.No	Name of Director	Designation
1	Mr. Swarup Kumar Saha	Managing Director and Chief Executive Officer



2	Mr. Ravi Mehra	Executive Director
3	Mr. Rajeeva	Executive Director
4	Mr. Jitendra Asati	Non-Executive – Nominee Director
5	Mr. R.P Gupta	Non-Executive – Independent Director
6	Mr. Vivek Srivastava	Non-Executive – Nominee Director
7	Mr. Shankar Lal Agarwal	Non-Executive - Independent Director

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **R S Kathuria & Co.**
Company Secretaries

Place: Delhi

Date: 23rd April, 2026

R.S. Kathuria
Proprietor

FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217H000184803



Independent Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To

The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Punjab & Sind Bank** (hereinafter referred to as "the Bank") for the Financial Year ended 31st March, 2026 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (hereinafter referred to as "the Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has in all material aspects complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949, as amended and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, except for the following:

- a) There is no Independent Woman Director and Chairman on the Board of the Bank as required by the Listing Regulations;
- b) The position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(g) and four Directors under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, were vacant on the Board of the Bank;
- c) The Audit Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of Directors from 01.04.2025 to 20.04.2025. However, during rest of the year the same was duly constituted.
- d) The Risk Management Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of Directors from 01.04.2025 to 20.04.2025 and 09.09.2025 to 14.09.2025. However, during rest of the year the same was duly constituted.
- e) The Nomination and Remuneration Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of Directors, and the same has been subsumed in the Board of Directors.



- f) The Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up cases of Frauds could not be constituted due to insufficient number of Directors from 09.09.2025 to 14.09.2025. However, during rest of the year the same was duly constituted.
- g) The Stakeholders Relationship Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of Directors from 09.09.2025 to 14.09.2025. However, during rest of the year the same was duly constituted.

This Certificate is addressed to and provided to the Members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants FRN: 000346N (CA. Prateek Gupta) Partner M. No. 566023 UDIN: 26566023MMIXZT2842	Gupta Sharma & Associates Chartered Accountants FRN: 001466N (CA. Gurneet Singh Bhan) Partner M. No. 532675 UDIN: 26532675SLFLMV5473
O. P. Totla & Co. Chartered Accountants FRN: 000734C (CA. Abhijeet Gupta) Partner M. No. 454850 UDIN: 26454850QBUOCY2583	NBS & Co. Chartered Accountants FRN: 110100W (CA. Sharath K Shetty) Partner M. No. 132775 UDIN: 26132775JTKHGA9292

Dated: 27th April, 2026

Place : New Delhi



The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2025-26 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2026 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website <https://punjabandsind.bank.in/>.

Place: New Delhi
Dated: 27.04.2026

For Punjab & Sind Bank

(Swarup Kumar Saha)
Managing Director & Chief Executive Officer

The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2025-26

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: New Delhi
Dated: 27.04.2026

For Punjab & Sind Bank

(Arnab Goswamy)
Chief Financial Officer

For Punjab & Sind Bank

(Swarup Kumar Saha)
Managing Director & Chief Executive Officer



S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants, 31-F, Connaught Place, Radial Road no.7, New Delhi-110001	Gupta Sharma & Associates, Chartered Accountants, 142, Sector 3, Trikuta Nagar, Jammu - 180012	O. P. Totla & Co., Chartered Accountants, 302, Alankar Point, Geeta Bhawan Square, Indore – 452001 (MP)	NBS & Co., Chartered Accountants, 14/2, Western India House, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001
---	---	--	--

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Punjab & Sind Bank

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of **Punjab & Sind Bank**, (the 'Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2026, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for year ended on that date of 20 branches and treasury division audited by us and 441 branches and 47 Offices / Processing Centres audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI'). Also included in the financial statements are the returns from 1193 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches accounted for 20.19% of advances, 41.17 % of deposits, 14.36% of interest income and 33.85 % of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as amended (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;

- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (“SAs”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“the ICAI”). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India (“RBI”) from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.



Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
<u>Advances – classification and provisioning</u> (Refer Schedule 9 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 3) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the Income Recognition, Assets Classification and Provisioning norms and other relevant directions / guidelines (Prudential Norms) as prescribed / issued by the Reserve Bank of India. The classification and provisioning is done by the Bank's IT software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the Prudential Norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements i.e. 64.66% of total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	<u>Our Audit Procedure:</u> We obtained an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the RBI, the Bank's internal instructions and procedures, and the guidelines of other concerned regulatory or other authority / bodies in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: - Evaluation and testing of the effectiveness of the System controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification / classification, assessment of the loan impairment including testing of relevant data quality, and review of the real data entered / existing in the software. - Verification / review of the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches / verticals audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. - Review of the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit and other audit / inspection mechanisms to ascertain the advances having any adverse indication / comments, and review of the control mechanisms of the bank to ensure the proper classification of such advances and provisioning thereof. Necessary changes / improvements were suggested wherever considered appropriate during the course of audit and the effect / impact wherever required was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.

Investments – valuation, classification and identification and provisioning for Non-Performing Investments

(Refer Schedule 8 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 2)

Investment portfolio of the Bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under the categories of Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) with Held for Trading (HFT) as sub-category of FVTPL.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements i.e. 27.55% of total assets, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Our Audit Procedure:

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,

- We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning / depreciation and appreciation related to Investments.
- We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.
- For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI Master Circular/ directions.
- We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created.

Necessary changes were carried out, wherever required, during the course of audit and the effect of the same was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.



<u>Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting</u> The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently. Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports / returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements. Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems. There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, and that the data may have not been correctly entered, processed and generated / extracted. Considering the above, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	<u>Our Audit Procedure</u> - Verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of the reports / data generated from the system. - Review of the operating effectiveness of the IT controls including application, access controls that are critical to the financial reporting. - Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. - Checking of the requirements for any changes in the regulations / policy of the Bank and configuration / impact of the same in IT. We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors and on IS, System Logic and Internal Financial Controls over Financial Reporting (IFCoFR) Audits / Review / testing undertaken by the independent experts on the IT system and CBS of the Bank.
---	--

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issue of this Auditor's Report. The other information also includes the Directors' Report, including annexures, if any, thereon (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report.

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. Further, when we read the Other Information, which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charge with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 441 Branches and 47 Offices / Processing Centers included in the financial statements of the Bank, which reflect total assets of Rs. 28,744.33 crores as at 31st March, 2026 and total revenue of Rs. 3,124.17 crores for the year ended on that date, as considered in these financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matter.



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as amended and subject also to the limitations of disclosure required therein, and as required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs” read with subsequent communication dated 19th May, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the dis-qualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

- e) Our report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls with reference to Financial Statements is given in **Annexure – A** to this report expressing an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Control with reference to the financial statements as at 31st March, 2026.

12. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.



For **S. P. Chopra & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 000346N

For **Gupta Sharma & Associates**

Chartered Accountants

FRN: 001466N

(CA. Prateek Gupta)

Partner

M. No. 566023

UDIN: 26566023WYNGEH9733

(CA. Gurneet Singh Bhan)

Partner

M. No. 532675

UDIN: 26532675YNDAWF6678

For **O. P. Totla & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 000734C

For **NBS & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 110100W

(CA. Abhijeet Gupta)

Partner

M. No. 454850

UDIN: 26454850VQLEWE3778

(CA. Sharath K Shetty)

Partner

M. No. 132775

UDIN: 26132775QKDBTN9395

Date : 27th April, 2026

Place : New Delhi



ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 13(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date of Punjab & Sind Bank)

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020, as amended (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of **Punjab & Sind Bank** (the "Bank") as of 31st March, 2026 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to financial statements of the selected branches of the Bank.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.



Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at 31st March, 2026, based on “the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”.

Other Matter

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 441 branches and 47 Offices / Processing Centers is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

For **S. P. Chopra & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 000346N

(CA. Prateek Gupta)

Partner

M. No. 566023

UDIN: 26566023WYNGEH9733

For **O. P. Totla & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 000734C

(CA. Abhijeet Gupta)

M. No. 454850

UDIN: 26454850VQLEWE3778

For **Gupta Sharma & Associates**

Chartered Accountants

FRN: 001466N

(CA. Gurneet Singh Bhan)

Partner

M. No. 532675

UDIN: 26532675YNDAWF6678

For **NBS & Co.**

Chartered Accountants

FRN: 110100W

(CA. Dhananjay Sharma)

M. No. 132775

UDIN: 26132775QKDBTN9395

Date : 27th April, 2026

Place : New Delhi



PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2026

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE NO.	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
Capital	1	7,09,55,852	7,09,55,852
Reserves & Surplus	2	7,03,68,290	6,25,91,713
Deposits	3	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
Borrowings	4	16,35,23,262	14,22,95,201
Other liabilities & Provisions	5	2,95,65,591	4,45,68,695
TOTAL		1,79,27,03,109	161,81,51,680
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	6,22,95,437	8,79,38,011
Balances with banks and money at call and short notice	7	6,97,120	2,62,630
Investments	8	49,38,84,725	46,91,23,086
Advances	9	1,15,91,17,436	97,29,99,019
Fixed Assets	10	1,86,20,078	1,79,82,518
Other Assets	11	5,80,88,313	6,98,46,416
TOTAL		1,79,27,03,109	1,61,81,51,680
Contingent Liabilities	12	8,62,81,110	5,33,50,334
Bills for Collection		1,29,60,170	86,48,798
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the Balance Sheet			



ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

JITENDRA ASATI
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 26566023WYNGEH9733

(CA GURNEET SINGH BHAN)
PARTNER
M. NO. 532675
UDIN: 26532675YNDAWF6678

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA ABHIJEET GUPTA)
PARTNER
M. NO. 454850
UDIN: 26454850VQLEWE3778

(CA SHARATH K SHETTY)
PARTNER
M. NO. 132775
UDIN: 26132775QKDBTN9395

Place: New Delhi
Dated: April 27, 2026



PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.26 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.25 [Audited]
I. INCOME				
Interest earned	13		11,98,15,018	11,48,13,003
Other income	14		1,77,77,968	1,56,76,508
TOTAL			13,75,92,986	13,04,89,511
II. EXPENDITURE				
Interest expended	15		8,17,00,876	7,69,76,410
Operating expenses	16		3,40,74,699	3,27,63,879
Provisions and contingencies			85,98,069	1,05,90,913
TOTAL			12,43,73,643	12,03,31,202
III. PROFIT/LOSS				
Net Profit/ Loss (-) for the period			1,32,19,342	1,01,58,309
Profit/ Loss(-) brought forward			1,90,77,844	1,39,45,575
TOTAL			3,22,97,186	2,41,03,884
Basic & Diluted Earnings per Share (EPS)			1.86	1.50
IV. APPROPRIATIONS				
Transfer to:				
Statutory Reserve			33,10,000	25,40,000
Capital Reserve [Investment]			2,24,277	3,60,626
Special Reserve u/s 36(1)(viii)			0	0
Employees Welfare Trust			50,000	25,000
Investment Fluctuation Reserve			1,59,637	7,24,487
Corporate Social Responsibility Fund			38,417	20,370
Dividend			4,96,691	13,55,557
Balance carried over to Balance Sheet			2,80,18,164	1,90,77,844
TOTAL			3,22,97,186	2,41,03,884
Significant Accounting Policies	17			
Notes on Accounts	18			
Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account				



ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

JITENDRA ASATI
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 26566023WYNGEH9733

(CA GURNEET SINGH BHAN)
PARTNER
M. NO. 532675
UDIN: 26532675YNDAWF6678

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA ABHIJEET GUPTA)
PARTNER
M. NO. 454850
UDIN: 26454850VQLEWE3778

(CA SHARATH K SHETTY)
PARTNER
M. NO. 132775
UDIN: 26132775QKDBTN9395

Place: New Delhi
Dated: April 27, 2026



(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 1000,00,00,000 (Previous Year 1000,00,00,000) shares of Rs.10/- each	10,00,00,000	10,00,00,000
		10,00,00,000	10,00,00,000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 7,09,55,85,220 (Previous Year 7,09,55,85,220) shares of Rs.10/- each [including 6,65,90,51,093 (Previous Year 6,65,90,51,093) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	7,09,55,852	7,09,55,852
	TOTAL	7,09,55,852	7,09,55,852

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	1,97,66,906	1,72,26,906
	Add: Addition during the year	33,10,000	25,40,000
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub Total I	2,30,76,906	1,97,66,906
II.	Capital Reserves:		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	1,06,34,585	1,06,63,859
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	(29,274)	(29,274)
	Sub Total II.a	1,06,05,311	1,06,34,585
	b. Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	81,12,086	77,51,460
	Add: Addition during the year	2,24,277	3,60,626
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total II.b	83,36,363	81,12,086
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	4,01,86,316	3,13,19,785
	Add: Addition during the year	6,313	90,15,952
	Less: Deduction during the year	0	(1,49,421)
	Sub-Total III	4,01,92,629	4,01,86,316
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		

	Opening Balance	(4,19,32,575)	10,89,003
	Add: Addition during the year	0	3,33,218
	Less: Deduction during the year	(10,58,044)	(4,33,54,796)
	Sub-Total IV.a	(4,29,90,619)	(4,19,32,575)
	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	4,89,777	4,60,503
	Add: Addition during the year	29,274	29,274
	Less: Deduction during the year	(84,515)	0
	Sub-Total IV.b	4,34,536	4,89,777
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	21,08,118	21,08,118
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.c	21,08,118	21,08,118
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	0	3,33,218
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	(3,33,218)
	Sub-Total IV.d	0	0
	e). Investment Fluctuation Reserve		
	Opening Balance	33,82,467	26,57,980
	Add: Addition during the year	1,59,637	7,24,487
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.e	35,42,104	33,82,467
	f). AFS Reserve		
	Opening Balance	7,66,189	0
	Add: Addition during the year	0	7,66,189
	Less: Deduction during the year	(37,21,411)	0
	Sub-Total IV.f	(29,55,222)	7,66,189
V.	Balance in Profit & Loss Account	2,80,18,164	1,90,77,844
	Total [I to V]	7,03,68,290	6,25,91,713

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	12,19,911	16,19,593
	ii. From others	6,45,51,042	5,30,97,327
	II. Savings Bank Deposits	38,29,89,296	35,31,82,469



	III. Term Deposits		
	i. From Banks	1,67,40,720	1,12,22,449
	ii. From others	99,27,89,145	87,86,18,381
	TOTAL [I+II+III]	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
B	i. Deposits of branches in India	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
	ii. Deposits of branches outside India	0	0
	Total	1,45,82,90,114	1,29,77,40,219
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
		[Audited]	[Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	2,40,00,000	2,35,00,000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	9,71,50,262	7,64,22,201
	iv) Subordinated Debt	1,23,73,000	1,23,73,000
	v) Long Term Infrastructure Bonds	3,00,00,000	3,00,00,000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	16,35,23,262	14,22,95,201
	Secured borrowings Included in I & II above	12,11,50,262	9,99,22,201
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
		[Audited]	[Audited]
	I. Bills Payable	34,93,494	27,57,975
	II. Inter-office adjustments [net]	0	1,44,01,296
	III. Interest accrued	1,09,39,778	1,16,68,698
	V. Others (including provisions)**	1,51,32,319	1,57,40,726
	TOTAL	2,95,65,591	4,45,68,695

** Includes Provision against Standard Advances of Rs.912.00 crores [Previous Year: Rs.686.16 crores]

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
		[Audited]	[Audited]
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	27,19,881	22,65,552
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	4,45,75,556	5,22,72,459

	ii) in Other Account	1,50,00,000	3,34,00,000
	TOTAL [I & II]	6,22,95,437	8,79,38,011
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
	I. In India		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	74,901	13,644
	b) in Other Deposit Accounts	0	0
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	0	0
	b) with other institutions	0	0
	SUB-TOTAL [I]	74,901	13,644
	II. Outside India		
	i) In Current Accounts	6,22,219	2,48,985
	ii) In Other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	6,22,219	2,48,985
	TOTAL [I & II]	6,97,120	2,62,630
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities **	34,91,52,747	33,10,69,473
	ii) Other approved securities	0	0
	iii) Shares	45,95,018	38,79,606
	iv) Debentures & Bonds	13,20,13,446	12,41,45,091
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures	0	0
	vi) Others:		
	a) Commercial Paper / CD / Securitised Receipts	77,05,779	86,65,078
	b) Units of UTI, other MF / VC	4,17,735	13,63,838
	SUB-TOTAL [I]	49,38,84,725	46,91,23,086
	II. Investments outside India	0	0
	TOTAL [I + II]	49,38,84,725	46,91,23,086
	Investments in India		



	Gross Value	50,12,70,166	47,69,38,881
	Provision for Depreciation	(73,85,441)	(78,15,796)
	Net Investments	49,38,84,725	46,91,23,086
** Includes encumbered securities as on 31.03.2026 of Rs.6,480.41 crores [Face Value: Rs.6,419.15 crores], Previous Financial year: Rs.4,989.86 crores [Face Value: Rs.5,026.75 crores]			

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
A	i) Bills purchased & discounted	3,43,73,768	2,20,21,405
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	33,03,78,353	35,46,87,764
	iii) Term Loans	79,43,65,315	59,62,89,850
	Total	1,15,91,17,436	97,29,99,019
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	90,32,21,158	74,40,81,509
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	12,75,01,470	13,57,65,798
	iii) Unsecured	12,83,94,808	9,31,51,712
	Total	1,15,91,17,436	97,29,99,019
C	I. ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	43,90,16,040	35,23,84,095
	ii) Public Sector	21,94,43,673	21,07,97,872
	iii) Banks	1,01,22,818	99,99,972
	iv) Others	49,05,34,905	39,98,17,080
	Total	1,15,91,17,436	97,29,99,019
C	II. Advances outside India	0	0
	Grand Total (C I and II)	1,15,91,17,436	97,29,99,019

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.26 [Audited]	AS ON 31.03.25 [Audited]
	I. Premises		
	At Cost as on 31st March of preceding year	48,81,892	42,15,080
	Appreciation in cost on account of revaluation	1,08,48,051	1,08,48,051
	Sub-Total	1,57,29,943	1,50,63,131
	Additions during the year		

Original Cost	94,128	6,66,812
Revaluation Cost	0	0
Deductions during the year on		
Original Cost	0	0
Revaluation Cost	0	0
Less Depreciation to date on		
Original cost	(7,76,350)	(6,43,868)
Revaluation cost	(2,42,739)	(2,13,466)
Total-I	1,48,04,982	1,48,72,609
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At Cost as on 31st March of preceding year	1,24,65,148	1,15,18,350
Additions during the year	22,91,905	10,36,357
Deductions during the year	(97,278)	(89,558)
Depreciation to date	(1,10,88,108)	(95,49,125)
Total II	35,71,667	29,16,024
III. Assets Under Construction (Including Premises)	2,43,429	1,93,885
TOTAL I, II & III	1,86,20,078	1,79,82,518
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
	[Audited]	[Audited]
I. Inter-office adjustments [net]	65,038	0
II. Interest accrued	90,45,910	79,58,520
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net of provisions)	51,17,121	48,92,985
IV. Stationery & Stamps	43,823	47,755
V. Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Deferred Tax asset (Net)	1,12,70,045	1,29,85,172
VII. Others *	3,25,46,376	4,39,61,984
TOTAL	5,80,88,313	6,98,46,416
* Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.1,389.58 crore [Previous Year Rs.1,368.64 crore]		
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.26	AS ON 31.03.25
	[Audited]	[Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	3,982	7,179



II. Liability for partly paid investments	2,09,731	3,01,961
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,44,76,130	1,27,55,101
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	4,17,99,629	2,50,26,759
b) Outside India	0	0
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1,07,32,900	27,38,100
VI. Other items for which the bank is contingently liable	1,90,58,738	1,25,21,234
TOTAL	8,62,81,110	5,33,50,334
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.26 [Audited]	Year Ended 31.03.25 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	8,58,05,951	8,15,77,381
II. Income on investments	3,30,85,970	3,22,49,100
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1,60,268	1,70,256
IV. Others	7,62,829	8,16,266
TOTAL	11,98,15,018	11,48,13,003
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.26 [Audited]	Year Ended 31.03.25 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	16,11,911	13,53,917
II. Profit on sale of Investments [net of loss of Rs.10,29,343 Thousands, Previous year: Rs.92,723 Thousands]	40,60,432	31,71,891
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments [net of loss of Rs.13,86,051 Thousands, Previous year: Rs.2,71,993 Thousands]	(11,48,615)	5,74,250
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets [net of loss of Rs.3,004 Thousands, Previous year: Rs.4,571 Thousands]	(1,577)	(1,975)
V. Profit on exchange transactions [net of loss of Rs.768 Thousands, Previous year: Rs.460 Thousands]	2,10,508	2,02,216
VI. Miscellaneous Income	1,30,45,309	1,03,76,209
TOTAL	1,77,77,968	1,56,76,508

(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.26 [Audited]	Year Ended 31.03.25 [Audited]
	I. Interest on deposits	7,29,03,458	7,07,79,439
	II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	19,23,650	25,60,396
	III. Others	68,73,768	36,36,575
	TOTAL	8,17,00,876	7,69,76,410
(000'S OMITTED)			
		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.26 [Audited]	Year Ended 31.03.25 [Audited]
	I. Payments to and provisions for employees	2,06,93,485	2,08,84,841
	II. Rent, taxes and lighting	15,81,175	14,69,047
	III. Printing and stationery	1,29,551	1,26,359
	IV. Advertisement & publicity	1,97,367	1,14,628
	V. Depreciation on Bank's property	17,69,926	14,50,846
	VI. Directors' fees, allowances and expenses	6,144	6,555
	VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors')	1,24,559	1,25,385
	VIII. Law Charges	1,89,138	1,75,294
	IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	5,91,965	5,44,212
	X. Repairs & maintenance	6,25,373	3,69,368
	XI. Insurance	18,57,591	18,81,249
	XII. Other expenditure	63,08,425	56,16,096
	TOTAL	3,40,74,699	3,27,63,879



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Punjab & Sind Bank (PSB or the Bank) is a banking and financial services statutory body engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies, and institutional customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949.

B. Basis of Preparation

The financial statements of Punjab & Sind Bank (the “Bank”) have been prepared and presented under historical cost convention, on accrual basis of accounting, ongoing concern basis, and conform in all material aspects, unless otherwise stated. **The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under Third Schedule of Banking Regulation Act, 1949.** They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, statutory provisions, regulatory norms prescribed and circulars, directions and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent relevant and applicable to the Bank and prevailing practices in the Banking Industry in India.

C. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period in which the results are known / materialized, unless otherwise stated.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue Recognition

- 1.1. Income (other than item referred in Paragraph 1.2) and expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 1.2. Income by way of Fees, all commission (other than on Government business and commission from sale of third party products including Mutual funds), Commission on Guarantees and Letters of credits, Locker rent, Service charges on various Deposit Products, money transfer

services, interest on overdue bills purchased and discounted, Processing fees, income from units of mutual fund products and income from ATM operations including AMC charges for cards are accounted for on receipt basis.

- 1.3. Interest on income tax refunds is accounted for in the year in which order is received by the bank.
- 1.4. Appropriation of recoveries in NPA accounts-
 - 1.4.1. Income on Non-Performing Assets (NPAs) comprising of advances and investments is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
 - 1.4.2. Appropriation of Recoveries in NPA accounts (other than stated in para 1.4.3) shall be as under:
 - a. Towards Expenditure/Out of Pocket Expenses/charges incurred by the bank for Recovery
 - b. Thereafter towards the interest irregularities/accrued interest
 - c. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account
 - 1.4.3. In case of Compromise, Resolution/Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE/ ECGC/ GECL/ CGMFU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and interest.
 - 1.4.4. In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:
 - a. As per the directives of the concerned Court.
 - b. In the absence of specific directives from the Court in this regard, as mentioned at para 1.4.3 above shall prevail.
- 1.5.
 - A. Appropriation of Recoveries in Standard accounts: The appropriation of recovery in Standard accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is satisfied in the following order-
 - a. Towards costs /charges / expenses paid or incurred by the bank
 - b. Thereafter towards the interest/additional interest if any, due to the bank
 - c. Towards payment of Principal amount
 - B. In the case of staff advances (Housing and Vehicle), the appropriation of recovery in Standard accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is satisfied in the following order-
 - a. Towards costs /charges / expenses paid or incurred by the bank



- b. Towards payment of Principal amount
- c. Thereafter towards the interest/additional interest if any, due to the bank
- 1.6. Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Accounts.
- 1.7. Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 1.8. Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account.
- 1.9. Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 1.10. Amount recovered against bad debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.
- 1.11. Premium paid / earned on purchase / sale of PSLCs are accounted on accrual basis.
- 1.12. Dividend on shares of corporate bodies is booked on accrual basis provided dividends on the shares has been declared by the corporate bodies in its annual general meeting and owners right to receive the dividend is established.

2. Investments

Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on classification, Valuation and operation of Investment portfolio.

2.1. Classification:

In compliance with the RBI guidelines, the Investment portfolio has been classified into 3 categories (except investments in own subsidiaries, joint ventures and associates) namely –

- 2.1.1. **Held to Maturity (HTM) comprising of Investments that the Bank intends to hold till maturity** i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows & the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI Criterion') on specified dates.
- 2.1.2. **Available for Sale (AFS):** Securities that are acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities and the contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion'. Provided that on initial recognition, Bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading. AFS securities shall include inter-alia debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:

- i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
- ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
- iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in the RBI guidelines.
- iv) Preference shares and Equity shares.

2.1.3. Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) with Held for Trading (HFT) being maintained as separate investment subcategory within FVTPL -

Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall include inter-alia:

- i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
- ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
- iii) Investment in securitization notes which represent the equity tranche of a securitization transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
- iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

2.1.3.1. HFT (Held for Trading): A separate sub-category called HFT within FVTPL has been created. The securities which complies with the following requirements are classified under HFT.

a) Any instrument held by the bank for one or more of the following purposes shall, when it is first recognized on its books, be designated as a HFT instrument

- i) short-term resale
- ii) profiting from short-term price movements
- iii) locking in arbitrage profits; or
- iv) hedging risks that arise from instruments meeting (i), (ii) or (iii) above

b) The following instruments shall not be included in HFT category

- i) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures



- ii) Instruments designated for securitization warehousing.
- iii) Direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate.
- iv) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - Bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition
 - Bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds
- v) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (i) to (iv) above as underlying assets; or
- vi) instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (i) to (v) above.

2.1.4. **Transfer between categories:** An investment is classified under the above categories at the time of its purchase. Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of its Board. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification if done (as per approval from above point) to be applied prospectively from reclassification date.

In case of reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as per the RBI guidelines.

2.1.5. For disclosure in the Balance sheet, the aforesaid Investments are classified as Investments in India and Outside India.

Investments in India are further categorized as under:

- i. Government Securities
- ii. Other approved securities
- iii. Shares
- iv. Debentures & Bonds
- v. Subsidiaries and /or Joint Ventures
- vi. Others (to be specified)

Investments Outside India are further categorized as under:

- i. Government Securities (including local authorities)



ii. Subsidiaries, associates and Joint Ventures

iii. Other investments

2.2. Accounting of Investments:

2.2.1. The transactions in all the securities are recorded on Settlement Date i.e the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal, on the day it is delivered by the entity.

2.2.2. Cost of acquisition: The cost is determined on weighted average cost method. Brokerage / commission received on subscription is reduced from the cost. Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost. Interest accrued up to the date of acquisition / sale of securities i.e. broken period interest on debt instruments is excluded from the acquisition cost / sale consideration and is treated as interest expense / income.

2.3. Valuation:

2.3.1. **Initial recognition:** All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value.

Situations where the presumption to be tested include where:

- a) The transaction is between related parties.
 - b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
 - c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
 - d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.
1. In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.
 2. Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognized in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.



3. Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognized immediately.

4. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred.

In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

2.3.2. Subsequent Measurement

2.3.2.1. HTM

Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortized over the remaining life of the instrument. The amortized amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'

2.3.2.2. AFS

- a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'
- b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. Net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- c) The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- d) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- e) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

2.3.2.3. FVTPL

- a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

2.3.3. Sale of investments from HTM

- a) Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognized in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investment in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

2.3.4. Fair Value of Investments

The 'market price / fair value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and FVTPL (Including HFT) & HTM categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the 'market price / fair value' is ascertained as under:

a.	Government Securities:	
	i. Central Government securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) & Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL
	ii. State Government securities.	
b.	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ RBI guidelines



c.	Equity Shares: i. Listed ii. Unlisted	i. Listed equity shares are valued using lower of rates from NSE & BSE. ii. At Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company.
d.	Preference shares	(a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded. (b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following: (i) The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity. (ii) The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank. (iii) Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points. (c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/coupons and the value determined as above on YTM basis should be discounted further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation / provision requirement arrived at in respect of non-performing shares where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.

e.	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
f.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipt	At re-purchase price or Net Assets Value.
g.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.
h.	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

2.4. **Non-Performing Investments (NPI)**

Investments are subject to provisioning / de-recognition of income, as per prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

2.5. **Investment Fluctuation Reserve**

Bank shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- Net profit on sale of investments during the year.
- Net profit for the year, less mandatory appropriations.



3. Loans / Advances and Provisions thereon:

- 3.1. Loans and Advances are classified as “Performing” and “Non-Performing” assets based on guidelines issued by RBI. The provisions on such advances are made in accordance with prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 3.2. All Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets, borrower wise.
- 3.3. Provisions for NPA are made as per the extant guidelines prescribed by RBI, subject to minimum provisions as per RBI Directions as prescribed below:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	i. A general provision of 15% on the total outstanding. ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio). iii. Unsecured exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available-20%.
Doubtful Assets	
- Secured Portion	i. Upto one year : 25% ii. One to three years : 40% iii. More than three years : 100%
- Unsecured Portion	100%
Loss Assets	100%

- 3.4. Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC claims received and held pending adjustment, part repayments received and kept in sundries account, balance in sundries account (Interest Capitalization - Restructured Accounts) in respect of NPA Accounts and floating provisions.
- 3.5. In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are included under Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities and Provisions” and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 3.6. For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

3.7. The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI, as under:

- i. When the Bank sells its financial assets to Securitization Company (SC) / Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- ii. If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
- iii. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

4. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created is assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Fixed Assets

- 5.1. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost (except revalued premises which are stated at revalued amount) net of accumulated depreciation / amortization and impairment losses, if any. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is debited to the Profit & Loss account and the equal amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve.

Cost of fixed assets include cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization / put to use. Subsequent expenditure/s incurred on the assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

- 5.2. Where segregation of cost between land and superstructure cannot be ascertained, depreciation is provided on the composite cost at the rate applicable to superstructure.
- 5.3. Land included under Premises taken on perpetual lease is considered as freehold and not depreciated.
- 5.4. The bank revalues immovable properties once in every three years. Properties acquired during last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.



6. Depreciation on Fixed Assets and Amortization

- 6.1. Depreciation on Fixed Assets (other than Computers) is charged on straight line method basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

- 6.2. Computers (software and hardware) are fully depreciated at 33.33%, on straight-line method as per RBI guidelines
- 6.3. Revalued premises are depreciated over the balance useful life of such premises.
- 6.4. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition.
- 6.5. No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 6.6. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of the lease.

7. Employment Benefits

7.1. Long term Employee Benefits:

7.1.1. Defined Contribution Plan:

Provident Fund and New Pension Scheme (which is applicable to employees who have joined Bank on or after 01.04.2010) are defined contribution schemes, as the Bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to the Profit and Loss Account.

7.1.2. Defined Benefit Plans:

Gratuity, Pension and Leave Encashment liabilities are defined benefit obligations and are provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year as per AS 15 "Employee Benefits" issued by ICAI. These schemes are funded by the Bank and are managed by separate trusts. The short / excess of the liability as compared to the fund held by the respective trust is accounted for as liability / assets as at the end of the financial year.

Other long term Employee benefits such as Silver Jubilee, Bonus and Retirement Gifts are provided for based on actuarial valuation.



7.2. Short Term employment benefits

Short term employee benefits (eg medical benefits) are recognized as an expense in the Profit and Loss account of the year in which the related services are rendered.

8. Foreign Exchange Transactions

- 8.1. Monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.
- 8.2. Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
- 8.3. Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain / loss is taken to revenue.
- 8.4. Income and expenditure items are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- 8.5. Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and letter of credits in foreign currencies are reported at the Balance Sheet date using the FEDAI closing spot rates, except the Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax, including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and Deferred tax. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of Income tax act 1961 and AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by ICAI.

Current tax is determined as the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.



Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future.

MAT credit, wherever applicable, is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

10. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on the assets are recognized in accordance with AS 28 on Impairment of Assets issued by ICAI and charged to Profit and Loss account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/ external factors an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

11. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI. As Bank has no overseas branch / operation, there is no geographical segment.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Further, the cases which although have been filed against the bank but possibility of any obligation arising upon the bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

13. LEASES

Lease payments including cost escalations for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term considering the concept of materiality.

14. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 "Earnings Per Share" issued by the ICAI. Basic earnings per equity share is arrived at by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS

A) Balancing of Accounts and Reconciliation

- i. In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- ii. Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2026 and reconciliation is in progress.
- iii. Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2026.

In the opinion of the management, the impact of the above para (i) to (iii), if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- iv. In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2025 and remained outstanding as on 31.03.2026 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for Imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- v. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2016 to 31.03.2016 amounting to Rs. 36132 (inclusive of Rs 1889 as Revaluation amount) have been transferred to DEAF account during fiscal year ended 31st March 2026.

Further, the department transfers unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2026, there is no outstanding entry in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked Account).

- B)** Legal formalities are yet to be completed in respect of 3 Bank's properties having original value of Rs 332.43 crore and Revalued value (Gross) of Rs. 354 crore and Accumulated depreciation on original cost of Rs 52.25 crore and on revalued cost is Rs 4.80 crore as on 31.03.2026. (Previous year 2 Bank's properties having original cost of Rs 2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 74.23 crore).

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in Rs. crore)

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)*	13002.02	11789.78
ii)	Additional Tier 1 capital*	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	13002.02	11789.78
iv)	Tier 2 capital	1220.31	1368.81
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	14222.33	13158.59
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	81653.80	75602.31
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)*	15.92	15.59
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.92	15.59
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.49	1.81
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.42	17.41
xi)	Leverage Ratio	6.96	7.03
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	93.85	93.85
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	1219.39
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	0.00	0.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	0.00	0.00

*Capital Adequacy Ratio (BASEL III) is arrived after considering the Net present value (NPV) of Non-Interest bearing Recapitalization Bonds infused as capital by the Govt. of India during FY 2020-21 & 2021-22. Further, the effect of proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratio as at 31st March 2025 and 31st March 2026.

- Bank has raised Equity Share Capital (including Share Premium) of Rs.1219.39 crore through Qualified Institutional Placements on March 27, 2025. The Bank has issued and allotted 31,77,98,773 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs.28.37 per share. Accordingly, the shareholding of Government of India in the Bank has been reduced to 93.85% as on March 31, 2025.



- The bank has not raised any bonds during FY 2025-26. The details of bonds raised during FY 2024–25 are as under:

Series	Type	ISIN	Date of Issue	Tenure	Amount (in Rs. Crore)	Coupon Rate (%)	Call date
1	Long Term Infrastructure Bond	INE608A08058	20.12.2024	10 years	3000	7.74	NA

- Bank has not redeemed any Bond during the FY 2025-26 and FY 2024-25.

b) Draw down from Reserve

A sum of Rs. Nil during financial year ended 31.03.2026 (Rs. NIL - PY 31.03.2025) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

2. Asset Liability Management

a) Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2026:

(Amount in Rs. crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
1 day	1690.40	1136.01	0.00	0.00	360.99	14.97
2 – 7 days	857.92	1319.39	97.50	4624.69	16.88	0.82
8 – 14 days	479.17	683.69	784.94	0.00	21.74	3.70
15 - 30 days	839.05	4088.08	164.46	1000.00	39.44	8.41
31 days to 2 months	4423.81	2184.78	453.55	0.00	112.59	26.84
Over 2 months & up to 3 months	10409.76	3819.05	264.88	0.00	94.02	12.44
Over 3 months & up to 6 months	20286.39	8406.83	1030.00	1200.00	114.82	27.54
Over 6 months & up to 1 year	48802.87	11233.40	1087.80	2915.34	0.00	80.82
Over 1 year & up to 3 years	18149.08	46393.17	6293.21	2782.94	0.00	64.04
Over 3 years & up to 5 years	2568.90	13505.74	8102.24	770.96	0.00	15.19
Over 5 years	37321.65	23141.60	31109.89	3058.39	2.83	0.00
Total	145829.01	115911.74	49388.47	16352.32	763.32	254.77

Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2025:
(Amount in Rs. crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Invest- ments	Borrowings	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
1 day	686.51	694.94	0.00	15.00	58.78	12.77
2 – 7 days	2782.44	1589.24	155.83	4212.39	20.44	2.88
8 – 14 days	700.29	721.62	0.00	32.75	25.43	4.40
15 - 30 days	2097.39	3994.23	293.76	0.00	88.32	16.30
31 days to 2 months	5260.32	2423.25	270.09	37.37	108.17	11.99
Over 2 months & up to 3 months	5573.62	2129.54	582.45	94.98	87.98	4.56
Over 3 months & up to 6 months	16347.12	7163.03	865.50	1216.55	74.95	32.31
Over 6 months & up to 1 year	28231.59	8205.97	2169.82	1709.84	1.03	67.97
Over 1 year & up to 3 years	34201.64	38643.44	5624.31	3121.36	0.00	67.34
Over 3 years & up to 5 years	5684.89	10626.15	6431.05	784.29	0.00	11.06
Over 5 years	28208.21	21108.49	30519.50	3004.99	0.00	0.00
Total	129774.02	97299.90	46912.31	14229.52	465.10	231.57

This classification of Saving Bank and Current Deposits is based on behaviour pattern approved by the Board/ALCO.



b) Liquidity Coverage Ratio		(Amount in Rs. crore)							
		30.06.2025		30.09.2025		31.12.2025		31.03.2026	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		30125.74		30905.66		29890.66		30376.67
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	87807.56	8730.32	89807.18	8929.69	91794.89	9128.65	93870.69	9335.48
(i)	Stable Deposits	1008.72	50.44	1020.65	51.03	1016.75	50.84	1031.88	51.59
(ii)	Less stable deposits	86798.84	8679.88	88786.53	8878.65	90778.14	9077.81	92838.81	9283.88
3	Unsecured wholesale funding of which	20949.38	11793.03	20586.54	11589.11	19762.43	11592.36	21477.34	12580.12
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	20949.38	11793.03	20586.54	11589.11	19762.43	11592.36	21477.34	12580.12
(iii)	Unsecured debt	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	Additional requirements, of which	6242.14	1545.42	8089.69	1345.48	9200.39	1510.34	9146.34	1472.98
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	64.42	64.42	91.15	91.15	97.03	97.03	81.70	81.70
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	Credit and liquidity facilities	6177.72	1481.01	7998.54	1254.33	9103.36	1413.31	9064.64	1391.28
6	Other contractual funding obligations	523.27	523.27	536.45	536.45	725.08	725.08	512.18	512.18
7	Other contingent funding obligations	12793.35	559.42	14076.57	617.94	15943.65	695.71	17634.25	761.58
8	Total Cash Outflows		23151.46		23018.68		23652.15		24662.33
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	4.92	-	-	-	-	-	-	-
10	Inflows from fully performing exposures	2098.99	1095.20	1574.19	925.75	1880.20	1030.09	19022.22	988.00
11	Other Cash Inflows	303.34	261.81	377.97	315.86	383.56	330.96	452.45	368.23
12	Total Cash Inflows	2407.25	1357.01	1952.16	1241.61	2263.76	1361.05	2354.66	1356.23
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		30125.74		30905.66		29890.66		30376.67
14	Total Net Cash Outflows		21794.45		21777.07		22291.10		23306.10
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		138.23%		141.92%		134.09%		130.34%

Liquidity Coverage Ratio		(Amount in Rs. crore)					
		30.06.2024		30.09.2024		31.12.2024	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets							
1	Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		27833.75		27516.08		29069.07
Cash Outflows							
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	80158.31	7974.48	82284.47	8185.39	84664.59	8423.81
(i)	Stable Deposits	826.94	41.35	861.19	43.06	853.05	42.65
(ii)	Less stable deposits	79331.37	7933.14	81423.28	8142.33	83811.54	8381.15
3	Unsecured wholesale funding of which	21441.59	12490.77	20485.29	11798.34	21075.97	11868.40
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	21441.59	12490.77	20485.29	11798.34	21075.97	11868.40
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0		0
5	Additional requirements, of which	1247.83	558.36	1248.23	576.19	5955.32	1350.89
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	151.00	151.00	162.86	162.86	122.39	122.39
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	1096.82	407.35	1085.37	413.32	5832.93	1228.50
6	Other contractual funding obligations	695.25	695.25	572.65	572.65	504.65	504.65
7	Other contingent funding obligations	13311.51	590.48	12965.82	569.84	12733.35	558.40
8	Total Cash Outflows		22309.33		21702.40		22706.15
Cash Inflows							
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	19.14	0	27.29	0	50.22	0
10	Inflows from fully performing exposures	2074.07	1141.46	2039.93	1054.81	1339.09	799.56
11	Other Cash Inflows	242.22	236.00	308.65	252.33	218.95	211.92
12	Total Cash Inflows	2335.44	1377.46	2375.86	1307.14	1608.26	1011.48
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		27833.75		27516.08		29069.07
14	Total Net Cash Outflows		20931.87		20395.26		21694.67
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		132.97%		134.91%		133.99%



Data is presented as simple averages of daily observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days). The simple average are calculated on daily observations over the previous quarters. The un-weighted value of inflows and outflows are calculated as the outstanding balances of various categories or types of liabilities, off balance sheet items or contractual receivables. The weighted value of HQLA are calculated as the value after haircuts are applied. The weighted value for inflows and outflows are calculated as the value after the inflow and outflow rates are applied. Total HQLA and total net cash outflows are disclosed as the adjusted value, where the adjusted value of HQLA is the value of total HQLA after the application of both haircuts and any applicable caps on Level 2B and Level 2 assets as indicated in this Framework. The adjusted value of net cash outflows is calculated after the cap on inflows is applied, if applicable.

QUALITATIVE DISCLOSURE ON BANK'S LIQUIDITY COVERAGE RATIO

Liquidity Coverage Ratio: The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30-calendar daytime horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

- i. The value of the stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) as a Numerator.
- ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days as a denominator.

Definition of Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Stock of high quality liquid assets (HQLAs) $\geq 100\%$ (w.e.f 01.04.2021)

Total net cash outflows over the next 30 calendar day

The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended March 2026 was 130.34% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-01-2026 to 31-03-2026) against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers.

i) Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the quarter ended 31st March 2026, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.30376.67 Crore. The HQLA is primarily driven by Government securities in excess of minimum SLR, Government securities within mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the facility to avail liquidity for Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI are important factors for Level 1 HQLA.

Level 2 HQLAs primarily consisted of corporate debt securities including commercial papers.

ii) Intra-period changes as well as changes over time:

LCR were 126.61%, 122.87% and 137.15% for the months ending January 2026, February 2026 and March 2026 respectively as against regulatory requirement of 100%.

iii) Composition of High-Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprise of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility. Total weighted value (average) of HQLA for the quarter ended March 2026 is Rs. 30376.67 Crore.

HQLAs consists of following components:

(Amount in Rs. crore)

	Unweighted value	Weighted value
Level 1 assets	30201.59	30201.59
Level 2 A assets	189.54	161.11
Level 2 B assets	27.94	13.97
Total	30419.07	30376.67

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days. Average LCR on a daily basis for the quarter ended 31st March 2026 is 130.34%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.



iv) Concentration of funding sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. Top 20 depositors (other than Certificate of Deposits) of the Bank constitute 8.92% of our total deposits which is well within limit of 25% as per ALM Policy.

v) Derivative exposures and potential collateral calls:

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows within 30 days. Inflows from derivative exposure arose due to maturing forwards.

vi) Currency mismatch in the LCR

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement. Further bank does not have exposure to any other significant currencies*, hence LCR is prepared for INR currency.

(*A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in the currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities).

vii) A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: NIL

The liquidity management for the bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has ALM policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the group operate in terms of liquidity and interest rate risk.

LCR is computed and monitored on daily basis by the Bank and the same is shared with Treasury/Mid office for liquidity management and discussed in Investment committee.

Further LCR for the latest month along with comparison of previous months is placed before ALCO on monthly basis. Moreover, LCR position along with other liquidity parameters is also placed before RMC.

viii) Details of average Outflows (Amt in Rs. Crore) arising from contingent liabilities for year-end 31.03.2026 are as under:

Particulars	Unweighted value	Weighted value
Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to	9064.64	1391.28
Retail and small business clients	3231.76	161.59
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Credit facilities	4299.88	429.99
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Liquidity facilities	560.80	168.24
banks	20.68	8.27
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Credit facilities	547.22	218.89
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Liquidity facilities	197.35	197.35
Other legal entity customers	206.95	206.95
Other contingent funding liabilities	17634.25	761.58
Guarantees, Letters of credit and Trade Finance	6006.45	180.19
Revocable credit and liquidity facilities	11627.80	581.39
Any other	0.00	0.00

Composition of High-Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprise of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility. Total weighted value (average) of HQLA for the quarter ended March 2026 is Rs.30376.67 crore.



Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2026, is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.14%
Excess CRR balance	0.09%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	16.33%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	9.10%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.00
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	72.76%
Total Level 1 Assets	99.42%
Total Level 2A Assets	0.53%
Total Level 2B Assets	0.05%
Total Stock of HQLAs	100.00%

Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2025, is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.21%
Excess CRR balance	0.27%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	17.80%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	8.90%

Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.00%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	71.20%
Total Level 1 Assets	99.38%
Total Level 2A Assets	0.56%
Total Level 2B Assets	0.06%
Total Stock of HQLAs	100.00%

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Amount in Rs. crore)

Particulars	31-03-2025	30-06-2025	30-09-2025	31-12-2025	31-03-2026
Available Stable Funding (ASF)	114080.83	116073.10	116393.28	117833.11	127807.50
Required Stable Funding (RSF)	88723.64	87475.85	92214.16	95728.06	100487.60
NSFR% (ASF/RSF)	128.58%	132.69%	126.22%	123.09%	127.19%

(Amount in Rs. crore)

Particulars	31-03-2024	30-06-2024	30-09-2024	31-12-2024	31-03-2025
Available Stable Funding (ASF)	104223.37	101222.12	104528.83	110592.59	114080.83
Required Stable Funding (RSF)	86928.39	81379.49	83687.86	86242.79	88723.64
NSFR% (ASF/RSF)	119.90%	122.90%	123.30 %	128.23%	128.58%



Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2026

(Amount in Rs. crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	14231.56	0.00	500.00	737.30	15468.86
2	Regulatory capital	14231.56	0.00	500.00	737.30	15468.86
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers:(5+6)	38754.87	58004.78	291.90	229.89	87627.16
5	Stable deposits	858.39	159.22	0.00	0.00	966.72
6	Less stable deposits	37896.49	57845.56	291.90	229.89	86660.44
7	Wholesale funding:(8+9)	6212.42	30475.84	12943.93	1215.40	19682.27
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	6212.42	30475.84	12943.93	1215.40	19682.27
10	Other liabilities:(11+12)	0.00	6474.61	2135.91	3568.59	5029.21
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	6474.61	2135.91	3568.59	5029.21
13	Total ASF(1+4+7+10)					127807.50
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					1515.91
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities:(17+18+19+21+23)	0.00	27192.86	18119.95	66041.90	72359.74
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	1000.02	12.29	0.25	156.39

19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	26081.84	18072.22	58579.07	67055.18
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	4844.87	2728.55	24070.30	19432.40
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	110.99	35.43	7462.59	5148.16
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	106.60	32.90	6341.27	4191.58
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	6998.64	1180.93	1652.25	18024.21	25257.66
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	589.60	0.00	0.00	0.00	501.16
27	NSFR derivative assets	0.00	175.74	0.00	0.00	175.74
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	6409.04	1005.19	1652.25	18024.21	24580.76
30	Off-balance sheet items	29659.70	0.00	0.00	0.00	1354.29
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	36658.34	28373.79	19772.20	84066.11	100487.61
32	Net Stable Funding Ratio (%)					127.19



Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2025

(Rs. in crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
2	Regulatory capital	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	36154.83	52089.99	122.42	295.48	79875.58
5	Stable deposits	777.75	214.04	0.00	0.01	942.21
6	Less: stable deposits	35377.08	51875.94	122.42	295.48	78933.37
7	Wholesale funding:(8+9)	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
10	Other liabilities: (11+12)	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
11	NSFR derivative liabilities	0	0.00	0.00	0.00	0
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
13	Total ASF (1+4+7+10)					114080.83
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					1463.65
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	24484.10	12912.63	55158.78	61542.93
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	500.02	501.26	0.29	325.92

19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	23895.61	12368.43	48193.73	56477.45
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	3271.92	397.26	13096.20	10347.12
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	88.46	42.94	6964.76	4739.56
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	83.46	42.12	6230.92	4112.88
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	6436.93	1183.31	679.46	19140.50	24865.18
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	556.60	0.00	0.00	0.00	473.11
27	NSFR derivative assets	0.00	252.79	0.00	0.00	252.79
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	5880.33	930.52	679.46	19140.50	24139.28
30	Off-balance sheet items	18495.55	0.00	0.00	0.00	851.87
31	Total RSF(14+15+16+24+30)	24932.48	25667.41	13592.09	74299.28	88723.64
32	Net Stable Funding Ratio (%)					128.58

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered for the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.



Minimum Requirement of NSFR should be equal to at least 100% on an ongoing basis.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding [ASF]}}{\text{Required Stable Funding [RSF]}} \geq 100\%$$

The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group is 100% w.e.f 1st October 2021.

As on 31st March 2026, PSB maintained weighted Available Stable Funding (ASF) of Rs.127807.50 crore against the weighted Required Stable Funding (RSF) of Rs. 100487.61 crore. The NSFR for the quarter ended March 31st, 2026, was at 127.19%.

As on 31st March 2025, PSB maintained weighted Available Stable Funding (ASF) of Rs.114080.83 crore against the weighted Required Stable Funding (RSF) of Rs. 88723.64 crore. The NSFR for the quarter ended March 31st, 2025, was at 128.58%.

Brief about NSFR of the Bank

The Available Stable Funding (ASF) mainly constitutes of the capital base, retail deposit base and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. After applying the relevant weights, the capital base remained around 12.10%, retail deposits (including deposit from small sized business customers) remained 68.56% and wholesale funding remained 15.39% of the total Available Stable Funding (ASF),

Required Stable Funding (RSF) consists of 30.14% from “Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions” line item.

Main drivers of NSFR:

The Bank as on 31st March 2026, had maintained ASF of Rs. 127807.50 crore. ASF consists of 67.57% from less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers and 0.75 % from Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers.

NSFR for the quarter ended 31st March 2026 is 127.19%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

NSFR has decreased from 128.58% as of 31.03.2025 to 127.19% as of 31.03.2026 mainly due to increase in Unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions.

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio

(Amount in Rs. crore)														
2024-25														
2025-26														
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	At Cost	Fair Value	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	At Cost	Fair Value
I. Investment in India														
(i) Government securities	23478.22	22778.61	8786.45	2650.60	-			21581.91	21762.90	7687.18	3837.85	-		
(ii) Other approved securities	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		
(iii) Shares	-	-	-	97.50	461.73			-	-	-	55.89	521.60		
(iv) Debentures and Bonds	8683.90	8730.44	3946.50	-	1111.03			8418.06	8497.12	3920.56	-	667.95		
(v) Subsidiaries, associates and Joint ventures														
(vi) Others	-	-	371.10	-	539.98			-	-	466.59	-	536.30		
Total	32162.12	31509.05	13104.05	2748.10	2112.74			29999.97	30260.02	12074.33	3893.74	1725.85	-	-
Less: Provisions for impairment / NPI	-	-	150.82	-	587.72			-	-	590.07	-	191.51	-	-
Net	32162.12	31509.05	12953.23	2748.10	1525.02			29999.97	30260.02	11484.26	3893.74	1534.34	-	-
II. Investment outside India														
(i) Government Securities (including local authorities)														
(ii) Subsidiaries, associates and Joint ventures														
(iii) Other investments														
Total														
Less: Provision for impairment / NPI														
Net														
Total Investment (I-II)	32162.12	31509.05	12953.23	2748.10	1525.02		-	29999.97	30260.02	11484.26	3893.74	1534.34	-	-

NIL

b) Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(Amount in Rs. crore)													
2025-26										2024-25			
	AFS			FVTPL			AFS			FVTPL			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	
I. Investment in India													
(i) Government securities	8786.45	-	-	8786.45	2650.60	0.00	0.00	2650.60	7687.18	-	-	7687.18	-
(ii) Other approved securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Shares	-	-	-	-	97.50	0.00	461.73	559.23	-	-	55.89	-	521.60
(iv) Debentures and Bonds	0	3795.69	150.82	3946.50	0.00	721.76	389.27	1111.03	1440.77	1889.71	200.26	3920.56	1.99
(v) Subsidiaries, associates and Joint ventures													
(vi) Others	371.10	-	-	371.10	-	-	539.98	539.98	466.59	-	-	466.59	536.30
Total	9157.55	3795.69	150.82	13104.05	2748.10	721.76	1390.98	4860.84	9594.54	1889.71	590.07	12074.33	1059.89
II. Investment outside India													
(i) Government Securities (including local authorities)													
(ii) Subsidiaries, associates and Joint ventures													
(iii) Other investments													
Total													
Total Investment (I+II)	9157.55	3795.69	150.82	13104.05	2748.10	721.76	1390.98	4860.84	9594.54	1889.71	590.07	12074.33	1059.89

NIL

c) Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS Reserve and profit and loss account

(Amount in Rs. crore)

	2025-26	2024-25
Recognised in AFS Reserve	0.00	0.00
Recognised in Profit and loss account	53.88	39.77

d) Details of sales made out of HTM

(Amount in Rs. crore)

		2025-26	2024-25
A	Opening carrying value of securities in HTM	21581.91	21408.12
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	915.58	953.66
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	0.00	0.00
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	915.58	953.66
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	4.24%	4.45%
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	22.43	36.06

e) Reclassification between categories of investments

There is no reclassification between categories of investments during the financial year.

f) Movement of provisions for non-performing investments (NPIs) and investment fluctuation reserve

(Amount in Rs. crore)

	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Movement of provisions held towards NPIs		
	a) Opening balance	781.58	1068.46
	b) Add: Provisions made during the year	98.72	20.74
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	141.76	307.62#
	d) Closing balance	738.54	781.58



ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening Balance	338.25	265.80
	b) Add: Amount transferred during the year	15.96	72.45
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing Balance	354.21	338.25
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and FVTPL (including HFT) category	2.06%	2.00%

Includes an amount of Rs 256.02 crore transferred to General Reserve during transition on implementation of RBI's revised valuation guidelines dated 12.09.2023.

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the balance sheet.

Amount transferred to investment Fluctuation Reserve during the year 2025-26 is Rs 15.96 Crores.

g) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
a)	Opening balance	781.58	830.16
b)	Additions during the year since 1st April	98.72	1.99
c)	Reductions during the above period	141.76	50.57
d)	Closing balance	738.54	781.58
e)	Total provisions held	738.54	781.58

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in Rs. crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
a)	PSUs	8861.17	8506.67	8655.90	8378.06	0.00	0.00	8656.02	8378.12	8620.34	8340.61
b)	FIs	2251.41	1848.38	189.49	167.29	0.00	0.00	191.26	169.82	239.21	167.29
c)	Banks	997.97	1005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.99	171.99
d)	Private Corporates	2659.93	2788.93	1106.34	957.24	773.46	908.16	917.82	1046.25	1084.44	1314.44
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others	441.25	437.83	441.25	437.82	399.48	399.92	441.25	437.83	441.25	437.83
g)	Provision held towards depreciation (including NPA)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)	(738.54)	(781.58)
	Total	14473.19	13805.36	9654.44	9158.84	434.40	526.50	9467.81	9250.44	9794.69	9650.58

h) Repo transactions (in face value and market value terms) for FY 2025-26

(Amount in Rs. Crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2026	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	96.67	101.00	2464.58	2483.35	683.84	687.84	2464.58	2483.35
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: FV: Face Value
MV: Market Value



Repo transactions (in face value and market value terms) FY 2024-25

(Amount in Rs. Crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	78.22	77.25	2720.52	2700.47	1169.56	1146.68	2364.00	2363.93
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: FV: Face Value

MV: Market Value

i) Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2025-26 (in market value terms)

(Amount in Rs. Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					

Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2024-25 (in market value terms)

(Amount in Rs. Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2023
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Amount in Rs. Crore)

As on 31.03.2026						
	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
Add: Additions during the year					680.67	
Less: Reductions during the year					1219.96	
Closing balance	114992.55	669.88	2034.74	126.15	2830.77	117823.32
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					173.07	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					414.55	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					555.71	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					76.63	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						



Opening balance of provisions held	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
Add: Fresh provisions made during the year					448.10	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					946.15	
Closing balance of provisions held	912.00	174.61	1505.06	126.15	1805.82	2717.82
Net NPAs						
Opening Balance					937.07	
Add: Fresh additions during the year					492.52	
Less: Reductions during the year					510.40	
Closing Balance					919.19	
Floating Provisions						
Opening Balance						NIL
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made there on						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						7495.19
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						555.71
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						766.27
Closing balance						7284.63

(Amount in Rs. Crore)

As on 31.03.2025						
	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
Add: Additions during the year					822.42	
Less: Reductions during the year					2117.71	
Closing balance	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					256.99	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					339.57	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1103.24	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					417.91	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
Add: Fresh provisions made during the year					822.57	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1745.07	
Closing balance of provisions held	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
Net NPAs						
Opening Balance					1350.46	
Add: Fresh additions during the year					428.55	
Less: Reductions during the year					841.94	
Closing Balance					937.07	
Floating Provisions						
Opening Balance						NIL
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						



Technical write-offs and the recoveries made there on		
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts		7275.88
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year		1103.24
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year		883.93
Closing balance		7495.19

Ratios (%)	2025-26 (%)	2024-25 (%)
Gross NPA to Gross Advances	2.40	3.38
Net NPA to Net Advances	0.79	0.96
Provision coverage ratio (With TWO)	90.91	91.38
Provision coverage ratio (Without TWO)	67.53	72.19

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in Rs. Crore)

Sr.No.	Sector	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances*	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Outstanding Total Advances*	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	16590.57	1230.25	7.42	13455.90	1263.72	9.39
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7850.77	250.14	3.19	6294.63	404.00	6.42
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Textiles	982.70	73.54	7.48	835.82	155.65	18.62
b.ii)	Engineering	958.31	13.22	1.38	572.29	24.71	4.32
b.iii)	Metal and Metal Products	1162.77	22.31	1.92	815.45	43.39	5.32
b.iv)	Food Processing	912.11	17.46	1.91	1322.46	30.38	2.30
b.v)	Infrastructure	1425.26	17.54	1.23	905.71	18.66	2.06

c)	Services	15986.91	559.09	3.50	13224.47	950.48	7.19
d)	Personal loans	4686.19	123.66	2.64	3826.97	122.08	3.19
	Subtotal (i)	45114.44	2163.14	4.79	36801.97	2740.28	7.45
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Industry	18478.77	279.74	1.51	19565.25	307.31	1.57
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Power & Energy	6030.12	0.35	0.01	6144.30	41.26	0.67
b.ii)	Metal and Metal Products	3410.25	20.17	0.59	2535.92	2.26	0.09
b.iii)	Water Sanitation	2456.02	0.83	0.03	2791.55	0.00	0.00
b.iv)	Roads and Highways	3224.05	0.11	0.00	2962.78	17.76	0.60
c)	Services	31411.08	211.38	0.67	24995.12	51.95	0.21
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
c.i)	NBFC	16402.93	4.56	0.03	14276.37	46.80	0.33
d)	Personal loans	22799.75	176.51	0.77	18242.66	270.52	1.48
	Sub-total (ii)	72708.88	667.63	0.92	62803.03	629.78	1.00
	Total (I + ii)	117823.32	2830.77	2.40	99605.00	3370.06	3.38

*Outstanding total advance refers to Gross Advances.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total Assets	62.22	24.89
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.12	0.48

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Bank holds an additional standard asset provision in respect of 1 borrower's account, in terms of RBI Circular DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated 28th November, 2025 on Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025" amounting to Rs. 122.62 Crore as on 31.03.2026 (Rs.23.57 crores PY 31.03.2025). The details are as under:-



(Amount in Rs. Crore)

As on	Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) (E)
31st March, 2026	601.06	-	-	122.62	122.62
31st March, 2025	66.58	-	-	23.57	23.57

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2025-26		2024-25	
	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount
Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc.	61	2.40	69	137.64
The amount of standard assets subjected to restructuring etc	6	0.59	17	97.98
The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc	55	1.81	52	39.66
Acquisition of shares due to conversion of equity on re-structuring during the year	1	0.003	1	10.41

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No. DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated 28.11.2025, on Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergence, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process exceeds 5 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and (b) the additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceed 5 percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2024-25.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI circular no. DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 on Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025; in respect of the details of loans transferred/acquired during the year ended 31st March 2026 are given below:

- i) The bank has not transferred and acquired any Special Mention Account (SMA) during the quarter / year ended 31st March 2026. (31st March 2025 – Nil)
- ii) The bank has transferred following Non Performing Assets (NPAs) during the year ended 31st March 2026:

Details of NPI transferred during 2025-26			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	-	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	-	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
Aggregate consideration	-	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

Details of NPI transferred during 2024-25			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	-	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	-	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
Aggregate consideration	-	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-



Details of stressed loans (NPA) transferred during 2025-26			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No: of accounts	8	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	204.55	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	Nil	Nil
Aggregate consideration	180.31	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil	Nil
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	0.99	Nil	Nil
Details of loans acquired during the year			
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired		Nil	Nil
Aggregate consideration paid		Nil	Nil
Weighted average residual tenor of loans acquired		Nil	Nil

Details of stressed loans (NPA) transferred during 2024-25			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No: of accounts	3	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	275.23	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	Nil	Nil
Aggregate consideration	491.88	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil	Nil
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	237.70	Nil	Nil
Details of loans acquired during the year			
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs

Aggregate principal outstanding of loans acquired	Nil	Nil
Aggregate consideration paid	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of loans acquired	Nil	Nil

iii) Details of loans not in default acquired through assignment are given below:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Aggregate amount of loans acquired (Rs in Crore)	2823.84	3754.67
Weighted average residual maturity (in months)	51.98	192.64
Weighted average holding period by originator (in months)	8.94	37.64
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	10%	10%
Tangible security coverage (%)	190.37	202.81

iv) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation (Co-Lending):

Particulars	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
No. of accounts purchased during the year	95632	17117
Aggregate outstanding (Rs in crore)	4431.75	3293.20
Weighted average maturity (in months)	127.40	176.02
Weighted average holding period (in months)	16.39	13.29
Retention of beneficial economic interest	MSME- 20% HL- 25% Agri- 20%	MSME- 20% HL- 25%
Coverage of tangible security coverage (%)	196.70	192.55



v) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation
(Pool Buy-out):

Particulars	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
No. of accounts purchased	104253	6994
Aggregate Loan outstanding (Rs. in.crore)	5822.81	3754.67
Weighted average maturity (in months)	99.76	192.64
Weighted average holding period (in months)	30.43	5.76
Retention of beneficial economic interest	10%	10%
Coverage of tangible security coverage (%)	209.87	202.81

The loans acquired are not rated as these are to non-corporate borrowers.

(vi) The distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31st March 2026:

(Amount in Rs. Crore)

Recovery Rating Band	31.03.2026 (Book Value)	31.03.2025 (Book Value)
RR1+	Nil	Nil
RR1	399.48	9.06
RR2	Nil	Nil
RR3	Nil	Nil
RR4	Nil	Nil
RR5	Nil	Nil
Rating Withdrawn	Nil	Nil
Unrated	Nil	390.86
Total	399.48	399.92

The bank has provided NIL provision against the mentioned Security Receipts as on 31.03.2026 & 31.03.2025 as per extant guidelines.

vii) Investments in Security Receipts (SRs):

(Amount in Rs. Crore)

Particulars		SRs issued within past 5 years		SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years		SRs issued more than 8 years ago	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
a)	Book value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying	399.48	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Book value of SRs where NPAs sold by other banks/ financial institutions/ nonbanking financial companies are the underlying	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (a) + (b)		399.48	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00

Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Amount in Rs. Crore)

Particulars		2025-26	2024-25
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	399.48	399.92
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
Total		399.48	399.92

In terms of RBI Circular No. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated 29th March, 2025 on 'Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs)', Bank has recognized Security Receipts guaranteed by Government of India as per extant guidelines during FY 2024-25. This had resulted in an increase in Other Income and Interest Income by Rs. 145.10 Crore and Rs. 254.82 Crore respectively for the year ended 31st March 2025 in respect of the Government Guaranteed Security Receipts (SRs) of Rs. 399.92 Crore received against transfer of loan exposures during FY 2024-25.



g) Disclosure on Co- lending Arrangements (CLA) as on 31.03.2026:-

Particulars	Corporate
No. of Colending accounts (CLAs)	95632
Aggregate Principal (Rs in crores)	4431.75
Weighted average Rate of Interest	8.44
Fees charged (Rs in crores)	Nil
Fees Paid (Rs in crores) FY 25-26	7.45
Broad Sectors	Retail and MSME
Performance of Loans under CLA (Rs in crores)	
a. Standard	4388.97
b. NPA	42.78
Details related to default loss guarantee (Rs in crores)	Nil

h) Fraud accounts:-

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Number of frauds reported (Nos.)	38	248
Amount involved in fraud	1646.37	679.70
Amount of provision made for such frauds	245.46	388.18
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of year	0.00	0.00
Unamortised provision debited from 'other reserves' (in respect of cases which are under examination)	8.45	0.00

i) Disclosure on Co- lending Arrangements (CLA) as on 31.03.2026:-

Sl. No.	Item Description	31.12.2025		31.03.2026	
		Number of accounts	Total Outstanding (in Rs Crore)	Number of accounts	Total Outstanding (in Rs Crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	44	2396.04	40	2306.65
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	2	1.50	22	98.24
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	6	90.89	8	728.86
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter (1+2-3)	40	2306.65	54	1676.03
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	Nil	Nil	13	514.31
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	Nil	Nil	13	514.31
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	Nil	Nil	Nil	Nil
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked due to change in scope and size of the project.	Nil	Nil	Nil	Nil
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/ extended DCCO, as the case may be, was funded	Nil	Nil	Nil	Nil
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	Nil	Nil	Nil	Nil
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	Nil	Nil	Nil	Nil



8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	Nil	Nil	Nil	Nil
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	Nil	Nil	Nil	Nil
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	Nil	Nil	Nil	Nil
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	Nil	Nil	Nil	Nil

j) Disclosures under resolution framework for COVID-19 related stress:-

- (i) In accordance with RBI circular no. DBR. No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019- 20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP. BC/4/21.04.048/ 2020-21 dated August 06, 2020 on “Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances”, the details of MSME restructured accounts are as under:

As on	No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in Crore)	Provision held (Rs. in Crore)
31.03.2026	977	67.58	30.44
31.03.2025	3288	172.08	75.49

- (ii) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on “Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid – 19 related stress of Individuals and Small Business”, RBI Cir. No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 and RBI Cir. No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on “Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid – 19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)”, the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

As on	No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in Crore)	Provision held (Rs. in Crore)
31.03.2026	4516	500.25	116.03
31.03.2025	5517	625.38	107.99

- (iii) Details of resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI Circular dated August 6, 2020 (RF 1.0) and May 05,2021 (RF 2.0)are given below:-

For Half Year ended 31.03.2026

(Amount in Rs. crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.09.2025) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2026)
Personal loans	577.23	12.11	0	35.97	524.08
Corporate persons#	227.62	13.19	0	16.94	174.24
Of Which MSME	216.30	13.03	0	16.93	174.20
Others	18.43	0.06	0	6.99	11.27
Total	823.28	25.36	0	59.90	709.59
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 30.09.2025

(Amount in Rs. crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of half year ended 31.03.2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.09.2025)
(i) Personal loans	631.29	16.13	0	40.62	577.23
(ii) Corporate persons#	373.34	6.18	0	25.17	227.62
Of Which MSME	214.83	6.18	0	14.66	216.30
(iii) Others	21.19	3.17	0	1.88	18.43
Total	1025.82	29.59	0	67.67	823.28
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					



For Half Year ended 31.03.2025

(Amount in Rs. crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.09.2024) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2025)
Personal loans	680.81	13.81	0.00	44.94	631.29
Corporate persons#	632.44	5.50	0.00	270.05	373.34
Of Which MSME	264.92	5.50	0.00	40.23	214.83
Others	26.07	1.88	0.00	3.00	21.19
Total	1339.32	21.19	0.00	317.99	1025.82
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 30.09.2024

(Amount in Rs. crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of half year ended 31.03.2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.09.2024)
(i) Personal loans	748.90	38.58	0.00	53.87	680.81
(ii) Corporate persons#	712.26	34.03	0.00	94.35	632.44
Of Which MSME	320.76	33.76	0.00	29.09	264.92
(iii) Others	31.44	3.23	0.00	1.84	26.07
Total	1492.60	75.84	0.00	150.06	1339.32
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

5. Exposures:**a) Exposure to Real Estate Sector****(Amount in Rs. crores)**

Category		2025-26	2024-25
i) Direct Exposure			
(a)	Residential Mortgages		
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	13968.54	13553.54 [^]
	Out of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	7388.20	6894.18 [^]
	Exposure also include non-fund based (NFB) limits		
(b)	Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).	3848.18	1365.21 [^]
	Exposure also include non-fund based (NFB) limits		
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	-	-
a.	Residential	-	-
b.	Commercial Real Estate	-	-
ii) Indirect Exposure		3359.95*	3663.78*
Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
Total Exposure to Real Estate Sector		21176.67	18582.53

* Includes Rs. 1033.40 Crore (Previous year Rs. 937.98 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

[^]Rs. 0.92 Crore of housing loans under the priority sector are transferred to commercial real estate.

b) Exposure to Capital Market**(Amount in Rs. crores)**

Particulars		2025-26	2024-25
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	935.55	928.01
2	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	351.44	0.03



3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	-	-
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	62.74	68.07
Total Exposure to Capital Market		1349.73	996.11

c) Risk Category wise Country Exposure

(Amount in Rs. crores)

ECGC Classification	Risk category	Exposure (net) as at 31.03.2026	Provision held as at 31.03.2026	Exposure (net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025
A1	Insignificant	128.26	NIL	84.41	NIL
A2	Low	31.52	NIL	24.40	NIL
B1	Moderately Low	1.49	NIL	5.44	NIL
B2	Moderate	115.36	NIL	74.79	NIL
C1	Moderately high	0.00	NIL	0.00	NIL
C2	High	0.00	NIL	0.00	NIL
D	Very High	0.00	NIL	0.00	NIL
	Total	276.63	NIL	189.04	NIL

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the Total Assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

d) Unsecured Advances**(Amount in Rs. crores)**

Particulars	2025-26	2024-25
Total unsecured advances of the bank	13099.58	10248.31
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	0.00	0.00
Estimated value of such intangible securities	0.00	0.00

e) Factoring Exposures: Nil FY 2025-26 (Nil – PY 2024-25)**f) Intra-Group Exposures****(Amount in Rs. crores)**

S. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Sanctioned Loan/limit	Balance O/s	Sanctioned Loan/limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	NIL	NIL	NIL	NIL
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL	NIL	NIL

g) Un-hedged Foreign Currency Exposure

The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the Bank have been made.

(Amount in Rs. crores)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Incremental Provision (Domestic)	1.29	0.52
Incremental Provision (Overseas)	0.00	0.00
Total incremental Provision	1.29	0.52
Risk Weighted Assets (RWA)	-	-
Incremental Capital held RWA (@11.50%)	-	-



The Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 vide circular DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of Rs. 1.29 crore as on 31st March 2026. (Rs.0.52 crore as on 31st March 2025).

Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The information on Un-hedged Foreign Currency Exposure (UFCE) is obtained from customer on quarterly basis and is measured by obtaining the information from the clients in two parts- i) where Exposure of borrower is up to Rs.50 crores with all the banks taken together and, ii) where Exposure of borrower is more than Rs.50 crores with all the banks taken together.

The total un-hedged exposure in foreign currency is converted to INR on FEDAI spot rate as on last working day of the corresponding quarter.

Banks shall assess the Un-hedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of entities with FCE by obtaining information on UFCE from the concerned entity. Provided that the information on UFCE shall be obtained from entities on a quarterly basis based on statutory audit, internal audit or self-declaration by the concerned entity. Provided further that UFCE information shall be audited and certified by the statutory auditors of the entity, at least on an annual basis.

Method to estimate the extent of likely loss:

Reserve Bank of India Circular DBOD.No.BP.BC116/21.06.200/2013-14 on Capital and Provisioning requirements for exposure to entities with un hedged foreign currency exposure stating about the guidelines for USD/INR annualized volatility and directed FEDAI to publish the USD/INR annual volatility based on the RBI reference rate which has to be used for computation of likely loss.

FEDAI announces the 10-year (120 months rolling) LAV rates on the last working day of every month. On these rates, the bank calculates the likely loss (rate as given by FEDAI), current rate 12.23% of total Un-hedged exposure of the entity with all the banks taken together.

h) Loans against gold and silver collateral

i) Details of loans extended against gold collateral

S. No.	Particulars	Loan Outstanding		Average ticket size (Rs in crore)	Average LTV Ratio	Gross NPA (%)
		Rs. in crore	As % of Total Loans			
1.	Opening balance of the FY 2025-26 [(a)+(b)]	1932.81	1.94%	0.03	64%	0.74%
(a)	Consumption loans	1248.74	1.25%	0.03	62%	0.97%
	Of which bullet repayment loans	845.24	0.85%	0.03	64%	0.95%
(b)	Income generating loans	684.07	0.69%	0.03	67%	0.31%
2.	New loans sanctioned and disbursed during the FY 2025-26 [(c)+(d)]	6850.08	10.62%	0.03	58%	NA
(c)	Consumption loans	4416.12	6.85%	0.13	54%	NA
	Of which bullet repayment loans	1339.16	2.08%	0.04	50%	NA
(d)	Income generating loans	2433.96	3.77%	0.03	60%	NA
3.	Renewals sanctioned and disbursed during the FY 2025-26	Nil	Nil	Nil	Nil	NA
4.	Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY 2025-26	Nil	Nil	Nil	Nil	NA
5.	Loans repaid during the FY 2025-26 [(e)+(f)]	1832.86	1.56%	0.03	NA	NA
(e)	Consumption loans	1183.88	1.00%	0.03	NA	NA
	Of which bullet repayment loans	812.07	0.69%	0.03	NA	NA
(f)	Income generating loans	648.98	0.55%	0.03	NA	NA
6.	Non-Performing Loans recovered during the FY 2025-26 [(g) + (h)]	13.95	0.01%	0.05	NA	NA
(g)	Consumption loans	11.90	0.01%	0.05	NA	NA
	Of which bullet repayment loans	7.84	0.01%	0.05	NA	NA



(h)	Income generating loans	2.06	0.002%	0.04	NA	NA
7.	Loans written off during the FY 2025-26 [(i) + (j)]	Nil	Nil	Nil	NA	NA
(i)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	NA	NA
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	NA	NA
(j)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	NA	NA
8.	Closing balance at the end of FY 2025-26 [(k) + (l)]	6937.36	5.89%	0.06	57%	0.04%
(k)	Consumption loans	4462.80	3.79%	0.13	53%	0.04%
	Of which bullet repayment loans	1363.64	1.16%	0.04	50%	0.09%
(l)	Income generating loans	2474.56	2.10%	0.03	60%	0.04%

Average LTV ratio is calculated as ratio of sum of LTVs of loans at the time of sanction to total number of such loans.

ii) Details of loans extended against silver collateral

S. No.	Particulars	Loan Outstanding		Average ticket size (Rs in crore)	Average LTV Ratio	Gross NPA (%)
		Rs. in crore	As % of Total Loans			
1.	Opening balance of the FY 2025-26 [(a)+(b)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(a)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(b)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	New loans sanctioned and disbursed during the FY 2025-26 [(c)+(d)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(c)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(d)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Renewals sanctioned and disbursed during the FY 2025-26	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY 2025-26	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	Loans repaid during the FY 2025-26 [(e)+(f)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(e)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(f)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6.	Non-Performing Loans recovered during the FY 2025-26 [(g) + (h)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(g)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(h)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
7.	Loans written off during the FY 2025-26 [(i) + (j)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(i)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(j)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
8.	Closing balance at the end of FY 2025-26 [(k) + (l)]	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(k)	Consumption loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Of which bullet repayment loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(l)	Income generating loans	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Average LTV ratio is calculated as ratio of sum of LTVs of loans at the time of sanction to total number of such loans.



iii) Details of gold collateral and auctions

Sr. No	Particulars	
(a)	Unclaimed gold collateral at the end of the FY 2025-26 (in grams)	184.66
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	5.00
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b) (Rs. in Crore)	0.29
(d)	Gold collateral acquired during the FY 2025-26 due to default of loans (in grams)	644.91
(e)	Gold collateral auctioned during the FY 2025-26 (in grams)	366.87
(f)	Recovery made through auctions during the FY 2025-26 (Rs. in crore)	0.34
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold collateral	56.04%
(i)	as % of outstanding loan	100.00%

iv) Details of silver collateral and auctions

Sr. No.	Particulars	
(a)	Unclaimed silver collateral at the end of the FY 2025-26 (in grams)	Nil
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	Nil
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b) (Rs. in Crore)	Nil
(d)	Silver collateral acquired during the FY 2025-26 due to default of loans (in grams)	Nil
(e)	Silver collateral auctioned during the FY 2025-26 (in grams)	Nil
(f)	Recovery made through auctions during the FY 2025-26 (Rs . in crore)	Nil
(g)	Recovery percentage:	Nil
(h)	as % of value of silver collateral	Nil
(i)	as % of outstanding loan	Nil

6. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**a) Concentration of Deposits****(Amount in Rs. crores)**

Particulars	2025-26	2024-25
Total Deposits of the twenty largest depositors	13175.45	13413.98
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	9.03	10.33

b) Concentration of Advances***(Amount in Rs. crores)**

Particulars	2025-26	2024-25
Total Advances to twenty largest borrowers	26757.87	23528.41
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank (%)	17.75	18.72

*Advances are computed based on credit exposure, i.e., funded and non-funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher, has been reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, a bank has reckoned the outstanding as the credit exposure.

c) Concentration of Exposures***(Amount in Rs. crores)**

Particulars	2025-26	2024-25
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	21783.96	21471.43
Percentage of Exposures to the twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers (%)	14.45	17.08

*Exposure to Central Govt and Central Govt guaranteed have been excluded.

d) Concentration of NPAs**(Amount in Rs. crores)**

Particulars	2025-26	2024-25
Total Exposure to the top twenty NPA Accounts	445.08	555.77
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs (%)	15.72	16.49



7. Derivatives

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs. 329.03 Crore for FY 2025-26. (Rs. 335.51 Crore for FY 2024-25).

a) Details of derivative portfolio

(Amount in Rs. crores)

	FY 2025-26			FY 2025-26		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives	-	-	-	-	-	-
MTM - Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
Exchange Rate Derivatives	-	-	-	-	-	-
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
Credit Risk Derivatives	-	-	-	-	-	-
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
Other Derivatives (specify)	-	-	-	-	-	-
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-

b) Forward rate agreement/Interest rate swap**(Amount in Rs. crores)**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

c) Exchange traded interest rate derivatives**(Amount in Rs. crores)**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

d) Disclosures on risk exposure in derivatives**i) Qualitative Disclosures**

Bank has not entered into derivative transactions in respect of Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year 2025-26. Accordingly, qualitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.



ii) Quantitative Disclosures

(Amount in Rs. crores)

Sr.No	Particular	2025-26		2024-25	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)	-	-	-	-
	i) For hedging	-	-	-	-
	ii) For trading	-	-	-	-
b)	Marked to Market Positions	-	-	-	-
	i) Asset(+)	-	-	-	-
	ii) Liability(-)	-	-	-	-
c)	Credit Exposure	-	-	-	-
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	-	-	-
	i) on hedging derivatives	-	-	-	-
	ii) on trading derivatives	-	-	-	-
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	-	-	-	-
	i) on hedging	-	-	-	-
	ii) on trading	-	-	-	-

e) Credit default swaps

Bank has not entered into any Credit Default Swaps during the year 2025-26.

8. Disclosures relating to securitization**(Number/Amount in Rs. crore)**

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply Minimum Retention Requirement (MRR) as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way liquidity support, post- securitization asset servicing ,etc.	NIL	NIL



7.	Performance of facility provided for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. (Breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc)	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset.	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and;	2	1
	(b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored

(Amount in Rs. crores)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
NIL	NIL	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in Rs. crores)

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	812.86	607.53
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	102.07	224.19
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	50.56*	18.86*
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	864.37	812.86

* Principal amount

Closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other items for which the bank is contingently liable' or 'Contingent Liabilities - Others,' as the case may be.

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25
	Complaints received by the bank from its customers		
1	Number of complaints pending at beginning of the year	113*	170*
2	Number of complaints received during the year	16848*	12005*
3	Number of complaints disposed during the year	16882*	12062*
	3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	2899*	1219*
4	Number of complaints pending at the end of the year	79*	113*
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	534	466
	5.1. Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	203	175
	5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	331	291
	5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL	NIL
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL	NIL

*Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
	2025-26				
Internet/Mobile/Electronic Banking	24	5062*	47.45%	11	NIL
ATM/Debit Cards	16	3827*	14.75%	2	NIL



Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	10	1386*	66.59%	15	NIL
Account Opening/ difficulty in operation of accounts	12	1163*	680.54%	6	NIL
Loans and advances	17	1097*	10.81%	15	1
Others	34	4313*	32.06%	30	1
Total	113	16848*	40.34%	79	2
2024-25					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	30	3433*	8.50%	24	NIL
ATM/Debit Cards	49	3335*	(16.77)%	16	NIL
Loans and advances	18	990*	41.43%	17	NIL
Levy of charges without prior notice/excessive charges/ fore closure charges	13	832*	28.99%	10	NIL
Staff behaviour	12	178*	18.67%	2	NIL
Others	48	3237*	17.54%	44	NIL
Total	170	12005*	5.12%	113	NIL

*Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India: During the FY 2025-26 no penalty (excluding ATM & Currency chest) was levied by RBI (2 instances - PY 2024-25)

(Amount in Rs. crores)

Particulars	2025-26	2024-25
A. Penalty imposed by RBI vide speaking order dated 24.03.2025 for Rs. 36.40 Lakh (Rupees Thirty Six Lakh Forty Thousand Only) on account for not reporting seven borrowers with non-fund based exposure of Rs. 5 Crore and above to CRILC	NIL	0.36
B. Penalty imposed by RBI vide speaking order dated 24.03.2025 for Rs. 31.80 Lakhs (Rupees Thirty One Lakh Eighty Thousand Only) on account for opening other saving bank deposit account of the customers already holding BSBD Account in the bank	NIL	0.32

13. Other Disclosures

a) Business Ratios

(Amount in Rs. crores)

Particulars	2025-26	2024-25
i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	7.16	7.57
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.06	1.03
iii) Cost of Deposits (%)	5.52	5.74
iv) Net Interest Margin (%)	2.55	2.85
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.30	1.37
vi) Return on Assets (%)	0.79	0.67
vii) Business (deposits plus advances) per employee (in Rs. Crore)	24.74	25.71
viii) Profit per employee (in Rs. Crore)	0.12	0.11

b) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Amount in Rs. crores)

Particulars	2025-26	2024-25
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	26.83	23.08
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	5.15	4.04

c) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Marketing and Distribution Function (Excluding Bancassurance Business)

(Amount in Rs. crores)

Particulars	2025-26	2024-25
Commission on Sovereign Gold Bond Scheme	0.00	0.00
Commission on ASBA	0.02	0.03
Commission on SBICPSL	0.60	0.52
Commission on APY	2.94	1.50
Commission on FISDOM	0.02	0.01



d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Amount in Rs. crores)

PSLC Category	PSLC Purchased						PSLC Sold					
	FY 2025-26			FY 2024-25			FY 2025-26			FY 2024-25		
	No. of Units	Amount	Com-mis-sion paid	No. of Units	Amount	Com-mis-sion paid	No. of Units	Amount	Com-mission earned	No. of Units	Amount	Com-mis-sion earned
Agriculture	10848	2712	28.64	10780	2695	19.23	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Small & Marginal farmers	Nil	Nil	Nil	3200	800	14.95	3970	992.50	21.54	Nil	Nil	Nil
Micro enterprises	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
General	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	10848	2712	28.64	13980	3495	34.18	3970	992.50	21.54	Nil	Nil	Nil

e) Provisions and contingencies

(Amount in Rs. crores)

Provision debited to Profit and Loss Account	2025-26	2024-25
Provisions for NPI	(43.04)	(29.83)
Provision towards NPA	57.67	176.48
Provision made towards Income tax	430.40	321.72
Other Provisions and Contingencies	414.78	590.72

(Amount in Rs. crores)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2025-26	2024-25
Provision for Non Performing Advances	57.67	176.48
Provision for Standard Advances	225.84	115.08
Provision for diminution in FV Restructured Advances	(0.41)	(0.50)
Provision for Non Performing Investments	(43.04)	(29.83)
Provision for Fraud	9.47	0.00
Rebate on Advances	76.63	417.91
Other Provisions	103.25	58.23
Provision for Taxation:		

Current Tax	258.89	0.00
Deferred Tax	171.51	321.72
MAT Credit Entitlement–Current Year	0.00	0.00
MAT Credit Entitlement Reversed	0.00	0.00
Total	859.81	1059.09

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

Bank is complying with the reporting requirements of statutory authorities in relation to IND-AS. The Proforma Ind AS Financial Statements are being submitted to RBI on half yearly basis. Bank has on boarded a consultant having considerable experience in the field of implementation of IND-AS. The consultant is assisting the bank in devising a road map with respect to smooth implementation of Ind AS.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in Rs. crores)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	187.67	172.23
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The estimated additional Pension liability on account of revision in family pension was Rs 236.84 crore. RBI vide its Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, had permitted all member Banks of Indian Banks Association to amortize the said additional liability over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being charged every year. The Bank is amortizing the said liability over a period, not exceeding 5 years commencing from the financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of Rs 47.37 crore every year. Balance unamortized amount as on 31st March 2025 was Rs.47.36 crore. Accordingly, the Bank has charged an amount of Rs. 47.36 crore to the Profit & Loss account during current year ended 31st March 2026. The said liability stands fully charged as at 31st March, 2026.

i) Disclosure of Letter of Comfort (LOCs) issued by Banks

During FY 2025-26, Letter of Comfort (LoC) issued amounting to Rs. 17.35 crore against credit facility including Non Fund facility taken over from other banks.

During FY 2024-25, Letter of Comfort (LoC) issued amounting to Rs. Nil against credit facility including Non Fund facility taken over from other banks.



j) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in Rs. crores)

Particulars	March 31, 2026	March 31, 2025	Cumulative
Total green deposits raised (A)	2.84	2.73	5.57
Use of green deposit funds			
(1) Renewable Energy	1.60	0.00	1.60
(2) Energy Efficiency	0.00	0.00	0.00
(3) Clean Transportation	1.24	2.73	3.97
(4) Climate Change Adaptation	0.00	0.00	0.00
(5) Sustainable Water and Waste Management	0.00	0.00	0.00
(6) Pollution Prevention and Control	0.00	0.00	0.00
(7) Green Buildings	0.00	0.00	0.00
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0.00	0.00	0.00
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0.00	0.00	0.00
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	2.84	2.73	5.57
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0.00	0.00	0.00
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities / projects	0.00	0.00	0.00

Disclosure in terms of RBI circular no. DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025:

- i) Items under the subhead “Miscellaneous Income” under the head “Schedule 14 – Other Income” exceeding 1% of Total Income:

(Amount in Rs. Crore)

S.No.	Particulars	2025-26	% out of Total Income	2024-25	% out of Total Income
1	Recovery in Technical Write Off Accounts	706.57	5.14	550.79	4.22
2	Miscellaneous Income	249.69	1.81	231.84	1.78
3	Loan Processing Fee	172.34	1.25	130.37	1.00

- ii) Items under the subhead “Other Expenditure” under the head “Schedule 16 – Operating Expenses” exceeding 1% of Total Income: NIL
- iii) Items under the head “Schedule 5(IV) – Other Liabilities and Provisions- “Others (including provisions)” exceeding 1% of Total Assets: NIL
- iv) Items under the head “Schedule 11(VI) – Other Assets - “Others” exceeding 1% of Total Assets: NIL

14. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

a) AS-3 Cash Flow Statement

The Bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

b) AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

c) AS-9 Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. D.1 – “Revenue Recognition” of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

d) AS-10 Property Plant & Equipment/ Fixed Assets

The bank has conducted revaluation of its immovable properties during the financial year 2023-24 based on the reports obtained from the external independent valuers. The closing balance of Revaluation Reserve as on 31.03.2026 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs. 1060.53 crore (Previous year Rs. 1063.46 crore).

e) AS 15 - Employees Benefit

Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) Employees Benefits issued by the ICAI.

The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:



Changes in the Present value of the Obligation

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	5029.84	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80
Interest cost	339.21	308.32	36.18	23.13	29.23	20.57
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current service cost	187.06	186.98	30.04	31.22	71.74	74.74
Benefits paid	(557.78)	(554.13)	(23.33)	(37.16)	(27.43)	(27.14)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	76.58	175.25	(0.17)	104.79	(47.74)	9.19
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	5074.94	5029.85	514.12	471.40	410.94	385.15

Changes in the Present value of the Obligation

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of Plan Assets as at 1st April	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
Expected return of Plan Assets	346.59	372.69	34.37	27.20	28.54	24.90
Contributions	366.85	372.62	92.76	103.04	71.48	76.17
Benefits paid	(557.78)	(554.13)	(23.33)	(37.16)	(27.43)	(27.14)
Actuarial gain/(loss)	18.52	(1.30)	9.83	3.66	4.05	0.51
Fair value of Plan Assets as at 31st March	5028.48	4854.29	550.48	436.84	439.32	362.67
Actual return on Plan Assets	365.11	371.39	44.20	30.86	32.59	25.41

Net Actuarial Loss/ (Gain)**(Amount in Rs. Crore)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	76.58	175.25	(0.17)	104.79	(47.74)	9.19
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	18.52	1.30	9.83	(3.66)	4.05	(0.51)
Net Actuarial loss/(gain)	95.10	176.55	9.66	101.12	(43.69)	8.68
Actuarial loss/(gain) recognized in the period (A+B)	95.10	176.55	9.66	101.12	(43.69)	8.68
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount recognized in the Balance Sheet**(Amount in Rs. Crore)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	5074.94	5029.85	514.12	471.40	410.94	385.15
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	5028.48	4854.29	550.48	436.84	439.32	362.67
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(46.46)	(175.56)	36.36	(34.56)	28.37	(22.48)
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	-	-	-	-	-	-
Unrecognized transitional liability	-	-	-	-	-	-
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(46.46)	(175.56)*	36.36	(34.56)	28.37	(22.48)

* including deferred Family pension liability of Rs. 47.37 Crore



Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current service cost	187.06	186.98	30.04	31.22	71.74	74.74
Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
Interest cost	339.21	308.32	36.18	23.12	29.23	20.57
Expected return on plan assets	(346.59)	(372.67)	(34.37)	(27.20)	(28.54)	(24.90)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	58.06	176.54	(10.00)	101.12	(51.80)	8.68
Deferred Pension Expenditure	-	-	-	-	-	-
Net (Benefit)/ Expense	237.75	299.16	21.83	128.27	20.62	79.08

Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Opening net Liability/(Asset)	175.56	249.02	34.56	9.34	22.48	19.57
Add: Deferred Pension Expenditure	-	-	-	-	-	-
Add: Net benefit expense	237.75	299.16	21.83	128.27	20.62	79.08
Less: Contribution paid	366.85	372.62	92.76	103.04	71.48	76.17
Closing liability/(Asset)	46.46	175.56	(36.36)	34.56	(28.37)	22.48
Add: Higher Provisioning Kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Closing liability/(Asset)	46.46	175.56*	(36.36)	34.56	(28.37)	22.48

* including deferred Family pension liability of Rs. 47.37 Crore.

Investment percentage maintained by the trust**(in % age)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Central Government Securities	3.60	4.21	-	-	-	-
State Government Securities	6.96	7.83	12.64	15.74	-	-
High Safety Bonds/TDRs	7.21	7.75	11.38	15.66	94.68	93.29
Other investments	82.23	80.21	75.98	68.60	5.32	6.71

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date**(in % age)**

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Discount rate	7.14	6.65	7.87	6.99	7.87	6.99
Expected rate of return on plan assets	7.87	7.99	7.97	8.00	8.47	8.64
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future increase in salary is considered in actuarial valuation taking into account inflation, seniority, promotion, and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.
Mortality Table	A mortality table, also known as a life table or actuarial table, shows the rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval, or survival rates from birth to death.



Other long term employee benefit (Non funded)

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits		Retirement Gifts	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present Value of Obligation	8.27	8.00	2.84	1.47	2.53	1.25	2.56	1.32
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	8.27	8.00	2.84	1.47	2.53	1.25	2.56	1.32

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Retirement Gifts	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Discount Rate	7.87	6.99	7.87	6.99	7.87	6.99
Expected rate of return on plan assets	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rate of escalation	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

f) AS 17 – Segment Reporting:

Part A : Business Segment

(Amount in Rs. Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other banking Business		Total	
Particulars	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	3599.78	3599.53	4171.06	4224.70	5952.11	5194.84	36.35	29.88	13759.30	13048.95
Result	794.11	889.77	806.97	937.37	1151.55	1152.63	36.35	29.88	2788.98	3009.65
Unallocated Expenses									607.24	934.73
Operating Profit									2181.74	2074.92
Provisions & Contingencies									429.41	737.37
Income taxes									430.40	321.72
Extraordinary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit									1321.93	1015.83
Other Information										
Segment assets	50195.52	47653.22	52145.37	49987.58	74411.51	61466.49	0.00	0.00	176752.40	159107.29
Unallocated assets									2517.91	2707.88
Total assets									179270.31	161815.17
Segment Liabilities	46897.13	44033.12	48718.87	46190.14	69521.89	56797.02	0.00	0.00	165137.89	147020.28
Unallocated Liabilities									0.00	1440.13
Total Liabilities									165137.89	148460.41



(Amount in Rs. Crore)

S. No.	Particulars	Segment Revenue		Segment Results		Segment Assets		Segment Liabilities	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1.	Digital Banking	0.42	0.29	(1.81)	(1.49)	3.81	2.18	5.62	3.67
2.	Other Retail Banking	5951.69	5194.55	1153.36	1154.12	74407.70	61464.31	69516.27	56793.35
3.	Retail Banking	5952.11	5194.84	1151.55	1152.63	74411.51	61466.49	69521.89	56797.02

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking (further classified into Digital Banking and Other Retail banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

g) AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO
Sh. Ram Jass Yadav	Executive Director up to 30.04.2024
Sh. Ravi Mehra	Executive Director w.e.f. 09.10.2023
Sh. Rajeeva	Executive Director w.e.f. 09.08.2024

Related party to KMP

Dr. Ram Jass Yadav	Smt. Krishna Yadav	Spouse
	Sh. Saurabh Yadav	Son
Mr. Ravi Mehra	Smt. Babita Mehra	Spouse
	Ms. Nandini Mehra	Daughter
	Ms. Paranjaya Mehra	Daughter
Sh. Swarup Kumar Saha	Sh. Sumit Saha	Son

(Amount in Rs. lacs)

Items/ Related Party	Key Management Personnel & their relatives	Key Management Personnel & their relatives
Balance Outstanding	31.03.2026	31.3.2025
Deposits	111.68	110.30
Advances	4.32	48.00
Transaction made during the year		
Interest Paid	6.48	5.44
Interest Received	0.79	1.72
Remuneration Paid (refer detail below)	135.75	107.73
Sh. Swarup Kumar Saha	43.66	40.37
Dr. Ram Jas Yadav (30.04.2024)	NIL	3.22
Sh. Rajeeva	46.71	22.22
Sh. Ravi Mehra	45.38	41.92

Note: Related party relationship is as identified by the Bank and relied upon by the Auditors.

Outstanding as on 31.03.2026:

(Amount in Rs. Crore)

Items/Related Party	Parent (as per Ownership or Control)	Subsidiaries	Associates/ joint Ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings						
Deposits				1.12	0.00	1.12
Placement of deposits						
Advances				0.04	0.00	0.04
Investments						
Non-funded commitments						
Leasing/HP arrangements availed						
Leasing/HP arrangements Provided						



Purchase of fixed assets						
Sale of fixed assets						
Interest Paid				0.06	0.00	0.06
Interest received				0.00	0.01	0.01
Rendering of Services						
Receiving of services						
Management Contracts						

h) AS 19 – Leases

Operating lease primarily comprise of office premises and staff residencies, which are renewable at the option of the Bank/Lessor normally at the end of lease period.

- As per information available, non-cancellable lease as on 31.03.2026: NIL (Previous Year: NIL).
- Amount of lease payments recognized under Schedule – 16 –“II. Rent, taxes and lighting” in Profit and Loss Account for operating leases is as under:

(Amount in Rs. Crore)

Current Year ended 31.03.2026	Previous Year ended 31.03.2025
123.68	112.25

i) AS 20 - Earning Per Share

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Net Profit After tax available for equity Shareholders	1321.93	1015.83
Weighted Average Number of Equity Shares (in crore)	709.56	678.13
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	1.86	1.50
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

j) AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

k) AS 22 – Accounting for Taxes on Income

- i) The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI

- ii) Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as under:

(Amount in Rs. Crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	13.08	18.62
2	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	0.00	0.00	73.67	73.67
3	Provision for NPA on Investments	258.08	273.12	0.00	0.00
4	Provision for Advances	929.57	974.73	0.00	0.00
5	Provision for diminution in FV of Restructured Advances	0.29	0.43	0.00	0.00
6	Accumulated loss	0.00	142.53	0.00	0.00
7	Provision for Claims against the bank not ack. as debts	22.11	0.00	0.00	0.00
8	Provision for Unhedged Foreign currency	0.45	0.00	0.00	0.00
9	Provision for Net Debit Entries	3.90	0.00	0.00	0.00
10	Interest on Income Tax Refund (Taxable on receipt basis as per ICDS-IV)	0.00	0.00	3.32	0.00
11	Provision for Invoked Bank Guarantees	2.67	0.00	0.00	0.00
Total		1217.07	1390.81	90.07	92.29

- iii) Review of Deferred Tax Assets has been carried out based on Bank management's estimate of possible tax benefits against timing difference in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Net Deferred Tax Assets of Rs 1127.00 crore is recognized as at 31st March 2026 (Rs. 1298.52 crore as at 31st March 2025).
- iv) No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of tax litigation aggregating to Rs.1041.50 crore (Previous year Rs. 977.18 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.
- v) The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the year ended 31.03.2026 as per the earlier provisions.

I) AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements



The Bank does not have any s/associate and as such AS 23 is not applicable.

m) AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

n) AS 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2026/31.03.2025, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets including advances has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

o) AS 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

i) As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for –

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

ii) Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	60.06	29.63	1.99	34.52	1.47	4.09	60.58	60.06
Invoked Bank Guarantees	7.65	8.03	Nil	Nil	Nil	0.38	7.65	7.65
L.C Devolved	Nil							

- p) Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

15. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Guideline given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during FY 2025-26 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY 2025-26.

16. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR. No.BP.1907/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, the bank is holding the provisioning of Rs.229.80 Crore (31st March, 2025- Rs. 230.05 Crore) as against the balance outstanding of Rs 229.80 crore (31st March, 2025 – Rs 230.05 crore) as on 31st March, 2026 in respect of NPA borrowal accounts referred in aforesaid circular.

17. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2025-26, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases:-

Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2026	Exposure (%) w.r.t. Tier-1 Capital as on 31.03.2025
NIL				

18. The bank has funded exposure of Rs. 102.99 crore in 2 borrower's accounts during FY 2025-26 (Rs 99.98 Crore in 2 borrower's accounts during FY 2024-25) which are under litigation and respective adjudicating authorities have granted stay on downgrading. The bank has made adequate provisions for the accounts.
19. Pursuant to the RBI circular dated 19th December 2023, in respect of investment in Alternate Investment Fund (AIF), Nil (Nil for FY 2024-25) provision is required during the year ended 31st March 2026.
20. Schedule 13(II) - Income on investment includes income recognized on an accrual basis in respect of accretion of interest on recapitalization bonds. The total amount of such interest income recognized during FY 2025-26 is Rs 475.45 Crores (Rs 454.72 Crores for FY 2024-25).
21. In terms of RBI Circular no. DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated 28th November, 2025 on "Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk"; Bank has participated in Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) on risk sharing basis for maximum period of 180 days, thereby increasing the Bank's Total Advances by Rs. 2590.89 crore as on 31.03.2026 (Rs 3063.99 crore as on 31.03.2025) to same extent.



- 22.** The Board of the Bank has proposed dividend @ 3.90% i.e. of Rs. 0.39 per equity share (Face Value of ₹ 10/- per share) for the Financial Year 2025-26 (@0.70% i.e. Rs. 0.07 per equity share for FY 2024-25) in Board Meeting dated April 27, 2026 subject to requisite approval from Shareholders.
- 23.** The Bank is carrying a provision of Rs. 7.79 crore as on 31st March, 2026 (Rs. 8.51 Crore as on 31st March 2025) being 5% of outstanding food credit availed by the State Government of Punjab as per the RBI letter no. DBR (BP) No. 7201. 21.04.132 /2017-18 dated 08.02.2018 issued to SBI, the lead bank.
- 24.** The financial statements for the year ended 31st March, 2026 have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed in the earlier year ended 31st March, 2025.
- 25.** Accounting Standard 11 –The Effects of Changes in foreign exchange rates: Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the FY 2025-26 is Rs. 17.48 crore (Rs.11.95 crore for FY 2024-25).
- 26.** The figures of previous period have been regrouped and reclassified wherever considered necessary in order to make them comparable with the figures of the current period.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(₹ in '000)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	1,32,19,342	1,01,58,309
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	85,98,069	1,05,90,913
Depreciation on Fixed Assets	17,69,926	14,50,846
(Profit)/Loss on Revaluation of Investment	11,48,615	(5,74,250)
Profit/Loss on Sale of Assets	1,577	1,975
Interest on Bonds	33,77,535	17,07,323
Contribution to Employees Welfare Trust & CSR Fund	(88,417)	(45,370)
Operating Profit before Working Capital Changes	2,80,26,647	2,32,89,745
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	16,05,49,894	10,36,44,676
Increase / (Decrease) in Borrowings	2,12,28,061	1,45,86,640
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	(1,74,71,144)	1,36,33,731
(Increase) / Decrease in Investments	(3,12,57,228)	(1,50,72,547)
(Increase)/ Decrease in Advances	(18,74,61,450)	(15,15,74,249)
(Increase) / Decrease in Other Assets	1,02,67,112	(1,80,62,439)
Direct Taxes Paid (Net of refund)	(28,13,000)	66,19,400
Cash (Outflow) in Operating Activities (A)	(1,89,31,108)	(2,29,35,042)
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	(24,07,485)	(16,74,100)
Profit on sale of Assets	(1,577)	(1,975)
Cash (Outflow) in Investing Activities (B)	(24,09,062)	(16,76,075)
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for Cash	-	31,77,987
Share Premium received thereon	-	90,15,952
Preferential Issue Expenses	6,313	(1,49,421)
Issue of Subordinated Bonds	-	3,00,00,000



Interest on Bonds	(33,77,535)	(17,07,323)
Dividend on Equity	(4,96,691)	(13,55,557)
Cash Inflow/(Outflow) from/in Financing Activities (C)	(38,67,913)	3,89,81,638
Cash (Outflow) in Operating Activities (A)	(1,89,31,108)	(2,29,35,042)
Cash (Outflow) in Investing Activities (B)	(24,09,062)	(16,76,075)
Cash Inflow/(Outflow) from/in Financing Activities (C)	(38,67,913)	3,89,81,638
Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	(2,52,08,083)	1,43,70,521
Cash and Bank Balances (Opening)(Refer Schedule 6&7)	8,82,00,640	7,38,30,119
Cash and Bank Balances (Closing)(Refer Schedule 6&7)	6,29,92,557	8,82,00,640

Significant Accounting Policies

17

Notes on Accounts

18

ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

JITENDRA ASATI
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 26566023WYNGEH9733

(CA GURNEET SINGH BHAN)
PARTNER
M. NO. 532675
UDIN: 26532675YNDAWF6678

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA ABHIJEET GUPTA)
PARTNER
M. NO. 454850
UDIN: 26454850VQLEWE3778

(CA SHARATH K SHETTY)
PARTNER
M. NO. 132775
UDIN: 26132775QKDBTN9395

Place: New Delhi
Dated: April 27, 2026

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VISION & MISSION STATEMENT OF THE BANK

VISION

Viksit Bharat ka Vishwasniya Bank.

MISSION

- Deliver Customer centric services built on trust, transparency and inclusivity towards sustainable growth.
- Driving excellence with technology and innovation for enhancing stakeholders' value.



TOLL FREE NO.: 1800 419 8300

Website : <https://punjabandsind.bank.in>

Follow us @PSBIndOfficial



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਗਿਤਾਤੁ ਸੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, फोन: 011-25720849, 25812922, ई-मेल: complianceofficer@psb.bank.in

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008, Phone: 011-25720849, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.bank.in

कॉरपोरेट कार्यालय: एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवाई नगर, नई दिल्ली- 110023, फोन: 011-40175169

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi- 110023, Phone: 011-40175169